(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का अट्ठाइसवां दिवस [संख्या :19

बुधवार,

24 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

जैमर युक्त वाहन की खरीद

772. **श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** (औसियां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कोई नयी कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत क्या जैमर युक्त वाहन की खरीद भी की गयी है? यदि हां, तो जैमर की खरीद किस कम्पनी से की गयी तथा उसकी क्या लागत है ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित। श्री रामेश्वर लाल चौधरी।

पंचायत समिति कुचामन सिटी के अकाल राहत कार्य

773. **श्री रामेश्वर लाल चौधरी** (नावां) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति, कुचामन सिटी में इस वर्ष अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में क्या-क्या कार्य व कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ?

(2) क्या जिन ग्रामों में अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये वह अकालग्रस्त घोषित थे? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा अकाल राहत कार्यों की गलत रिपोर्ट देकर कार्य रुकवाये गये थे ? यदि हॉ, तो क्यों ? क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी को अकाल राहत कार्यों को रोकने का कोई अधिकार नहीं होने पर भी उन द्वारा 28 लाख रुपयों के कार्यों को रोक दिया गया? यदि हां, तो क्यों ? रोके गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, अकाल सहायता (श्री सांवरलाल) : (1) जी, हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां।

(4) गलत सूचना देकर जिला कलक्टर से कार्य रुकवाये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट -1 देखें)

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चारों प्रश्नों का जी हां, जी हां का उत्तर दिया है तो जिस अधिकारी ने गलत सूचना देकर यह 28 लाख रुपये के काम रुकवाये उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर द्वारा जांच की जा रही है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं, कि विकास के कार्य प्राथमिकता से करने चाहिए थे, उस विकास अधिकारी ने गलती की है तो मैं निश्चित रूप से पंचायती राज विभाग को यह सिफारिश करूंगा कि ऐसे विकास अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास अधिकारी इसमें शामिल नहीं है। एक वहां का जेईएन. है जिसकी जांच रिपोर्ट एस.डी.ओ. ने तैयार की है। इसकी दो लाइन मैं आपको पढ़कर सुना दूं, "यदि यहां पर सामुदायिक भवन बना दिया जाता है तो सभी समाज के काम आयेगा एवं यही जगह उपयुक्त है।" जेईएन. की हठधर्मी के कारण वह भवन बना है। मौके पर पत्थर भी पड़े हुए हैं। यह जेईएन. की हठधर्मी थी क्योंकि जेईएन. मौके पर जाता था और जेईएन. ने ऐसी रिपोर्ट दी विकास अधिकारी को, उसी हिसाब से उसने रिपोर्ट देकर कलक्टर से यह काम रुकवाये। एक तरफ तो भगवान ने अकाल पटक दिया, दूसरी तरफ इन कर्मचारियों ने उन गरीबों के लिए अकाल पटक दिया। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जितना हो सके उतना इनके ऊपर एक्शन लिया जाए ताकि आइन्दा के लिए यह पुनरावृत्ति नहीं हो।

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच करवाकर जो भी दोषी कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ एक महीने के अन्दर-अन्दर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में नियुक्ति प्रकरण

774.**श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा प्रोफेसर पद हेतु नियुक्ति के नियम सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में लागू होते हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री किशन मोटवानी)

(2) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में प्रबन्ध विभाग (एम.बी.ए.) में नियुक्त प्रोफेसर की क्या योग्यताएं हैं ?

(3) क्या श्री एन.एम. खण्डेलवाल, प्रबन्ध विभाग (एम.बी.ए.) में प्रबन्ध क्षेत्र में डाक्टरेट (पीएच.डी.) हैं ? यदि नहीं, तो श्री खण्डेलवाल की योग्यता क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री एन.एम. खण्डेलवाल को प्रबन्ध विभाग (एम.बी.ए.) में प्रोफेसर की नियुक्ति देते समय समस्त अनिवार्य योग्यताओं सम्बन्धी नियमों का पालन किया गया है ?

(5) यदि श्री एन. एम. खण्डेलवाल उक्त पद हेतु अनिवार्य योग्यता नहीं रखते हैं तो इस गंभीर अनियमितता के दोषी अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही की गयी ?

(6) वर्तमान कुलपति (श्री चतुर्वेदी) द्वारा अपने कार्यकाल में अब तक कुल कितनी नियुक्तियां की गयीं ? उन नियुक्तियों की अनिवार्य योग्यताएं नियमानुसार क्या-क्या थीं तथा नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी क्या-क्या योग्यता रखते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता की शर्तों के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में प्रबन्ध संकाय के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताधारी व्यक्ति होना आवश्यक है। शेष पर विश्वविद्यालय के नियम लागू होते हैं। प्रबन्ध संकाय विषयक नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट - 1)

(2) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय , अजमेर से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रबन्ध संकाय में प्रोफेसर की नियुक्ति की योग्यताएं सदन के पटल पर रख दी गयी हैं। (परिशिष्ट - 2)

(3) जी, हां।

(4) जी, हां।

(5) श्री एन.एम. खण्डेलवाल निर्धारित योग्यता रखते हैं। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(6) वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में की गयी नियुक्तियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट - 3)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री किशन मोटवानी : माननीय मंत्री जी, मैं दो-तीन पाइंटेड सवाल पूछूंगा और चाहूंगा कि एक-एक करके आप जवाब देते जाएं, फिर मैं आगे प्रश्न करूं। प्रोफेसर खण्डेलवाल की क्वालीफिकेशन बी.कॉम., एम.कॉम., पीएच.डी. है और निर्धारित क्वालीफिकेशन जो यूनिवर्सिटी ने मानी है और मांगी है, Ph.D. or equivalent research work in

(५)

(श्री किशन मोटवानी)

management studies or fellows of IIMS, ICA, ICWA, Teaching research, consultancy professional experience of 10 years. क्या यह बात सही है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां।

श्री किशन मोटवानी : तो फिर आप यह बी.कॉम., एम. कॉम. और पीएच. डी. किये हुए को इन क्वालीफिकेशन से कैसे इक्वेट करते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मैनेजमेंट शब्द है, अगर आप 23 नवम्बर, 1993 का "गजट आफ इण्डिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैक्शन चार" पढ़ें तो आपको उसमें लगेगा कि इस मैनेजमेंट का मतलब यह है पीएचडी. के लिए

1. Environment policy organisational Behaviour,

2. Personal Management, Industrial Relation,

3. Management, Accounting, Financial management,

4. Quantitative Methods, operation Research Computer,

5. Production Management, operation management, material management and

6. Marketing.

यह मैनेजमेंट के 6 भाग हैं कि जिनमें स्पेशलाइजेशन होता है। पीएच. डी. एक स्पेशलाइजेशन है और मैनेजमेंट के भागों के अन्तर्गत यह होता है। यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया के गजट में निर्धारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन खण्डेलवाल की चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने पीएचडी. मैनेजमेंट अकाउटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो नम्बर-3 पर है, में की है।

मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि पहले कॉमर्स के अन्तर्गत और जो 11 लोग आए थे उनमें से केवल दो प्रोफेसर थे, वह बी.कॉम., एम.कॉम. ही हुआ करते थे और अगर आप हिन्दुस्तान भर के सारे लोगों को देखेंगे, जो प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि उनकी क्वालीफिकेशन यही है और यह मैनेजमेंट का पार्ट है। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री किशन मोटवानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक सवाल और पूछना चाहता हूं, क्या इन्हीं व्यक्ति की एसोसियेट प्रोफेसर फॉर मैनेजमेंट, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन रिजेक्ट की गयी थी ? (व्यवधान) आप जवाब देंगे, मंत्री महोदय जवाब देंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रार्थी आये थे उनकी संख्या 10 थी...

श्री किशन मोटवानी : मैं अब की नहीं पूछ रहा हूं आपसे। इसी कैण्डीडेट की, प्रोफेसर खण्डेलवाल की इससे पूर्व जब चतुर्वेदी साहब वी.सी. नहीं थे, एप्लीकेशन एसोसियेट प्रोफेसर के लिये आई थी तो रिजेक्ट की गयी थी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जब यह वाइस चांसलर नहीं थे, उनसे पहले श्रीमती कान्ता आहूजा वाइस चांसलर थीं। आप तो एसोसियेट प्रोफेसर की एप्लीकेशन रिजेक्ट की बात करते हैं उन्होंने तो सलेक्शन किया था, कमेटी के आधार पर इन्हीं खण्डेलवाल का विजिटिंग प्रोफेसर के नाते। मैं आपकी जानकारी के लिए पत्र बता रहा हूं।

श्री किशन मोटवानी : अब जब आपने जवाब दे दिया means you have the knowledge. अब आप पर्टिनेंट जवाब दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, दे रहा हूं।

श्री किशन मोटवानी : इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी कि नहीं हुई थी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपको बता रहा हूं। बहुत पहले की जानकारी तो मुझे पता नहीं है किन्तु विजिटिंग प्रोफेसर के नाते इसी विषय में इनका सलेक्शन किया गया था। उनका पत्र बता रहा हूं।

श्री किशन मोटवानी : मैं आपसे इनसिस्ट नहीं करता अगर आप यह नॉलेज यहां पर शो नहीं करते कि कान्ता आहूजा के जमाने में इनको विजिटिंग प्रोफेसर बनाया था। मैं नहीं पूछता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप पढ़िये पहले। फरवरी 1, 1993 जब वाइस चांसलर कान्ता आहूजा थीं, राज्यपाल महोदय के श्री एम.आर. भसीन को पत्र लिखा है, Dr. M.R. Bhasin, Secretary, to the Governor, Raj Bhawan, Civil Lines, Jaipur. Appointment of Visiting Professor....(व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इनका सलेक्शन हुआ है। उसके पहले कभी एसोसियेट प्रोफेसर का सलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री किशन मोटवानी : उससे पहले नहीं, इन्हीं दिनों। कान्ता आहूजा के जमाने की बात है। मैं आपसे नहीं पूछता अगर आप यह नॉलेज यहां एक्सपोज नहीं करते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो करेन्ट पत्र कोट कर रहा हूं। जब श्रीमती कान्ता आहूजा, दी दैन वाइस चांसलर थीं, इसके बाद किसी एसोसियेट प्रोफेसर के पद पर यह रिजेक्ट नहीं किये गये।

इसके पहले कभी किये होंगे तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा और वह कमेटी भी

(6)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

किनकी थी ? एमिनेन्ट एजुकेशनिस्ट की कमेटी बनायी थी कान्ता आहूजा ने। इकबाल नारायणजी, एमिनेन्ट एजुकेशनिस्ट, श्री पी.एस. भार्गव, डायरेक्टर कालेज एजुकेशन, जयपुर कान्ता आहूजा, वाइस चांसलर, महर्षि दयानन्द सरस्वती कॉलेज, अजमेर। 'The Committee considered the requirements of University in the context of....' इसमें लिखा है, श्रीमान अजहर कुरेशी, एन.एम. खण्डेलवाल, एम.के. भार्गव। उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि अजहर कुरेशी एक साल तक विजिटिंग प्रोफेसर रखे गये। वह जब हट गये तब उन्होंने इनकी पोस्टिंग की। इसका भी आदेश मेरे पास है जो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं।

श्री किशन मोटवानी : यह मेरे क्वेश्चन का भाग नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : He has been appointed as a visiting professor.

श्री किशन मोटवानी : अगर यह इतनी बात करेंगे तो हम दस सवाल और पूछना चाहेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूछो न सवाल।

श्री किशन मोटवानी : मैं कह देता हूं Where have I asked you for that? मैंने तो आपसे एक सीधा सवाल पूछा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत बताना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : यह क्वालीफाइड है ? (व्यवधान) —

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कि इनका पोस्टिंग विजिटिंग प्रोफेसर पद पर होगा। इसके पहले कभी हुआ हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री किशन मोटवानी : अब मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिये। आपके इस प्रोफेसर की क्वालीफिकेशंस क्लियर हो जायेंगी। यह सत्य है कि नहीं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का सुधीर वर्मा का एक कमीशन बैठा था? और सुधीर वर्मा कमीशन में यह आया कि खण्डेलवाल साहब ने 15 मिनट में तीन पीएच.डी. क्लियर की हैं। उसके खिलाफ टिप्पणी की है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उन केसेज को कोट करेंगे। मैं एन. एम. खण्डेलवाल का बायोडेटा आपके सामने रख रहा हूं कि इतने रिसर्च पेपर्स इन्होंने किये, कितनी प्रोग्रेस इन्होंने करवायी, जबसे वह प्रोफेसर हैं।

श्री किशन मोटवानी : वह तो मुझे पता है आप वकालात करेंगे इसकी। I know it that you will be a counsel for him. You are a brief holder.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात और है, सलेक्शन करने वाली एक कमेटी होती है।

श्री किशन मोटवानी : मेरे सवाल का जवाब दिलवाइये, साहब।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां, जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल का जवाब आ चुका। बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : बिलकुल पाइन्टेड पूछ रहे हैं फिर भी जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ रहे हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए उनका फार्म रिजेक्ट हुआ कि नहीं। उसके बाद कान्ताजी ने यह लिखा है कि आप विजिटिंग प्रोफेसर होंगे। उसके पहले कोई भी हुआ होगा तो रूल्ड आउट अपने आप हो जाता है। There is no substance in it.

श्री किशन मोटवानी : माननीय अध्यक्षजी, + + + आप तो निष्पक्ष बैठे हैं। मैंने जो अभी आखिरी सवाल इनसे किया वह....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मुझे जानकारी मिली है कि जो रिजेक्ट हुए थे, प्रोफेसर एम.सी. खण्डलेवाल वह यह नहीं थे, कोई दूसरे एम.सी. खण्डेलवाल थे।

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, मेरे आखिरी सवाल का जवाब तो दे दें कि सुधीर वर्मा कमीशन ने राजस्थान यूनिवर्सिटी की अनियमितताओं की जांच करते हुए इन्हीं खण्डेलवाल साहब के खिलाफ टिप्पणी की थी? (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात होगी तो उसके लिए मैं क्या वर्णन करूंगा। कभी कोई बात हुई हो तो यह अलग सवाल है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि खण्डेलवाल साहब का बायोडेटा आपके पास आ चुका है। मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : केवल एक सप्लीमेंट्री। ओनली वन क्वेश्चन।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक सप्लीमेंट्री का पार्ट एक और पार्ट दो, ए और बी, दो सवाल। मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि इस बायोडेटा में क्या यह लिखा हुआ है कि इनकी उम्र क्या है ? कितने साल का व्यक्ति इस पद पर काम कर सकता है ? 60 साल का ? इनकी उम्र 62 वर्ष है और इस बायोडेटा में यह भी लिखा हुआ है कि यह ए.बी.वी.पी. के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह दूसरे खण्डेलवाल हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हुए हैं यह ?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(8)

श्री अध्यक्ष : Please that ....(interruption)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 62 वर्ष की उम्र है। इनका छोटा भाई..(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आदमी के बारे में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, सदन में यह फैक्ट आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह खण्डेलवाल दूसरे हैं। आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनका छोटा भाई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है जहां पर 500 रुपये में एक प्रश्न पत्र बेचा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। श्री लक्ष्मणसिंह जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रश्न पत्र बेचे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरे खण्डेलवाल हैं। आप क्यों समय जाया कर रहे हैं। बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, खण्डेलवाल यही हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको पूरा पता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे बोलने का मौका देते ही नहीं हैं।

श्री किशन मोटवानी : यह सही सवाल पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह घुमा-फिराकर जवाब दिया जा रहा है। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं हो रहा है आपका।

श्री किशन मोटवानी : XXX

श्री अध्यक्ष : आपके जितने भी 131 आये हैं मैंने सब सरकार को भेजे हैं। बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री किशन मोटवानी : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजें। अंकित नहीं करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री किशन गोपाल कोगटा : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये (व्यवधान) लक्ष्मण सिंह जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : इस तरीके से अलाऊ नहीं होगा। धारीवाल साहब, बिराजें आप।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो पहले इनका जवाब दे दूं ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय विधायक को जरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में और हिन्दुस्तान में खण्डेलवाल बहुत हैं। इनका जो बायोडेटा है, 02 अक्टूबर, 1943 का इनका जन्म है और उम्र हुई इनकी 53 साल। (व्यवधान) वह खण्डेलवाल दूसरे हैं, याद आ रहा है। (व्यवधान) बैठो तो सही, पूरी बात सुनो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह उम्र गलत दर्ज की गयी है। अगर आप शाम को जवाब देना चाहें तो जन्म प्रमाण-पत्र पेश करने को मैं तैयार हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब झेंप मत मिटाओ। बैठो आप। चैलेंज मत करो मुझे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री कालीचरण सराफ : आप पूरी तैयारी करके आया करो, ऐसे नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी मार्फत माननीय सदस्य से एक निवेदन किया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, कृपया बिराजें। आपने कोई बात पूछी है, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोर्ट में सर्टिफिकेट पेश करवा दें इनका।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दे देना (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज मूव कर देना। मैं हिण्डौली से आने वाले माननीय विधायक को फिर कोट कर रहा हूं। Born on October 2, 1943 at Ajmer, age is 53 only. अजमेर से आने वाले विधायक महोदय ने जिन सुधीर वर्माजी की कमेटी का जिक्र किया है, वह एम.सी. खण्डेलवाल हैं। एन.एम. खण्डेलवाल नहीं हैं। बड़ी गड़बड़ हो रही है। इन खण्डेलवालों के चक्कर में वर्मा की रिपोर्ट कोट की जा रही है और उम्र कोट की जा रही है और कुछ और (व्यवधान) बड़े आश्चर्य की बात है।

श्री किशन मोटवानी : इन्क्वायरी तो करा लो।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, धनखड़ साहब, बिराजें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ए.बी.वी.पी. के अध्यक्ष रहे हैं (व्यवधान) और इनके छोटे भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं (व्यवधान) यह शिकायत आई की नहीं ? (व्यवधान)

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य : बिराज जाएं। यदि ज्ञान नहीं है तो इस तरीके से सदन का समय जाया नहीं करना चाहिए। सिट डाउन।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 500 रुपये में प्रश्न पत्र बिक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सिट डाउन। बैठिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मुझे बिराजने के लिए कह रहे हैं_ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और गलत बयानी को नहीं रोक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रोसीक्यूट करिये उन्हें। बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब आपकी यही _(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यहां कही गयी बात का प्रोसीक्यूशन कहीं नहीं हो सकता आपके अलावा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डाकूमेंट्स हैं, यह एवेलेवल हैं। आप अच्छे वकील हो, जानते हो कि प्रोसीक्यूट किया जा सकता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम कहां जाएं ?

श्री अध्यक्ष : 467, 468 और 471 का मुकदमा बनता है, बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं हो सकता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम कहां जाएं आप तो यह बता दो ?

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। पूरी बात सुनें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसके अलावा क्या किया, वाइस चांसलर बना दिया _(व्यवधान)_

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में कही गयी बात _(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यहां की बात नहीं हो रही। बाहर की बात हो रही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में रिटायरमेंट के बाद भी उसको_(व्यवधान)_ हद कर दी।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, आप बिराजें। लक्ष्मणसिंह जी को बोलने दें। (व्यवधान) लक्ष्मणसिंह जी बोलें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इतना जबरदस्त घोटाला _(व्यवधान) शिक्षा का क्या स्तर रह जाएगा ? _(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। शिक्षा का स्तर वह होता है कि माननीय अध्यक्ष की आज्ञा नहीं होती है तो बैठ जाना चाहिए। बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शिक्षा को कहां ले जाना चाहते हो आप ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं_(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : अगर आप बिराजेंगे नहीं तो मुझे अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि–

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप हड़बड़ाहट में जवाब दे रहे हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कभी नहीं। यह सदस्य कभी कोटा विश्विवद्यालय में नहीं रहे। यह तो सत्रह साल से सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में रहे हैं (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भारद्वाज जी, जो कोटा यूनिवसिर्टी के वाइस चांसलर थे, मैं उनके लिये कह रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह गलत धारणा है। यह वह नहीं हैं। भारद्वाज की चर्चा कर रहे हैं न ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं भारद्वाज की कह रहा हूं। आप सुन ही नहीं रहे हैं। मेरा सवाल यह था, अध्यक्ष महोदय, कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भारद्वाज को रिटायरमेंट में बाद अजमेर में –

श्री अध्यक्ष : यह कोटा की बात ही नहीं है। कृपया बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डीन बना दिया गया। वाइस चांसलर रिटायर हो गया और दूसरी यूनिवर्सिटी में डीन बन गया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अलाउड नहीं है। बिराजें। अंकित नहीं करें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : कोटा कहां आ गया?

श्री किशनगोपाल कोगटा : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से अजमेर विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर कई धांधलेबाजी और कई घोटालेबाजी के आरोप लगे हैं और उन पर भाई-भतीजावाद के भी आरोप लगे हैं। मैं, माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा, राजस्थान के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं राष्ट्रदूत और दैनिक नवज्योति, उन्होंने अजमेर वाले कुलपति के अगेंस्ट में धांधलेबाजी के आरोप लगाये हैं, उन आरोपों की जांच कराने के लिए क्या आप राज्यपाल के पास सिफारिश करेंगे? (व्यवधान) कुलपतियों ने जो घोटालेबाजी की है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को वहां नौकरी पर लगाया है उनकी जांच कराने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के पास (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। बिराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : जांच के लिये मांग कर रहा हूं।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : यह आप अलग से मूव करें। बिराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : घोटालेबाजी के ऊपर जांच की मांग कर रहे हैं इसमें ऐसी क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें, नो।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जांच करवा सकते हैं (व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध हैं व्यक्तिगत रूप से।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के तो व्यक्तिगत रूप से विरुद्ध हैं और दयानन्द विश्वविद्यालय के कुलपति इनके खास हैं। चतुर्वेदी चतुर्वेदी सगे भाई मौसेरे भाई (व्यवधान)...इसलिये उनकी रक्षा करना चाहते हैं। उनके साथ में उनकी भी जांच करवाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। कृपया अब अंकित नहीं हो।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री भगराज चौधरी : XXX

श्री किशनगोपाल कोगटा : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया कोई अंकित नहीं करें।

श्री भगराज चौधरी : XXX

श्री किशन गोपाल कोगटा : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आपको सुनना नहीं हैं ? श्री हरिनारायणजी बैरवा।

श्री जुबेर खान : XXX

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री किशनगोपाल कोगटा : XXX...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : हो गया। हो गया, बिराजें। कोगटा जी, बैठिये। श्री हरिनारायणजी बैरवा।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : अब आप किसी की सुनना तो चाहते नहीं, वह बोलना चाहते हैं आप खड़े हो जाते हैं, (व्यवधान)...यह तो कोई तरीका नहीं है। आपको प्रश्न का जवाब सुनना है तो उनको सुनिये आप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। इनको जवाब नहीं सुनना है। हरिनारायणजी, (व्यवधान) किसी को कोई जवाब नहीं सुनना है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सारे स्पेसिफिक सवालों का जवाब दिया है। इस सवाल से दूर हटकर माननीय सदस्य ने एक सवाल किया कि अखबारों में कुछ बातें आई हैं जिनकी जांच करवाने की बात कहते हैं। मैंने अपने स्तर पर, जांच तो मैं कर नहीं सकता और ना मैं करना चाहता हूं, उसके लिए अधिकारी हैं महामहिम, किन्तु प्रारम्भिक रूप से सारे रिकार्ड्स मैंने मंगाकर देखें हैं, कोई अनियमितता नहीं पाई गयी। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : जांच को सदन की टेबल पर रखो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सारी अनियमितताओं में + + +

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : राजस्थान की विधान सभा जानना चाहती है कि इस कुलपति के खिलाफ (व्यवधान) जांच के तथ्य क्या हैं? जांच में आपकी टर्म्स आफ रेफरेंस क्या है ? राजस्थान की यह विधान सभा जानना चाहती है। (व्यवधान) उस जांच को आप सदन की टेबल पर रखिये।

श्री अध्यक्ष : हो गया। आप और माध्यम से आइये। बस हो गया, आप बिराजें। श्री हरिनारायणजी। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, आप आधा घण्टे की चर्चा आज ही करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आधा घण्टे से ऊपर हो गया। बिराजें आप। कोई अंकित नहीं करें आप। श्री हरिनारायणजी।

श्री लक्ष्मण सिंह : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : आपका कोई अंकित नहीं हो रहा है। आप बिराजें। श्री हरिनारायणजी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : XXX

जिला सवाई माधोपुर की पम्प सैट योजना

775. **श्री हरिनारायण** (खण्डार) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 व 1996-97 में पम्प सैट योजना चलायी गयी है ? यदि हां, तो जिला सवाईमाधोपुर में कितने किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया तथा कितनी अनुदान राशि दी गयी है ? क्या काश्तकारों को पम्प सैट भी दिये गये हैं ? यदि हां तो कितने काश्तकारों को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री हरिनारायण)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1995-96 व 1996-97 में सामूहिक पम्प सैट योजना चालू की गयी है ? यदि हां, तो कितने किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया तथा कितनी अनुदान राशि दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं की पंचायत समितिवार काश्तकारों की सूची, जिनको लाभ दिया गया है, का विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दीजिये। जवाब दें आप।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) जी हां, जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1995-96 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 283 अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले काश्तकारों को व्यक्तिगत पम्प सैट योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया। सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है। वर्ष 1995-96 में इस योजना के अन्तर्गत इन काश्तकारों को 16.98 लाख रुपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये। विवरण परिशिष्ट "क" के कालम संख्या - 9 में सदन के पटल पर रखा गया है। योजनान्तर्गत काश्तकारों को डीजल पम्पसैट ही दिये जाते हैं। वर्ष 1996-97 में जिला सवाईमाधोपुर में इस योजना के अन्तर्गत माह जून, 1996 तक किसी को भी लाभान्वित नहीं किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अजमेर विश्वविद्यालय की जो हालत है वह इतनी खराब है। नाम का चक्कर है। चतुर्वेदी जी संरक्षण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न आ गया। धनखड़ साहब, बिराजें आप। मंत्रीजी का नोट करें आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री मदन दिलावर : (2) जी हां, जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1995-96 व 1996-97 में सामूहिक पम्पसैट योजना चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में 408 काश्तकारों को 1844904/- रुपये की अनुदान राशि डीजल पम्प सैट के रूप में दी गयी। सूची परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है। वर्ष 1996-97 में जून, 1996 तक सवाईमाधोपुर जिले में इस योजनान्तर्गत किसी काश्तकार को लाभान्वित नहीं किया गया है। (व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, वह मंत्रीजी चले गये। न जन्म प्रमाण पत्र पेश किया। मंत्रीजी चल दिये, जवाब दिये बगैर भाग गये।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब बोलें तो इनका अंकित नहीं हो।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री मदन दिलावर : (3) पम्पसैट योजना, सामूहिक पम्प सैट योजना जो राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से संचालित है, काश्तकारों का विवरण परिशिष्ट "क" एवं 'ख' के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो जवाब दिया (व्यवधान) वह तो समझ में आ गया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सामूहिक पम्प सैट या एक-एक पम्प सैट देने का क्या मापदण्ड है ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सवाईमाधोपुर वाला (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या पूछना है ?

श्री हरिनारायण : क्या पंचायत समिति के द्वारा प्रस्ताव मंगवाए जाते हैं या सीधे डी.आर. डी. ए. के द्वारा ही दे दिये जाते हैं ?

नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलिये ना आप। (व्यवधान) नहीं पूरा आ गया वह। आ गया ना, इनका जवाब आ गया।

श्री हरिनारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पम्प सैट व सामूहिक पम्प सैट देने का क्या मापदंड है ? क्या पंचायत समिति के द्वारा प्रस्ताव मंगवाए जाते हैं या सीधे ही डी.आर.डी.ए. के द्वारा दे दिये जाते हैं ? (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मेरा सवाईमाधोपुर जिले का प्रश्न है।

श्री हरिनारायण : नम्बर दो, व्यक्तिगत पम्प सैट पर आप कितनी सब्सिडी देते हैं और सामूहिक पम्प सैट पर कितनी सब्सिडी देते हैं ?

नम्बर तीन, क्या पूर्व में सामूहिक पम्प सैट पर 20 प्रतिशत सब्सिडी नहीं ली जाती थी, और अब 20 प्रतिशत सब्सिडी ली जाती है ? यदि हां, तो क्यों ली जाती है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। पहले मैन प्रश्नकर्ता का जवाब आने दें फिर आप पूछें, सवाईमाधोपुर तो लिमिटेड है। बिराजें आप। कृपया इनको जवाब देने दें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन सवाल माननीय सदस्य ने किये हैं। पहला प्रश्न है कि व्यक्तिगत पम्प सैट और सामूहिक पम्प सैट पर कितना अनुदान दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्तिगत पम्प सैट लेता है उस पर 6 हजार

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री मदन दिलावर)

रुपये का अनुसूचित जाति विकास निगम की तरफ से अनुदान दिया जाता है और सामूहिक पम्प सैट है वह तीन काश्तकार यदि इकट्ठे होकर आते हैं जो एस. सी. के हैं और पात्रता रखते हैं, तो उनको 18 हजार रुपये तक का डीजल पम्प सैट मुफ्त में दिया जाता है, किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं ली जाती है। उसके बाद प्रश्न किया है माननीय सदस्य ने कि सामूहिक पम्प सैट पर 20 प्रतिशत जो इस बार से लेना प्रारम्भ किया है या लेने का विचार किया है, वह क्यों किया है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो निगम का बोर्ड है उसने तय किया है कि ठीक प्रकार से रख-रखाव काश्तकार कर सकेगा इसलिए उनकी सहभागिता उसमें होनी चाहिए। इसलिए तय किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर जिले को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपको क्या पूछना रह गया और ?

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो सामूहिक पम्प सैट दिये हैं उनमें एस.सी. के व्यक्तियों से 6-6 हजार रुपये क्यों लिये गये हैं जबकि खाली पम्प सैट दिये तीन व्यक्तियों को मिला कर ? 6-6 हजार रुपये लिये गये, इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारे यहां भौतिक सत्यापन होने का एक सिस्टम है, भौतिक सत्यापन करवाते हैं और उस भौतिक सत्यापन में कहीं भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है कि किसी ने 6 हजार रुपये लिये हैं। फिर भी माननीय सदस्य, जो कि वहां से आते हैं और वहां का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की यदि पर्टीकुलर शिकायतें मिलेंगी या माननीय सदस्य मुझे बताएंगे तो सारी की सारी शिकायतों की निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा सादा प्रश्न है। इस योजना से सवाईमाधोपुर जिले को पूरा लाभ नहीं मिलता है। कारण यह है कि कुछ तहसीलें डार्क जोन में घोषित कर रखी हैं। मेरा तो सीधा प्रश्न यह है कि जिन काश्तकारों ने, चाहे अनुसूचित जन जाति के हों, चयनित रेखा के नीचे हों, डार्क जोन घोषित करने के पूर्व अपने कुएं वगैरह का निर्माण करवा रखा है, जिनके पास कुएं हैं तो क्या उस योजना का लाभ उनको दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोड़ाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। एक साथ ही उत्तर आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : बोलो न आप। दिक्कत क्या है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा निवेदन यह है कि जिला सवाईमाधोपुर में, पहले इस योजना के तहत पम्प सैट दिये जाते थे, वह पम्प सैट फ्री दिये जाते थे एस. सी. और एस. टी. के लिए और अब वर्तमान में सरकार ने एक संशोधन कर दिया और वित्त निगम, जिसके जरिये यह देते हैं, ने 20 पर्सेंट इसमें लगा दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एस. सी., एस.टी. के लोगों को क्या फ्री देने जा रहे हैं? क्या पुनः इस योजना को लागू कर रहे हैं?

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में आपने इस योजना को लागू नहीं कर रखा है, क्या आप इस योजना को लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री हरिसिंहजी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाइये। यह पूरे राजस्थान का प्रश्न है। अकेले सवाई माधोपुर जिले का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : डार्क जोन तो घोषित किया बाद में और पहले से कुएं बने हुए हैं। आप स्पष्ट उत्तर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सवाईमाधोपुर का और सारे राजस्थान का प्रश्न है उस बात के लिये यह कह रहे हैं, वह अलग बात कह रहे हैं। डार्क जोन की सारे राजस्थान की बात कह रहे हैं वह।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : पम्प सैट की योजना से सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर और पूरे सवाईमाधोपुर तहसील क्षेत्र को लाभान्वित नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) गंगापुर तहसील, टोडाभीम तहसील, नादौती तहसील यह सब डार्क जोन में हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप कृपया बिराजिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यही मेरा निवेदन है। जो पहले के लगे हुए पम्प सैट हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ना आप। कृपया बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : नादौती, टोडाभीम तहसील में भी लागू करवाएं आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ना आप। श्री हरिसिंहजी। हां टोडाभीम, आप बिराज जाए। टोडाभीम, बिराज जाएं आप। (व्यवधान) केवल मात्र अभी सवाईमाधोपुर की बात हो रही है। आप बीच में आ गये। प्रश्न लेते हैं, हम सभी यह बात सोचते हैं (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूरे राजस्थान का है। हम सभी यह बात बोलते हैं। (व्यवधान) बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो राशि मार्जिन मनी के रूप में लेते हैं, आप अनुसूचित जाति

(18)

(श्री कालूलाल गूजर)

(व्यवधान) के व्यक्ति को (व्यवधान) क्या इस राशि को माननीय मंत्री महोदय माफ करने का विचार रखते हैं यदि रखते हैं, तो आप बताएं कि कब से माफ करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कालूलालजी, परमिशन लेकर बोलें आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं कि निगम के एम.डी. ने जिला परियोजना अधिकारी को क्या कोई परिपत्र जारी करके यह निर्देश दिये हैं कि आप अमुक-अमुक डीजल इंजन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी का मार्का ही खरीदेंगे ? उसमें कितनी कम्पनियां हैं ? नम्बर एक।

नम्बर दो, इससे पूर्व (व्यवधान) हां, सवाईमाधोपुर के ही उसको दी है। (व्यवधान) सवाईमाधोपुर में मेरी 12 पंचायत हैं। आपकी जानकारी में नहीं है तो मुझे सख्त अफसोस है। आप बिराजिये।

अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कितनी कम्पनियां आयीं। आई. एस.आई. मार्का इंजन बेचने वाली आपकी कान्ट्रेक्ट पर थीं ? क्या उन पुरानी वाली कम्पनियों के इंजन सस्ते पड़ते हैं और जब जिन दो कम्पनियों को अधिकार दिया है एम. डी. ने, उसके इंजन बहुत महंगे पड़ते हैं ? मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूं मंत्रीजी को कि एम.डी. ने हर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को यह परिपत्र जारी करके उससे तय कर लिया है कि इस पर प्रति इंजन दो हजार, तीन हजार रुपये काश्तकार से वसूल करो और इन दोनों कम्पनियों से पैंतीस और चालीस लाख रुपये रिश्वत के लिये हैं। आप इसकी जांच करवाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : आप पहले जवाब आने दें। पहले जवाब देने दें, बाद में देखेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिण्डौन में क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सीकर की तरफ आ गये। (व्यवधान) आप पहले जवाब आने दें। कह दिया न जवाब आने दें, बाद में देखेंगे। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा (व्यवधान)

श्री कमल (हिण्डौन) : और पंचायत समितियों के बजाय हिण्डौन में (व्यवधान) कम से कम 200 पंचायत समितियों (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें आप। फिर आप कहोगे कि हमको कहते हैं आप।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) जवाब सुनें। मैं आपको मौका दूंगा। बिराजें आप।

श्री कमल : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा भी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, बिराजिये आप। पहले जवाब आ जाने दें। मुझे पता है आप खड़े हुए थे। (व्यवधान) कृपया सुनें अब।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर प्रश्न यहां उठाया है। मैं इनको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी एक साल पूर्व तक हम एग्रो इन्डस्ट्रीज के थ्रू ही पम्पसैट खरीदते थे। वह भी सरकार की एक एजेन्सी है। आई. एस. आई. मार्का के खरीदते थे। आज भी आई.एस. आई. मार्का के डीजल पम्प सैट खरीदते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सात फर्में हैं जिनसे हम खरीदते हैं। तीन तो अनुसूचित जाति निगम ने सीधी तय की हैं और चार एग्रो-इण्डस्ट्रीज से लेते हैं। एक साल पूर्व सिर्फ एग्रो इण्डस्ट्रीज से खरीदा जाता था लेकिन बीच में एग्रो इण्डस्ट्रीज का इस प्रकार का माल बना और इस प्रकार की चर्चा हुई जिसका परिपत्र हमारे निगम मुख्यालय में भी भेजा गया और कहा कि इस एग्रो इण्डस्ट्रीज को वाइण्ड अप कराने की संभावना है। परिपत्र से ऐसा लगता था। वह परिपत्र मेरे पास है तब हमने विचार किया कि यदि यह वाइण्ड अप हो जाएगा तो हमारी योजनाओं का क्या होगा। इसलिए हमने टेंडर इन्वाइट किये। उसमें 11 फर्में आई थीं जिनमें से सात या आठ को हमने चुना। मेरे पास एक-एक के नाम हैं। वह आई.एस.आई. मार्के की हैं। आप जानते हैं कि मार्केट में सबके अलग-अलग पम्प सैटों की अलग-अलग रेट होती है। उस रेट्स के आधार पर हम उनको लेते हैं। फिर भी यह चर्चा किसी ने मुख्य सचिव जी तक की होगी और वहां उनकी अध्यक्षता में, उनकी उपस्थिति में 3-4 अधिकारियों ने मिलकर इसका परीक्षण किया। सारे परीक्षण करने के बाद मुख्य सचिव जी ने भी इसका अनुमोदन किया कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है, यह ठीक है, इन्हें लिया जाना चाहिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा सीधा प्रश्न था कि क्या एम.डी. ने परिपत्र दिया? सवाईमाधोपुर के परियोजना अधिकारी ने यह निर्देश दिये थे कि..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. को फ्री देते थे..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अमुक-अमुक कम्पनियों का ही मार्का खरीदा जाए। उसमें बाटलीवाल भी एक है..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप एस.सी., एस.टी. को देते थे..(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मेरे प्रश्न का

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

जवाब नहीं आया है जो कि बिलकुल ही स्पष्ट है.(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है कि आप बार-बार खड़े हो जाते हो.(व्यवधान) मैं अगला प्रश्न पुकारता हूं। (व्यवधान) आपका मूड हो गया है किसी की बात नहीं सुननी।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, उन्हीं फर्मों के लिये हमने लिखा है, हमारे एम.डी. ने लिखा है। जिन फर्मों के टेंडर हमने इन्वाइट किये थे उन्हीं का हमने स्वीकार किया था। उन्हीं फर्मों के लिये लिखा है। अलग से किसी भी प्रकार की फर्म के लिए नहीं लिखा गया है.(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : जांच करवाएं कि लाभान्वित काश्तकारों से दो-तीन हजार रुपये लिये हैं। क्या आप इसकी जांच करवाएंगे ? .(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या आप इसकी जांच करवाऐंगे कि सवाईमाधोपुर में लाभान्वित परिवारों से 2-3 हजार रुपये लिए ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ना। .(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाईमाधोपुर में एस.सी., एस.टी. को इंजन फ्री देते थे।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुनते नहीं, खड़े हो जाते हैं बार-बार।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, माननीय कालूलालजी गूजर.(व्यवधान) आप सामूहिक पम्प सैट लें तो 20 प्रतिशत निगम वसूलने लगा है.(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी सुनें उसके बाद में बोलें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, पहले तो किसी भी प्रकार का इसमें सहभागी होने के लिए राशि नहीं लेते थे। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं कि अब इस राशि को भी माफ किया जाएगा और किसी भी प्रकार की राशि काश्तकार से नहीं ली जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कमल जी, एक मिनट ठहरें आप।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, एक और प्रश्न उधर से माननीय सदस्य का आया है।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य का प्रश्न आया है कि डार्क जोन में क्या व्यक्तिगत और सामूहिक पम्प सैट का लाभ आप नहीं देंगे ? अध्यक्ष महोदय, डार्क जोन का मतलब होता है कि वहां से पानी को नहीं निकाला जाये। यदि इंजन उनको उपलब्ध करवाते हैं तो वह वहां से पानी निकालेंगे। वहां पर उस जमीन से पानी नहीं निकलेगा इसलिए पम्प सैट उपलब्ध नहीं कराये जा

(श्री मदन दिलावर)

सकते और उनको सहायता नहीं दी जा सकती।

श्री अध्यक्ष : श्री कमल जी, आपकी बहुत सुन ली है। उनकी भी सुनिये आप।

श्री कमल : अध्यक्ष महोदय, हिण्डौन में सिर्फ 3 पम्प सैट व्यक्तिगत दिये गये हैं। तो इतने कम देने का क्या कारण है? जबकि और जगह 80-90-100 इस तरह से दिये गये हैं। इसका कारण मंत्रीजी बतायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, अब आप बोलिये।

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने जो पम्प सैट खरीदे वह कितने-कितने हार्स पावर के खरीदे ? नम्बर एक (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक ही। डिबेटिंग नहीं। नो, नो एक प्रश्न पूछ लीजिये आप।

श्री परसराम मोरदिया : माननीय मंत्रीजी ने यह कहा है कि मैं जांच करवाऊंगा। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : गंगापुर तहसील में 12 हजार कुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, जो पहले से खड़े हो रहे हैं कम से कम उनकी तो व्यवस्था करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हर माननीय सदस्य खड़ा होगा तो किसका इस तरह से टिप्पणी में आएगा (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि मैं जांच करवाऊंगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि अजमेर में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अजमेर की बात ही नहीं है।

श्री परसराम मोरदिया : मेरी बात तो सुने, साहब।

श्री अध्यक्ष : नो।

श्री परसराम मोरदिया : जांच की है। 3-3 हजार रुपये हरिजनों से लिए हैं। जांच रिपोर्ट गलत पेश की है और आठ हार्स पावर, पांच हार्स पावर के इंजनों के लिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय मंत्रीजी, कमल जी की बात का जवाब दे दें आप।

श्री परसराम मोरदिया : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इस घोटाले की जांच (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : पानी निकलता है। मेहरबानी करके हमें दिलवाने की व्यवस्था करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, कमलजी की बात का जवाब दे दें आप।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मोरदिया : मैं चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है..

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न नहीं। बिराजें आप।

श्री परसराम मोरदिया : तीन-तीन हजार रुपये लिये हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें आप। क्या हो गया ? एक घंटे तक बोले ही जा रहे हैं आप..(व्यवधान) बिना बात के डिबेट कर रहे हैं..(व्यवधान) हां, बोलिये आप।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि किस-किस और कितने-कितने हार्स पावर के पम्प सैट लाभार्थी को दिये जाते हैं। जिस प्रकार की उनकी डिमांड होती है पांच हार्स पावर, छः हार्स पावर, साढे सात हार्स पावर, दस हार्स पावर का देते हैं परन्तु मैक्सिमम हम 18 हजार रुपये की लागत तक का पम्पसैट देते हैं। उससे ज्यादा राशि लगती है तो वह स्वयं वहन करता है। इसलिए हार्स पावर पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। बिराजें आप, माननीय सदस्य। ..(व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : आपने पांच हार्स पासर की दी है।..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। कृपया अपना प्रश्न पूछें आप। श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल..(व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, मौके पर उसकी जांच हुई है। दस हार्स पावर की मोटर आपने दी है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठें..(व्यवधान) आज लास्ट डे है। आप अलग-अलग बार-बार खड़े हो रहे हैं।..(व्यवधान) एक-एक मिनट में सात बार खड़े हो रहे हैं।

श्री परसराम मोरदिया : अनुसूचित जाति निगम के अधिकारियों के ऐशोआराम का अड्डा बना रखा है।.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप। श्री हरिश्चन्द्र जी।

श्री शांतिलाल खोईवाल : जांच कराने की मंत्रीजी घोषणा क्यों नहीं करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न आ गया है। हरिश्चन्द्र जी पल्लीवाल।..(व्यवधान) कृपया बिराजें आप। मैं आपके हाथ जोड़ देता हूं। बैठ जाएं आप। (व्यवधान) क्या मजाक है, यह बार-बार खड़े हो रहे हैं। आप सातवीं बार इस प्रश्न में खड़े हो रहे हैं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, रेलमगरा में भी तीन-तीन हजार रुपये..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। रेलमगरा की बात नहीं हो रही है। सवाईमाधोपुर की हो रही है मात्र सवाईमाधोपुर की..(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन हजार रुपये लेने के चार्जेज लगे हैं। मंत्री महोदय कह तो देते कि जांच करवा लेंगे। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : इसकी जांच करवाएँ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र जी पल्लीवाल। कोई अंकित नहीं हो। माननीय सिंचाई मंत्रीजी का अंकित हो।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

जिला सवाईमाधोपुर की इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना

776. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाईमाधोपुर में चम्बल एवं बनास नदियां बारह मास बहती हैं ? यदि हां, तो क्या इन नदियों का जिले के किसानों द्वारा सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि चम्बल नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा निर्धारित करती है तथा मध्यप्रदेश की सीमा में नदी के पानी का उपयोग सिचांई हेतु किया जा रहा है जबकि जिला सवाईमाधोपुर में पानी का सिंचाई के लिए बिलकुल उपयोग नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर जिले में खण्डार के पास चम्बल नदी पर लिफ्ट योजना बनाकर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन्दिरा लिफ्ट योजना के नाम से सर्वे भी करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिचांई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) यह सही है कि चम्बल एवं बनास नदियां सवाईमाधोपुर जिले में भी बहती हैं। यह दोनों बरसाती नदियां हैं। बनास नदी में बारह मास पानी नहीं रहता। चम्बल नदी में वर्षा ऋतु के अलावा भी कुछ पानी बारह मास रहता है। सवाईमाधोपुर जिले में बनास एवं चम्बल बेसिन में स्थित सिंचाई कर रही परियोजनाओं की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) चम्बल नदी सवाईमाधोपुर एवं धौलपुर जिलों में राजस्थान तथा मध्यप्रदेश की सीमा पर बहती है। यह सही नहीं है कि चम्बल बेसिन के पानी का सिंचाई हेतु उपयोग केवल मध्यप्रदेश में ही हो रहा है तथा राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में नहीं हो रहा है।

(3) जी, हां।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

(4) जी, हां। इन्दिरा लिफ्ट योजना का कार्य केन्द्र सरकार एवं योजना आयोग से अनुमोदित होने पर एवं आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ करवाया जाना संभव होगा। इस परियोजना से सम्बन्धित वांछित विवरण परिशिष्ट - 2 पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : माननीय मंत्री महोदय, क्या आप अपने इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हैं ? मेरा पहला तो यह निवेदन है कि बेसिन से आपका तात्पर्य क्या है ? आपने कह दिया कि चम्बल और बनास बेसिन और मुझे उठाकर लिस्ट दे दी है। सवाईमाधोपुर में जितने भी तालाब और टैंक हैं, यह तालाब या जितनी भी लघु सिंचाई योजना बनी हुई हैं, सबको आपने बनास और चम्बल बेसिन में सम्मिलित कर दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : अलग-अलग दिया है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : नहीं, सबको सम्मिलित कर दिया है। आप बता रहे हो न, कि बनास में तो आपने सम्मिलित किये हैं 56 और चम्बल में आपने 3 सम्मिलित किये हैं। आप इसको यमुना का बेसिन बना दीजिए। चम्बल कहां गिरती है जाकर के ?

श्री देवीसिंह भाटी : बना देंगे।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : चम्बल कहां गिरती है जाकर के ? फिर तो आप इसको सारा गंगा, यमुना का बेसिन बना दें।

श्री देवीसिंह भाटी : गंगा का भी पानी ला रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सवाईमाधोपुर जिले में कहां गंगा का पानी आ रहा है ? मंत्री महोदय, आपने यह जो सारी सूचना दी है, यह तो आपको अधिकारियों ने दी है वह पढ़कर आपने सुना दी।

श्री देवीसिंह भाटी : सूचना गलत दी है तो बताएं, मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : नहीं, गलत नहीं है। बहुत अच्छी सूचना दी है। अगर आप यह कहते कि यह गंभीर नदी के बेसिन में है या मोरेल नदी के बेसिन में है तो बात कुछ सही भी आ पाती। खैर, आपने जो सूचना दे दी वह शिरोधार्य है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें आप।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सन् 1981 से जो आपका इंदिरा लिफ्ट योजना का सर्वे चल रहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अब आप भी गलती कर रहे हो, समझ गये होंगे ना मेरा मतलब ? समझ गये होंगे ना ? हमने गलती की तो उसमें सुधार कर लो।

श्री अध्यक्ष : कृपया, आप प्रश्न पूछें, इतना समय जाया नहीं करें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : प्रश्न ही पूछ रहा हूं, समय जाया नहीं कर रहा हूं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है।

श्री अध्यक्ष : आप सीधा-सीधा प्रश्न पूछें, क्या पूछना चाहते हो ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मेरा प्रश्न यह है कि सन् 1997 में जैसा आपने बताया तखमीना बनाया जाएगा, क्या इसकी आप मंजूरी दिला देंगे ?

श्री देवीसिंह भाटी : परियोजना के तकमीना की स्वीकृति मार्च, 1997 में तैयार किया जाना प्रस्तावित है और स्वीकृति भी जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा एक ही प्रश्न है। इन्दिरा लिफ्ट योजना को आप चालू कर रहे हैं, इसको कब तक चालू कर देंगे ? दूसरा, मेरा निवेदन है कि इस योजना के द्वारा नादौती, टोडाभीम के क्षेत्रों को आप सिंचित करेंगे क्या ? यह कृपया आप बताने की कृपा करें। (व्यवधान) मेरा यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : विराजें। हो गया आपका।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : एक मेरा और है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब नहीं। नो, नो। मैं डबल बार नहीं पूछने दूंगा आपको। पहले आप बैठ गये तो मैंने रामस्वरूपजी को पुकार लिया। अब नो अलाउ। आप पूछिये, श्री हरिसिंहजी, क्या पूछना चाहते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इन्दिरा लिफ्ट योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कमाण्ड क्षेत्र आएंगे? यह अगर आपके पास सूचना हो तो बता दें, बहुत जरूरी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी, मेरा भी इससे मिलता-जुलता है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस इन्दिरा लिफ्ट नहर परियोजना से, तीन जिलों का अलग-अलग क्षेत्र मैं बताता हूं, उसका क्षेत्रफल भी बताता हूं, करीबन 1 लाख 4 हजार हैक्टेयर में सिंचाई होगी। अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर जिले की नादौती तहसील का 10440 हैक्टेयर, महुआ का 5680 हैक्टेयर, नोट करते जाओ आप, सवाईमाधोपुर में हिण्डौन का 20787 हैक्टेयर, टोडाभीम का 15552 हैक्टेयर, गंगापुर का 5751 हैक्टेयर, बामनवास का 7457 हैक्टेयर करौली का 4150 हैक्टेयर, खण्डार एवं सपोटरा का 9684 हैक्टेयर और इसमें भरतपुर जिले का भी क्षेत्र शामिल है। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर के बयाना का 17027 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा और भरतपुर का 7960 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

(26)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब क्या पूछना रह गया? आपका तो आ गया ना।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय पल्लीवाल साहब, बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सिर्फ एक प्रश्न ही करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, मंत्रीजी कृपया ध्यान दें कि क्या नवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को प्रारम्भ कर पूर्ण करने के लिए आपका प्रस्ताव है ?

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपकी भावना के अनुरूप इसको चालू करवाने का पूरा प्रयास करूंगा।

श्री हरिनारायण : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरे विधान सभा क्षेत्र का है। इस परियोजना को प्रस्तावित हुए 16 वर्ष हो गये और यह 16 वर्ष से चल रही है, अब इसमें अड़चन क्या है ? किस कारण से इसको चालू नहीं किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि पैसे होंगे तब कर देंगे। बिराजें आप।

श्री कमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इसमें पीने के पानी के लिए कोई अलग से सीमा निर्धारित की जाएगी ? दूसरा, इसका जो नाम इन्दिरा लिफ्ट योजना रखा गया है, यह रखने का आधार क्या था ?

श्री रामस्वरूप मीणा : स्वर्गीय इन्दिरा जी के नाम से है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को सूचना दे दूं।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी, मेरे सवाल का जवाब भी आ जाएगा, एक साथ।

श्री देवीसिंह भाटी : 16.46 टी.एम.सी. उद्योग एवं पेयजल के लिए आरक्षित किया जाएगा।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय मंत्रीजी, क्या दौसा जिले में दौसा, लालसोट, सिकराय तहसील और बांदीकुई को सिंचित परियोजना में शामिल करने का आप विचार रखते हैं ?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नागौर जिले में इन्दिरा गांधीनहर परियोजना कब लायी जाएगी ?

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले की चार तहसीलें, लालसोट, बांदीकुई और सिकराय को डार्क जोन घोषित कर रखा है, क्या आप इनका सर्वे करवा कर इन्दिरा लिफ्ट की योजना में इनको शामिल करने का विचार रखते हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय,

(श्री देवीसिंह भाटी)

माननीय सदस्य को पता है, मैं तो बिलकुल खुला दिमाग रखता हूं। आपने सुझाव दिया है, पूर्व में ही सर्वेक्षण हो चुका है। इसलिए सम्भावित क्षेत्र बताया है। आपने जो कहा है, वह आप मुझे बता दें तो मैं इसका भी सर्वे करवा कर कार्यवाही करूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय खेतसिंहजी।

प्रश्न संख्या 777

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामरिछपाल नुवाल।

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में अधीक्षण अभियन्ता का पद

778. **श्री रामरिछपाल नुवाल** (भीलवाड़ा) व **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में कितने अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ताओं के पद सृजित हैं और उन पर कौन-कौन व्यक्ति कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पद कब-कब सृजित हुए? अधीक्षण अभियन्ता के पद की क्या आवश्यकता है ? अब तक उक्त अधीक्षण अभियन्ता ने प्रतिवर्ष क्या-क्या कार्य किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अधीक्षण अभियन्ता के लिए न्यास को कितना व्यय प्रतिवर्ष वहन करना पड़ रहा है ? क्या इस पद की अनुपयुक्तता को देखते हुए सरकार इसे समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि अधीक्षण अभियन्ता का पद समाप्त होने पर अन्य अभियन्ताओं पर कार्य का भार बढ़ेगा और कार्य पूरा नहीं हो सकेगा ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त पद समाप्त कर दिया जाएगा?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा): (1) नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में एक पद अधीक्षण अभियन्ता, तीन पद अधिशासी अभियन्ता के तथा चार पद सहायक अभियन्ताओं के सृजित हैं, जिन पदों पर निम्नानुसार विभिन्न अभियन्ता कार्य करते रहे हैं :—

1. श्री ए.के. जैन अधीक्षण अभियंता
2. श्री आर. के. संभानी अधिशासी अभियंता -I
3. श्री एस.एस. गंभीर अधिशासी अभियंता-II
4. श्री सुभाष गुप्ता अधिशासी अभियंता - III
5. श्री मोहनसिंह जैन सहायक अभियंता
6. श्री बी.आर.बंसल सहायक अभियंता
7. श्री डी.एल. बाफना सहायक अभियंता
8. श्री के.एल.सुखवाल सहायक अभियंता (यह प्रतिनियुक्ति पर हैं आरएसईबी से)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) 1. अधीक्षण अभियंता एक पद	6.10.94 को सृजित किया गया।
2. अधिशासी अभियंता - एक पद	18.5.81 को सृजित किया गया है।
3. अधिशासी अभियंता - दो पद	22.6.95 को सृजित किया गया है।
4. अधिशासी अभियंता - तीन पद	29.6.95 को सृजित किया गया है।
5. सहायक अभियंता - दो पद	18.5.81 से निर्मित है।
6. सहायक अभियंता - एक पद	5.12.91 को व
7. सहायक अभियंता - एक पद	2.8.95 को पद दे दिया और इस पर आरएसईबी का अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तो मैं पढ़ दूंगा पर आप क्या चाहते हैं, यह बता दें।

(उत्तर का शेष भाग, जो मंत्री द्वारा सदन में नहीं पढ़ा गया।)

[अधीक्षण अभियंता का पद नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में वर्ष 1994-95 में विकास कार्यों की मात्रा को देखते हुए सृजित किया गया। वर्ष 94-95 में विकास कार्यों हेतु बजट प्रावधान 855.80 लाख का स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् वर्ष 95-96 में बजट प्रावधान 792.60 लाख रु. का स्वीकृत किया गया एवं वर्ष 96-97 में 1136.0 लाख रुपये का बजट प्रावधान राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। इस प्रकार विकास कार्यों की मात्रा में वृद्धि के कारण न्यास अधीक्षण अभियंता के पद की औचित्यता एवं आवश्यकता है।

अधीक्षण अभियंता के स्तर पर कोई कार्य क्रियान्वित नहीं होता है अपितु विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं कार्यों को समय पर सम्पदित करने की दृष्टि से उनके द्वारा सुपरविजन किया जाता है।

न्यास द्वारा इन वर्षों में किए गए कार्यों की सूची संलग्न है जिनका सुपरविज़न अधीक्षण अभियंता स्तर पर किया जाता रहा है। इसके अलावा न्यास भीलवाड़ा में अधीक्षण अभियंता को प्रत्यायोजित अधिकारों के तहत इनके द्वारा कार्यालय अध्यक्ष के रूप में विभिन्न प्रशासनिक कार्य सम्पादित किए जाते हैं एवं सचिव की अन्य प्रशासनिक एवं विविध कार्यों में व्यवस्तता एवं मुख्यालय से राज कार्य से बाहर रहने पर न्यास के दिन प्रतिदिन के कार्य सम्पन्न करने हेतु भी अधीक्षण अभियंता पद का औचित्य है।

(3) नगर विकास न्यास भीलवाड़ा को अधीक्षण अभियंता के लिए वर्ष 94-95 में 74,844/- रुपया, वर्ष 95-96 में 1,86,844/- रुपया, वर्ष 96-97 जून माह तक 74,281/- रुपया वहन करना पड़ा।

न्यास द्वारा इस पद की आवश्यकता एवं उपयुक्तता अनुभव की गई है पद समाप्त करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(4) अधीक्षण अभियंता के पद की कार्य प्रकृति को देखते हुए अन्य अभियंताओं के कार्यभार बढ़ने या घटने का संबंध नहीं है। पद समाप्त करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।]

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामरिछपाल नुवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर अभी दो कॉलोनियां नगर परिषद में स्थानांतरित होने से पहले जितना काम नहीं रहा है। वहां पहले तीन एक्सईएन. थे उनमें से एक का स्थानांतरण हो गया। इस समय वहां दो एक्सईएन. और एक एसई. हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर पिछले चार-पांच महीनों से ठेकेदारों को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है और विकास के काम रुके हुए हैं। इसलिए काम कम होने व विकास के काम करने के लिये एक एक्सईएन., एईएन. और जेईएन. को छोड़कर शेष एक्सईएन. व एसई. की, जिन पर तीन-तीन जीपों, क्वार्टर, टेलीफोन आदि की व्यवस्था करने से न्यास को घाटा हो रहा है, इनकी आवश्यकता नहीं है।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगर विकास न्यास में जब तक जनप्रतिनिधियों का बोर्ड था तब केवल दो अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंताओं से काम चल रहा था। 1995 में अधीक्षण अभियंता और दो अधिशाषी अभियंता के पद और सृजित कर दिये गये। जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि दो कॉलोनियां भी स्थानांतरित हो चुकी हैं, न्यास के पास इतना काम रहा नहीं है, इनका अनावश्यक खर्च हो रहा है इसलिए इन पदों को समाप्त किया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास जब अपनी योजनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत कर मांग करता है कि इन अधिकारियों के बिना काम ठीक ढंग से नहीं हो सकते तो पद सृजित होते हैं। यदि आपको लगता है कि अब इन पदों की जरूरत नहीं है, तो आप नगर विकास न्यास के माध्यम से इसकी सूचना भिजवा दें, जिस दिन आप भिजवा देंगे उस दिन पद समाप्त कर देंगे।

श्री रामरिछपाल नुवाल : अध्यक्ष महोदय, केवल तीन किलोमीटर का एरिया वहां पर है, इसलिए इनको हटा दें तो उचित रहेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप प्रस्ताव तो भेजें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट - 2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

शेरगढ़ (जोधपुर) की उचित मूल्य की दुकानें

777.**श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील शेरगढ़ में कुल कितनी राशन की दुकानें संचालित हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें। नवम्बर, 1993 से अब तक किन-किन व्यापारियों द्वारा कितना-कितना गेहूं, केरोसिन व शक्कर आदि प्राप्त की गई व उन द्वारा उसमें से कितनी सामग्री का वितरण किया गया ? क्या वितरण संबंधी अनियमितताओं के सम्बन्ध में विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई हैं ?

(2) उक्त क्षेत्र में नवम्बर, 1993 के बाद कितनी नई दुकानें स्वीकृत की गईं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शेरगढ़ तहसील में 104 राशन की दुकानें कार्यरत हैं। नवम्बर, 1993 से अब तक जिन-जिन व्यापारियों द्वारा गेहूं, केरोसिन, शक्कर उठाया गया व वितरण किया गया उसका विवरण परिशिष्ठ (क) पर है। दुकानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वितरण सम्बन्धी अनियमितताओं की 30 शिकायतें दर्ज की गई हैं ।

(2) नवम्बर, 93 के बाद 27 नई उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत की गई हैं जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर निगम कोटा द्वारा निर्माण हेतु जारी स्वीकृति प्रकरण

775. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम कोटा द्वारा मई, 1996 में सूरजपोल गेट (कोटा) के निकट 60 प्रतिशत से अधिक निर्माणाधीन इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तामीर के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 6 जनवरी, 1996 को नगर निगम द्वारा तामीर का परिवर्तन शुल्क जमा कर व्यावसायिक शुल्क लेकर निर्माण की तामीर के नक्शे स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो परिवर्तन शुल्क आदि के रूप में कितनी राशि जमा करवाये जाने का तामीर के मालिक को नोटिस जारी किया गया, कितनी राशि मालिक द्वारा निगम कार्यालय में जमा करवाई गई तथा तामीर के निर्माण कार्य की स्वीकृति कब जारी की गई ? उक्त दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(3) क्या यह सही है कि नगर निगम की बैठक में उक्त तामीर को व्यावसायिक कार्य में उपयोग में लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो निगम की किस बैठक में यह स्वीकृति दी गई और उक्त बैठक में कौन-कौन पदाधिकारी उपस्थित थे ?

(4) निगम द्वारा नक्शा स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

उत्तर

(1) नगर निगम, कोटा द्वारा मई, 96 में सूरजपोल गेट के निकट वगैर नक्शा पास कराएं निर्माणाधीन इमारत के लगभग 15 से 20 प्रतिशत भाग को तोड़ा गया था।

(2) दिनांक 6.1.96 को तामीर करवाए जाने हेतु नगर निगम को परिवर्तन व्यावसायिक शुल्क जमा कराया गया था, परन्तु भवन निर्माण के नक्शों की स्वीकृति नहीं दी गई थी। व्यावसायिक परिवर्तन शुल्क आदि जमा कराने का नोटिस दिनांक 6.1.96 को जारी किया गया एवं 6.1.96 को ही कुल 1,13,125/- रुपये जमा कराए गए। तामीर की स्वीकृति वरिष्ठ नगर नियोजक की आपत्ति के कारण नहीं दी गई।

(3) जी हां, नगर निगम की भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 12.12.95 में कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट के अनुसार व्यावसायिक रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में समिति की अध्यक्षा श्रीमती चित्रा निगम, सदस्य समिति श्रीमती अर्चना शर्मा, श्री प्रदीप मालवीया, श्रीमती अरूणा अग्रवाल, श्री श्याम बिहारी नाहर, श्री ओम आडवानी, श्री हशरू पठान तथा भवन निर्माण समिति के सचिव श्री गिरिराज सिंह हाड़ा, अधिशासी अभियंता, नगर निगम कोटा उपस्थित थे।

(4) आवेदक द्वारा ब्लू प्रिन्ट मय स्वामित्व दस्तावेज मय प्रमाणित प्रतिलिपियों के प्रस्तुत करने पर निर्धारित शुल्क आवेदक द्वारा जमा करवाया जाता है। इनकी जांच की जाकर कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट एवं मौके की स्थिति की रिपोर्ट तथा उप नगर नियोजक की राय ली जाती है। इसके बाद संबंधित समिति को पत्रावली प्रस्तुत कर उनके अनुमोदन के बाद बोर्ड द्वारा अनुमोदन होने पर नक्शे नियमानुसार शुल्क जमा कर पास किये जाते हैं।

नगरपालिका भीनमाल द्वारा भूमि का नियमन

776. **श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका बोर्ड भीनमाल के गठन के बाद कितनी नियमन सम्बन्धी पत्रावलियों का निस्तारण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्षों पुरानी नियमन संबंधी पत्रावलियों का निस्तारण नहीं

(श्री पूराराम चौधरी)

कर नई पत्रावलियों का नियमन किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जो नियमन किये गये उसमें घोर अनियमिततायें बरती गई हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति भीनमाल के सामने स्थित श्मशान की भूमि एवं पुराने खसरा नम्बर 2294 गैर मुमकिन श्मशान का नियमन अवैध रूप से नगरपालिका द्वारा किया गया है, जबकि उक्त भूमि आबादी भूमि नहीं है ?

(5) क्या यह सही है कि बिना निविदा आमंत्रित किये व बिना स्वीकृति के लाखों रुपयों के घटिया निर्माण कार्य किये गये हैं एवं किये जा रहे हैं ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त नियमन एवं निर्माण कार्यों में अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की मिलीभगत से नगरपालिका को लाखों रुपयों की हानि पहुंचाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही कर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका मण्डल भीनमाल द्वारा गठन के बाद 17 पत्रावलियों का नियमन किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) समस्त नई एवं पुरानी नियमन पत्रावलियों को प्रशासनिक कमेटी में रखा जाता है। कमेटी अपने विवेक के अनुसार निर्णय पारित करती है।

(3) अनियमितता की कोई शिकायत नहीं है।

(4) पंचायत समिति भीनमाल के सामने खसरा नम्बर 2294 नहीं बल्कि 2382 है। जिसका 3.10 बीघा भूमि नगरपालिका भीनमाल के नाम आबादी दर्ज है। इस प्रकार आबादी भूमि में आवंटन एवं नीलामी की जाकर पट्टे जारी किये गये हैं।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। निर्माण कार्य तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार कराए गए हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

आमेर (जयपुर) में नगर निगम द्वारा स्वीकृत कार्य

777. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर निगम बनने के बाद आमेर में कितनी किस्म के कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर निगम द्वारा आमेर में वर्ष

(श्री गोपीराम जाट)

1995-96 में कितने कार्य कराये जाने प्रस्तावित थे ? कराये गये प्रत्येक कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर निगम के पार्षद द्वारा किस-किस प्रकार के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव भेजे गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रस्तावित कार्यों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आमेर में नगर निगम बनने के बाद जो निर्माण कार्य स्वीकृत हुए उनकी सूची संलग्न है।

(2) आमेर क्षेत्र में नगर निगम बनने के बाद जिन कार्यों पर राशि व्यय की गई, सूची संलग्न है।

(3) आमेर क्षेत्र में नगर निगम बनने के बाद पार्षद द्वारा निर्माण कार्यों के प्रस्ताव भेजे। सूची संलग्न है।

(4) नगर निगम द्वारा पूर्ण रूपेण कार्यों को स्वीकृत लिया गया है एवं कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सूची संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में शहरी गरीबी उन्मूलन योजना

778. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबी उन्मूलन योजना में राज्य के कुछ नगरों को भी सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो किन-किन नगरों को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के लिए चयन की नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो उक्त आदेश नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) चयनित नगरपालिका को प्राप्त राशि का उपयोग किस कार्य एवं उद्देश्य के लिये करने का अधिकार है तथा भिन्न योजनाओं के लिये व्यय करने का क्या कार्यवाही की जानी सम्भव है ?

(4) क्या बूंदी तथा बारां नगर परिषद को उक्त योजना के तहत राशि प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो किस कार्य के लिये कितनी-कितनी ?

(5) प्राप्त राशि में से कितनी राशि का उपयोग किया जा चुका है तथा बकाया राशि किस-किस प्रयोजनार्थ व्यय की जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

३५

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) नगरपालिका को जिस मद में राशि दी जाती है, उसी मद में व्यय करने का अधिकार है। निर्धारित उपयोग के अतिरिक्त व्यय करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) जी हां। जिस कार्य के लिए राशि दी गई हैं उसका विवरण संलग्न हैं।

(5) अभी तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है। गरीब परिवारों के चयन के सर्वे का कार्य चल रहा है, जिसके पूर्ण होने पर ही राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट - 4 देखें)

नगरपालिका लाडनूं द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति

779. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका लाडनूं के नये चुनाव के बाद भवन निर्माण की इजाजत के लिये कौन-कौनसा प्रार्थना-पत्र कब-कब प्राप्त हुआ एवं उस पर अब तक क्या कार्यवाही कब-कब की गई तथा उनको स्वीकृति कब-कब दी गई?

(2) क्या यह सही है कि इजाजत के लिये प्रार्थना-पत्र देने के बाद निर्धारित अवधि खतम होने के बाद स्वतः ही इजाजत दी हुई मानी जाती है ? यदि हां, तो निर्धारित अवधि कितनी है तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्रों में किस-किस मामले में स्वतः ही इजाजत दी गई मानी गई ?

(3) चुनाव के बाद बोर्ड की कब-कब बैठकें हुईं तथा उनमें इजाजत तामीर की कौन-कौनसी फाइलें रखी गईं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) नगरपालिका लाडनूं के चुनाव के बाद दिनांक 1.9.95 से 30.6.96 तक 30 प्रार्थना पत्र तामीर हेतु प्राप्त हुए हैं। अब तक की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक से एक माह की अवधि में नगरपालिका द्वारा निर्णय किये जाने का प्रावधान है। यदि नगरपालिका द्वारा एक माह की अवधि में स्वीकृति नहीं दी जाती है तो प्रार्थी 15 दिवस का नोटिस राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 170 (8) के तहत देगा। फिर भी नगरपालिका स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं देने के कारण से अवगत नहीं कराती है तो स्वतः ही स्वीकृति मानी जायेगी। नगरपालिका लाडनूं में नये बोर्ड गठन के पश्चात से कोई प्रार्थना पत्र स्वतः ही इजाजत का नहीं माना गया है।

(3) चुनाव के बाद दिनांक 29.9.95, 20.1.96, 9.2.96, 13.3.96, 25.5.96,

(स्वायत्त शासन मंत्री)

7.5.96, 8.6.96, 29.6.96 को आयोजित बैठकों में इजाजत तामीर की पत्रावलियों में कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण नहीं रखी गई।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट - 5 देखें)

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की आवासीय योजनाएं

780. **श्री रूपाराम (मकराना) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) :** क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण की कितनी आवासीय योजनाएं वर्तमान में हैं ? प्रत्येक योजना में कितने-कितने भूखण्ड काटे गये ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या उक्त आवासीय योजनाओं में मकान निर्माण करने की अवधि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तय की गई थी ? यदि हां, तो उक्त तिथि तक सभी निर्माण पूर्ण हो गए हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार भूखण्ड आबंटी द्वारा निर्माण नहीं किए जाने से अब भूखण्डों का आवंटन निरस्त कर जरूरतमंद लोगों को आवास आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों और हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वर्तमान में जो योजनाएं हैं उनकी सूची उनके अन्तर्गत काटे गये भूखण्डों के संख्या सहित संलग्न है।

(2) जी हां। सम्बन्धित योजनाओं के आबंटियों को उन्हें भूखण्ड का कब्जा सौंपने की तिथि से भवन निर्माण की अवधि नियमानुसार दो वर्ष निर्धारित है। विद्याधर नगर योजना में इस प्रयोजनार्थ बढ़ाई हुई अवधि दिनांक 31.12.96 तक के लिए है, जबकि शेष योजनाओं के लिए अन्तिम तौर पर बढ़ाई अवधि दिनांक 31.12.95 को समाप्त हो चुकी है। योजना क्षेत्र में सभी भूखण्ड आबंटियों द्वारा निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं किया गया है उसके प्रति उनके व्यक्तिगत कारण रहे हैं।

(3) जिन भूखण्ड आबंटियों द्वारा निर्धारित अवधि में अपने भूखण्डों पर भवन निर्माण नहीं किया है ऐसे भूखण्डों को पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जहां तक सम्बन्धित भूखण्डों को निरस्त कर जरूरतमंद लोगों को आबंटन करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मामला प्राधिकरण के विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट - 6 देखें)

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कराये गये कार्य

781. **श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) :** क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(1) वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक कोटा नगर विकास न्यास द्वारा कोटा शहर में किन-किन कालोनियों की किन-किन सड़क/मार्गों के निर्माण/मरम्मत आदि का कार्य किस-किस फर्म/ठेकेदार से करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में सड़क निर्माण/मरम्मत के कार्यों में अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो किस-किस फर्म के विरुद्ध ?

(3) क्या यह सही है कि प्राप्त शिकायतों पर जांच किये जाने हेतु कोई समिति गठित की गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक कोटा नगर विकास न्यास द्वारा कोटा शहर में करवाये गये सड़क कार्यों तथा ठेकेदारों का विवरण परिशिष्ट "अ"(1) , "अ"(2) पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि वर्ष 1993-94 में श्रीनाथपुरम योजना में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में अनियमितताएं किये जाने के संबंध में मेसर्स महेश एण्ड कम्पनी के विरुद्ध श्री रविन्द्र त्यागी, "महामंत्री" (प्रदेश) राज. प्रदेश युवक कांग्रेस (ई) , कोटा की शिकायत प्राप्त हुई थी। यह शिकायतें महेश एण्ड कम्पनी के विरुद्ध प्राप्त हुई थीं।

(3) जी हां, समिति का जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है एवं राज्य सरकार के मुख्य अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल को जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा है। अभी उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(4) अभी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी मुख्य अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही कोई कार्यवाही करने बाबत निर्णय लिया जा सकेगा।

नगर विकास न्यास अलवर द्वारा भू-खण्डों का अधिग्रहण

782. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास अलवर द्वारा 108 भू-खण्डधारियों के रजिस्ट्री शुदा व रूपान्तरण शुल्क अदा किये हुए पुराने भू-खण्डों के अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी की गई है। यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नगर विकास न्यास अलवर द्वारा उक्त भूखण्डधारियों को इसी स्थान पर आवास बनाकर देने की योजना है ? यदि नहीं, तो इन भू-खण्डधारियों के बारे में न्यास की क्या योजनायें हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा जो योजनाएं प्रस्तावित की जाती हैं उन योजनाओं के लिए भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा की जाती है। जिसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। प्रश्न अपूर्ण होने की वजह से यह ज्ञात नहीं होता है कि 108 भू-खण्डधारियों की भूमि अधिग्रहण किस योजना एवं खसरा नम्बरान से संबंधित है जानकारी के अभाव में जवाब दिया जाना संभव नहीं है।

(2) योजना का नाम एवं खसरा नम्बरान के अभाव में जवाब दिया जाना संभव नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूखण्ड निरस्तीकरण का प्रकरण

783.**श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) एवं **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी को पंजाब के भगोड़े आतंकवादियों ने दिनांक 16 अप्रेल, 1986 को गोली मारकर हत्या कर दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी की पत्नी को हिरणमगरी सेक्टर-5 उदयपुर में एक भू-खण्ड सरकार के आदेशानुसार नगर सुधार न्यास द्वारा आरक्षित दर की आधी दर पर आबंटित किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि मृतक पुलिस अधिकारी के विधवा ने उक्त प्लाट की कीमत, नक्शा पास करवाने की राशि, लीज राशि, विलम्ब शुल्क इत्यादि नगर सुधार न्यास, उदयपुर में जमा करवा दी है ?

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 19 मई, 1996 को नगर विकास न्यास, उदयपुर ने उक्त प्लाट के निरस्त करने हेतु विज्ञापन राजस्थान पत्रिका में दिया है ?

(श्री फूलचन्द)

(5) क्या यह सही है कि उक्त भू-खण्ड के चारों और 8 फीट पक्की दीवार बनी हुई हैं एवं कार्य चल रहा है ?

(6) क्या नगर सुधार न्यास सरकार के आदेश को निरस्त कर सकती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नगर विकास न्यास उदयपुर द्वारा की गई अवैध कार्यवाही को निरस्त कर विधवा को राहत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) हां, यह सही है कि तत्कालीन जिला कलक्टर (अध्यक्ष न्यास) की स्वीकृति से राज्य सरकार की स्वीकृति की आशा में हिरन मगरी योजना सेक्टर-5 में 23607 वर्ग फीट भूमि योजना को आरक्षित दर की आधी दर 4.50 पैसा प्रति वर्ग फीट से श्रीमती वीनू शेखावत पत्नी स्वर्गीय श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत को मॉन्टेसरी स्कूल के लिए 99 वर्ष लीज होल्ड आधार न्यास के पत्रांक 1994-97 दिनांक 14.10.86 से आबंटित किया गया।

(3) क्रम संख्या 2 के अनुसार भूमि की कीमत 1,16,869.15 पेटे न्यास कोश में 1,00,000 रुपये दिनांक 20.11.86 व 16,869.65 दिनांक 31.1.87 को जमा हुये हैं। निर्माण स्वीकृति हेतु 550 प्लाट एन्ट्री फीस के दिनांक 6.12.91 को जमा करवाये। लीज राशि 25,800 वर्ष 91-92 तक की अवधि में जमा करवाये। विलम्ब शुल्क 5855 रुपये दिनांक 16.11.91 तक के जमा करवाये।

(4) न्यास के पत्र क्रमांक 3306-10 दिनांक 8.3.96 से आबंटन पत्र की शर्त संख्या-5 के अनुसार निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में नहीं कराने से आबंटित भूमि प्रार्थिया के नाम से निरस्त कर दी गई। उक्त निरस्त भूमि का कब्जा न्यास के अधिशासी अभियन्ता द्वारा लिया गया। उक्त निरस्त शुदा भूमि पर तहसीलदार न्यास द्वारा न्यास सम्पत्ति का बोर्ड लगा दिया गया है।

(5) मौके पर उक्त भू-खण्ड पर चारदीवारी (बाउण्ड्रीवाल) बनी हुई है।

(6) इस संबंध में राज्य सरकार का कोई निर्देश नहीं है एवं अभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतः निर्णय के बाद ही इस प्रकरण पर विचार किया जा सकता है।

जोधपुर शहर की ट्रांसपोर्ट योजना हेतु आरक्षित भूमि

784. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में कायलाना क्षेत्र नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अधीन है ? यदि हां, तो उस क्षेत्र में कितने नक्शे नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1994 से जून 1996 तक पास किये गये ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(2) क्या उक्त भू-भाग को सरकार द्वारा डिनोटिफाइड करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त नक्शे न्यास द्वारा किस प्रक्रिया के तहत पास किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मार्डर्न सोसायटी की जमीन जोधपुर शहर की ट्रांसपोर्ट योजना के तहत आरक्षित थी ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) यदि मार्डर्न सोसायटी की जमीन जोधपुर में ट्रांसपोर्ट योजना हेतु आरक्षित थी, तो क्या उसे सरकार द्वारा डिनोटिफाइड किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर में कायलाना के पास नगर सुधार न्यास जोधपुर का क्षेत्र है इस क्षेत्र में दिनांक 1.1.94 से जून 1996 तक स्वीकृत किए गए मानचित्रों की सूची संलग्न है।

(2) कायलाना क्षेत्र में किसी भी भू-भाग को डिनोटिफाइड नहीं किया गया है इस क्षेत्र में नक्शे न्यास अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं। स्वीकृत नक्शों की सूची बिन्दु सं. 1 में उत्तर के साथ संलग्न कर दी गई है।

(3) जी नहीं। जोधपुर नगर के मास्टर प्लान में मार्डर्न सोसायटी की जमीन ट्रांसपोर्ट योजना के लिए आरक्षित नहीं थी। इस जमीन के लिए अभी कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी नहीं। मार्डर्न सोसायटी की जमीन जोधपुर में ट्रांसपोर्ट योजना हेतु आरक्षित नहीं थी लेकिन यह भूमि न्यास की आवासीय योजना पश्चिमी पाल रोड योजना में नोटिफाइड है। जिसे राज्य सरकार द्वारा डिनोटिफाइड नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ की पेयजल व्यवस्था

785. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ में उपखण्ड भोपालगढ़ व औसियां में कितने गांव हैण्ड पम्प योजना के अन्तर्गत आते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में जलस्तर अत्यधिक नीचे चले जाने से ये सभी हैण्डपम्प असफल की श्रेणी में आ गये हैं तथा इन गांवों में जीरो सर्विस सप्लाई है ? यदि हां, तो सरकार की इन गांवों को पानी मुहैया करवाने की क्या योजना है तथा कब तक इन ग्रामों को पानी उपलब्ध करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) उल्लेखित क्षेत्र के उपखण्ड

(५०)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

भोपालगढ़ में 21 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं। उपखण्ड औसियां में कोई ग्राम हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित नहीं है। वांछित सूची परिशिष्ट - "क" पर संलग्न है।

(2) क्षेत्र में उक्त स्तर नीचे जाने के कारण 18 ग्रामों में हैण्डपम्प परित्यक्त हो चुके हैं। इन ग्रामों हेतु वैकल्पिक योजनाओं के प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें धन की उपलब्धतानुसार क्रियान्वित किया जा सकेगा। कुछ हैण्डपम्प नाडी, तालाब के निकट होने के कारण चालू रहते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट - 7 देखें)

ग्राम सिहोड़ी (सीकर) की पेयजल योजना

786. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पेयजल योजना ग्राम सीहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर किन कारणों से व कब से बन्द है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना का विद्युत कनेक्शन राशि जमा नहीं होने से काट दिया गया है ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि के अभाव में ? अब कितनी राशि विभाग द्वारा जमा कराई जानी है?

(3) विद्युत मण्डल ने कितनी राशि की कब मांग की और उसमें से कितनी राशि कब जमा करवाई गई ? क्या मांग के अनुसार पूरी राशि जमा कराई गई ?

(4) विद्युत मण्डल द्वारा मांगी गई राशि से कम राशि जमा कराने की कार्यवाही क्यों की गई ? इसके लिये कौन कर्मचारी दोषी है तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत की सूचना के अनुसार एवं पंचायत के अधीन संदर्भित योजना गत 2 वर्षों से लगातार चालू है।

(2) विद्युत मण्डल के रिकार्ड के अनुसार कनेक्शन कटा हुआ है परन्तु पंचायत के अनुसार यह चालू है। विद्युत मण्डल द्वारा बार-बार राशि बदल कर बिल दिये जाने के कारण सही राशि का निर्धारण संभव नहीं हो पा रहा है।

(3) विद्युत मण्डल की मांग कनेक्शन कटने के बाद लगातार बदलती रही, जो 27.12.93 को 5001.00 रु., दिनांक 11.1.94 को 1.00 रु. दिनांक 1.1.96 को 9042.26 रु. एवं दिनांक 21.5.96 को 7727.00 रु. निकाली गई। दिनांक 11.1.94 को 5000.00 रु. की राशि जमा करवाई है एवं इसके पश्चात लगातार मांग की राशि बदलते रहने के कारण जमा नहीं करवाई गई।

(4) मूल रूप से विद्युत मण्डल द्वारा मांगी गई 5001.00 रु. की राशि में से 5000.00 रु. की राशि दिनांक 11.1.94 को

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जमा करवा दी गई थी। कोई कर्मचारी दोषी नहीं है।

ब्यावर में नल कनेक्शन

787. **श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नये नल-कनेक्शन राजस्थान जल प्रदाय नियमों के अन्तर्गत प्लम्बिग के लाइसेंस धारी ठेकेदारों के माध्यम से ही कराये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर नगर में वर्ष 1993-94 तक नये नल कनेक्शन लाइसेंस धारी प्लमंबरों से करवाये जाते थे ? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया को क्यों परिवर्तित किया गया ?

(3) क्या सरकार अब जनहित में ब्यावर में पुनः अनुभवी लाइसेंस धारी प्लमबरों के माध्यम से नये कनेक्शन लगवाने की प्रक्रिया शुरू करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 1 जुलाई, 1967 के परिपत्र द्वारा जारी, राजस्थान जल प्रदाय नियम, 1967 के नियम संख्या 13 (II) के प्रावधान के अन्तर्गत, जल सम्बन्ध हेतु इच्छुक आवेदन को अपने परिसर में मीटर के स्थान के पश्चात विभाग द्वारा अनुमोदित नलकार से फिटिंग करवाना आवश्यक है। जल प्रदाय नियमों के उपरोक्त नियम की वांछित प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) दिनांक 20 सितम्बर 1994 से पूर्व उपरोक्तानुसार व्यवस्था थी। परन्तु नलकारों के विरुद्ध जन आक्रोश को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति द्वारा नलकारों द्वारा कार्य करने पर लगाई गई रोक के फलस्वरूप फिटिंग का कार्य किसी भी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा किये जाने की व्यवस्था कर दी गई।

(3) वर्तमान व्यवस्था नलकारों के विरुद्ध जनाक्रोश के कारण ही लागू की गई थी। गठित सलाहकार समिति द्वारा उचित वातावरण होने पर इस पर पुनर्विचार कर निर्णय लिया जा सकता है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अणतपुरा (जयपुर) में पेयजल टंकी का निर्माण

788. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम अणतपुरा (जैतपुरा), तहसील चौमूं में पेयजल टंकी के निर्माण हेतु पूर्व में राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कब एवं कितनी ?

(2) क्या उक्त टंकी का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

42

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(3) उपरोक्त टंकी कब तक निर्मित कर चालू कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1992-93 में स्वीकृत योजना में भूतल जलाशय हेतु 1.78 लाख रुपये का प्रावधान था।

(2) जी नहीं। जलाशय बनाने के स्थान पर विवाद है एवं मामला न्यायालय चौमूं में लम्बित है।

(3) न्यायालय के निर्णय के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

तहसील केकड़ी/सरवाड़ के ग्रामों हेतु पेयजल व्यवस्था

789. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तहसील केकड़ी एवं सरवाड़ के ग्रामों में फ्लोराइड प्रोजेक्ट के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना प्रारम्भ की गई ? यदि हां, तो ग्रामों के नाम, स्वीकृत राशि एवं योजना के प्रारूप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य ग्रामों के लिये भी फ्लोराइड प्रोजेक्ट के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने ग्रामों के लिये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संदर्भित तहसीलों के 94 ग्रामों हेतु 20.48 करोड़ रु. की स्वीकृत योजना का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपरोक्त के अतिरिक्त संदर्भित तहसीलों के 185 ग्रामों की एक अन्य योजना का प्रारूप अभी प्रारम्भिक जांच की प्रक्रिया में है। ग्रामों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बनास नदी की बजरी का लीज प्रकरण

790. श्री हरिनारायण (खण्डार) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि बनास नदी की बजरी का ठेका दुब्बी बनास घाट सवाई माधोपुर व बड़घाट (खण्डार) के नाम से अलग-अलग जगह होता है ? यदि हां, तो दोनों स्थानों पर इस वर्ष में कितनी-कितनी राशि का ठेका दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों स्थानों के ठेके की राशि में भारी अन्तर रहा, जिसका मुख्य कारण बड़घाट (खण्डार) में दो जगह पर लीज होना है ? यदि हां, तो क्या

83

(श्री हरिनारायण)

सरकार इन दोनों की लीज अवधि समाप्त होने पर लीज समाप्त करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार को बनास नदी की बजरी व पत्थर की लीज देने के अधिकार हैं? यदि हां, तो जो मजदूर स्थायी तौर पर बजरी भरने का कार्य करते हैं, क्या उन्हीं मजदूरों को सरकार उक्त लीज देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, दोनों क्षेत्रों का बजरी पर अधिशुल्क व परमिट फीस वसूली का ठेका विभाग द्वारा अलग-अलग दिया जाता है। वर्तमान में दुब्बी बनास घाट का वार्षिक ठेका रुपया 13.51 लाख तथा बड़घाट (खण्डार) का ठेका रुपया 1.22 लाख में दिया गया है।

(2) जी हां। उक्त दोनों स्थानों के ठेके की राशि में अन्तर है, जिसका मुख्य कारण दुब्बी बनास घाट से सवाई माधोपुर, लालसोट, गंगापुरसिटी, दौसा आदि शहरों को बजरी जाती है, क्योंकि मुख्य सड़क के पास ही बजरी उपलबध है व इन शहरों को यहीं से बजरी सप्लाई होती है, जबकि बड़घाट (खण्डार) से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को ही बजरी सप्लाई की जाती है। वाहनों का आवागमन भी सीमित है। यह सही नहीं है कि मुख्य कारण बड़घाट (खण्डार) में दो स्थानों पर खननपट्टों का दिया जाना है। चालू खननपट्टों को अवधि समाप्त होने पर खननपट्टा पद्धति के बजाय अधिशुल्क संग्रहण ठेके की पद्धति लागू करने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) राज्य सरकार की नीति बजरी के खननपट्टे स्वीकृत नहीं करने की है। जहां तक पत्थर की लीज नदी में दिये जाने का प्रश्न है, नदी नालों में खननपट्टे स्वीकृत नहीं किये जाते हैं। वर्तमान नीति के अन्तर्गत किसी को बजरी की लीज स्वीकृत नहीं की जायेगी अपितु इसके स्थान पर रायल्टी व परमिट फीस वसूली का ठेका स्वीकृत किया जायेगा।

तहसील घाटोल (बांसवाड़ा) में अवैध खनन

791. **श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या बांसवाड़ा जिले में सोप स्टोन की खानें आबंटित की गई हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां किस-किस को ?

(2) क्या बांसवाड़ा जिले की तहसील घाटोल में उमरझला गांव में सोप स्टोन की खानें चल रही हैं ? यदि हां, तो किसकी व कब से ?

(3) क्या उक्त आबंटी अपनी आबंटित शुदा भूमि के अलावा वन विभाग की भूमि में भी सोप स्टोन निकाल रहा है ? क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी हैं एवं सरकार दोषी

(श्री भवानी जोशी)

व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या इन खानों में खनन की स्वीकृति किसी योजना के तहत प्रदान की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या खदानों में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो कितनों की ?

उत्तर

(1) जी हां, बांसवाड़ा जिले में सोपस्टोन खनिज के कुल चार खनन पट्टे आबंटित हैं। आबंटित खननपट्टों की सूची संलग्न है।

(2) बांसवाड़ा जिले की तहसील घाटोल में उमरजला गांव के पास कुल 2 खननपट्टे (खानें) चल रहे हैं जिनका विवरण प्रश्न के भाग एक के सन्दर्भ में प्रस्तुत सूची में सम्मिलित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। उक्त आवंटी अपनी आबंटन शुदा भूमि के बाहर से सोपस्टोन निकालते हुए नहीं पाया गया है। अपने क्षेत्र के बाहर कार्य करने बाबत कोई शिकायत भी विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) खननपट्टों की स्वीकृति प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 के तहत की गई है।

(5) उक्त खदानों में खनन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति मरने की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट - 8 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या-792

(स्थगित)

विकास नगर (डूंगरपुर) के दंगा पीड़ितों को मुआवजा

793. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले के विकास नगर ग्राम में वर्ष 1995-96 व 1996-97 में सरपंच की मौत को लेकर हुए दंगे में क्या जनता पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गईं व क्या इसमें कोई जख्मी हुए ? यदि हां, तो कौन-कौन तथा उनके नाम क्या थे ?

(2) क्या सरकार द्वारा इनको मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों ने दंगे को बढ़ावा दिया, लोगों को भड़काया, अफवाहें फैलाईं, जिले की शान्ति भंग की ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों में कौन-कौन दोषी थे ? क्या सरकार ने इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच ग्राम विकास नगर की दुर्घटना में हुई मृत्यु की हत्या का प्रकरण बनाये जाने की मांग को लेकर जन समूह द्वारा किये गये उग्र व हिंसक प्रदर्शन/दंगे, पथराव,

(गृह मंत्री)

आगजनी को नियंत्रण करने व उग्र भीड़ को तितर बितर करने हेतु दि. 9.4.96 को पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी। इस घटना में श्री देवी लाल, मनोहर लाल एवं बंशी लाल जाति मीना घायल हुए थे।

(2) जी नहीं।

(3) दंगों को वढ़ावा देने, लोगों को भड़काने, अफवाहें फैलाकर शांति भंग करने के संबंध में कुल 16 लोगों को गिरफ्तारी की गई। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। इन व्यक्तियों एंव अन्य के विरुद्ध अभियान सं. 98, 99, 100, 101, 103 वर्ष 96 में पंजीबद्ध हुए हैं, जिनमें नामजद अभियुक्तों की सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट - 9 देखें)

थाना करेड़ा (भीलवाड़ा) के थानेदार के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

794. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या थाना करेड़ा जिला भीलवाड़ा के थानेदार के विरुद्ध रिश्वत लेने से संबंधित कोई शिकायत पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में अब तक कितनी शिकायतें किन-किन के द्वारा कितनी-कितनी राशि की प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त् थानेदार के विरुद्ध मिली शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या जीवन सिंह रावत व श्रीमती मीरा रावत निवासी रिछीकाबडिया ने भी कोई शिकायत की है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या श्रीमती लक्ष्मी, निवासी रामपुरिया ने थाना करेड़ा में कोई मुकदमा दर्ज करवाया है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या थानेदार करेड़ा द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर श्रीमती लक्ष्मी ने कोई शिकायत पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या ग्राम गोरख्या के श्रीआसू गूजर ने भी रिश्वत लेने की शिकायत उक्त थानेदार के विरुद्ध की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, पिछले एक वर्ष में थानेदार करेडा के विरुद्ध तीन शिकायतें रिश्वत लेने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थीं। एक श्रीमती मीरा देवी रावत द्वारा उसे परेशान कर 1500/-रु. रिश्वत लेने, दूसरी श्री मदन सिंह चारण को परेशान कर कानि. श्री हरिसिंह द्वारा 500/- रु. रिश्वत लेने व तीसरी श्री आसू गूर्जर से 2000/- रु. रिश्वत लेने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। परिशिष्ट "क" परिशिष्ट "ख" व परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) श्रीमती मीरा देवी रावत व आसू गूर्जर द्वारा की गई शिकायतों की जांच कराई जा रही है। मदन सिंह चारण की शिकायत बाद की जांच असत्य पाई गई।

(3) श्रीमती मीरा रावत ने थानेदार करेडा द्वारा प्रार्थिनी को परेशान कर 1500/- रु. की रिश्वत लेने की शिकायत की जिसकी जांच जारी है परिवाद की प्रति संलग्न परिशिष्ट "क" पर है। जीवन सिंह रावतजो कि मीरा रावत का रिश्तेदार है के द्वारा अलग से कोई शिकायत नहीं की है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी हां, श्रीमती लक्ष्मी पत्नी नारायण लाल सालवी नि. रामपुरिया की रिपोर्ट पर थाना करेडा पर अ. सं. 67/96 धारा - 341, 376, 447, भा. दं. सं. में दिनांक 28.4.96 को पंजीबद्ध किया गया, जिसमें चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। एफ. आई. आर. एवं चालान की प्रति संलग्न परिशिष्ट "घ" एवं "ड" पर संलग्न है।

(5) जी हां, प्रार्थिया का परिवाद प्राप्त होने पर अनुसंधान वृत्ताधिकारी गंगापुर से कराया गया। जिन्होंने बाद अनुसंधान जुर्म प्रमाणित माना. परिवाद की प्रति संलग्न परिशिष्ट "च"पर है।

(6) जी हां, परिवाद की जांच कराई जा रही है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मूर्ति चोरी के विचाराधीन प्रकरण

795.**श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

राज्य में वर्ष 1995 से जून, 1996 तक मूर्ति चोरी संबंधी कितनी घटनाएं हुई, इनमें से कितनी मूर्तियां बरामद कर ली गई, तथा कितने मामले जेरे तफ्तीश में चल रहे हैं ?

उत्तर

राजस्थान में 1 जनवरी, 1995 से 30 जून, 1996 तक मूर्ति चोरी के 129 अपराध पंजीबद्ध हुए जिनमें से 37 प्रकरणों में 51 मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं। कुल 13 अभियोग अनुसंधानाधीन है।

थाना गांधीनगर (जयपुर) क्षेत्र में बरामद नकली आयल

796. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

क्या यह सही है कि गांधीनगर (जयपुर) के थाना क्षेत्र में नकली आयल बनाने का कारखाना पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन दोषी पाये गये एवं तद्संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। इस संबंध में मुकदमा नम्बर

(गृह मंत्री)

-2/96 अन्तर्गत धारा - 420 भा.द.सं. व 3/7 ई.सी. एक्ट व 3/4 लुब्रिकेटिंग ऑयल एण्ड ग्रिस ऑयल एक्ट - 1987 दिनांक 1.1.96 को थाना गांधीनगर में दर्ज हुआ था, जिसमें दोषी व्यक्ति श्री गिर्राज प्रसाद पुत्र सुवा लाल शर्मा नि. - महाराजपुरा थाना चाकसू हाल आबाद कच्ची बस्ती टीला ब नम्बर। जवाहर नगर व डी- 96 फेज नम्बर- 3 झालाना डूंगरी जयपुर के विरुद्ध दिनांक 22.2.96 को चालान न्यायालय, विशेष आवश्यक वस्तु अधिनियम, जयपुर शहर में पेश किया जा चुका है।

थाना जायल (नागौर) में दर्ज मुकदमा नम्बर 10/95

797.**श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) एवं **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि मुकदमा नं. 10/95 दिनांक 3 फरवरी, 1995 थाना जायल जिला नागौर में दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो इसकी जांच अब तक किस-किस अधिकारी ने की ? प्रथम रिपोर्ट सूचना व जांच रिपोर्ट की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस मामले की जांच मुलजिमों की इच्छा से चल रही है और जांच पूर्ण होने के बावजूद इसमें चालान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इस मामले में चालान में इतनी देरी होने के क्या कारण हैं तथा इब इसका चालान कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, अभियोग सं. 10/95 दि. 3.2.95 को थाना जायल पर अन्तर्गत धारा 302, 233, 147, 148, 149 भा.द.सं. में दर्ज हुआ है। इस प्रकरण का अनुसंधान निम्न अधिकारियों द्वारा किया गया है : —

1. श्री हनुमान सिंह, उ. नि. थाना जायल, नागौर।

2. श्री लक्ष्मीनारायण मीना, अ.पु.अ. सी.आई.डी. (सी.बी.) अजमेर रेंज सेल।

3. श्री एस.पी. खडगावत, अ.पु. अ. सी.आई.डी. (सीबी) मुख्यालय, जयपुर।

एफ. आई. आर. की प्रति परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है अभियोग का अनुसंधान धारा 173 (8) द. प्र. सं. के अन्तर्गत जारी हैं।

(2) जी, नहीं। साक्ष्य के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है तथा अन्वेषणापरान्त जैसे तथ्य प्रकाश में आयेंगे के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

(3) अभियोग के प्रकरण में दोनों ही पक्षों द्वारा परिवाद पेश किये गये हैं। निष्पक्ष जांच हेतु अभियोग के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अनुसंधान किया गया। अभियोग में वर्णित 17 अभियुक्तों में से बाद अनुसंधान अभियुक्त करण सिंह व अमर सिंह के विरुद्ध धारा 147,148,149,323,302 भादस में दि. 3.5.95 को न्यायालय में चालान पेश किया

(गृह मंत्री)

गया एवं शेष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 173 (8) द. प्र. सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवादों में अंकित तथ्यों के मध्य नजर रखते हुए अनुसंधान जारी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के थानों में दर्ज प्रकरण

798. **श्री कमल** (हिण्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में पिछले तीन वर्षों में हत्या व खून के कुल कितने अपराध दर्ज किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अपराधो में पुलिस ने अब तक कितने मामलों में चालान पेश किया है एवं कितने मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में वर्ष 1994 से 31.5.96 तक हत्या के कुल 27 अभियोग दर्ज हुए हैं।

(2) उक्त अपराधों में अब तक 16 अभियोगों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर चालान पेश न्यायालय किये गये हैं। एक अन्वेषणाधीन प्रकरण में एक अभियुक्त को और गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस थाना रेनवाल (जयपुर) में दर्ज मुकदमा नं. 35/96

799.**श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि अभियोग संख्या 35/96 की पत्रावली में अनुसंधान करते समय अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू ने अभियुक्त पक्ष के तथा कथित श्री गोकुल द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25 मार्च, 1996 पर निम्न पृष्ठांकन किया "केस नं. 35/96 पुलिस थाना रेनवाल की पत्रावली के साथ संलग्न हो ?" यदि हां, तो आवेदन दिनांक 25 मार्च, 1996 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दस्तावेज प्राप्ति सम्बन्धी कोई इन्द्राज या टिप्पणी डायरी में अनुसंधान अधिकारी ने की है ? यदि हां, तो उक्त टिप्पणी का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो इस गम्भीर अनियमितता के लिए अनुसंधान अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री गोकुल ने अपने 161 सी. आर. पी. सी. के बयान जो विशेष अनुसंधान शाखा जयपुर शहर द्वारा अनुसंधान के दौरान लेख बंद किये गये थे, मैंने अपने आपको अनपढ़ बताया और उपरोक्त वर्णित आवेदन दिनांक 25 मार्च 1996 के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस अधिकारी के

(49)

(श्री जगदीश धनखड़)

विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गई या प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें। श्री गोकुल के 161 सी. आर. पी. सी. के बयान की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपमहानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज प्रथम द्वारा दिनांक 9 अप्रेल, 1996 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू को मुकदमा नं. 35/96 थाना रेनवाल से सम्बन्धित परिवाद चार किता आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये थे ? यदि हां, तो पत्र व परिवाद चार किता की प्रति सदन की मेज पर रखें। अभियोग सं. 35/96 की मूल पत्रावली में अनुसंधान अधिकारी द्वारा उपमहानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज प्रथम द्वारा प्रेषित उपरोक्त दस्तावेज सम्मिलित न करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई या प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त पत्र दिनांक 9 अप्रेल, 1996 की अनुपालना में अब तक की गई कार्यवाही सदन की मेज पर रखें। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उपमहानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज प्रथम द्वारा सुपरविजन के रूप में क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। आवेदन पत्र की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेज की प्राप्ति बाबत इन्द्राज या टिप्पणी केस डायरी पर उपलब्ध नहीं है। अभियोग सं. 35/96 के समस्त पहलुओं की जांच पुलिस अधीक्षक सतर्कता द्वारा की जा रही है। जिसके पश्चात् अनियमितताओं आदि के संबंध में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। उक्त बयान परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। प्रकरण की सम्पूर्ण जांच पुलिस अधीक्षक, सतर्कता द्वारा की जा रही है एवं जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। पत्र व परिवाद व पत्र की प्रति परिशिष्ट "ग" संलग्न है। अनुसंधान पत्रावली इस परिवाद के प्राप्त होने से पूर्व ही दिनांक 6.4.96 को पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को प्रेषित की जा चुकी थी एवं अति. पुलिस अधीक्षक दूदू द्वारा अग्रिम अनुसंधान संभव नहीं था। पत्र प्राप्त होने के बाद अभियोग पत्रावली वापस अति. पुलिस अधीक्षक दूदू को प्राप्त नहीं हुई।

(5) परिवाद के तथ्यों के सत्यापन हेतु बार-बार तलब करने पर भी परिवादी उपस्थित नहीं हुआ। इस दौरान अभियोग का अनुसंधान विशेष अनुसंधान शाखा एवं तत्पश्चात् अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) जयपुर शहर को उप महानिरीक्षक पुलिस, रेंज प्रथम द्वारा स्थानातंरित किया गया। उपरोक्त परिवाद के बिन्दुओं पर पुनः परिवाद प्राप्त होने पर यह किया गया। उक्त आदेशों की प्रति

(गृह मंत्री)

परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न है। अ. सं. 35/96 थाना रेनवाल एवं उससे संबंधित पहलुओं की जांच पुलिस अधीक्षक, सतर्कता द्वारा की जा रही है। जिसके पश्चात् ही दोष निर्धारण होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र दूदू के थानों में दर्ज प्रकरण

800. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में वर्ष 1994 से जून, 1996 तक किस-किस थाने में नारी उत्पीड़न व दुर्घटना, हत्या, दहेज एवं जलाकर मार दिए जाने आदि के कितने केस दर्ज हुए हैं तथा किन-किन प्रकरणों में अब तक न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए जा चुके हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अन्वेषणाधिकारी द्वारा लापरवाही बरते जाने के कारण इस प्रकार के कई प्रकरणों में अब तक चालान पेश नहीं किए जा सके ? यदि हां, तो किन-किन प्रकरणों में और क्यों ?

(3) क्या सरकार जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही बरती है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू के अंतर्गत थाना दूदू, फागी, नरेना, सांभर, फुलेरा, जोबनेर में वर्ष 1994 से जून 1996 तक नारी उत्पीड़न व दुर्घटना, हत्या दहेज एवं जलाकर मार दिये जाने के संबंध में पंजीबद्ध अभियोगों की वांछित सूचना परिशिष्ट - "क" में संलग्न है।

(2) परिशिष्ट- 2 में अंकितानुसार 12 अभियोगों में एफ. आर. लगा देने एवं अभियोग अन्वेषणाधीन होने से चालान पेश नहीं किये जा सके हैं। किसी अन्वेषणाधिकारी द्वारा लापरवाही प्रकाश में नहीं आयी है। प्रकरणों के निर्णय का विवरण परिशिष्ट - "क" में अंकित है।

(3) अन्वेषणकर्ता द्वारा लापरवाही बरतना प्रकाश में नहीं आया है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पुलिस थाना मुंडावर (अलवर) में दर्ज प्रकरण

801. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या थाना मुंडावर, जिला अलवर में माह अप्रेल, 1996 में धारा 498 (ए) व 304 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कोई मुकदमा

(श्री भीमराज भाटी)

दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो मुस्तगीस व मुलजिमान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मुकदमें में किसी मुलजिमान की गिरफ्तारी हुई है ? यदि हां, तो किन मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है ? यदि नहीं तो किन कारणों से गिरफ्तारी नहीं हुई ?

(3) क्या सरकार इस प्रकरण के अनुसंधान में उदासीनता एवं लापरवाही बाबत दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 6.4.96 को श्री झूंथर मल पुत्र श्री भगवान सिंह जाति अहीर निवासी शख्तपुरा बावड की रिपोर्ट पर अ.सं. 72/96 धारा - 498 ए, 304 बी भा. दं. सं. थाना मुण्डावर पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें बलवन्त सिंह पुत्र ओमकार सिंह, श्रीमती कृष्णा पत्नि बलवंत सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, बद्री, गुलाब, धोल्या, जाति अहीर नि. गोलाहेडा को आरोपित किया गया है।

(2) उक्त अभियोग के अभियुक्त श्री गजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तगण श्री बलवन्त एवं श्रीमती कृष्णा के गिरफ्तारी वारन्ट प्राप्त कर गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) इस प्रकरण के अनुसंधान में कोई लापरवाही, उदासीनता, नहीं बरती गई है। इसलिये किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

थाना बजाज नगर (जयपुर) में दर्ज मुकदमा नम्बर 585/94

802. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या थाना बजाज नगर (जयपुर) में मुकदमा नं. 585/94 दिनांक 20 नवम्बर, 1994 को दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो उस मुकदमें के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में मुख्यवादी एवं प्रतिवादी कौन-कौन थे, इसमें वादी द्वारा प्रतिवादी पर किस चीज की चोरी का इलजाम लगाया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) अ. सं. 585/94 थाना बजाज नगर में परवादी श्री कल्याण सहाय पुत्र श्री गोपाल चौबीदार राजपूत उम्र 21 साल निवासी गांव रालासायं थाना सूरोठ जिला सवाई माधोपुर हाल मकान नम्बर 19-एम, गांधी नगर ने श्री रामेश्वर बैरवा पुत्र हीरा लाल नि. लाल बहादुर नगर एवं प्रभु नारायण मीणा पुत्र छीतर मल निवासी लाल बहादुर नगर के विरुद्ध खेत में

(गृह मंत्री)

से पुला-पानी काटने का इल्जाम लगाया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट - 10 देखें)

अलवर में महिला थाने की स्थापना

803. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर में गत तीन वर्षों में महिलाओं के साथ कितने अपहरण, बलात्कार, हत्या, ब्लैकमेल आदि के काण्ड हुए तथा उनमें क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अलवर में महिला पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सहायक शासन सचिव ने अलवर शहर में महिला पुलिस एवं महिला अधिकारी लगाये जाने के संबंध में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अलवर में तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण, जनसंख्या, अपराध आदि को देखते हुए वहां अलग से जिला उप महानिरीक्षक कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर में तीन वर्षों (1.4.93 से 31.3.96) तक महिलाओं के साथ अपहरण, बलात्कार, हत्या, ब्लैकमेल, दहेज हत्या इत्यादि के संबंध में सूचना परिशिष्ट -"क" संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। इस संबंध में की गई कार्यवाही परिशिष्ट - "ख" पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट -11 देखें)

जिला सीकर हेतु आबंटित राशन सामग्री

804. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में वर्ष 1990 से अब तक कौन-कौन सी राशन सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में आबंटित की गई एवं उसमें में कितनी उठाई गई ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आबंटन के मुकाबले कम सामग्री उठाने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर जिले को वर्ष 1990 से जून, 1996 तक जो-जो राशन सामग्री जितनी-जितनी मात्रा में आबंटित की गई एवं जितनी उठाई गई, का माहवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) गेहूं एवं चावल की दरों के समकक्ष की दरों पर खुले बाजार में उपलब्ध होने से उठाव कम हुआ है। लेवी चीनी दिसम्बर, 93 तक सहकारी संस्थाओं द्वारा चीनी का थोक कार्य किया गया, सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण चीनी का उठाव कम हुआ, कई बार मिलों द्वारा थोक विक्रेताओं की वैधता अवधि में चीनी समय पर डिस्पेच नहीं होने से भी चीनी का आबंटन लैप्स हुआ।

आयातित खाद्य तेल सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने, एन. सी.सी. एफ. के पास खाद्य तेल का स्टॉक नहीं होने एवं उपभोक्तओं की मांग नहीं होने से उठाव कम हुआ। माह नवम्बर, 93 से आयातित खाद्य तेल का आबंटन प्राप्त नहीं हो रहा है। नियंत्रित कपड़ा का माह मार्च, 92 से आबंटन प्राप्त नहीं हो रहा है।

(3) जी, हां। दोषी पाये गए डीलरों के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गयी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चिकित्सा विभाग में संयुक्त निदेशकों के रिक्त पद

805. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में संयुक्त निदेशकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने एवं कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद भरने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी ? यदि हां, तो कब तथा उसमें क्या निर्णय हुआ ? पदोन्नति समिति के निर्णय की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय के बाद इतने लम्बे समय तक पदोन्नति आदेश जारी नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक आदेश जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी, हां। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 9.3.96 को सम्पन्न हुई थी। चयनित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

(3) विभागीय प्रक्रिया में समय लगने के कारण पदोन्नति आदेश दिनांक 27.6.96 को जारी किये जा चुके हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट -12 देखें)

(54)

श्रीमाधोपुर (सीकर) चिकित्सालय का रोगी वाहन

806. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) श्रीमाधोपुर (सीकर) चिकित्सालय में एम्बुलेंस की कब स्वीकृति दी गई तथा यह कब से कार्यरत है ?

(2) उक्त एम्बुलेंस पर किस-किस ड्राइवर की कब-कब नियुक्ति की गई तथा ड्राइवर ने उक्त गाड़ी पर कब-कब ड्यूटी दी ?

(3) उक्त एम्बुलेंस के श्रीमाधोपुर चिकित्सालय को आबंटन से अब तक की लॉग बुक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि एम्बुलेंस के आबंटन से अब तक इस चिकित्सालय में उसका उपयोग नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि कभी एम्बुलेंस है तो ड्राइवर नहीं और कभी ड्राइवर है तो एम्बुलेंस नहीं ?

(6) क्या इसका उपयोग नहीं होने के लिए किसी कर्मचारी/अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय श्रीमाधोपुर (सीकर) में रोगी वाहन की स्वीकृति दि. 31.7.91 को दी गई तथा यह रोगी वाहन 11.1.96 से कार्यरत है। इसकी जिम्मेदारी निश्चित करने हेतु जांच के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(2) उक्त रोगी वाहन पर वाहन चालक की नियुक्ति नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) उक्त रोगी वाहन के श्रीमाधोपुर चिकित्सालय को आबंटन से अब तक की लॉग बुक सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी, नहीं। रोगी वाहन का उपयोग 11.1.96 से निरन्तर किया जा रहा है।

(5) वाहन चालक की सेवाएं निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डरू से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(6) जी, नहीं। इसके उपयोग नहीं होने के लिए किसी कर्मचारी/अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वाहन के आवंटन के पश्चात ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसके जांच उप. म. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) सीकर से कराई गई और जांच में कोई अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया गया।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निर्वाचन क्षेत्र खैरवाड़ा (उदयपुर) के चिकित्सालयों में पदस्थापित चिकित्सक

807. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(55)

(श्री दयाराम परमार)

(1) क्या निर्वाचन क्षेत्र खैरवाड़ा जिला उदयपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ा, छाणी, नया गांव, बावलवाड़ा में चिकित्सक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यरत चिकित्सक कब से पदस्थापित हैं ?

(2) क्या उक्त पदस्थापित चिकित्सक महीने में एक बार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपस्थित होते हैं ? उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्सकों का निवास स्थान कहां है ? क्या उक्त चिकित्सक निजी आवासों में रहते हैं ? यदि हां, तो उनके मकान मालिकों के नाम क्या-क्या हैं और यदि राजकीय आवासों में रहते हैं तो उनके नम्बर क्या हैं ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी में 3/95 में व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छाणी में 3/96 में कार्यरत हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नया गांव में पद 6/96 से एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बावलवाड़ा में पद 12/95 से रिक्त है।

(2) जी, नहीं। चिकित्सकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय पर रहना आवश्यक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहाड़ी के चिकित्सा अधिकारी डा. नगेन्द्रसिंह राजावत, श्री जीवाजी/कसनाजी निवासी पहाड़ा के निजी मकान में रहते हैं। राजकीय आवास नहीं हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छाणी में पदस्थापित चिकित्सक डा. मुकेश गुप्ता पदस्थापन स्थान पर निवास नहीं करते हैं एवं इस कारण उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही हैं।

पावटा (कोटपूतली) का चिकित्सालय भवन

808. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तहसील कोटपूतली के पावटा अस्पताल की इमारत अपर्याप्त एवं जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मत हेतु धनराशि आबंटित करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक आवास भी बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पावटा का भवन विशेष मरम्मत योग्य है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमानित लागत का ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही धनराशि आबंटित किया जाना संभव होगा ।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(2) जी, नहीं। चिकित्सालय परिसर में पूर्व से एक चिकित्सा अधिकारी का आवास गृह निर्मित है ।

सामुदायिक चिकित्सालय रेवदर में चिकित्सकों के रिक्त पद

809. श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

सामुदायिक चिकित्सालय रेवदर में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद रिक्त हैं, उन्हें कब तक भर दिया जाएगा ?

उत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, रेवदर में चिकित्सकों के चार पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है ।

पंचायत समिति गोगुन्दा/कोटड़ा (उदयपुर) के भवन विहीन स्वास्थ्य केन्द्र

810. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति, गोगुन्दा व कोटड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं ? यदि हां, तो कहाँ ?

(2) क्या इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के राजकीय भवन हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है ।

(2) जी, नहीं।

सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजकीय भवन निर्मित नहीं है । सूची परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर निर्माण करवाया जाना संभव हो सकेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

कोटड़ा (उदयपुर) एवं रोहिड़ा (सिरोही) के अवैध चिकित्सक

811. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सह सही है कि प्रदेश के तथाकथित फर्जी चिकित्सकों व नीम हकीमों को पाबन्द करने एवं अनाधिकृत दवाखाने बन्द करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों से अब तक कितने ऐसे फर्जी दवाखाने बंद हुए अथवा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उदयपुर जिले की कोटड़ा

(श्री कुबेर सिंह)

तहसील एवं सिरोही जिले के रोहिड़ा एवं स्वरूपगंज कस्बों में भी तथाकथित फर्जी डाक्टर अथवा नीम हकीम कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्या ये सभी अधिकृत एवं वैध हैं? यदि नहीं, तो इनके विरुद्ध सरकार कब तक क्या कार्यवाही करेगी ?

(3) क्या कोटड़ा तहसील मुख्यालय पर कार्यरत कथित फर्जी डाक्टरों के विरुद्ध कुछ समय पूर्व तत्कालीन जिला कलक्टर के निर्देश पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसमें कोई सकारात्मक कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या विगत दिनों हुए आंख फोड़ कांड की तरह उपरोक्त स्थानों पर भी इन्होंने कोई कांड किये तथा इनके विरुद्ध कोई मामला थानों में पंजीकृत हुआ ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा कानूनी प्रावधान बनाने की कार्यवाही की जा रही है । भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य कानूनों के प्रावधानों के तहत वर्तमान में पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

(2) जी, हां। इनके विरुद्ध वर्तमान नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है ।

(3) जी, हां। कोटड़ा में तीन चिकित्सकों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई थी, किन्तु प्रकरण अदम "वकुआ" होने से पुलिस विभाग ने एफ. आर. दे दी है ।

(4) जी, नहीं ।

निर्वाचन क्षेत्र भीम के ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र

812. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1995-96 में राज्य के किस-किस जिले में किस-किस पंचायत समिति के किस-किस गांव में उपकेन्द्र, एड पोस्ट स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार भीम पंचायत समिति (राजसमंद) के बली जस्साखेड़ा ग्राम में मिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 में राज्य में एडपोस्ट स्वीकृत किए जाने हेतु प्रावधान उपलब्ध नहीं था । उक्त वित्तीय वर्षों में खोले गये उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं।

पंचायत समिति भीम में जनसंख्या मानदण्ड अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आश्यकता से अधिक स्वीकृत हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(58)

जिला पाली के नर्स ग्रेड प्रथम को देय चयनित वेतनमानों में भिन्नता

813.**श्री भगराज चौधरी** (आहोर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के चिकित्सा विभाग में कार्यरत नर्स ग्रेड प्रथम, जिन्होंने 27 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, को कौनसा चयनित वेतनमान दिया जा रहा है ?

(2) क्या पाली जिले में ऐसे कर्मचारियों को रुपये 2000-3500 की वेतन श्रृंखला एवं जालौर जिले में ऐसे कर्मचारियों को 2000-3200 का भिन्न वेतनमान दिया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार जालौर जिले के उक्त वर्णित कर्मचारियों को भी पाली जिले के कर्मचारियों के समान वेतनमान देने का आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य के चिकित्सा विभाग में कार्यरत नर्स ग्रेड प्रथम जिनकी नियुक्ति सीधे ही नर्स ग्रेड-II के पद पर हुई है, को 27 वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर, राज्यादेश दिनांक 25.1.92 के अनुक्रम में चयनित वेतनमान 2000-3500 देय है, तथा जिन मेल नर्स श्रेणी प्रथम की प्रथम नियुक्ति तत्कालीन पद मेल नर्स - III पर हुई और जिनकी संतोषप्रद सेवा 27 वर्ष हो गई है, उन्हें श्रेणी -I के पद पर चयनित वेतनमान 2000-3200 दिया जा रहा है।

(2) जी, नहीं।

(3) दोनों जिलों में चयनित वेतन श्रृंखला दिये जाने हेतु समान नीति व नियमों की पालना की जा रही है।

स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद

814.**श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन एवं चिकित्सा विभाग में स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद सृजित हैं ? क्या सरकार इन पदों को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या जिन शिक्षित बेरोजगार युवकों ने यह डिप्लोमा किया था, इन पदों को समाप्त करने से उनका भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे डिप्लोमा प्राप्त प्रार्थियों को रोजगार दिलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। चिकित्सा विभाग में स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों को राज्यादेश द्वारा "डाईंग कैडर" घोषित कर दिया है।

(2) जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र आमेर (जयपुर) के पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति

815. **श्री गोपीराम जाट (आमेर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत मुख्यालयों पर सब सेन्टर खोलने के संबंध में सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो उक्त नीति/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आमेर (जयपुर) के पंचायत मुख्यालय रायथल, जयसिंहपुरा, प्रतापपुरा, दुर्गा का बास, महेशवास, नांगल पुरोहित, सेवापुरा, बगवाडा, बरना, सरुणा चौढ एवं श्योसिंहपुरा में सब सेन्टर खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त गांवों में अब कब तक सब सेन्टर खोल दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) जी, हां। यह नीतिगत निर्णय लिया गया था कि जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोई संस्थान कार्यरत नहीं है तो उक्त पंचायत क्षेत्र में उपकेन्द्र खोले जाएंगे।

(2) जी, नहीं। रायथल, जयसिंहपुरा शेखावतान के ग्राम टाडावास एवं प्रतापपुरा, नांगल पुरोहित, सेवापुरा के ग्राम रामपुरा में उपकेन्द्र स्वीकृत के तथा ग्राम बगवाड़ा केन्द्र समिति स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। ग्राम पंचायत दुर्गा का बास, महेशवास, बरना एवं श्योसिंहपुरा में नीति अनुसार उपकेन्द्र खोले जा सकते हैं। राज्य के अन्य ग्रामों के साथ उक्त ग्राम पंचायतों में उपकेन्द्र खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

ओसियां (जोधपुर) के डाक बंगले का निर्माण प्रकरण

816. **श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ओसियां जिला जोधपुर में डाक बंगला भवन अपूर्ण है ? यदि हां, तो इसको कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? इस पर कितना खर्चा किया जा चुका है तथा अब कितना खर्चा और किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले कई वर्षों से डाक बंगला का भवन निर्माण अपूर्ण है, जिससे पूर्व का निर्माण कार्य भी क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अब उक्त डाक बंगले का निर्माण कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ओसियां में कोई डाक बंगला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) जी, नहीं।

भीलवाड़ा का प्रस्तावित बाईपास

817. **श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) एवं श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा में अजमेर, चित्तौड़गड़ मार्ग पर एक बाई-पास की आवश्यकता है ? यदि हां, तो इस बाई-पास हेतु क्या कार्यवाही प्रस्तावित है और अब तक क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

(2) उक्त बाई-पास का निर्माण कार्य कब तक शुरू होकर पूर्ण होना प्रस्तावित है, इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने इस बाई-पास हेतु मैसर्स सुदर्शन सीमेन्ट एण्ड मल्टीप्रोजेक्ट, जयपुर से बी. ओ. टी. के अन्तर्गत 36 माह में करवाने की स्वीकृति प्रदान की है ।

उक्त निर्माण हेतु आने वाली जमीनों की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं भुगतान हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

(2) उक्त बाई-पास का निर्माण कार्य भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात सम्भव होगा । इस पर कुल 22.00 करोड़ रुपया व्यय होना संभावित है ।

तहसील पीपल्दा (कोटा) के धार्मिक स्थानों हेतु सम्पर्क सड़क

818. **श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार की नई सड़क नीति के अनुसार प्रत्येक धार्मिक स्थान को सड़क से जोड़ने का प्रावधान है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार तहसील पीपल्दा, जिला-कोटा में पीपल्दा महादेव मंदिर व लक्ष्मीपुरा से पालेश्वर महादेव मंदिर के धार्मिक स्थान को भी सम्पर्क सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, केवल प्रमुख धार्मिक स्थलों को जो सड़क से तीन किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है उन्हें संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जोड़ने का प्रावधान है ।

(2) जी नहीं, उक्त स्थान योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं पर नहीं आते ।

तहसील बौंली और निवाई की नदियों पर पुल निर्माण

819. **श्री हीरालाल मीणा (बामनवास)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 में स्वीकृत साक्षरता व मीटिंग हाल बौंली एवं बामनवास की 3-3 लाख की स्वीकृति का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है ? यदि हां,

(श्री हीरालाल मीणा)

तो क्या यह निर्माण कार्य पूर्ण हो गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की मौरेल नदी वतड़ के पास एवं जीवद नदी पर पुलिया व कावचा की स्वीकृति का दिनांक व स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें । क्या कार्य पूर्ण हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक यह कार्य पूर्ण करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या सरकार तहसील बौंली और निवाई के बीच पड़ने वाली नदी पर पुलिया व काबचा निर्माण करवाकर तहसील बौंली की एक लाख अस्सी हजार जनता की परेशानी को दूर करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। बौंली में साक्षरता एवं मीटिंग हाल भवन का निर्माण नींव तक होने के बाद, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर कुशल कारीगर एवं श्रमिक उपलब्ध न होने के कारण आगे कार्य नहीं कराया जा सका। साक्षरता एवं मीटिंग हाल भवन बामनवास में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृति निरस्त करने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।

(2) विधान सभा क्षेत्र के बामनवास में राजमार्ग सं. 24 पर ग्राम बहतेड के पास मौरेल नदी पर काजवे निर्माण हेतु दि. 13.5.94 को रुपये 15.00 लाख एवं काजवे की एप्रोच सड़क के निर्माण के लिये रुपये 10.00 लाख की दि. 7.6.95 को स्वीकृतियां जारी की गई थी। इसी राज मार्ग सं 24 पर जींवद नदी पर फलश काजवे के निर्माण के लिये दिनांक 7.6.95 को रुपये 16.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। नदी द्वारा कटाव कर लेने के कारण काजवे की लम्बाई बढ़ाना आवश्यक हो जाने से कार्य पूर्ण नहीं हुये। अतः अतिरिक्त राशि वार्षिक योजना 1996-97 में प्रस्तावित की जा चुकी है।

(3) जी हां। प्राथमिकतानुसार पुलिया या काजवे बनाने की राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है।

जखाना/रायथल (बून्दी) सड़क का निर्माण

820. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983 से 1985 तक स्वीकृत सड़क जखाना से रायथल जिला बून्दी का कार्य अभी तक अपूर्ण है ? यदि हां, तो सड़क कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण के लिए भूमि खसरा संख्या 291 एवं 291/787 ग्राम पीपल्या (तहसील बून्दी) की अवाप्ति कार्यवाही के लिए भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 (1) तथा 6-17 की

(श्री रामनारायण मीणा)

घोषणा का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र में हो जाने के उपरान्त भी एवार्ड जारी करने में सरकार द्वारा देरी की जा रही है ? यदि हां, तो अवार्ड अब कब तक जारी कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होकर भूमि प्राप्त होने पर ही कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं। अवाप्ति की कार्यवाही एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। अवार्ड जिलाधीश के द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात् जारी कर दिया जावेगा।

कुशतला (खण्डार) से रेल्वे स्टेशन कुशतला तक सड़क निर्माण

821. **श्री हरिनारायण बैरवा** (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुशतला (खण्डार) से रेल्वे स्टेशन कुशतला तक सड़क निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो किस योजना में कब और उस पर कितना व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का पुनः निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या उक्त सड़क के अभाव में कुशतला से जुड़े गांवों के ग्रामीणों को रेल्वे स्टेशन तक आने जाने में असुविधाएं होती हैं ? यदि हां, तो इस सड़क को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, कुशतला से कुशतला रेल्वे स्टेशन की लम्बाई 4 किमी है जिसमें से 1.50 कि.मी. लम्बाई में ग्रेवल रोड का निर्माण वर्ष 1992 में जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय) में किया गया था तथा उस पर रु. 65175.00 का व्यय हुआ था

(2) जी हां। इस सड़क का निर्माण राज्य की प्राथमिकताएं एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की सड़कें

822. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में पिछले दो वर्षों में निर्मित/निर्माणाधीन डामर सड़क पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई और उसमें से कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों में किस-किस मार्ग कि

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

कितनी-कितनी लम्बाई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में 1994-95 एवं 1995-96 में डामर सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों की लम्बाई का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शा दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के प्रस्तावित राजमार्ग

823. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के कौन-कौन से मार्गों को राष्ट्रीय राज्य मार्ग घोषित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गये हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित मार्गों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने हेतु प्रस्ताव भेजे गये है :—

क्र. सं.	नाम	लम्बाई (कि.मी.)
1.	बीकानेर नागौर मेड़ता अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ रतलाम- इन्दौर	507
2.	गुडगांव अलवर-सरिस्का-दौसा सवाई माधोपुर-शिवपुरी	297
3.	कोसी-कांमा-डीग-भरतपुर रूपवास-स्पाऊ-धौलपुर	142
4.	एक्सटेंशन आफ नेशनल हाई-वे 11 ए ग्राम चन्दावाजी (एन.एच. 8)	75
5.	दौसा-मंडार रेवदर-सिरोही पिण्डवाड़ा-उदयपुर-मंगलवाड चित्तौड़गढ़ - बिजोलिया-कोटा बारां-शिवपुरी	688
6.	अजमेर से बडौदरा वाया भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़-किरकी चौकी सलूम्बर डूंगरपुर	631
7.	खैरवाडा-बड़ोदरा वाया डूंगरपुर-सीमलवाडा	262

उपरोक्त प्रस्ताव एम.ओ. एस.टी. नई दिल्ली में लम्बित है तथा समय-समय पर स्मरण पत्र भेजकर स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया है परन्तु स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की स्वीकृत सड़कें

824. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्ष 1990

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

से 1996 तक कितनी सड़कें स्वीकृत हुई स्वीकृत सड़कों की लम्बाई, ग्रामों के नाम, स्वीकृत संख्या, दिनांक एवं राशि तथा वर्तमान तक की स्थिति दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सन् 1990 से 1996 तक योजनावार, ग्रामवार, स्वीकृति संख्या एवं दिनांक व राशि तथा लम्बाई दर्शाते हुये विवरण परिशिष्ट "अ", "ब", "स", "द", "य", "र" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

लेखन सामग्री प्रकरण

825. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि लेखन सामग्री में घोटाला हुआ है ? यदि हां, तो कब-कब, कितनी-कितनी राशि का ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस विभाग में कार्यरत कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी उक्त प्रकरण में दोषी पाये गये उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) यह प्रकरण कब से शुरू हुआ और कब तक चालू रहा तथा यह सर्वप्रथम किस प्रकार उजागर हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर में वर्ष 1989-90 से 1994-95 की अवधि में राशि रु. 1,13,31346.40 एवं राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर में वर्ष 1990-91 में 1995-96 की अवधि में राशि रुपये 7,68,134.00 इस प्रकार कुल राशि रुपये 1,20,99,480.40 का घोटाला हुआ, उक्त के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट (अ) व (ब) संलग्न है।

(2) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में कार्यरत दोषी अधिकारी/कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट (स) पर संलग्न है। इस घोटाले में लिप्त होने के बारे में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। जांच में अभी तक किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं बताया गया है। श्री मदनराम मेहता, अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर का आंशिक रूप से नाम अंकित किया गया है, जिसके बारे में श्री मेहता का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। अन्य अधिकारियों के बारे में जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

(3) अब तक की जांच के आधार पर यह घोटाला वर्ष 1989-90 से शुरू हुआ और वर्ष 1995-96 तक चालू रहा।

सर्वप्रथम यह घोटाला राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो को जारी कुछ लेखन सामग्री

(राज्य मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री) राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से ब्यूरो को प्राप्त नहीं हुई तब ब्यूरो द्वारा दिनांक 5.5.95 को प्राथमिक जांच संख्या 23/95 पंजीकृत कर जांच प्रारम्भ की। जांच में यह घोटाला उजागर हुआ है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जावांल बांध सिरोही के निर्माण में अनियमितता प्रकरण

826. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिंचाई खण्ड सिरोही के अधीन जावांल बांध निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया में हुई अनियमितता के बारे में किसी अधिशाषी अभियन्ता को दोषी माना गया था? यदि हां, तो किस अधिशाषी अभियन्ता को एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या उक्त अधिशाषी अभियन्ता को दोषी मानते हुये आरोप पत्र देकर निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ? वर्तमान में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जावांल बांध निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, अन्वेषण रूपाकंन एवं अनुसंधान सिंचाई श्री दलीपसिंह जी के द्वारा की गई थी। उनके द्वारा प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई थी। राज्य सरकार ने उक्त प्रकरण में श्री पी.सी. जैन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश दिये हैं।

(2) विभागीय जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। जांच पूर्ण होने व आरोप सिद्ध होने पर कार्यवाही की जायेगी।

सांगावास (राजसमंद) सिंचाई बांध

827. **श्री लक्ष्मणसिंह रावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजसमंद जिले की पंचायत समिति देवगढ़ में सांगावास सिंचाई बांध पिछले कई वर्षों से अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार सांगावास बांध को पूर्ण विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सांगावास बांध का जल आवक क्षेत्र बीसलपुर परियोजना के जल ग्रहण क्षेत्र में होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका हैं।

(2) जी नहीं। बीसलपुर जल ग्रहण क्षेत्र में नये बांधों को बनाने हेतु रोक के कारण यह कार्य पूर्ण कराना संभव नहीं होगा।

(66)

प्रताप सागर बांध (अलवर) से पानी का रिसाव

828. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

अलवर में बाला किले के पास स्थित प्रताप सागर बांध में पानी के रिसाव को रोकने हेतु जो उपाय व प्रस्ताव विभाग के अधिकारी द्वारा काफी समय पूर्व सरकार को प्रेषित किये गये थे, उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रताप सागर बांध सिंचाई विभाग, अलवर के क्षेत्राधिकार में नहीं है, फिर भी जन प्रतिनिधियों के अनुरोध पर जिला कलक्टर, अलवर के निर्देशानुसार अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, अलवर द्वारा उक्त बांध के रिसाव को रोकने तथा अन्य मरम्मत हेतु आकलन तैयार कर जिला कलक्टर, अलवर को पत्र क्रमांक 2753 दिनांक 23.5.94 से 1.75 लाख रुपये व 1996 के मूल्यों के आधार पर संशोधित तकमीना रुपये 3.09 लाख का पत्र क्रमांक 2764 दिनांक 17.6.96 को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया हुआ है। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट आबंटन अपेक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज का विलासी बांध

829. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के विलासी बांध सिंचाई परियोजना का लक्ष्य टेल तक पानी चम्बल धोरों का निर्माण कर पहुंचाने का था ? यदि हां, तो अब तक धोरे पक्के नहीं बनाये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि धोरे काश्तकारों ने अपने हिसाब से खोद लिए हैं ? यदि हां, तो धोरों की खुदाई के लिए जो बजट था उसका क्या उपयोग किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कैनाल को ऊंचा करने के उपरान्त भी हैड के टेल तक पानी पूरा नहीं जा रहा है ? इस पर विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) टेल पर पानी नहीं पहुंचने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चम्बल धोरों का निर्माण काश्तकारों द्वारा स्वयं को करना प्रस्तावित हैं।

(2) यू.एस.आई. डी. से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत सीमित क्षेत्र में पक्के धोरों का निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया हैं तथा शेष क्षेत्र में स्वयं काश्तकारों द्वारा धोरे खोद गये हैं। उक्त विशेष सहायता योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट का पूरा उपयोग किया गया।

(सिंचाई मंत्री)

(3) पिछले वर्ष 1995-96 में विलास एक्सटेंशन की मुख्य नहर एवं माइनर नं. 5 से 8 में पानी पहली बार दिया गया। जिसमें नई माइनरों की टेल तक पानी नहीं पहुंचाया जा सका। इस वर्ष बकाया कार्य पूर्ण किये जाकर समस्त माइनरों की टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा। कैनाल रिमॉडलिंग पर 52.00 लाख रु. व्यय हुए हैं।

(4) टेल एरिया तक पानी पहुंचाने के लिए समस्त अधिकारी/कर्मचारी पूरी लगन से कार्य करते हैं तथा पिछले वर्ष पहली बार अतिरिक्त कमाण्ड (एक्सटेन्डेड कमाण्ड) एरिया में भी पानी दिया गया एवं लगभग 4500 हैक्टेयर में सिंचाई की गई जो कि कुल निर्धारित लक्ष्य 4963 है. के नजदीक है। जिसे भी इस वर्ष अर्जित करने के प्रयास किये जायेंगे।

जिला सवाई माधोपुर की निर्माणाधीन लघु सिंचाई परियोजना

830. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1995-96 में कितनी लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या समस्त लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? ठेकेदारों को कितनी समयावधि में निर्माण करना था तथा अब तक कितनी राशि खर्च हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के अन्तर्गत चूली बाँध को लघु सिंचाई परियोजना में सम्मिलित करने हेतु तखमीना सहित एक प्रस्ताव वर्ष 1989 से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक इस परियोजना पर निर्णय नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग ने इस चूली बांध के निर्माण पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाखों रुपया खर्च कर दिया है लेकिन इसके अधूरा होने के कारण दूसरा कोई उपयोग नहीं है ?

(5) क्या सरकार इस वर्ष लघु सिंचाई परियोजना में इसे सम्मिलित कर निर्माण करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में वर्ष 1995-96 में चार लघु सिंचाई परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। विवरण परिशिष्ट - "अ" में अंकित है।

(2) उक्त समस्त लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। कार्य प्रगति पर है। ठेकेदारों से निर्माण कराने की समयावधि व व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(68)

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी हां। चूली बांध गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में बनाने के लिये वर्ष 1991-92 में तखमीना तैयार किया गया था। इस बांध में अकाल राहत के अन्तर्गत आंशिक मिट्टी का कार्य किया गया था इस कार्य को करने पर देखने में आया कि बांध के भराव में पानी अधिक समय तक नहीं रुकता है। इसके लिये जियलोजिकल अन्वेषण कराके एवं इस के परिणाम आने के बाद ही इस परियोजना पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

(4) विभाग द्वारा चूली बांध पर वर्ष 1985-86 व 1987-88 में अकाल राहत मद में क्रमशः 1.23 लाख रु. व 2.95 लाख रुपये खर्च किये गय। इसके अलावा विभाग द्वारा किसी अन्य मद में कोई व्यय नहीं किया गया है।

(5) जी नहीं। उपरोक्त कारण से इस वर्ष 1996-97 में चूली बांध बनाने के प्रस्ताव की लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृत नहीं की जा सकती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट - 14 देखें)

सोजत (पाली) में संचालित छात्रावास

831. **श्री माधावसिंह दीवान** (सोजत) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सोजत में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास भवन हैं ? यदि हां, तो इसे कब बनाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि भवन में गटर खुदे न होने के कारण पूरी सीवर लाइन बन्द है ? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक कर दिया जायेगा ।

(3) क्या यह भी सही है कि ऊपर जो पानी की टंकियां रखी गई हैं सब हल्की क्वालिटि की होने के कारण टूट-फूट गई है?

(4) क्या यह भी सही है कि गैस कनेक्शन न होने के कारण रसोई घर संचालन में भी भारी कठिनाई हो रही है ?

(5) यह छात्रावास कितने छात्रों के लिए बनाया गया था तथा इसमें कितने छात्र रह रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें । क्या सरकार छात्रों की संख्या को देखते हुए और अधिक कमरों के निर्माण कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो तब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि सोजत में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास भवन है जो वर्ष 1991-92 में बनकर पूर्ण हुआ।

(2) जी हां । भवन पहाड़ी पर बना होने के कारण गटर कम गहराई में खुदे हैं । सीवर लाइन की वैकल्पिक व्यवस्था करने के प्रयास जारी हैं ।

(3) जी हां । ऊपर जो पानी की टंकी रखी गई है वह टूट फूट गई है इसके लिए

(राज्य मंत्री समाज कल्याण)

सार्वजनिक निर्माण विभाग से अपेक्षित कार्यवाही कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(4) 'जी नहीं । राजकीय छात्रावास में गत दो वर्षों से गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है एवं खाना रसोई गैस पर ही बनाया जाता है ।

(5) यह छात्रावास 50 छात्रों के रहने के लिए बनाया गया था लेकिन इसमें 25 छात्रों का एक अन्य छात्रावास भी चलाया जा रहा है । (छात्रों की सूची संलग्न है) कमरों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

सफाई कर्मचारी मुक्ति कार्यक्रम पर व्यय

832. **श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में सफाई कर्मचारी मुक्ति कार्यक्रम पर केन्द्र सरकार से राज्य को कोई राशि प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कितनी ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त राशि का व्यय किस प्रकार किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त कार्यक्रम में सरकार ने भी अपने कोष से राशि खर्च की ? यदि हां, तो कितनी ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । गत पांच वर्षों में सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुर्नवास योजनान्तर्गत भारत सरकार से 1465.00 लाख रुपये प्राप्त हुये जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) उक्त राशि का व्यय राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं पुर्नवासित किये जाने पर किया गया है , वर्षवार व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	प्रशिक्षण	पुर्नवास	चिन्हीकरण	योग
1991-92	-	-	3.24	3.24
1992-93	2.68	-	-	2.68
1993-94	18.82	41.17	-	61.99
1994-95	37.51	88.19	-	105.70
1995-96	51.02	273.24	-	324.26

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य योजना गैर योजनान्तर्गत सीधे कोई राशि व्यय नहीं की जाती । भारत सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को हिस्सा राशि

(70)

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

राज्य योजना मद में प्रदान की जाती है, इसमें से निगम द्वारा मार्जिन मनी के रूप में केन्द्र एवं राज्य की राशि से 50-50 के अनुपात में राशि व्यय की जाती है ।

(3) जी नहीं । इस योजनान्तर्गत निगम द्वारा अपनी हिस्सा पूंजी से मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध करायेगी ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

प्रदेश में अकाल राहत कार्यों हेतु कार्यकारी एजेन्सी

833. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत हेतु प्रदेश में कार्यकारी एजेन्सियां राहत कार्यों के लिए निर्धारित हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन ऐजेन्सियों के अलावा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था से राहत कार्यों को कराने का भी प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट- "अ")

(2) जिला कलक्टरों को आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किसी अन्य कार्यकारी विभाग से भी कार्य करवाया जा सकता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट -17 देखें)

राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय कोटा में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के रिक्त पद

834. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय कोटा में मई 1996 में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिये सरकार ने रोजगार कार्यालय से नाम मंगवाये थे ?

(2) उक्त महाविद्यालय में भर्ती हेतु दिनांक 18 मई, 1996 को लिये गये साक्षात्कार में किन-किन व्यक्तियों द्वारा साक्षात्कार लिया गया व कितने पुरुष व महिलाओं की इसमें भर्ती की गई ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भर्ती में क्या नियमों का पूर्णतया पालन किया गया ? क्या उक्त भर्ती में आरक्षण का भी प्रावधान था ? क्या इसमें विकलांग व्यक्तियों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा द्वारा जिला रोजगार कार्यालय, कोटा से भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिये अभ्यार्थियों के नाम मंगवाये थे। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हेतु न तो संस्था में कोई साक्षात्कार आयोजित हुए व न ही इस श्रेणी के कर्मचारियों की सीधी भर्ती हुई। इस श्रेणी की सीधी भर्ती के लिये प्रधानाचार्य, पोलीटेक्निक महाविद्यालय, सक्षम नहीं है। अतः इस श्रेणी के लिये अभ्यार्थियों के नाम रोजगार कार्यालय से नहीं मंगवाये गये।

(2) उक्त महाविद्यालय में दिनांक 18.5.96 को किसी साक्षात्कार का आयोजन नहीं हुआ। संस्था में 19.5.96 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (फर्राश) के तीन पदों पर सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार हेतु एवं शेष तीन पदों (चौकीदार-2, बुकलिफ्टर-1) के लिये साक्षात्कार 20.5.96 को आयोजित किये गये।

साक्षात्कार हेतु निम्नांकित व्यक्तियों की चयन समिति गठित की गई :–

1. श्री श्रवण कुमार-प्रवक्ता-आर्कीटेक्चर
2. श्री महेन्द्र कुमार - प्रवक्ता, कम्प्यूटर

साक्षात्कार में छः पुरुष अभ्यार्थियों का चयन हुआ। किसी भी महिला अभ्यार्थीयों का चयन नहीं हुआ। चयनित अभ्यार्थियों की सूची संलग्न है।

(3) उक्त भर्ती में नियमों का पूर्णतः पालन किया गया था। आरक्षण निर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पद पूर्व में भरे हुए थे। अन्य पिछड़ी जाति के तीन स्थान रिक्त थे। दो पद भूतपूर्व सैनिकों के रिक्त थे। अतः भर्ती के ये स्थान भरे गये।

किसी भी विकलांग व्यक्ति को आरक्षणका लाभ नहीं दिया गया । संस्था में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल सृजित 14 पद हैं एवं रोस्टर/आरक्षण नियमों के अनुसार 14 पदों में विकलांग व्यक्ति हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होता है।

राजकीय महिला पोलिटेक्नीक महाविद्यालय, कोटा में चयनित अभ्यार्थियों की सूची

नाम	पिता का नाम	श्रेणी	निवासी
1. श्री निरंजन कुमार वशिष्ठ	श्री रामेश्वर प्रसाद	सा.	कोटा
2. श्री रमेशचंद्र कंवर	श्री मेवालाल कंवर	ओ.बी.सी	"
3. श्री नरेश कुमार शर्मा	श्री नन्दलाल शर्मा	ओ.बी.सी.	"
4. श्रीनायक भेरू	श्री नानू	भू. सैनिक	बून्दी
5. श्री सूरजमल	श्री शिवनारायण	"	" झा.
6. श्री पृथ्वीराज	श्री प्रभुलाल	ओबीसी.	को.

(72)

कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ का फर्नीचर क्रय प्रकरण

835. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में लकड़ी का फर्नीचर क्रय करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई थी ? क्या लकड़ी के फर्नीचर की निविदाएँ कर उसके स्थान पर स्टील का फर्नीचर क्रय किया गया ? यदि हां, तो दोनों निविदाओं में कितनी राशि का अन्तर रहा ?

(2) क्या स्टील फर्नीचर क्रय की जाने की निविदाएँ मानदण्ड के अनुरूप प्राप्त की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या स्टील फर्नीचर सप्लाई करने वाली फर्म ने मानदण्ड के अनुरूप फर्नीचर सप्लाई किया है ? यदि नहीं, तो सरकार अब उस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

(4) क्या कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में छात्राओं के बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो अब कब तक व्यवस्था कर दी जाएगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। लकड़ी के फर्नीचर की निविदायें निरस्त कर स्टील का फर्नीचर क्रय किया गया। दोनों निविदाओं में रु. 1,03,548/- का अन्तर रहा।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां।

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 1996)

जिला सीकर के अकाल राहत कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायतें

348. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995-96 में सीकर जिले में अकाल का सर्वे कब कराया गया ? सर्वे में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें कितने प्रतिशत अकाल प्रभावित घोषित की गई ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1996 में अकाल राहत के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किस पंचायत में कब एवं कितनी राशि के स्वीकृत किए गए? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले की अकालग्रस्त किन-किन ग्राम पंचायतों में एक भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया और क्यों ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

(4) किन-किन कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) अकाल राहत के अन्तर्गत कौनसी सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एवं कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में करवाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। अकाल का सर्वे अक्टूबर, 1995 में करवाया था। 193 ग्राम पंचायतों के गांवों में 50 से 100 प्रतिशत फसल खराबा पाया गया। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट - "अ")

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट - "ब")

(3) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट - "स")

(4) अकाल राहत कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की 11 शिकायतें प्राप्त हुई। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट - 'द')

(5) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट - "य")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं : –

(1) श्री रामस्वरूप मीणा, श्री रामचन्द्र रावत व श्री हीरालाल जी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम नयनौती, तहसील रूपवास, थाना उच्चैन, जिला भरतपुर की एक विधवा के साथ किये जा रहे कथित अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता (जेईटी) में उत्तीर्ण ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को उनके ऐच्छिक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधानसभा की ओर से तालपुरा तहसील लालसोट की एक महिला का अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर अवगत करा दिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है, अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं : –

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत एवं 35 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में बिजली की कमी, उत्पादन इकाइयों की स्थापना की थोथी घोषणाएं तथा किसानों को कृषि कनेक्शन दिये जाने की नीतियों के बार-बार बदलाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधानसभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र मंडावा की पंचायत समिति अलसीसर के बिसाऊ एवं मलसीसर कस्बे में विद्युत मंडल का सहायक अभियंता कार्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील के ग्राम सोगर में विद्युत मंडल के एक ट्रांसफार्मर के सपोर्ट में करंट आने से एक वृद्ध की मृत्यु के सम्बन्ध में।

प्रस्तावक माननीय सदस्यों को आज ऊर्जा पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा सम्बन्धित विषयों पर प्रस्तुत की गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं को पढ़ी हुई मानी जाकर राज्य सरकार को नियत समय पर_

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : आज अंतिम दिवस है, कल भी_।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट सुन लें। मैं 295 की बात कह रहा हूं। माननीय सदस्यों व इस सचिवालय को उत्तर भिजवाने के निर्देश के साथ भिजवाया जा रहा है। ऐसा है कि पचास नाम बाकी रह गये हैं इसलिये पचास ने पढ़ना चालू किया तो शाम तो यूं ही हो जायेगी। यदि आप फोगिंग पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हैं। आप बिजली पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं तो _(व्यवधान) रात के एक बजे_

एक माननीय सदस्य : कल ही चर्चा करा लेते_(व्यवधान)_।

श्रीमती कमला (बैराठ) : पढ़ने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। ये तो पढ़े जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आएगा ही, इसलिए हमने आज पढ़े हुए माने हैं।

(नियम 295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट - 18 देखें)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : इस प्रावधान को खतम कर दीजिए। ये रोज ही पढ़े हुए मान लिये जाएं इसकी क्या जरूरत है, सरकार से जवाब तो आते नहीं हैं। (व्यवधान)_

श्रीमती कमला : इनको कैसे पढ़े हुए मान लिये जाएं, यह क्या तरीका है ? आप रोजाना यही कहते हैं। जब कभी देते हैं तो कहते हैं कि पढ़े हुए मान लिये जाएं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं

(श्रीमती कमला)

करें। मैं मेरे मुद्दे के लिए कह सकती हूं। पूरे समाज और पूरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों से कंसर्न है, इसलिये पढ़े हुए नहीं माने जाएंगे। (व्यवधान)

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री नन्दलाल जी व्यास, सदस्य को दिनांक 21.7.96 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री नन्दलालजी व्यास, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 21.7.96 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंट ऑफ् आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : इस जीरो ऑवर में आपका क्या पाइंट आफ ऑर्डर है। बिराजें।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया उसके बारे में मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ओ.बी.सी. के बारे में चर्चा कराने का आश्वासन दिया था.(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, भीमसेनजी कमजोर हैं, इनकी आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष : मैं सबकी सुनना चाहता हूं पर एक साथ पांच कह रहे हैं तो पता ही नहीं लगता कि कौन क्या कह रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : वे ओ.बी.सी. पर बोल रहे हैं, उनकी सुन लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ओ.बी.सी. की कुछ समस्याओं को लेकर चर्चा के लिए समय देने को कहा था.(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : बीकानेर में स्टूडेण्ट्स पर लाठी चार्ज हुआ है। उसके बारे में सरकार जवाब दें।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : ओ.बी.सी. के बारे में चर्चा करवाइए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री कालूलाल गूजर : एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. के आरक्षण के बारे में चर्चा के लिए आपने बोला था। आप यह बताइए कि

(श्री कालूलाल गूजर)

वह चर्चा कब रखेंगे। आप हर बार यही कहते रहे कि कल देंगे, कल देंगे। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय) : सभी पदोन्नतियां पर रोक लगा दी गयी हैं। ये आदेश इस प्रकार है- सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण होने तक उनके अधीन आने वाले पदों के लिए व आगामी आदेशों तक कोई भी विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन नहीं किया जाएगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बीकानेर में स्टूडेण्ट्स पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं था..(व्यवधान)..।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : यह बहुत गलत है, इससे सभी पदोन्नतियों पर रोक लग गयी है। ये पिछले कई वर्षों से एडहाक पदोन्नति दे रहे हैं जिसमें जोन आफ कंसीडरेशन और रोस्टर को भी लागू नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आठ दिन हो गये लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। जीरो आवर में कुछ स्लिपें आई हैं उनको बुलाना चाहता हूं। बिराजिये आप।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था चाह रहे हैं। तीन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव इस बारे में दिया है और लगातार मांग कर रहे हैं। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के छात्र यह मांग कर रहे थे कि ग्रामीण विद्यार्थियों को दस प्रतिशत बोनस अंक दिये जाए। 25 जुलाई को कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के छात्रों पर निर्मम रूप से वहां के पुलिस अधिकारियों द्वारा लाठीचार्ज किया गया। दो-दो किलोमीटर तक पीछा किया गया। कोई कारण नहीं था। केवल यह मांग कर रहे थे कि ग्रामीण छात्रों को बोनस अंक दिये जायें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : इनकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। एक एक माननीय सदस्य। बिराजें। श्री लक्ष्मणसिंह जी। (व्यवधान), बिराजें, बिराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विद्यार्थियों के साथ यह अन्याय हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, रोस्टर प्रणाली में भी भारी अनियमितताएं हुई हैं और जोधपुर विश्वविद्यालय में रोस्टर प्रणाली होने के बाद भी..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। माननीय लक्ष्मणसिंहजी। प्रत्येक माननीय सदस्य अपनी अपनी बात करने लग जाते हैं। बिराजें, बिराजें। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को सीमित करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें, बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : 15 जुलाई को हुआ और हमने 16 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब एक साथ खड़े हो रहे हैं। कोई अंकित मत करो। (व्यवधान) कोई मतलब नहीं निकलता है। मर्जी आये जो बोले चले जा रहे हो आप।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का जवाब दिलाया जाए जो कि 17 तारीख को दिया है। छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है उसके सम्बन्ध में मैंने 17 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था, आपने कहा था कि उसका सरकार से जवाब दिलाया जाएगा। (व्यवधान) जवाब दिलाया जाए वक्तव्य दिलाया जाए इसके बारे में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कभी नहीं कहा कि सरकार से जवाब दिलाया जाएगा। (व्यवधान) मैंने जानकारी के लिए भेजा है।

श्री भीमसेन चौधरी : आज तक उसका जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिन-जिन के प्रस्ताव आए हैं उन सब के जवाब भिजवाऊंगा मैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 15 जुलाई को यह घटना हुई (व्यवधान) 16 तारीख को दिया, आज 8 दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो मैं स्लिप लूं, नहीं तो नहीं लूं। बिराजें आप। बिराजिये। बिराजिये न आप। बाद में बात कर लेना (व्यवधान) अभी बात कर लेना आप। बिराजिये आप। वैश्म में अभी एक घंटे बाद मिल लेना आप। बिराजिये आप। श्री अरूण सिंह।

(श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य द्वारा सदन में धरना)

आप बिराजें। (व्यवधान) बिराजिये आप। मैंने कहा है कि अभी एक घंटे बाद मिल लेना मुझसे।

(श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य द्वारा धरना समाप्त)

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : मर्जी आये तब खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : पुलिस ने अपनी मर्जी से आकर लाठीचार्ज किया है और यह आज की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन ली आप की बात। मुझसे वैश्म में आकर मिल लेना। बिराजें आप।

(18)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में इन्सानों का खूब जिक्र होता है पर वन्य जीवों पर दो-तीन माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये हैं। हमारे राजस्थान में 3 नेशनल पालर्स हैं और उनकी दशा काफी बुरी हो गयी है। 2 टाइगर प्रोजेक्ट हैं और दो साल से उनकी सेन्सस भी नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ और आप यहां बिराज गये हैं, गृहमंत्री जी, इस पर कुछ बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी एक घंटे बाद बात करेंगे। बिराजें, बोलने दें। काफी बिजनेस है। माननीय सदस्य, बीच-बीच में नहीं बोलें।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क से 6 साइबेरियन क्रेन गायब हुए। सरकार ने 70 लाख रुपये उसके ऊपर खर्च किये। वन मंत्री जी गायब हैं। इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वन और जानवरों के प्रति भी कुछ रुचि और प्रेम रखें। मैं वन्य जीव प्रेमी हूं। रणथम्भौर और सरिस्का पार्क से तो शेर बिलकुल गायब हो गये हैं। मैं इस सरकार का ध्यान इस विषय में आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय मदन मोहन जी।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ रहे अत्याचारों और बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था के सन्दर्भ में माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 16-7-96 को 3 व्यक्ति मिलकपुर गांव में आये। मिलकपुर गांव में आकर सुलतानसिंह नामक व्यक्ति को रात को जगाकर ले गये और वहां से करीब दो किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गयी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कई तरह के अपराध औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। वहां पर करीब 28 मर्डर हो चुके हैं अब तक 3 महीने के दौरान और करीब 10 लाशें बरामद हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है। जिस तरह से बलात्कार, डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं, रेड अलर्ट के दौरान भी वहां पर भी मर्डर हो जाते हैं, डकैती डल जाती है। अभी भी तिजारा के जैन मन्दिर के अन्दर यात्री आते हैं तो उनकी बसों को लूट लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह मिलकपुर के अन्दर हत्या हुई है इसकी आप जांच कराएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री मदन मोहन : और दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाने का कार्य करें।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज जी भाटी।

श्री मदन मोहन : एक और निवेदन करना चाहूंगा। अलवर जिले की औद्योगिक नगरी की ही नहीं कहना चाहता हूं पूरे जिले में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले में पुलिस प्रशासन के अन्दर आमूलचूल परिर्वतन किया जाए जिसकी वजह से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : अलवर में एक महिला थाना खुलवाया जाए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कृपया विराजें।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अलवर में एक महिला थाना खुलवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। बिराजिये आप। मैं पहले नाम पुकारूं तव। आपने कोई स्लिप दी होगी तो आपको भी बुलाऊंगा। वैठिये आप।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो रेगिस्तानी इलाके हैं विशेषकर जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर आदि उनके लिए सन् 1988 में रशियन सरकार ने, रूस में जो सरकार थी उस समय में, 6 ड्रिलिंग रिग्स दी थी। वह 6 ड्रिलिंग रिग्स हमारे जोधपुर डिवीजन को दी गयी थी। अभी पिछले कुछ महीने पहले ही उन 6 ड्रिलिंग रिग्स में से जो 4 ड्रिलिंग रिग्स जोधपुर को दी गयी थीं उनमें से तीन के लिए तो जोधपुर से कलकत्ता ट्रांसफर करने के लिए लिख दिया गया है, एक ड्रिलिंग रिग्स को रांची ट्रान्सफर करने के लिए लिख दिया गया है। जोधपुर ऐसी जगह है जहां पीने के पानी की भयंकर समस्या है और वह जो हाई कैपेसिटी की ड्रिलिंग रिग्स हैं वह जोधपुर से चली जाएगी कलकत्ता और रांची अगर राज्य सरकार से उसके लिए कुछ भी नहीं किया तो। जोधपुर में पीने के पानी की समस्या है, वह ड्रिलिंग रिग्स हमारी राजस्थान सरकार के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, वह इतनी उच्च क्षमता की रिग्स हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके लिए भारत सरकार से कुछ कोरेस्पोन्डेन्स करके उन रिग्स को जोधपुर में रुकवाने की व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह जी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई जिलों में आज किसान एक समस्या से पीड़ित हो रहे हैं और वह है रोजड़ों की समस्या। रोजड़े की समस्या कई बार इस सदन में उठाई जाती रही है लेकिन सरकार की तरफ से गम्भीरता से कोई कदम नहीं उठाए गये हैं। राजस्थान के राजसमंद, पाली, सीकर और अजमेर जिले में किसानों की फसल अब थोड़ी बड़ी हो रही है और इन रोजड़ों के कारण से किसान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार को अपने नियमों में कुछ परिवर्तन भी करना पड़े तो

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

सरकार नियमों में परिवर्तन करे और कानूनों के अन्दर कुछ परिवर्तन करना पड़े तो कानून के अन्दर भी परिवर्तन करे। अध्यक्ष महोदय, एक भ्रांति इस कारण से फैल रही है कि कुछ लोग इसको नील गाय कह कर पुकारते हैं और इसके कारण से इसको भावना से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि नील गाय और रोजड़ें में बेसिक डिफरेन्स है। उनकी प्रजाति अलग है। रोजड़े हिरन की प्रजाति के हैं। रोजड़े की पूंछ छोटी होती है और नील गाय की पूंछ लम्बी होती है। रोजड़े के सिर्फ दो थन होते हैं जब कि नीलगाय के 4 थन होते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से सोचकर जब तक सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाये और कोई समुचित कानून बनाये। यह समस्या हर साल होती है। यह इसी बार की समस्या नहीं है। सरकार के वन मंत्रीजी यहां नहीं हैं लेकिन वन मंत्री तक हमारी भावना पहुंचाई जाए और ठोस कार्यक्रम बनाकर, ठोस कानून बनाया जाए और किसानों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई जाये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

अनेक माननीय सदस्य : रोजड़े को मारने के तो आदेश पहले ही हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : वन विभाग के अधिकारियों की सहमति से मारने की इजाजत दी हुई है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उसमें 'इफ एण्ड बट्स' लगा रखे हैं आपने।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : अधिकार दिया है जिला वन अधिकारी को। उससे परमिशन लेने जाओ फिर वापस जाओ। फिर रोजड़े को ढूंढ़ों और फिर मारो।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : गृह मंत्री जी, आपका भी है। उसमें भी नहीं हो सकती है। उसमें खेतीबाड़ी आसानी से नहीं होगी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : विभाग के अधिकारी भी इसके अन्दर अपनी फीस लेने लग गये। वह फीस मांगते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जब गाय नहीं मानते तो वन अधिकारी से परमिशन लेने की क्या जरूरत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। अभी तो डिबेट हो नहीं रही है, आपने बात कह दी है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : वह परिवार के साथ में खेत में पड़ा रहता है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। अभी तो हो नहीं सकता। राजेन्द्र जी।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं गृह मंत्रीजी से विशेष तौर से अनुरोध करूंगा, गृह मंत्रीजी अब कृषि का कार्य भी करने लगे हैं, अजमेर जिले में ऐसा कार्य आप कर रहे हैं, वहां

(श्री जगदीप धनखड़)

रोजड़ों की बहुत भारी समस्या है। माननीय सदस्य ने जो बात कही...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : रोजड़ों की समस्या पूरे राजस्थान में हैं, पश्चिमी राजस्थान में भी है। पूरे प्रदेश में हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी तो रोजड़ों की समस्या...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : रोज आईडेंटिफाई नहीं होते हैं वन विभाग के अधिकारियों के पास उनके कोई आइडेंटिटी कार्ड थोड़े ही होते हैं इसलिए परमिशन लेनी पड़े। इसमें परमिशन लेने की आवश्यकता ही क्या है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई बात कह रहे हैं, अब आप इसको कृपया डिबेट मत बनाइये। वह सारा ध्यान है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उनके पास कोई नम्बर है कि उनके बगीचे में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय अमराराम जी, बिराजिये। यह कोई डिबेट नहीं है। (व्यवधान) आप बिराज जायें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : इसलिए छुट्टी दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, महाराजा उम्मेद मिल्स में जो तालाबन्दी हुई है और उससे हजारों मजदूरों और उनके परिवार से सम्बन्धित बात इस सदन के अन्दर बार बार पाली से आने वाले माननीय सदस्य उठाते रहे हैं और यहां पर तीन दिन पहले उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही थी। मुख्य मंत्रीजी ने सदन के अन्दर आश्वासन दिया था कि हम आपसे बात करेंगे। सदन में चूंकि आश्वासन दिया था इसलिये सदन यह जानना चाहता है कि क्या भीमराजजी भाटी आज तक भी भूख हड़ताल पर हैं या आपसे कोई वार्ता हुई है ? उस पर क्या निर्णय हुआ है ? माननीय उप मुख्य मंत्री जी, कृपया इस बारे में जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री आर.पी. शर्मा जी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उप मुख्य मंत्रीजी, सदन में आश्वासन दिया था इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी। बिराजें आप। हो गयी बात।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लूंगा। मैं सदन को यह इत्तला देना चाहता हूं कि मैं आभारी हूं उप मुख्य मंत्री जी, का आभारी हूं श्रम मंत्रीजी का और कल मुख्य मंत्रीजी के यहां गृह मंत्रीजी भी बिराजमान थे, मैं इनका भी आभारी हूं, उद्योग मंत्रीजी का भी मैं आभारी

(82)

(श्री भीमराज भाटी)

हूं। वह इस मामले में बातचीत कर रहे हैं, उन नेताओं को बुलाया है और मिल-मालिकों को भी बुलाया है। इस बारे में मुझे लगता है कि सरकार अब अत्यन्त गम्भीर हुई है। लेकिन मैं सदन को यह भी सूचित करता हूं कि मैं अभी भूख हड़ताल पर हूं। जब उसका सुलटारा होगा तब मैं अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तो हमें खाने पर बुलाया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री आर.पी. शर्मा जी। वह मेहमानबाजी का पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री, माननीय राठौड़ साहब से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि उनको मालूम है, भरतपुर जिले में भरतपुर हैडक्वार्टर पर दो अस्पताल हैं। चूंकि पुराना अस्पताल आवश्यकता से कम पड़ता था इसलिए जन सहयोग से नया अस्पताल बना है जो नया अस्पताल बना है उसमें कुछ टैक्निकल खामियां रहने की वजह से वहां लोगों को परेशानी हो रही है। वेन्टिलेशन नहीं है, खिड़की नहीं हैं, पंखें जितने वहां लगाये गये उनमें से करीब आधे खराब पड़े हुए हैं। मंत्रीजी वहां गये थे, मंत्रीजी ने खुद मुआयना किया, कूलर्स के लिए भी कहा था वह कूलर्स नहीं दे पाएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। काम हो रहा है।

श्री आर.पी. शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां नारकीय जीवन हो रहा है। चूंकि मंत्रीजी वहां जा चुके हैं, जो लैबेट्री बनी हुई है, उसमें लैट्रिन के साधन नहीं हैं, वहां के यूरिनल गायब हैं, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं वह अपने विभाग के प्रति गम्भीर हैं, नौजवान हैं, काम करने की उनकी इच्छा है, उस अस्पताल में आपको मालूम होना चाहिए कि पी.एम.ओ. का जो काम है वह एनस्थेशिया के डाक्टर काम कर रहे हैं और एनस्थेशिया के डाक्टर के लिए पुराने अस्पताल में भी, हड्डियों के अस्पताल में भी आपरेशन के लिए बहुत...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। हो गया। शर्मा साहब हो गया। बहुत हो गया।

श्री आर.पी. शर्मा : एक मिनट सुनिये, साहब, महत्वपूर्ण बात रह गयी।

श्री अध्यक्ष : सब महत्वपूर्ण ही है।

श्री आर.पी. शर्मा : आप देखिये, जनाना अस्पताल में सीनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट नहीं है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। इस तरीके से तो सदन नहीं चलेगा।

श्री आर.पी. शर्मा : वहां किस तरह से लोगों के साथ लूटपाट हो रही है। मैं एक

(श्री आर. पी. शर्मा)

बात और निवेदन करना चाहता हूं, 26 तारीख को बाढ़ आई, बाढ़ आने की सूचना पी.एम.ओ. साहब को जिला प्रशासन ने दे दी लेकिन उनका इंतजाम पूरा नहीं होने की वजह से बाढ़ में वहां 20 लाख रुपये की लगभग की सरकारी दवाइयां बरबाद हो गयीं और जो एम.एल.सी. का रिकार्ड था वह बरबाद हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से कि इस सम्बन्ध में जो भी पोस्ट वैकेंट हैं, उसे भरने और अस्पताल की सुविधओं के लिए प्रयास करने का वचन देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हो रही घोर अनियमितताओं के सम्बन्ध में आपके माध्यम से...

श्री आर.पी. शर्मा : पारीक साहब, एक मिनट रुकें। माननीय मंत्रीजी बोलना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : माननीय सदस्य ने अस्पताल में पंखे खराब रहने की बात, एग्जास्ट फैन नहीं लगाने की बात कही है। 110 के लगभग नये पंखे वहां लगवा दिये थे, एग्जास्ट फैन के लिए माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने कुछ पैसा दिया था वह भी लग गये हैं और उस अस्पताल में जो पद रिक्त हैं उनके लिए पदोन्नति समिति की बैठक चल रही है, उन पदों को भरने का काम भी पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के कारण वहां काफी बड़ा नुकसान हुआ है। बाढ़ अचानक आई है परन्तु यह कह रहे हैं कि चूंकि जिला प्रशासन ने वहां के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दिया था और उन्होंने उस पर त्वरित गति से उन उपकरणों को हटाया नहीं तो इस सम्बन्ध में मैं जांच करवा लूंगा और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी विधान सभा के सत्र की समाप्ति के पश्चात् एक दिन आप मेरे पास आ जाएं, मैं सम्बन्धित अधिकारियों को बुला लूंगा और किस तरह से काम ठीक हो इसके लिए प्रयास किया जाएगा।

श्री आर. पी. शर्मा : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पनप रही घोर अनियमितताओं की ओर मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। 19 जून को राजस्थान पत्रिका में बी.आर.जे डी, भैरूं का ग्राम पब्लिक स्कूल का एक एडवरटाइजमेंट निकला जिसमें उन्होंने फर्स्ट से लेकर के ट्वैल्थ स्टैण्डर्ड तक बोर्डिंग स्कूल के लिए लोगों को आमंत्रित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कुछ रेगूलर स्टूडेंट थे और कुछ नये विद्यार्थी भी एडमिशन लेने गये। उन्होंने जुलाई माह में वहां पर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

अपनी फीस जमा करा दी। अचानक 12 जुलाई को उसके डायरेक्टर ए. मूर्ति ने स्कूल में विद्यार्थी जिन्होंने फीस जमा करा दी, जो होस्टल में रह रहे थे उनको तो बाहर निकाल दिया और उनके पैरेंट्स को चिट्ठी लिख दी कि हम 11वीं क्लास चलाने में असमर्थ हैं इसलिए आप अपने बच्चों को आकर ले जाइए। राजस्थान पत्रिका में 19 जून को उन्होंने एडवरटाइजमेंट दिया, लोगों ने उस एडवरटाइजमेंट के हिसाब से वहां पर फीस जमा करवायी, बोर्डस वहां पर बोर्डिंग में रहने लग गये, अचानक बोर्डर्स को तो बाहर निकाल दिया और पैरेंट्स को चिटठी लिख दी। इस हालत में वह विद्यार्थी जिन्होंने फीस जमा करवा दी, जुलाई के अंत समय में वह बच्चे कहां एडमिशन लेंगे। यह इंस्टीट्यूशन, एक बहुत बड़ा आपका ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन इण्डिया है, उसके मैनेजमेंट में चलता है। जुलाई में अमूमन बच्चों का एडमिशन करीब-करीब हो जाता है, उन बच्चों को वहां से हटाकर ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया कि उन बच्चों को आज की तारीख में एडमिशन कौन देगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस, जिनमें इस तरह की अनियमितताएं होती हों में आप अपने प्रशासक नियुक्त करके उन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, उनको आप न्याय दिलावएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष निवेदन करूंगा कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस में आप अपना प्रशासक नियुक्त नहीं करेंगे तो यह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो आज एक व्यापार के रूप में पनप रहे हैं, यह इसी तरह से घोर अनियमितताएं करते रहेंगे और वच्चों को और पैरेंट्स को परेशानी होगी। माननीय मंत्री महोदय, आप इस पर कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष : बहुत गम्भीर मामला है। बिराजें आप। मोटवानीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने रखा है, मैं अपने विभाग के अधिकारियों को लगाकर के इस विद्यालय के बारे में पूरी जांच कराऊंगा और इसमें जो भी अनियमितताएं हुई हैं, नियमों के तहत जो भी सख्त कार्यवाही की जा सकती है, वह कार्यवाही उस विद्यालय के खिलाफ करुंगा ।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब तक आप प्रशासक नियुक्त नहीं करेंगे तब तक यह इंस्टीट्यूशंस नहीं सुधरेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब आगे और बात कर लेना । बिराजिये आप ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्षजी, कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से यह घोषणा की थी कि राजस्थान में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जो फौजदारी के केस हैं, क्रिमिनल केसेज हैं उनको विदड्रा किया जाएगा। उस घोषणा के बाद रिलीजसली,

(श्री किशन मोटवानी)

आनेस्टली अजमेर जिले की मुझे मालूम है कि उन्होंने कुछ केसेज विदड्रा किये । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या राजनीतिक कार्यकर्ता परिभाषित हैं कि बीजे. पी. का कार्यकर्ता होगा तो केस विदड्रा होगा, अन्य पालिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता होंगे तो उनके केस विदड्रा नहीं होंगे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ जब मैं यह कहता हूँ कि यू आर आनेस्ट टू योअर डिक्लेरेशन, अब आनेस्टी इसमें है कि राजनीतिक कार्यकर्ता सभी पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता है। इसलिए अजमेर के कई ऐसे प्रकरण हैं जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और चुने हुए प्रतिनिधि, पार्षद पद पर बैठे हुए हैं, जनरल सैक्रेटरी के पद तक के लोग इन्वाल्व हैं । मैं चाहूंगा कि आपने इनको रिलीजसली किया, तो और ज्यादा रिलीजसली और आनेस्टी इनको करें और केसेज विदड्रा करें ।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने भी उठायी थी । गृह मंत्रीजी आपको ध्यान होगा कि कुछ पैरामीटर्स बने थे ....

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : आपके खिलाफ कोई मुकदमा है क्या ?

श्री जगदीप धनखड़ : आप इस गम्भीर विषय को डाइल्यूट न करें ।

श्री कैलाश मेघवाल : बहुत गम्भीर विषय है इसीलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ ।

श्री जगदीप धनखड़ : गृह मंत्रीजी ने निर्देश दिये .. (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप हमेशा ही उठाते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : इनकी बात तो सुनें आप। ... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : गृह मंत्रीजी ने कहा कि हम यहाँ मसले उठाने के लिए आते हैं । गृह मंत्रीजी, आप एक मिनट सुनें।... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह गम्भीर विषय है, इसलिए रि-एक्ट कर रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, आप बात सुनें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप गम्भीरता से जवाब दिलवाइए । ..(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : पैरामीटर्स बनाये गये । गृह मंत्रीजी चाहते थे इनके जिले के लोगों का तो कल्याण हो, चलो आपने यह भी एड कर दिया, उनको स्वीकृति हो गयी । उसके पश्चात भेदभावपूर्ण तरीके से आप कार्य कर रहे हैं । आपने मुझे भी उस कमेटी में रखा था । उस कमेटी के मापदण्ड तय किये गये थे । आप कुछ छात्रों को इन्क्लूड करना चाहते हैं । आपने कहा कि उस घटना के दौरान कोई बातचीत होगी, इन्क्लूड कर लो, सब हो गया पर उसके इम्प्लीमेंटेशन में इस प्रकार का भेदभाव करें और उस पर भी आप अनर्गल बात कह दें कि आप तो हर बार कहते ही रहते हैं । अब आप शासन में हैं और हम अपनी बात भी नहीं कहेंगे । हमारी बात से

(श्री जगदीप धनखड़)

आप निरुत्तर होते हैं । आप कहिये कि आपने उस पर क्या किया है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय धनखड़ साहब ने पिछले सत्र के समय और उससे पिछले सत्र के समय यह प्रश्न उठाया था, मैंने भी उसका समर्थन किया था और बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि सभी दलों के राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक कारणों से केस बने हैं । आन्दोलन करते रहते हैं भिन्न-भिन्न समस्याओं के लेकर, किसी न किसी विषय को लेकर आन्दोलन करते रहते हैं, केस बन जाते हैं । तो मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, जैसा माननीय मुख्यमंत्रीजी ने आश्वासन दिया था, उस सम्बन्ध में आपने प्रयत्न किया है, बाद में केस विदड्रा भी हुए हैं । कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विदड्रा हुए हैं, बीजेपी के भी हुए हैं, मुझे ध्यान है .. (व्यवधान) माण्डलगढ़ में हुए हैं, मांडल में हुए हैं । हुए हैं, बहुत जगह हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । .. (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : अजमेर में एक भी नहीं हुआ । मैं अजमेर की बात कह रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कई जिलों में हमारे भी नहीं हुए। .. (व्यवधान) जयपुर में हमारे ही केस विदड्रा नहीं हुए । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मुख्य मंत्रीजी ने मुझे स्वयं को आश्वासन दिया था..(व्यवधान) ।

श्री जगदीप धनखड़ : इस मामले में नरम रुख होना चाहिए , व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए । .. (व्यवधान) ।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : जोधपुर में भी नहीं हुआ, मैं इसकी भुगतभोगी हूं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे स्वयं को मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि चुनाव के दौरान जितने भी केसेज हुए हैं, वे सारे के सारे विदड्रा करवा लिये जाएंगे ।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी की सुनें आप। .. (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : नरम रुख होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के खिलाफ हुए मुकदमे वापस लिये जाएं । .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । बिराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : आप उस पर खास ध्यान दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । गृहमंत्रीजी कुछ बात कह रहे हैं । .. (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक कारणों से जो मुकदमे हुए हैं, वे सब वापस किये जाएं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, लगभग 1,500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे जयपुर में चल रहे हैं, मुकदमे वापस

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं हुए । अगर इस सम्बन्ध में कोई बातचीत की जाती है तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए । यहाँ पर भी विदड्रा किये जाएं । – (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जयपुर जिले में भी बहुत से कार्यकर्ताओं पर केस बने हुए हैं । बी.जे.पी. के भी है और उन के भी आज तक केस विदड्रा नहीं हुए । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा सदन में आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन के अनुरूप राज्य सरकार तुरन्त उन केसेज को विदड्रा करें ।– (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के ब्यावर में भी मुकदमे हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : हमारे कार्यकर्ताओं पर अभी तक मुकदमें वापस नहीं हुए हैं ।– (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष : हां, हो गयी ना बात । सबकी अलग-अलग बात है । बिराजिये आप। मंत्रीजी की बात सुने, वह कोई बात कह रहे हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, अजमेर पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्य ने –

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, यह आश्वासन मुझे दिया गया था कि चुनाव के दौरान जितने केसेज हुए हैं –

श्री अध्यक्ष : हां, हां, आपको दिया गया था आश्वासन, बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : वे सारे के सारे केसेज विदड्रा हो जाएंगे, केस अभी तक विदड्रा नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : हो गया न। आप केस विदड्रा कराना चाहते हैं या आप क्या कराना चाहते हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि राजनैतिक कार्यकर्ता का मतलब है, राजनीति में काम करने वाला प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता। उसमें राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी क्योंकि राजनीति में हम आन्दोलन करते आए हैं, हम प्रदर्शन भी करते आए हैं और धीरे-धीरे घेराव भी एक मान्यता प्राप्त हथियार बनता चला जा रहा है। सी.पी.एम. वालों की तरफ से ज्यादा होता है यह।

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन सी.पी.एम. का आपने एक भी विदड्रा नहीं किया है और मैं समझता हूं, आगे भी नहीं करोगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कामरेड भंवरलाल जी का किया है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह के केस बहुत ही लिबरल होकर राज्य सरकार विदड्रा कर रही है। (व्यवधान) यहां 2-3 परिस्थिति हैं जिनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इधर से भी मांग उठती रही है। कुछ केस विदड्रा नहीं हो

(88)

(श्री कैलाश मेघवाल)

रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, विदड्राअल फ्राम प्रोसीक्यूशन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342 के अन्तर्गत होता है। अब हमारे कई केसेज ऐसे हैं, जैसे बेन के वक्त में हमारे सारे विधायक परेशान थे...

श्री अध्यक्ष : हां, वह कोई बात नहीं, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सी. आर. पी. सी.।

श्री जगदीप धनखड़ : सी. आर.पी. सी.।

श्री अध्यक्ष : आपने आई.पी.सी. कह दिया है।

श्री कैलाश मेघवाल : भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, सी. आर.पी.सी., मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कई केसेज ऐसे हैं जैसे रेल को रोकने के हैं। रेलवे की प्रोपर्टी जब इन्वाल्व हो जाती है। कई केसेज हैं जिनमें पोस्ट आफिस की प्रोपर्टी इन्वाल्व हो जाती है। कई केसेज ऐसे हैं जो पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो जाते हैं, एकाध धारा उसमें लग जाती है। कई केसेज ऐसे हैं जिसमें केन्द्रीय लेजिस्लेशन आता है जैसे बेन का आर्डर था, आर.एस. एस. पर बेन लगाया उसमें जितने केसेज बने, वह एक्जीक्यूटिव अथारिटी केन्द्र की थी। बेन भी केन्द्र सरकार के आर्डिनेंस से लगाया। ऐसे केसेज में धारा 342 में स्पष्ट प्रावधान है अगर केन्द्रीय लेजिस्लेशन से सम्बन्धित कोई भी धारा के मुकदमें हैं तो उसको केन्द्रीय सरकार की सहमति से ही विदड्रा किया जा सकता है। यह जो कई माननीय सदस्यों की शिकायत है, शिकायत वाजिब है और हमने केन्द्र सरकार को केसेज रेफर किये हुए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक आन्दोलन का केस हो, वह आप मुझे सूचित कर दें, केस नम्बर भी दे दें, मैं रिपोर्ट मंगाकर इसकी एक जो प्रक्रिया है, उसमें जब हम इंडिविजुअल निर्णय लेते हैं तो प्रत्येक केस के गुणावगुण पर हमको जाना पड़ता है और इस मामले में पत्रावली मुख्य मंत्रीजी तक जाती है और माननीय धनखड़ साहब को तो मालूम है, अपन ने बैठकर सारा क्राइटेरिया भी तय किया था और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की और राजस्थान हाई कोर्ट की रूलिंग्स का भी अध्ययन किया था और उस परव्यू में आने वाले जितने भी केसेज हैं और जितना लिबरल होकर विदड्रा किये जा सकते हैं, उनको हम कर रहे हैं। यह सही है कि कुछ गंभीर हिंसा के भी प्रकरण हैं जिनको राज्य के हित में विदड्रा किया जाना नहीं हो तो मुख्य मंत्रीजी तक उसका मूल्यांकन होते हुए पत्रावली जाती है। मैं एक बार फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार निश्चित रूप से राजनैतिक कार्यकर्ता के विरुद्ध आन्दोलन की वजह से, प्रदर्शन की वजह से या घेराव की वजह से जो मुकदमें है उनको लेने को तत्पर हैं और हमेशा तत्पर रहेगी। आप, माननीय सदस्य, सूचना भी मुझे दे सकते हैं और मैं इस प्रक्रिया में लगा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लिमिट तो बताइये कि छह महीने में या साल भर में या दो साल में हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, माण्डलगढ़ में राजस्थान सरकार के मामले हैं। गृह मंत्रीजी, पिछले पांच साल से...(व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : This is my subject. This is my question.

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि ...(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : पिछले पांच सालों से आन्दोलन करते रहे हैं। मांडलगढ़ के कार्यकर्ता, कृपया आप उन पर ध्यान दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन। गृह मंत्री जी ने यह कहा कि केन्द्र सरकार जो कानून बनाती है, आपने कहा 342, वह 320 है कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आपने ऐसी भावना व्यक्त की कि जो कानून केन्द्र सरकार ने बना दिया, उनके बारे में यदि कोई मुकदमा कहीं पर होता है उस मुकदमे को 320 सी.आर.पी.सी. के तहत वापस नहीं लिया जा सकता...

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, नहीं, नहीं।

श्री जगदीप धनखड़ : तो क्या कहते हैं?

श्री अध्यक्ष : आपने पूरा सुना ही नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : 320, सी. आर. पी. सी. में बिलकुल प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर है कि कौनसा एक्ट है जो केन्द्र सरकार के लागू है जैसे रेलवे एक्ट है, पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट है...

श्री अध्यक्ष : जैसे रेलवे एक्ट है। वह यहां नहीं हो सकता। बिराजिये आप। This is very much clear.

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि 320 सी.आर.पी.सी. को पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान जी। कृपया आप विराजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : एक्जीक्यूटिव अथारिटी आफ द सेन्ट्रल गवर्नमेंट जिसमें होती है, उस प्रकरण में केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना विदड्रा नहीं किया जा सकता। उनकी सहमति लेना आवश्यक है। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : भूख हड़ताल कर रहे हैं कार्यकर्ता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग सब क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कार्यकर्ता भूख हड़ताल कर रहे हैं, पांच-पांच साल हो गये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आज आप फिर कह रहे हैं कि विदड्रा हो जाएंगे। हजारों कार्यकर्ता विभिन्न जिलों की जेलों में जा रहे हैं, उनके चालान पेश हो गये, परेशान हो रहे हैं, क्या आप उनके मुकदमे वापस ले लेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री जुबेर खान जी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : टाइम लिमिट बताइये। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : सरकार तत्परता से इस तरह के प्रकरणों में कार्यवाही करेगी और मुकदमों को विदड्रा करने की कार्यवाही लगातार कर रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है, पर समय तो बताइये।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा समय आन्दोलन गंगानगर जिले में चला था और सबसे ज्यादा गंगानगर जिले के कार्यकर्ताओं पर मुकदमें हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, मैं कई वर्षों से निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : गंगानगर जिले में बहुत लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें कहां डिबेट हो रही है। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, अजमेर का प्रश्न है, मांडलगढ़ में कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, ये मुकदमे वापस ले लेंगे परन्तु आज तक मुकदमे वापस नहीं हुए, हजारों केसेज चल रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में इन्वाल्व हो रहे हैं, आन्दोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेरजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माण्डलगढ़ में कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलिये न आप जुबेरजी, बोलना चाहें तो।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मुकदमे वापस न लेने के कारण माण्डलगढ़ में आन्दोलन चल रहा है इसलिए इनके भी मुकदमे वापस लिये जाएं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अलवर में फल-सब्जी मंडी अलग नयी बन गयी है और उसका स्थानांतरण होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप

(श्री जुबेर खान)

भली-भाँति जानते हैं कि मण्डी के आस-पास बहुत से ठेले वाले गरीब लोग भी सब्जियां और फल बेचते हैं। अलवर में यू.आई.टी. की यह परम्परा रही है, जो लोग नगर परिषद को पैसा देते थे, रोजाना का किराया देते थे यू.आई.टी. ने पचास-पचास रुपये इनसे वर्षों पहले जमा भी करा लिये कि आपको कहीं वैकल्पिक दुकान बना कर देंगे। गणेश मार्केट में दुकान बना कर दे दी गयी। पुराना बस स्टेण्ड था जहां पर पुलिस कंट्रोल रूम है वहां बना कर दे दी गयी। शिवाजी पार्क में बना कर दे दे गयी लेकिन अब चूंकि नयी मण्डी वहां से उठ जाएगी, बाहर चली जाएगी अलवर के आउट स्कर्टस में, तो जो लोग पुरानी मण्डी के आस-पास ठेले वाले, फल-फ्रूट्स वाले बैठे हैं उनके लिए आप व्यवस्था नहीं कराएंगे। वहां कोई आएगा-जाएगा नहीं और इनका धंधा सब्जी मण्डी से जुड़ा हुआ है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह 65 ठेलिया हैं, गरीब लोग हैं, इनको भी समुचित व्यवस्था जो नयी मण्डी बनी है उसके पास की जाए ताकि यह भी अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। जो आपका प्रावधान है उसकी पूर्ति कराइये और इनकी मदद कीजिए, मंत्री महोदयजी।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीरजी।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले की खैरवाड़ा तहसील में एक संस्था है मिशन, उस मिशन कम्पाउण्ड की जमीन कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां की संस्था के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे मिल कर अपने खाते करवा ली और बेचाननामा लिखवा दिया गया है। बोम्बे डायग्नोसिस ट्रस्ट है उनके द्वारा बेचान की अधिकृत स्वीकृति प्राप्त की है। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह चाहूंगा कि इसका म्यूटेशन तब तक नहीं खुले जब तक इसकी पूर्ण जांच नहीं हो जाती है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कह रहे हैं, दयाराम जी। आपकी स्लिप है, इसी पर।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने खैरवाड़ा में मिशन ट्रस्ट की जमीन के बेचान के सम्बन्ध में जिक्र किया। जमीन बिक गयी, रजिस्ट्री हो गयी, यह एक पहलू है लेकिन इस रजिस्ट्री को कराने के लिए जिस तरह से फोर्जरी की, वह इन्टरेस्टिंग है। यह जमीन मिशन ट्रस्ट खैरवाड़ा के नाम पर थी। बोम्बे डायग्नोसिस के नाम पर एक संस्था बम्बई में है। उन्होंने उस जमीन को बम्बई सिविल कोर्ट में केस करके उनके नाम पर करवा ली। उनके नाम जब वह जमीन हो गयी तो वहां पर, बम्बई के चेरिटेबल कमिश्नर से उन्होंने परमिशन ले ली कि इस जमीन को बेच दिया जाए। जमीन बेचने के लिए जब उनको आदेश मिल गया तो उन्होंने टेण्डर काल किये और टेण्डर में सबसे ज्यादा साढ़े बारह लाख रुपये आए। माननीय अध्यक्षजी, वह जमीन दो करोड़ रुपये की है आज की तारीख में, 17 बीघा है। आधा बीघा जमीन दस लाख रुपये में अभी खैरवाड़ा में बिकी है मैं यह

(श्री दयाराम परमार)

निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह जमीन खैरवाड़ा में है और राजस्थान में है, बम्बई का न्यायालय वहां पर फैसला करे और वहां से कमिश्नर उसको आर्डर दे कि जमीन को बेच दिया जाए और वह बेचे, इस तरह से कुल उसमें फोर्जरी हुई है। माननीय मंत्री जी, चाहे देवस्थान मिनिस्टर हों, उनके अन्डर में आती हो, चाहे रेवेन्यू मिनिस्टर के अन्डर में आती हो, लेकिन इसकी पूरी जांच करवाएं और जो गलती की है, उन लोगों को सजा दिलावें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मोतीचन्दजी। गोपीचन्दजी। जाट साहब, गोपीचन्दजी, गोपीलालजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गोपीराम जी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गोपीचन्द अलग हैं। चन्दजी भी थे पहले। चन्दजी आए नहीं, कहीं गये होंगे।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान राधाचरण दास एवं नन्दसिंह द्वारा की जा रही असामाजिक गतिविधियों की गहन जांच कर दण्ड देने एवं उनके स्थान मेड़ की छीड़ थाना, विराट नगर, जयपुर जिले से हटाये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, राधाचरण दास, मेड़ की छीड़ में करीब बारह साल से एक आश्रम बना कर रह रहा है। मेड़ गांव से गरीब चार-पांच किलोमीटर अन्दर निर्जन स्थान के ऊपर इसका आश्रम है। यहां पर धार्मिक भावनाओं में महिलाओं को फंसा कर ले जाने व उनके साथ बलात्कार की घटनाएं होना प्रकाश में आया है। मुकदमा नम्बर 62/95, 22.5.96 को दर्ज हुआ जिस पर इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद यह छूट कर वापस आ गये, आज भी वहां बैठे हुए हैं। गांव के लोगों ने एक ज्ञापन गृह मंत्रीजी को भी दिया और एक कापी मुझे भी मिली है कि यदि इन लोगों को इस आश्रम से नहीं हटाया गया तो इस तरह की असामाजिक और अनैतिक गतिविधियां वहां हमेशा होती रहेंगी। मेरा निवेदन है कि उस आश्रम को वहां तत्काल बंद किया जाए और नन्दसिंह और राधाचरण दास दोनों को गिरफ्तार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आपने पिछले हाउस में श्री गंगानगर की बिगड़ती हुई हालत को सुधारने के लिए दो करोड़ रुपये की घोषणा की थी। उससे पूर्व हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने भी यहां कुछ कहा था और आप दो मंत्री वहां पधारे थे। आज तक एक पैसा भी नगर परिषद को नहीं मिला और वहां की हालत ज्यों की त्यों है या तो आप पूरी आज घोषणा कीजिए कि जो पैसा आपने घोषित किया था, मेरे को ढाई साल हो गये चिल्लाते हुए, मतलब आपकी तरफ से आश्वासन हो जाता है लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप आज घोषणा

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

नहीं करेंगे तो मैं अभी धरना दूंगा और उसके बाद आत्मदाह करूंगा। अभी आज ही, आज ही आत्मदाह करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बुरडक साहब। आत्मदाह मत करो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : या तो आप दोनों मंत्री इस बात की घोषणा कीजिये। यह रोज-रोज की मतलब नहीं है। यह गंगानगर के साथ बहुत अन्याय है। आप मेरे को इन से आश्वासन दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आत्मदाह नहीं करना अपने को।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, नहीं।इन्हें कहें कि हाउस को इन्होंने + + +

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर अपराध है, पुलिस तो अन्दर आ नहीं सकेगी। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सदस्य की बात को गम्भीरता से लीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इतनी बड़ी पंचायत में कोई बात कही, आपने दो करोड़ रुपये कहे, वह दो करोड़ कहां गये ?

श्री रामनारायण चौधरी : आत्मदाह कैसे करने देंगे आप ? आप रक्षा करिये माननीय सदस्य की। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : और पर केपिटा के हिसाब से जो पैसा देना चाहिए वह भी आपने नगर परिषद को नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य की रक्षा कीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं, बहुत ही गम्भीर मामला है। एक माननीय सदस्य के जीवन का प्रश्न है। उनको न्याय दिलाने की बात है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। बिराजें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : दो-दो मंत्री गंगानगर भेजे, सरकार पूरी गयी, एक-एक गली में फिरे, एक-एक सड़क को देखा वहां सड़क नाम की चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : राधेश्यामजी, आपने अपनी बात कह दी। बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य को जवाब दिलाइये आप सरकार से।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गलियों में पानी है, बहुत बुरी हालत है गंदगी की।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। बुरडक साहब।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं जी, मैं तो वही काम करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। आप बैठिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं तो यह जा रहा हूं, साहब।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

94

श्री अध्यक्ष : आपकी मर्जी आए करो फिर आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने मेरा नाम पुकारा ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : वह मेरे पास है सिगरेट लाइटर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। अब मैं तो थक रहा हूं इस तरह से करने की (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरी यह प्रार्थना है कि आप सरकार से (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सदस्य को बहुत गहरा हार्दिक दुःख है, घोषणा के बावजूद कार्य नहीं हुआ, माननीय मंत्री उस सम्बन्ध में कुछ कह दें तो उनको तसल्ली हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। समझ गया। बैठें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : चिन्ता का विषय है, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, बहुत चिन्ता का विषय है। बुरडकजी को तो बोलने दें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त संवेदनशील विषय है। माननीय सदस्य ने आत्मदाह की धमकी दी है और आपको निवेदन किया है कि न्याय दिलवाया जाए। उनको उत्तर दिया जाए।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सदन के सदस्य जल कर मरने की बात कह रहे हैं और आप उनको कह नहीं रहे हो बोलने के लिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : और फिर इस हाउस का फायदा ही क्या है जी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कोशिश करूंगा, श्रवणजी, वह आत्मदाह नहीं करें इसलिए आप इन्हें ठेठ गंगानगर तक पहुंचा कर आवें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उन्होंने संकल्प लिया है कि ये आत्मदाह करेंगे। इनके संकल्प को दोहराया न जाए।

श्री अध्यक्ष : बैठें आप। बिराजें। आज बहुत हो गया। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मंत्रीजी से जवाब दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : मैं श्रवणजी निवेदन करूंगा कि यह गंगानगर तक छोड़ कर आएं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको जवाब देना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बुरडक साहब। मजाक की बात नहीं है, बिराजें आप। अब हो गयी न बात। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन में इससे ज्यादा कोई गम्भीर मामला हो नहीं सकता।

श्री जगदीप धनखड़ : सदन की भावना है कि माननीय सदस्य आत्मदाह न करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : शहर की हालत गम्भीर है, लोग वोट कहां से देंगे।

श्री अध्यक्ष : क्या बार-बार खड़े हो रहे

(श्री अध्यक्ष)

हैं, कौनसा समय जाया कर रहे हैं आप। बुरडक साहब की बात सुनें। अब कृपया बुरडक साहब। बिराजें, बिराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, किस मामले पर आप बोल रहे हैं जी, आप मेरा जवाब आने तो दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : हां, ले लो, जवाब ले लो।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार बोलना ही नहीं चाहती। आप उधर तो देखिये ना। सरकार कुछ कहना ही नहीं चाहती। दो साल से मैं चिल्ला रहा हूं और सरकार बैठी है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बात सुनें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे अक्सर मिलते रहते हैं, आपने कभी मेरी जानकारी में नहीं लाया, आपने मुझे कभी जानकारी नहीं दी जिसका प्रश्न आज आप कर रहे हैं कि मैंने कोई घोषणा की थी और वह पूरी नहीं हुई।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सैकड़ों बार यहां रोया हूं। यहीं रोता हूं सारे हाउस के सामने।

श्री अध्यक्ष : हां, हां। रोना नहीं अपने।

श्री भवंरलाल शर्मा : हां, तो यहां नहीं बोलें। अभी मेरा यह निवेदन है कि न तो आप धरना धरिये, अगले कार्यक्रम की तो मैं मना नहीं करता पर धरने की जरूरत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अगला कौन - सा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जो आप तय करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आत्मदाह कराना चाहते हैं आप ?

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : माननीय मंत्रीजी, क्या आप आत्मदाह करना चाहते हैं ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं- नहीं आप तो साहब, मना क्यों करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं न, अगला कार्यक्रम मत करो।..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य का आत्मदाह कराने में रुचि क्यों रखते हैं ? वह तो संकल्पबद्ध हैं कि आत्मदाह करके रहेंगे। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं-नहीं, कैसी बात कह रहे हैं मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने यह कब कहा भई।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : निर्लज्ज मत बनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं धरने के लिए..(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : कुछ तो लाज होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। क्यों समय खराब कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : बड़ा गम्भीर विषय है। माननीय सदस्य ने बड़ी गम्भीरता से रखा है। माननीय सदस्य ने बड़ी गम्भीरता से उठाया है। मामला बड़ा गम्भीर है और माननीय सदस्य बहुत गम्भीर हैं, बड़ी गम्भीरता से रखा है। मैं वो ही तो निवेदन...(व्यवधान)...

श्री खेतसिंह राठौड़ : कि मैं मना नहीं करता।

श्री भंवरलाल शर्मा : काहे के लिए ? नहीं-नहीं, यह नहीं कह रहा हूं। मैंने यह निवेदन किया है कि जो धरने पर जा रहे थे उसके लिये तो आप कृपा करें न बैठें और बाकी का जो कार्यक्रम करेंगे तो मेरे ऊपर थोड़े ही है वो।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, आत्मदाह करना भी जुर्म है, आत्मदाह करने की घोषणा करना भी जुर्म है। इनमें इतनी कमजोरी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती कमला : और यह हल्की-फुल्की बात नहीं हैं, उनको काफी पीड़ा है इसलिये उन्होंने इस बात को कहा है और इतनी गहराई से कहा है। आप इसको मजाक में नहीं उडाएं और इसको हल्का-फुल्का भी न लें। गम्भीरता से उनकी समस्या का निराकरण करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर आप सुनेंगे तो कोई मजाक नहीं है। मैं तो खुद ही निवेदन कर रहा हूं कि आप अभी (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पीड़ा से राधेश्याम जी ने...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे साथ आइए और मुझे समझाएं कि क्या आपकी पीड़ा है और मैं उसको कैसे दूर कर सकता हूं। आप आइए मेरे साथ बात तो कर लीजिए। सीधा आपने सवाल उठा लिया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो घोषणा की थी वो की थी कि नहीं ? आपने दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं साफ कहता हूं कि कोई घोषणा नहीं की थी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं-नहीं, यहां हाउस में की है, मंत्रीजी, कमाल कर रहे हैं आप भी। आपने कैसे नहीं कहा था, प्रोसिडिंग्स पढ़िये। क्या बात करते हो ? (व्यवधान) आपने घोषणा की है यहां हाउस में।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य मैं निवेदन करता हूं (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने हाउस में घोषणा की थी कि नहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अब वो तो मुझे कोई (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : प्रोसिडिंग्स रही यह पास में, आप पढ़िये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी बात मान लूंगा मैं....।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपको क्या करना ? आत्मदाह करना कायरता है। जीवन से संघर्ष ...(व्यवधान)...आप संघर्ष करें, हम आपकी मदद करेंगे लेकिन यह कायरता वाली बात आप वापस लें। यह अच्छी नहीं लग रही है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसी सरकार के आगे और क्या करें ?

श्री अध्यक्ष : लोग तो कहते हैं कि जात से जात गंगाजी नहीं जाते हैं पर आज एक जाति के लोग दूसरी जाति को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक ही जाति के हैं उजला जी और राधेश्याम जी। दोनों एक ही जाति के हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप हर रोज जातिवाद करते हैं ... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : राधेश्याम गंगानगर, राधेश्याम की कोई जाति नहीं है। राधेश्याम गंगानगर की कोई जाति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा- अरोड़ा। बिराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंगानगर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तभी तो मैं कह रही हूं कि अभी बैठ जाओ, यह कायरता की बात अच्छी नहीं है।

श्री भवंरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, Now take it seriously, माननीय सदस्य, सीरियसली सुनिये अब आप मेरी बात को। अगर मैंने कोई घोषणा की है तो निश्चित की होगी, तो उस घोषणा में कहां अड़चन आ रही है ? मैं क्यों नहीं पूरी कर पा रहा हूं और क्या पूरा करना है। मेरे साथ बैठ जाइए। यहां बैठने के बजाय वहां आइए न मेरे पास, वहां बैठिये, निपटारा कर देंगे उसमें।

श्री अध्यक्ष : बैठकर बात कर लें आप। बिराजिये। बुरडक साहब।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो पेन्शन व चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं उनमें उनको भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में राज्य सरकार ने यह माना है कि यह स्वपोषित योजना है और इसमें राज्य सरकार का भी कुछ अनुदान है लेकिन इस राशि का संचालन राज्य सरकार अपने हाथ में ले करके कर रही है। उससे उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्ताव के उत्तर में तो यह कहा था कि हमारी कोई सीमा नहीं है, जितनी राशि इलाज में उनके खर्च होती है वो सब देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। 15 सौ की जो सीमा निर्धारित कर रखी है उसके ऊपर अगर हो तो उनको कलक्टर के पास जाना पड़ता है, जो सेवानिवृत्त बूढ़े कर्मचारी हैं। उनको इस चक्कर में भिड़ने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा नही हैं कि कलक्टर के पास जाते ही उनको कोई सहायता मिल जाती है।

098

(श्री हरजीराम बुरडक)

दूसरा यह है कि फ्री दवाइयें उनको दी जाती हैं, इस उत्तर में यह कहा गया है कि होस्पिटल में सारी दवाइयां जो भर्ती होते हैं, उनको मुफ्त में देते हैं। लेकिन वास्तव में नहीं दी जाती हैं। उनका जो मेडिकल चैक-अप होता है, टेस्ट होता है उनमें यह कह रहे हैं कि हम इनके पैसे नहीं लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनसे पैसा ले रहे हैं। दूसरा जो दवाइयां ये खरीदते हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई ध्यानाकर्षण थोड़े ही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, आपका नहीं है यह। यह वित्त विभाग द्वारा संचालित होता है। मेडिकल से सम्बन्धित नहीं है। यह योजना वित्त विभाग द्वारा संचालित है और वित्त विभाग में जिला लेवल पर एवं स्टेट लेवल पर जो कमेटियां बना रखी हैं उनकी कोई मीटिंग नहीं होती और न उनका कोई प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार से उनके सामने वड़ी कठिनाइयां हैं। इन्होंने यह भी कर रखा है कि दवाइयों की जो दुकानें निश्चित कर रखी हैं कोआपरेटिव की, उनमें अगर दवाई नहीं मिले तो वो दवाई ले नहीं सकते। न वो उनको कोई एन. ए. सी. देते हैं और यह भी कहते हैं कि उनके पास हो वो ही दवाई डाक्टर लिखें। यह रोगी के वश की बात नहीं है कि डाक्टर कौनसी दवाई लिखे। इस प्रकार से जो कठिनाई उनके सामने आ रही है, राज्य सरकार को जो उनकी संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों से बात करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मोहन जी मेघवाल।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे बोम्बे मोटर चौराहा, जोधपुर के अन्दर प्लाट नम्बर-1 , जो कि वहां पर 4.3.1995 को तोड़ा गया था, उसके ऊपर राज्य सरकार द्वारा विचार करके 145 के अन्दर कुर्क कर दिया गया। कुर्क करने के बाद वहां जो पुलिस चौकी लगायी गयी थी, पुलिस के अण्डर में दिया गया था, आज वो पुलिस चौकी वहां से हट गयी है। भू-माफिया उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहां घूम रहे हैं, ऐसी तनावपूर्ण स्थिति वहां हैं। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वहां चौकी लगायी जाए और स्वायत्त शासन मंत्रीजी से भी मेरा निवेदन है कि वहां पर जब तक यह प्लाट का फाइनल न हो जाए, कुछ न कुछ कर उसको फाइनल कर दें क्यों कि वो दो करोड़ की सम्पत्ति है और भू-माफिया ने 3 लाख 41 हजार के अन्दर वो प्लाट येन-केन-प्रकारेण से लिया है। मेरा यह निवेदन है कि कृपया वो प्लाट...

श्री अध्यक्ष : रघुवीर सिंहजी।

श्री मोहन मेघवाल : मेरा निवेदन सुन लें, साहब। उस प्लाट का जब तक फाइनल

(श्री मोहन मेघवाल)

न हो जाए तब तक उस प्लाट के ऊपर पुलिस की चौकी लगायी जाए। मंत्रीजी से भी एक यह निवेदन है कि उसको फाइनल करके जल्दी से जल्दी नीलाम किया जाए, ताकि यह तनावपूर्ण स्थिति समाप्त हो जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, 145 के अन्दर जब कुर्क किया है तो कैसे कब्जा कर लेंगे भू-माफिया ?

श्री मोहन मेघवाल : पुलिस हटा दी है साहब, पुलिस हटाने के बाद में यह सारा मामला बन रहा है। पुलिस फिर लगा दीजिये, साहब।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं-नहीं, मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन यह है कि सम्पत्ति 145 धारा जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कुर्क की जा चुकी है और रिसीवर नियुक्त किया जा चुका है फिर भू-माफिया कैसे उस पर कब्जा करेंगे ? मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री मोहन मेघवाल : 145 ही चल रही है। मेरा यह निवेदन है, 143 अटैच् है, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बाद में बात कर लेना। बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बता नहीं सके अच्छी तरह से।

श्री मोहन मेघवाल : मेरा एक निवेदन है कि यह (व्यवधान) मेरी बात तो सुनें, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में बता देना। आप कोई कागज हों, तो लाकर के बता देना।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं परीक्षण कर लूंगा और परीक्षण करने के बाद यथोचित कार्यवाही कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लेना, सूर्यकान्ताजी भी बात कर लेंगी।

श्री मोहन मेघवाल : आप तो वहां पुलिस चौकी लगवा दें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं और कुछ पुख्ता आश्वासन भी चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 2-6-96 को उदयपुर जिले के पुलिस स्टेशन हिरणमगरी के अन्तर्गत कार्यरत एक सिपाही उदयपुर के रेती स्टेण्ड पर ड्यूटी पर था। रात को ढाई बजे सी.ओ. अनिल टांक जिप्सी से सिविल ड्रेस में गश्त पर आया तो कांस्टेबल ने सावधान होकर उनको रिपोर्ट देने के लिए रूका, सावधान हुआ उस पर सी. ओ. ने यह कहा कि क्या कर रहे हो ? उसने कहा कि साहब, हम गश्त पर हैं, आपको रिपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं ।तो सी.ओ. दारू के नशे में लड़खड़ाते हुए लठ लेकर नीचे उतरा और उसने कहा कि यह ड्यूटी करना मैं बताता हूं अभी। इस तरह से उसने उस कांस्टेबल को पीटा। अध्यक्ष महोदय, यह उसकी फ़ोटो है,

(श्री रघुवीर सिंह)

आप चाहें तो देख सकते हैं। उसकी फोटो है, उसके गम्भीर चोटें आई हैं यह दिखा रहा हूं, मैं सदन की मेज पर भी फोटो रखूंगा। उसकी पिटाई की, उसके चोटों के निशान हैं यह। उसने बिगड़कर जातिगत गालियां दी चूंकि वह कांस्टेबल अनुसूचित जनजाति का था।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति का मामला है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उसने मां-बहनों को नाम से गालियां दीं और पिटाई की और जातिगत गालियां दीं। फिर यह कहा कि मैं बताता हूं नौकरी कैसे करता है और अनाप-शनाप गालियों देकर के उन्होंने एडिशनल एस.पी. श्री...

श्री रामनारायण चौधरी : क्या गालियां दीं, गालियां तो बताओ।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : गालियां तो ऐसी दी कि मैं सदन में नहीं सुना सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मूल बात तो आना बाकी है अभी।

(13.00)

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें।

श्री रघुवीर सिंह : उस कांस्टेबल को गाड़ी में डालकर फिर थाने में ले जाया गया। एडिशनल एस. पी. शिवलाल जोशी आए और उन्होंने वहां उसको गालियां दीं और कहा कि अधिकारियों के सामने बोलता है, तेरे चरबी बढ़ गयी है, तेरी चरबी उतार दूंगा, नौकरी कैसे होती है, हम बताएंगे, अनिल टांक ने तेरी टांग तोड़ी, मैं तेरा यूं करके एक और बुरा शब्द कहा जिसे मैं सदन में नहीं कह सकता हूं। इस तरह से उसको अपमानित किया। उस कांस्टेबल ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बड़ा निवेदन किया, बहुत चोट थी। थानेदार जी से निवेदन किया, विक्रमसिंह जी से। उसने यह कहा कि साहब, मेरी रिपोर्ट दर्ज करो, मुझे हॉस्पिटल भेजो, मेरी टांगों में सूजन आ गयी है तो उन्होंने कहा कि सुबह देख लेंगे। फिर बहुत निवेदन करने के बाद में मिन रिपोर्ट दर्ज की। मजबूरन एक कांस्टेबल छाजूराम को लेकर हॉस्पिटल गया उसने मेडिकल रिपोर्ट करायी। यह मेडिकल रिपोर्ट है, साहब.. (व्यवधान).. जी, हां। जाति से भील था और उसके बाद फिर भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी, उल्टे सी.ओ. की उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। उसके खिलाफ सी. ओ. ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके बाद वह डी.आई.जी. से मिला। डी. आई.जी. साहब ने कहा, अच्छा आजकल अधिकारी ऐसा भी करने लग गये। चोटों के निशान डी. आई. जी. साहब ने देखे हैं, कहा बेटा तू जा वापस, मैं बात करता हूं। परन्तु डी.आई.जी. साहब ने भी कोई बात नहीं की। चार तारीख को एस.पी. साहब ने उस कांस्टेबल को सस्पैण्ड किया और कहां लगाया ? सी. ओ. कार्यालय, धरियाबाद।

(श्री रघुवीर सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि उसको सी.ओ. कार्यालय धरियाबाद हैडक्वार्टर लगाया जबकि आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि सस्पैण्ड करके किसी को उदयपुर या डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से बाहर भेजा जाए। यह पहला उदाहरण है। इसलिए कि यह कहीं और कार्यवाही नहीं करावे। मजबूरन वह कांस्टेबल कोर्ट में गया, इस्तगासा दर्ज कराया। मजिस्ट्रेट साहब ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आर्डर दिया उसके बाद उसके आर्डर लिये गये।

एक बात और बताऊं, अध्यक्ष महोदय, कल मजिस्ट्रेट साहब ने यह फैसला दिया है। उदयपुर के संस्करण में आज आया है कि एस. पी. को उसने लताड़ पिलायी, एस. पी. को दोषी माना है। उस कर्मचारी, जिसके साथ यह अत्याचार हुआ है, उसको निर्दोष माना है और वह निर्दोष ही है। उसके निलम्बन के आदेश निरस्त करके उसको पुनः उदयपुर में लगाया जाए। इसमें सरासर उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है, यह मेरा निवेदन है। क्योंकि अभी उसके साथ ऐसा बर्ताव हो गया है कि अधिकारी वर्सेज एक छोटा-सा, पिद्दा सा कर्मचारी अब सारे अधिकारी मिलकर उसकी नौकरी खा जाने के मूड में हैं। मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि आप अभी, कोई न कोई स्पेशल व्यवस्था करके इस मामले की जांच करावें और जो भी अधिकारी दोषी है, मैं यह आरोप लगाता हूं कि शिवलाल जोशी जिसने जातिगत गालियां दी हैं, जिसके गवाह भी हैं जिनके सामने गालियां दी हैं, उन्होंने जातिगत गालियां दी हैं_

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। हो गयी बात।

श्री रघुवीर सिंह : यह ड्राइवर राजेन्द्र प्रसाद हिरणमगरी थाने का ड्राइवर है और छाजूराम जो कांस्टेबल है उन दोनों के सामने उसको जातिगत गालियां दी हैं और अपमानित किया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री कालीचरण जी।

श्री रघुवीर सिंह : गृह मंत्रीजी, कोई आश्वासन तो दो , साहब। इतना अत्याचार हो रहा है (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : माननीय गृह मंत्रीजी, आपके होते हुए इतना बड़ा अत्याचार हुआ है और आप चुपचाप बैठे रहो_(व्यवधान)_ आदिवासियों के साथ अत्याचार हो_(व्यवधान)_

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तथ्य रखे हैं और जिनके समर्थन में भूतपूर्व गृह मंत्री, बल्लभनगर_

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बल्लभनगर से आने वाले विधायक।

श्री कैलाश मेघवाल : भूतपूर्व गृह मंत्री

(श्री कैलाश मेघवाल)

हैं, आप मेरे पूर्वज भी तो हैं। पूर्वजों को आदरपूर्वक ही देखा जाना चाहिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पूर्वज नहीं है, अग्रज हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, अग्रज। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण अदालत में भी चला गया है, अदालत ने भी उसमें कुछ टिप्पणियां की हैं जैसा माननीय विधायक कह रहे थे और सारा घटनाक्रम माननीय विधायक ने वर्णित किया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें बिलकुल निष्पक्ष कार्यवाही होगी। मैं डी.आई. जी. को कह दूंगा, सारा वह देखें और कार्यवाही करके मुझको रिपोर्ट करें कि क्या कार्यवाही करता है, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नगरीय विकास मंत्री जी का ध्यान, जयपुर में जवाहर सर्किल के पास ग्राम जगतपुरा, सवाई गेटोर, मनोहरपुरा और आस पास के गांवों की लगभग 1800 एकड़ भूमि जो मास्टर प्लान में एयरपोर्ट विस्तार के लिए आरक्षित थी, उसके बारे में दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भूमि पर विभिन्न सहकारी समितियों के द्वारा लगभग 10 हजार भूखण्ड काटकर लोगों को बेचे जा चुके हैं और उसमें लगभग 4 हजार लोग जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के 98 प्रतिशत लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। सिद्धार्थनगर, सरस्वती नगर, छत्रसाल नगर, शंकरविहार, डायमण्ड कालोनी, मदर टेरेसा नगर आदि सैंकड़ों कालोनियां, नगर वहां पर बन गये हैं और ये लोग वहां पर रहे हैं। इतना ही नहीं, जे.डी. ए. ने इस क्षेत्र में चार सड़कों का निर्माण किया है। एयरपोर्ट विस्तार में कोई बाधा नहीं आती। 1991 में जितनी जमीन एयरपोर्ट ने चाही थी उन्होंने ले ली है और जे.डी.ए. ने एयरपोर्ट अथोरिटी को एक पत्र लिखा था जिसका एयरपोर्ट अथोरिटी ने जो जवाब दिया वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं -

"There is at present no proposal to convert Jaipur Airport into an International Airport since Delhi International Airport is hardly 125 nautical miles away. The airfield and other infrastructure at Jaipur are to be expanded to make it suitable for operation of bigger type of aircraft. For this purpose, we would require land for the extension of the runway from 6000' to 9000'. The other infrastructures e.g. passenger terminal building etc. can be

(श्री कालीचरण सराफ)

expanded in the land already available with this Department."

एयरपोर्ट अथोरिटी ने इनको लिख दिया कि हमको और यह जमीन नहीं चाहिए। उसके बाद जेडीए. ने स्वयं भी 16.5.86 को एक पत्र राज्य सरकार को लिखा और राज्य सरकार को अनुरोध किया कि मास्टर प्लान में यह एयरपोर्ट एक्सटेंशन के लिए आरक्षित है इसको आवासीय करने हेतु इसका लैण्ड यूज चेंज किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 24 जनवरी, 1998 को राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति भी जारी कर दी और लैण्ड यूज चेंज करके उसको आवासीय कर दिया उसके बाद भी आज जेडीए. अपनी हठधर्मितापूर्ण कार्यवाही के कारण वहां पर उस जमीन को अवाप्त करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वहां रहने वाले चार हजार परिवार भयभीत और आतंकित है। मैं नगरीय विकास मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस बारे में वह निश्चित रूप से कोई न कोई आश्वासन सदन में दें कि उन चार हजार मकानों को तोड़ा नहीं जाएगा। यह संवेदनशील सरकार चार हजार मकान यदि तोड़ देगी तो वे चार हजार परिवार कहां जायेंगे ? इसके बारे में माननीय मंत्री निश्चित रूप से बताएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। श्री नाथूराम जी अहारी।

श्री कालीचरण सराफ : साहब, इनसे कुछ कहलवाओ तो सही। यह कोई बात हुई ?

श्री अध्यक्ष : अब मैं नहीं कह सकता हूं (व्यवधान) मैं क्या कह सकता हूं ? नाथूराज जी अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर जिला परिषद की–

श्री अध्यक्ष : आपने दो भेज दिये हैं।

श्री नाथूराम अहारी : मैं दोनों पर कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मात्र एक पर बोलेंगे।

श्री नाथूराम अहारी : मैं बोल रहा हूं। जिला परिषद, डूंगरपुर की कुबासीड के केसरीमल जी रातड़ियां के बारे में पंचायत राज मंत्री जी को सम्बोधित करना चाहता हूं। इनके चौथा बच्चा पैदा हुआ है। सरकार का यह नियम है कि दो से ज्यादा बच्चे होते हैं उनको सस्पैण्ड किया जाता है.। उदारहण के लिए, डूंगरपुर पंचायत समिति के उप प्रधान मुंशीलाल, जिसके बच्चा हुआ को एक मामूली रिपोर्ट पर बरखास्त किया गया। लेकिन आउटडोर नम्बर 578,29.1.96 को श्रीमती कमला पत्नी केसरीमल रातड़ियों के रात को 2.15 बजे बच्चा हुआ है। काफी कोशिश करने के बाद आज तक रिपोर्ट करने के बाद उस आदमी को, उस सदस्य को बरखास्त नहीं किया गया है। मेरी आपके माध्यम से मांग है–

(104)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिनका नाम ले रही हूँ वह सरपंच है । यह महिला सरपंच है जिसका नाम कमला है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्री नाथूराम अहारी : उसका पति सदस्य है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो बच्चा तो कमला के हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री नाथूराम अहारी : हां, आपने अच्छा उदाहरण लिया है । क्या मजाक किया है आपने । मेरी आपसे मांग है कि जैसा सरकार का नियम है, उसके अनुसार उस जिला परिषद सदस्य को बरखास्त करें । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : रामप्रताप जी ।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि संयुक्त जोत के काश्तकार अपने हिस्से की जमीन किसी भी सह काश्तकार के खातेदार के पक्ष में रिलीज कर सकते हैं नियमों में प्रावधान है । अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में संयुक्त जोत में बहिन द्वारा भाइयों के पक्ष में रिलीज डीड निष्पादित करने के बावजूद उसका म्यूटेशन खुला नहीं है और रिकार्ड में अमल दरामद कराने में काफी परेशानी होती है । अध्यक्ष महोदय, सह खातेदार के रूप में बहिनों द्वारा भाइयों के पक्ष में अपना हिस्सा रिलीज करने का आवेदन-पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और तहसीलदार को नियमों में स्पष्ट यह निर्देश नहीं है कि कोई भी बहिन अपने भाई के पक्ष में अपना हिस्सा तय करने के इतने दिनों के बाद में म्यूटेशन होगा, या रिकार्ड में अमल दरामद होगा ? इस तरह का नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान होना चाहिये ताकि काश्तकारों को आए दिन परेशान नहीं होना पड़े और रोजाना अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री शैलेन्द्र जी।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित सवाल है। माननीय राजस्व मंत्री जी से सम्बन्धित सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। हो गया अब ज्यादा नहीं होता है इसमें। बिराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां : हुई भुई प्रणाली में सरचार्ज समाप्त करने की बात बहुत समय से विचाराधीन है और इस सरचार्ज से किसान के ऊपर बहुत बड़ा कर लग रहा है, इसको हटाया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। शैलेन्द्र जी।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सूचना मिली है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से आज सुबह एक जीप भटिंडा के लिए रवाना हुई। उसका एक्सीडेंट गांव माणकसर के पास हुआ है। उसमें 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी बतायी और तीन व्यक्ति भयंकर रूप से घायल हुए। मैं आपके

(श्री रामप्रताप कासनियां)

माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एक्सीडेंट करने वाले दोषी आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हां सख्त से सख्त 304 (ए) में होती है, बिराजें आप। शैलेन्द्रजी।

श्री रामप्रताप कासनियां : मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से एक-एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा, बिराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा अकाल के अन्तर्गत तलाई खुदाई के जो कार्य होते हैं उसमें 32 रुपये प्रति श्रमिक को दिये जाते हैं ऐसी स्थिति में वर्ष 94 में 3 लाख रुपये की 39 तलाइयां खुदाई गयीं और जो महिलाएं हैं उन्होंने बच्चों को तपती धूप में सड़क के किनारे छोड़ कर तलाई खोदी। उन्होंने खून को एक तरह से पसीने में बदला। 3 साल हो गये हैं और 3 साल बाद भी 3 लाख रुपये 3119 मजदूरों की मजदूरी नहीं दिलवाई गयी। मैंने लगातार कलक्टर महोदय को रिक्वेस्ट की। मैंने माननीय मंत्री महोदय को कहा लेकिन अभी तक 3 वर्ष गुजर जाने के बाद भी ऐसे मजदूरों की मजदूरी...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। रमाकांत जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं की गयी, जो कि अपने आप में एक अभिशाप है। मैं आपके माध्यम से अपेक्षा करता हूं कि यह अभिशाप सरकार अपने ऊपर नहीं लेगी और जल्दी से मजदूरों की मजदूरी दिलवाई जाएगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अभिशाप नहीं लेगी, बिराजें।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज सवेरे ही 10 बजे बहरोड़ से करीबन 10-15 टेलीफोन आए। बताया गया कि निदेशक, चिकित्सा विभाग ने टेलीग्राम से सूचित किया है कि वहां पर एक एक्सीडेंट हास्पिटल चल रहा है, उसे बंद कर दिया जाए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक्सीडेंट हास्पिटल 1984 के अंदर उस समय जो डायरेक्टर माइंस एण्ड जियोलोजी का एक मात्र बच्चा एक्सीडेंट में उदयपुर में गुजर गया था उसकी यादगार में उन्होंने बनवाया था। उस समय टाइम मेग्जीन में एक सर्वे छपा था। संसार भर में 60 किलो मीटर के अन्दर यदि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो बहरोड़ में होते हैं। केवल मात्र उस बात से प्रभावित होकर और करीबन 3 लाख रुपया लगा कर यह हास्पिटल बनाया गया था। उस हास्पिटल को आज बंद कर दिया जाए तो एक

(106)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

बहुत ही बुरी बात होगी। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह उसे दुबारा चालू करवायें और उसे बंद नहीं करवाएं।

श्री अध्यक्ष : जितेन्द्र जी।

श्री रमाकान्त शर्मा : राजस्थान के अन्दर यह एक मात्र ऐसा हास्पिटल है जो कि इस प्रकार के एक्सीडेंट का ख्याल रखता है। अमेरिका में इस प्रकार के सैकड़ों-हजारों हास्पिटल हैं। चाहिये तो यह था कि इस प्रकार के हास्पिटल और जगह भी बनाये जाए परन्तु जो चल रहा है उसे बंद नहीं किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि मेरी निजी जानकारी में यह बात नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा और मैं आपको इस बात का धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने इस तरह के विषय को उठाकर, मुझे जानकारी दी, यह एक्सीडेंट हास्पिटल, जो बहरोड़ में काम कर रहा है, यह बंद नहीं होगा। इसको और किस तरह से सुधारा जाए, सुधारने की कोशिश करेंगे।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हर साल मेडिकल कालेज में पी.एम.टी. की परीक्षा होती है जिसमें एस.सी. के छात्रों के लिए 8 पर्सेन्ट रिजर्वेशन दिया जाता है। एस. सी. के लड़कों को 8 पर्सेन्ट और एस.टी. के लड़कों को 6 पर्सेन्ट दिया जाता है। संविधान के नियमों के अनुसार 16 और 12 पर्सेन्ट दिया जाना चाहिए। मैं आपकी मार्फत उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र वंचित रहते हैं। संविधान के नियमों के अनुसार आप रिजर्वेशन दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम जी।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत आयुर्वेद मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में आयुर्वेद विभाग में 118 कम्पाउंडरों की नियुक्ति की गयी है उसमें ओ.बी.सी. के किसी अभ्यर्थी को नहीं लिया गया है। जबकि ओ.बी.सी. के रिजर्वेशन का प्रावधान है। क्या कारण था कि 15 दिन के अंदर शीघ्र ही भर्ती करके पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय किया है ? बड़े दुःख का विषय है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़ रहे हैं हमारे यहां कई अधिकारी हैं उनसे मेरी कभी-कभी मेरी बात होती रहती है, वह अपने सब जाति को बदल कर अपना नाम पेश करते हैं। इस तरीके से आज तक हमारे साथ यह पक्षपात हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। परसादीलाल जी।

श्री किशनाराम नाई : रिजर्वेशन होते हुए भी इस तरीके का अन्याय हो रहा है। मैं

(श्री किशनाराम नाई)

चाहता हूं मंत्रीजी इस विषय में कुछ जवाब दें।

श्री अचलाराम (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : अध्यक्ष महोदय, इस बात को मैंने एक्जामिन करवा लिया है और चयन समिति के द्वारा वापस एक्जामिन करा सकते हैं। पी.एल.आर. की रिपोर्ट लेकर (व्यवधान) वह सही पाई गयी है-

श्री परसादीलाल मीणा : देखो, यह है मंत्री जी तो। ऐसे होने चाहिए हाथों हाथ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री अचलाराम : और उस सूची में से आधे से अधिक कम्पाउंडर्स ने जोइन कर लिया है। अब और भी कोई माननीय सदस्य की शिकायत होती तो मैं अधिकारी को बैठाकर इनको सूचित करूंगा।

श्री किशनाराम नाई : जोइन कर लिया उनमें कोई-

श्री अध्यक्ष : उनको पूरा पता नहीं होगा। बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, 6 सितम्बर, 1993 को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी किशनलाल मीणा की हत्या की गयी थी जिसका मुकदमा नंबर 317/93, 302 वगैरह धारा में था। उसमें मुलजिम श्री गिरफ्तार हो गये। जो सामान थाना पुलिस ने एविडेंस बतौर खून, आलूदा हड्डी के टुकड़े - 3, खून आलूदा कपड़े धोती, बनियान, कुर्ता वगैरह किशनलाल जी के, खून अलूदा मिट्टी आदि जिसको एफ.एस. एल. के लिए पुलिस को भिजवाना चाहिए था, उसको आज तक वहीं थाने में रख छोड़ा है। एफ. एस. एल. को आज तक नहीं भिजवाया है।

पुलिस ने जान बूझकर एविडेंस को खतम करने के लिए यह साजिश रची है। आप उत्तेजित न हों, इसमें ग्राम पंचायत हुर्ला का भारतीय जनता पार्टी का सरपंच फंसा हुआ है। इसलिए जान बूझकर पुलिस ने एविडेंस को समाप्त करने के लिए उनको एफ.एस.एल. के लिये नहीं भिजवाया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एविडेंस होने से पहले उनको एफ.एस.एल. के लिये जल्दी से जल्दी भिजवाने के आदेश दें और जब उनकी एफ.एस.एल. हो जाए उसके बाद आप एविडेंस के लिए भिजवाएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की हत्या का मामला है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये, आपने कह दिया है।

(108)

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह 1993 का केस है। आप आज उठा रहे हैं, मुझे आपने पहले सूचना नहीं दी...(व्यवधान)...

श्री परसादीलाल मीणा : मेरे ध्यान में आज आया है। उनके परिवार वाले आज ध्यान में लाए हैं, मेरे को पहले पता नहीं था।

श्री अध्यक्ष : हां, तो बाद में बात कर लेना।

श्री कैलाश मेघवाल : आल आफ ए सडन, जिसका न तो कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ही इन्होंने दिया है...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मैं तो आपके ध्यान में लाया हूं कि एफ.एस.एल. होनी चाहिए। मैं तो यह कहना चाह रहा हूं कि एविर्डेस से पहले एफ.एस.एल. हो जानी चाहिए।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसको दिखवा लूंगा, माननीय विधायक। आप मुझे थोड़ी और जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी डिटेल दे देना, बिराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : मुकदमा नम्बर 317/93, थाना मानपुर, जिला दौसा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, इसमें डिबेट क्यों कर रहे हैं। तीन साल बाद बात उठी है, आप बाद में बात कर लेना। श्रीमती उजलाजी अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बिन्दु की तरफ सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की झोटवाड़ा पंचायत तहसील जयपुर में वीर मालपुरा उर्फ मुकन्दपुरा एक गांव है, इसी के साथ 9 और गांव हैं जिनमें आबादी भी है और खेत की जमीन भी है। ये सब गांव कानोता बांध की डूब में आ रहे हैं। इन्हें वहां से विस्थापित करने की योजना बड़ी तीव्रता से चल रही है लेकिन इसको बसाये जाने की जगह नहीं बतायी गयी है और न ही उनके लिये कोई जमीन या मुआवजा, ऐसी कुछ बात बताकर उन्हें आश्वस्त किया गया है तथा न ही उसने सहमति ली गयी है। मान्यवर, सभी आशंकित हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा। मैं इनके मकानों के इतने फोटो आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी, आप इन पक्के बने हुए मकानों को देखेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इनके खेतों की सारी पास-बुक्स मेरे पास हैं। अब मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री महोदय, मुझे आश्वस्त करें कि इनके रहने खाने, पीने और मुआवजे के लिए वे क्या करने वाले हैं ? यह मामला बहुत असुरक्षा का है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगी कि वह आश्वस्त करें। मंत्री महोदय यहां नहीं हैं लेकिन सीनियर मंत्री यहां बैठे हैं, तो वे आश्वस्त करें।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी है, अब आप बिराजिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, किशनारामजी के बाद मेरी भी स्लिप थी।

श्री अध्यक्ष : यहां तो ढेर सारी स्लिपें आई हैं उसमें कुछ पता ही नहीं चलता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले में मध्यस्थता करें जिससे कि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। मेरे पास आज इतनी स्लिपें भिजवा दी हैं। चैम्बर में आकर तो देते नहीं, यहां आकर पचासों पटक दी हैं, बिराजिए आप। आप बोलें, शांतिकुमारजी धारीवाल साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं लेकिन वे तो हैं नहीं। यह मामला आपसे भी मामूली रिलेटेड है। यह बात उन तक पहुंच जाए और आप भी कुछ प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। मजदूरों और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तर की एक संस्था एफ.ए.ओ. अर्थात् फूड एण्ड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन। उसने एक योजना चला रखी है जिसके तहत वह अनुदान के रूप में हर वर्ष करोड़ों रुपये इन मजदूरों और बच्चों तक पहुंचाने के लिए देती है। इस योजना की यह हालत है कि 40 प्रतिशत पैसा भी इन मजदूरों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नहीं पहुंच पाता है और अधिकारियों तथा कर्मचारियों में बंटकर रह जाता है जिसकी कई बार आपके वन विभाग में शिकायतें की जा चुकी हैं, अखबारों ने भी इसको बहुत छापा है। मंत्री महोदय, आप जरा सुनें। सारा जमा खर्च किताबों में हो गया। जांचें हो गयीं, शिकायत हो गयीं लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला जबकि करोड़ों रुपयों का घोटाला है।

इसी बीच में जोधपुर से वर्कचार्ज के 213 आदमियों का कोटा ट्रांसफर कर दिया। वन मंत्रीजी ने यहाँ पर घोषणा की थी कि वर्कचार्ज के आदमी को गृह जिले के बाहर नहीं भेजा जाएगा लेकिन कोटा वालों को कहीं अन्यत्र भेज दिया । तो मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि एक तो एफ. ए. ओ. के द्वारा इन मजदूरों के लिए दिये जा रहे अनुदान में जो घोटाले हुए हैं, कृपया उनकी जांचों पर अविलम्ब एक्शन करवाएं । दूसरा, अगर वर्कचार्ज के लोगों को गृह जिले के बाहर भेजा गया है तो उनको वापस बुलवाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ । महात्मा गांधी अस्पताल में कितने कूलर केबिनेट उपलब्ध हैं, वे चालू हालत में है या नहीं ? यदि नहीं हैं, तो क्या कारण है? दूसरा मेरा निवेदन है —

श्री अध्यक्ष : यह उनको पता थोड़े ही है कि क्या कारण है, जो अभी बता देंगे ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : एक सैकण्ड, साहब । वे खराब पड़े हैं ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक और प्रश्न है कि कचरे जलाने की मशीन भी काफी लम्बे अरसे से खराब पड़ी है उसको भी ठीक करावें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री बनवारीलालजी बैरवा ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड निवेदन करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, सुन लिया, आप फटाफट बोलें ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, उम्मेद हास्पिटल के अन्दर सोनोग्राफी मशीन काफी लम्बे अरसे से खराब पडी है, वह भी अभी तक ठीक नहीं हुई है । लोगों को काफी परेशानी सहन करनी पड़ रही है ।

श्री अध्यक्ष : यह सोनोग्राफी की बात चौथी बार कह दी आपने। मैं सब बात बहुत ध्यान से सुनता हूं। बिराजिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी नहीं हैं। वे सीट छोड़कर चले जाते हैं उसका तो मैं क्या कर सकती हूं। अध्यक्ष महोदय ही व्यवस्था करेंगे, तब होंगे।

अध्यक्ष महोदय, उजलाजी अरोड़ा जब प्राक्कलन समिति में वहां पर गयी थीं, तब कहा था, उसके बाद आज दिन तक भी ठीक नहीं हुई है। लोगों का बहुत परेशानी हो रही है। इसलिये मैं चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : हो गया, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, आप बिराजिये। बैरवा साहब, आप बोलिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फुलेरा नगर पालिका में अधिशाषी अधिकारी राधेश्याम शर्मा है। उनके खिलाफ घोर अनियमितताओं के आरोप हैं। वे निरंकुश तरीके से चल रहे हैं। न वे नगरपालिका के अध्यक्ष का अनुशासन मानते हैं और न स्वायत्त शासन विभाग का अनुशासन मानते हैं। उनके खिलाफ 16 सीसीए. व 17 सीसीए. की कार्यवाहियां भी जैरकार हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही भी पूर्ण नहीं हो पाई। माननीय अध्यक्षजी, आपकी सरकार के उप जिलाधीश ने 28.5.96 को जांच की और उन्होंने भी इस बात को माना की बाकायदा घोर अनियमितताएं की हैं, वित्तीय अनियमितताएं कर रखी हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री): इसमें आप क्या चाहते हैं ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : मैं चाहता हूं कि आप वहां से उनका स्थानान्तरण करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्थानान्तरण ही क्या, मैंने उनको सस्पैंड कर दिया। आप स्थानान्तरण की बात कर रहे हैं, वे सस्पेंड ही हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : सस्पैंड कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गया जवाब आपका। श्री शांतिलालजी खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : अध्यक्ष महोदय, कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 22.7.96 को एक आदेश प्रसारित हुआ है उसकी ओर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस बात के लिए आकर्षित करना चाहता हूं कि इस आदेश के कण्टेण्ट्स दिखने में बहुत सिम्पल हैं लेकिन इसके नतीजे बहुत गड़बड निकलने वाले हैं। इसके तहत यह है कि सर्विस मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने सबरवाल और तनेजा प्रकरण में कोई निर्देश दिये हैं, डिसीजन दिया है, उस डिसीजन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार चाहती है कि उसके अनुरूप राजस्थान में भी सर्विस मैटर्स में नियम बनाए जाएं। नियम बनाने के लिए आदेश इस प्रकार के निकाल दिये कि अब फरदर प्रमोशन के लिए पदोन्नति के लिए, किसी डी.पी.सी. का आयोजन नहीं किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह निहित है कि यदि आप डी.पी.सी. आयोजित नहीं करेंगे तो आप एडहोक बेसिस पर प्रमोशन करेंगे। एड हॉक बेसिस पर जब आप पदोन्नति के आदेश जारी करेंगे तो एड होकबेसिस में सामान्यतः तरीका यह अपनाया जाता है कि प्योर सीनियोरिटी बेसिस पर, 1-2-3-4-5-6-7-8 लाइन-बाइज इसी बेसिस पर उनकी एडहोक बेसिस पर पदोन्नति की जाती है। एड-हॉक बेसिस पर पदोन्नति करते समय न तो रोस्टर सिस्टम का ध्यान रखा जाता है और न ही जोन आफ कंसीडरेशन का ध्यान रखा जाता है। एक तरफ तो आप की डी.पी.सी. पर पाबन्दियां लग रही हैं और दूसरी तरफ आप इन कंसीडरेशंस का ध्यान रखे बिना पदोन्नतियां करेंगे तो इसमें एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी. की जो पदोन्नतियां होंगी, उनके अधिकारों का हनन होगा। यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। यह सिर्फ इस वर्ग-विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है।

इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वे शायद इसको समझ नहीं रहे हैं। इसमें कन्टेम्पट...

श्री बनवारीलाल बैरवा : इस पर ध्यान दीजिए, अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : इसमें चीफ सैक्रेट्री की साजिश है। वह चाहते हैं कि शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के अधिकारियों के अधिकारों का हनन हो और उनको कोई फायदा नहीं मिले। यह बहुत गम्भीर बात है और इस बात को...(व्यवधान)

112

श्री परसराम मोरदिया : प्रमोशन नहीं हो रहा है और जो पहले एडहाक प्रमोशन किये हैं, उनको (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये, बिराजिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर बयान दिलवाइये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, यह आदेश है। यह आदेश निकाला गया कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। अब अंकित नहीं हो कोई। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल बैरवा : XXX

श्री रामगोपाल बैरवा : XXX

श्री मांगीलाल मेघवाल : XXX

श्री शांतिलाल खोईवाल : XXX

श्री राजेन्द्र गहलोत : XXX

श्री रेवतराम पंवार : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आपको कुछ बोलना है क्या ?

श्री शांतिलाल खोईवाल : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : XXX

श्रीमती कमला : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो। बिराजिये, कोई बात नहीं रही है। कृपया बिराजिये।

श्रीमती कमला : XXX

श्री शांतिलाल खोईवाल : XXX

श्री बनवारीलाल बैरवा : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। नो, नो।

श्री बनवारीलाल बैरवा : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : महेन्द्र जी, आपको बोलना है क्या ? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : XXX

श्री शांतिलाल खोईवाल : XXX

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्रीमती कमला : XXX

श्री अध्यक्ष : यह डिस्कशन का विषय नहीं है। महेन्द्रजी मीणा।

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी चौधरी।

श्रीमती कमला : XXX

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री रेवतराम पंवार : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : बैठें आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : XXX

श्री शांतिलाल खोईवाल : XXX

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्रीमती कमला : XXX

श्री शांतिलाल खोईवाल : XXX

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्रीमती कमला : XXX

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये न आप। बिराजिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री शांतिलाल खोईवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। यह सब क्या कर रहे हैं आप ? (व्यवधान) आपने कोई–

श्री शांतिलाल खोईवाल : XXX

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) बात कही नहीं है। इन्होंने बात ध्यान दिलायी। माननीय खोईवाल साहब, आप बिराजिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय खोईवाल साहब, बिराजिये आप।

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ना आप। क्या कर रहे हैं आप ? बहुत ज्यादा गम्भीर हैं, आप तो गम्भीर हो जाओ पहले।

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। मैं कह रहा हूं, आप बिराज जाएं। पहले बात सुन लें इसकी। क्या खड़े हो जाते तो बारबार आप।

श्री परसराम मोरदिया : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं इतनी बार आपको अलाऊ नहीं करूंगा। आप पचासवीं बार खड़े हो गये बिना पूछे। बिना पूछे आप खड़े नहीं होंगे। जवाब सुनिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्मिक विभाग (क-2) यह आदेश है। मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। "श्री वीरपाल सिंह चौहान एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य, सिविल अपील संख्या 9272,1995, एस.एल.पी. 6408/87 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी प्रतिपादित किया है। राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता सम्बन्धी विद्यमान प्रावधानों को संशोधित किये जाने का प्रकरण

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

प्रक्रियाधीन है। चूंकि नियमों में संशोधन की कार्यवाही के पूर्ण होने में समय लगने की सम्भावना है, अतः सभी नियुक्त प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण होने तक उनके अधीन आने वाले पदों के लिए आगामी आदेशों तक कोई भी विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन नहीं किया जाए। यदि किसी न्यायालय के निर्माणाधीन या अन्य किसी विशेष कारण से पूर्व की विभागीय पदोन्नति समितियों की अभिशंसाओं का पुनरावलोकन करना वांछनीय है तो वह कार्मिक विभाग एंव आयोग की सहमति से की जा सकेगी। कृपया, उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कागज के आधार पर यह आदेश दिये गये हैं कि कोई भी पदोन्नति निश्चित रूप से नहीं की जाए एवं इन वाले सन्दर्भ में, अगर माननीय सदस्य कोई ऐसी स्पेसिफिक बात बताएंगे, मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कि राज्य सरकार में कोई भी पदोन्नतियां बिना डी.पी.सी. के नहीं की जाती है।

श्री परसराम मोरदिया : माननीय मंत्रीजी एडहाक पर की है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : एक मिनट सुनिये आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक मि- सुनो। बात होने दो, कृपया, फिर समझ लेन- जहां तक एडहाक का सवाल है, एडहा- पदोन्नति भी आजकल नहीं होती। यह स- है कि जैसे कोई एडिशनल चीफ इंजीनियर - और एक चीफ इंजीनियर की जगह खाली - गयी तो उसका काम देखने के लिए वह ल- जाता है। न वह पदोन्नति है, न एडहा- पदोन्नति है। अगर माननीय सदस्य किसी भ- एडहाक पदोन्नति को ध्यान में लाएंगे त- निश्चित रूप से, माननीय मुख्य मंत्री महोद- ने कार्मिक विभाग मुझे दे रखा है, उसको- निरस्त किया जाएगा और जिसने ऐसे आदेश- दिये हैं, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय यह (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : बिलकुल जरूरी प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, This is not a debating now. No, No, I will not allow, शांतिलालजी, बिराजिये आप । नो, नो ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : एक मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप बता कर लीजिए । No, no not allowed. अमरारामजी ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : एडहाक पदोन्नतियां हो रही है । आप जानना चाह रहे हैं, मैं जबाव दे रहा हूँ । – (व्यवधान)–

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : This is not debating now.

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ

श्री अध्यक्ष : सारी बात कह दी इन्होंने। आपने बात कह दी ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : वे जानना चाह रहे हैं – (व्यवधान)–

श्री अध्यक्ष : नो, नो, । बोलिये आप जल्दी । आप कोई बात पूछना चाहें तो कह देना उनको । हर मामले में खड़े हो जाते हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कई बार कहने के बाद भी – (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में यू. आई. टी. द्वारा संविधान के आर्टिकल 14 की जो धज्जियां उड़ायी जा रही है और काश्तकारों के साथ में जो असमानता का व्यवहार कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालालजी मीणा ।

श्री परसराम मोरदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, एडहाक पदोन्नतियां करने के लिये ही क्या यह आदेश निकाले गये हैं ? (व्यवधान)

श्री रेक्तराम पंवार : अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने यह बात कही कि आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात हो तो वह मुझे – (व्यवधान)–

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो जोधपुर नगर सुधार न्यास पाल सड़क के पूर्व तथा पश्चिम की तरफ की कुओं से सिंचित भूमि –

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । अब इसमें कोई डिबेट नहीं होगी । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह बहुत सीरियस है ।

श्री अध्यक्ष : हां, होगा सीरियस। मेरे लिए कोई सीरियस नहीं है ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : 121 खसरा नंबर तहसील – (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात हो चुकी । बिराजिये आप । हर मामले में खडे हो जाते हैं आप। जीरो आवर में आधा मिनट बोलने को क्या खड़े हो गये, घंटा भर लगा देते हैं ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अवाप्ति से मुक्त कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा तथा अन्य काश्तकारों की सिंचित भूमि उसी श्रेणी की होने पर भी प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करके काश्तकारों के साथ असमानता का व्यवहार किया है । सरकार ने जब इस प्रकार के यू. आई. टी. जोधपुर– (व्यवधान)–

श्री अध्यक्ष : Not allowed.

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : विधान के आर्टिकल 14 की जो धज्जियां उड़ रही हैं, उस बारे में मैं सरकार का ध्यान दिलाता हूँ । तुरन्त ही इस प्रकार से जो भूमि अवाप्ति पर रोक लगा दी है, माननीय अध्यक्षजी, इस प्रकार की जो जमीन ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये । हीरालालजी का नाम पुकार लिया अब ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : एक ही काश्त की जमीन, जो काश्तकारों की जमीन ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । बहुत कह दी आपने

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जहां सब्जी, टमाटर, मिर्ची वगैरह पैदा होती है ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उसके आस-पास जो खसराओं के लिये, राज्य सरकार ने यू.आई.टी. को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप, बिराजिये। (व्यवधान) आप विद्वान हैं, और कोई बोलना नहीं जानता क्या ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। (व्यवधान) आपके पास प्रस्ताव आया है। जोधपुर की पूर्वी और पश्चिमी (व्यवधान) योजना को आपने दिखवाया है, इसमें एक भी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : हां, माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी। बिराजिये आप।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जिसमें पट्टे जारी हो चुके हैं। पट्टे जारी हो चुके हैं और... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। पट्टे हो गये जारी। श्री हीरालाल जी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जिसमें जो इस प्रकार की ढाणी हैं, और भी ढाणियां बनी हुई हैं, सदियों से, तो मेरा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हीरालाल जी कम ही बोलते हैं, इनको बोलने दें आप।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मेरा निवेदन है कि उनको अवाप्त नहीं किया जाए।

श्री हीरालाल (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दिनांक 25.4.1995 को मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से थाना बूली में प्रकरण संख्या 29/95, 9/95, 45/95, 67/95 का मामला उठाया था। उसमें गृह मंत्रीजी ने बड़ी कठोरता के साथ व्यवहार किया। एक घंटा विधान सभा में हा-हुल्लड़ रहा और उसके बाद इनकी शक्ति नहीं रही घोषणा करने की तो मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करके फिर बाद में घोषणा की थी कि इन प्रकरणों की जांच पन्द्रह दिन के अन्दर सी.आई.डी. (सी.बी) के आई.जी. केडर के अधिकारी से करवाकर के अगर वह थानेदार दोषी पाया जाएगा तो उसको दंड

(श्री हीरालाल बामनवास)

दिलवाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पन्द्रह दिन क्या, पन्द्रह महीने हो गये और पन्द्रह महीने के बाद इनके अधिकारी आज दिन तक वहां जांच करने नहीं पहुंचे और सुनने में आता है कि लोगों को यहां पर बुला कर के और दाब-धौंस दे कर के यहीं उनकी जांच करवा रहे हैं। थानेदार वहां जाता है और उन लोगों को फिर धमकियां देता है और यह कहता है कि या तो मेरे माफिक बयान करो नहीं तो तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री हीरालाल (बामनवास) : दूसरा मसला यह है। (व्यवधान) सरकार ने 15 दिन की घोषणा कर के 15 महीने तक, आज तक उसका कुछ नहीं किया। क्या वह थानेदार दोषी नहीं जो उसको थाना दे दिया ? मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिसे सस्पैंड करना चाहिये था, उसको थाना दे दिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हीरालाल (बामनवास) : अगर वो दोषी हैं तो उनको जेल भेजिये या थानेदार दोषी है तो उसको भेजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। ताम्बीजी।

श्री हीरालाल (बामनवास) : दूसरा एक और मामला है हमारा, सुनिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बस एक। बिराजें आप। (व्यवधान) बिराजें, हीरालालजी, बिराजें आप।

श्री हीरालाल (बामनवास) : एक दो मिनट की बात है। प्रहलाद कीर...

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का ही टंटा हो रहा है यहां।

श्री हीरालाल (बामनवास) : प्रहलाद कीर का मर्डर हुआ बड़ा गांव सरोवर में, उसको दबाने के लिये...

श्री अध्यक्ष : बिराजे आप।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, पहली बार बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए बुलवा रहा हूं।

श्री हीरालाल (बामनवास) : दबाने के लिए डीवाई. एस.पी. रिछपाल सिंह ने थाने में पिटाई कर-करके हुसैन तेली का मर्डर किया। सरकार को आज दिन तक उस केस का पता नहीं। प्रहलाद का मर्डर केस दबाने के लिए रिछपाल सिंह ने पैसा खा करके और हुसैन तेली को फंसा करके उसका मर्डर किया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हीरालाल (बामनवास) : मैं यह चाहता हूं, यह साबित कर दिया, यानि सरकार ने साबित मान लिया कि वास्तव में हुसैन तेली (व्यवधान) मर्डर किया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में छात्र और छात्राओं की हड़ताल चल रही है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (बामनवास) : न उस व्यक्ति को सहायता दी गयी, न 50 हजार रुपये दिये गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, इसकी जांच करवाएं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : और वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष, सांवरमल चौधरी गत दो दिनों से भूख-हड़ताल पर हैं। मैंने पहले भी यह अनुरोध किया था कि भीलवाड़ा में छात्र और छात्राओं की संख्या, मापदण्ड के अनुसार प्रवेश होने के लिए...

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप का समय खराब करेंगे। यह हुसैन तेली की हत्या का प्रकरण है। गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि इसकी हम एक महीने में जांच करवा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आज तक इसकी जांच नहीं हुई है और न उसके परिवारजनों को 50,000 रुपये मिले हैं। गृह मंत्रीजी, हुसैन तेली हत्याकांड की आपको पूरी जानकारी है जो बौंली थाने में हुआ था। मुख्य मंत्रीजी ने और आपने घोषणा की थी कि हम आई.जी. स्तर के अधिकारी से इसकी जांच कराएंगे। आज तक कोई अधिकारी बौंली में जांच करने नहीं गया है। माननीय सदस्य बहुत कम बोलते हैं, आपको बहुत कम परेशान करते हैं आप मेहरबानी करके इसमें आश्वासन दें कि कब तक इसकी जांच करा कर अपराधियों का चालान कर देंगे।

श्री हीरालाल (बामनवास) : गृह मंत्रीजी दबाव में हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हीरालाल (बामनवास) : तीन घंटे ख़राब करने के बाद में थानेदार को हटाने की घोषणा की। गृह मंत्री जी दबाव में हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, बाद में बात करना।

श्री रतनलाल ताम्बी : इस सम्बन्ध में मैंने यह अनुरोध किया था कि भीलवाड़ा जिले में महाविद्यालय की वैसे ही काफी कमी है...

श्री परसादीलाल मीणा : गृह मंत्रीजी, नहीं कहना चाह रहे हैं कुछ ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। परसादी लाल जी। आप बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : जिसके फलस्वरूप लगभग एक हजार छात्र-छात्राएं भर्ती होने से महरूम हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : सबके जवाब आ गये और उनका जवाब नहीं आया।

श्री रतनलाल ताम्बी : इस सम्बन्ध में सीटें बढ़ाने का और कुछ सैक्शन बढ़ाने का सवाल है। यह काफी गम्भीर है।

इसी तरह से शाहपुरा में संस्कृत का सब्जैक्ट है वहां पीजी. में संस्कृत का

(श्री रतनलाल ताम्बी)

प्राध्यापक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां के छात्रों को संस्कृत की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री अर्जुनलालजी जीनगर।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं, साहब, अन्य सब्जैक्ट भी थे मेरे एक-दो। तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं कि भीलवाड़ा और शाहपुरा की सारी समस्याएं आपके सामने मौजूद हैं, उसको आप गम्भीरता से लें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं। एक मिनट आप सुनें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश में आने वाली कठिनाइयों की ओर मैंने पहले भी कहा था, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब एक सैक्शन में 80 विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति दे दी गयी है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, अगर इसके बाद भी विद्यार्थी एलीजिबल पर्सेंटेज के हैं, उन स्थानों में बैठाने के लिए और फर्नीचर हेतु हमने सर्टिफिकेट मांगा है, नये सैक्शन भी तदनुसार खोलने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, अगर इसके पश्चात् भी स्टूडेंट्स और बचेंगे तो जैसा आप कह रहे हैं नाइट में भी पढ़ाने की व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जो संस्कृत की चर्चा की है, संस्कृत का प्राध्यापक अविलम्ब लगा रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : पी.जी. क्लास खोलने का भी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम जी। (व्यवधान) बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मेरे एक-दो मुद्दे और हैं इसी स्लिप में।

श्री अध्यक्ष : You were not in time. Please sit down. यह आसन की अवमानना है।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक कृषि उद्योग निगम के सम्बन्ध में भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने उसको बाइंड अप करने का निर्णय लिया है जबकि उसकी परिसम्पत्तियां इतनी हैं। इतना बड़ा संस्थान जो राजस्थान के किसानों की भलाई के लिये 30 वर्ष पहले स्थापित हुआ। केवल कु-व्यवस्था के कारण इसको समाप्त न किया जाए। इस विषय पर सरकार वापस गम्भीरता से विचार करे। मजदूरों का सवाल है, कर्मचारियों का भी सवाल है। यह गम्भीर मामला है जिसको राजस्थान सरकार ने बहुत इजीली समाप्त करने का फैसला किया है। इसके लेकर काफी असंतोष है। इसकी व्यवस्था सुधारी जा सकती है। इसके लिए

(१२०)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

उच्च स्तरीय कमेटी बना कर सारे मामले को देखा जाए, यह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। रूपारामजी को बोलने दें, अब आप बिराजें।

श्री रूपाराम (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान की मुख्य आय का साधन मार्बल भी है, मार्बल की खानें भी हैं। मार्बल खानों में खनन कार्यों के लिये बारूद, टोटा और बारूद की बत्ती जरूरी हैं। इस सामग्री को प्राप्त करने के लिए खान मालिकों के लिए जो लाइसेंस की प्रक्रिया है वह काफी जटिल और लम्बी है। खानों में बारूद और टोटा के बिना खनन कार्य नहीं किया जा सकता। आज तक सौ में से दो या तीन खान मालिकों को हीं मुश्किल से लाइसेंस प्रक्रिया में लाइसेंस प्राप्त करके बारूद या टोटा प्राप्त करने के आदेश किये जाते हैं। इसलिये मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपालजी।

श्री रूपाराम : कि इस प्रणाली का सरलीकरण किया जाए ताकि रोज-रोज खान मालिकों को पुलिस वाले परेशान नहीं करें और खनन कार्य सुचारू रूप से हो। धन्यवाद।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सप्लोजिव एक्ट केन्द्र सरकार बनाती है, नियम भी वही बनाती है। वहां आप भी लिखें, राज्य सरकार ने भी यह विषय केन्द्र सरकार से बातचीत में ला रखा है।

श्री रूपाराम : धन्यवाद।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, चम्बल नदी पर झरेर के बालाजी के पास काज-वे का निर्माण किया जा रहा है। वहां पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। जो गांव आसपास हैं वहां के लोगों के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिल करके खनन कार्य को रुकवाया। इसके विपरीत काज-वे का निर्माण करने वाले मिस्टर गोयल वहां के ठेकेदार हैं। आर.बी.बी.सी. के, जो पी.डब्ल्यू.डी. में काम करते हैं और खातोली पर जो पुलिया का निर्माण कार्य कर रहे है, वहां के ठेकेदार, लढ्ढा ने मिलकर के इस जगह पर अवैध खनन कार्य किया और अवैध खनन के माध्यम से यहां पर मैटीरियल सप्लाई किया। खनिज विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिल कर यह कार्य किया जिससे वहां पर रायल्टी की चोरी हुई। इस तरह से पी.डब्ल्यू.डी. में कार्यरत ठेकेदार और खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जो रायल्टी की चोरी की गयी, क्या खनिज

(श्री रामगोपाल बैरवा)

मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी उसको वसूल करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री सूपा साहब।

श्री रामगोपाल बैरवा : और जो दोषी ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। नो।

श्री रामगोपाल बैरवा : मैं आपके माध्यम से माननीय खनिज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस खनन को रोका जाए।

श्री अध्यक्ष : No. I have called your name thrice. This is avman'na of the Chair. You have refused to speak. Now you cannot raise your hand. Please sit.

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भरतपुर जिले की तहसील बयाना में जमीनों का रूपान्तरण, दाखिल खारिज कई वर्षों से बंद पड़े हुए हैं क्योंकि वहां सैटलमेंट का कार्य चालू था। परन्तु यह सैटलमेंट का कार्य भी दो वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है। उसके बावजूद आज भी दाखिल खारिज नहीं हो रहे हैं। किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दाखिल खारिज का कार्य कब तक खोल देंगे जिससे किसानों को राहत मिल सके ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामस्वरूपजी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मंत्रीजी, जवाब दे रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढाचन्द्रजी की बिल्डिंग गिर गयी हैं और गिरने के कारण मरीजों का इलाज होना तो दूर रहा, जो मरीज आये थे वो भी गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, आपरेशन थियेटर, मरीजों को देखने की जगह और डाक्टर्स के निवास, सभी एक ही जगह थे। पूरी छत ऊपर से गिर गयी है। अध्यक्ष महोदय, यह फोटो मेरे पास है, मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने प्रमाण पेश कर रहा हूं। मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि मेरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, आप मुझे पैसा दीजिए। आपने आज तक मेरी नहीं सुनी और और आज उसी का परिणाम है कि यह बिल्डिंग गिर गयी है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : लोग घायल हो गये हैं। आप इसके बारे में क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

122

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री कालूलालजी गूजर।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलालजी गूजर। याचिकाओं का उपस्थापन। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो पर्चियां दी है। उनके आधार पर तो इतने माननीय सदस्यों को बुलवा दिया (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बिल्डिंग गिर गयी है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : और जो 295 के उल्लेख हैं उनमें से आप एक को भी नहीं पढ़ने देना चाह रहे हैं। यह हमारे साथ बहुत (व्यवधान)।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, 295 के प्रस्तावों को आप हमेशा ही पढ़ा हुआ मान लेते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके पास तो जवाब आना है। जवाब आ जाएगा। बिराजें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जवाब नहीं आता है इसलिए हमको बाध्य होकर यहां पर उठाना पड़ता है। 295 को अगर रोज ही इस तरह से करते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आगे ध्यान रखेंगे।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको जरूरी तौर पर सदन के सामने रखना चाहती हूं। इसमें सदन और माननीय सदस्य, दोनों का सहयोग चाहिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कोई बात नहीं रात को दस बजे तक चलेगा, ग्यारह बजे तक चलेगा (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आज जितनी पर्चियां आई हैं, आपने उनको बुलवाया है (व्यवधान) आप हमको नहीं बुलवाना चाहते हो तो यह बहुत गलत बात है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अब 20-25 लोगों (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी पर्चियां आई हैं, पर्ची वालों को आप बुला लेते हैं, जो तत्काल महत्वपूर्ण बात है उनको भी आप बुलाते हैं, आप 295 को बन्द नहीं करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : स्वास्थ्य मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसे कह दें (व्यवधान) कहने दें, मनाही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गुढ़ाचन्द्रजी चिकित्सालय के बारे में यहां प्रश्न उठाया गया है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को आज ही निर्देश दे दिये जाएंगे। उसका तखमीना ज्यों ही हमारे पास

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
आएगा और आप कह रहे हैं कि वार्ड भी गिर गया है, चिकित्सालय की छत गिर गयी है...

श्री रामस्वरूप मीणा : चिकित्सालय की फोटो है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : कह रहे हैं न। आप इतना एजीटेट क्यों हो रहे हों ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निश्चित तौर पर तखमीना बनाकर इसकी मरम्मत कराने के साथ-साथ उसमें और भी किसी चीज की आवश्यकता होगी तो उस पर निश्चित तौर से विचार किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। मिर्धा साहब, क्या कह रहे हैं आप ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड...(व्यवधान)

श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने हेतु आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा देश भर में पांच करोड़ लोगों की मातृभाषा है। इसको दसवीं कक्षा में अनिवार्य किया जाना चाहिए। एक मासिक पत्रिका है राजस्थानी भाषा की उसके सम्पादक हैं श्री पदम मेहता। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनको आश्वासन दिया था कि केन्द्र सरकार को हमने सिफारिश भेजी है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि बी.एड. में इस विषय को अनिवार्य किया जाना चाहिए और राजस्थानी भाषा को भी आठवीं सूची में शामिल करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय कमला जी।
(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में लिया जाए इस मांग का मैं भी समर्थन करता हूं। ...(व्यवधान)

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : राजस्थानी भाषा पांच करोड़ लोगों की मातृभाषा है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्रज भाषा...(व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : ...(व्यवधान) लोग ब्रज भाषा बोलते हैं।

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा हिन्दुस्तान में सबसे मीठी बोली जाने वाली है... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थानी भाषा को परिभाषित किया जाए पहले...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कई भाषाएं शामिल हैं, खाली राजस्थानी भाषा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थानी भाषा को पहले परिभाषित किया जाए कि किस क्षेत्र की

(124)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

भाषा को राजस्थानी भाषा मानेंगे ? इसमें हमारे क्षेत्र की जो ढूंढाड़ी भाषा है वह भी राजस्थानी भाषा में..(व्यवधान) इसलिए यह केवल ..(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी, जब इस सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली थी तब सदन के नेता और विपक्ष के नेता महोदय दोनों इस बात पर सहमत थे..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपनी बात कही है..(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : राजस्थानी भाषा के बारे में कुछ न कुछ जरूरी निर्णय लिया जाएगा और आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त करने के लिये जरूर..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : किसी क्षेत्र की भाषा को राजस्थानी भाषा का दर्जा..(व्यवधान)

श्री रूपाराम : राजस्थानी भाषा, जो हिन्दुस्तान में सबसे मीठी भाषा है, उसको मान्यता दी जाए। (व्यवधान)

(13.55)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भीमराज भाटी : और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी कहा था कि राजस्थानी भाषा को किसी भी सूरत में मान्यता दिलवायी जाएगी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ब्रज भाषा भी इसी में है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : केवल मरू प्रदेश की भाषा राजस्थानी भाषा नहीं है। राजस्थानी भाषा सम्पूर्ण राजस्थान की भाषा है..(व्यवधान) केवल एक जगह को कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए।

श्री भीमराज भाटी : मान्यता नहीं दिलवा सको, उसका क्या मतलब है ? तीन साल के बाद भी एक समिति नहीं बनायी गयी लेकिन उसके बावजूद..... (व्यवधान) इस बारे में न सरकार कुछ कहना चाहती है और न राज्य सरकार ने पत्र लिखा है। (व्यवधान) मैं इस सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको मान्यता प्राप्त सूची में शामिल कराया जाए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) राजस्थान की भाषा है, केवल जोधपुर डिवीजन की भाषा को राजस्थानी भाषा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्रजभाषा को शामिल किया जाये। पांच करोड़ लोग ब्रज भाषा बोलते हैं (व्यवधान) ब्रज भाषा को भी शामिल करो। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : (व्यवधान) बांसवाड़ा की अलग भाषा है, गांव का रहने वाला है..(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ब्रज भाषा को भी शामिल किया जाए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह ठेठ राजस्थानी है। बोलियां अलग-अलग हो सकती हैं। मुझे साहित्य पढ़ने का शौक है। हिन्दी, अंग्रेजी और राजस्थानी मैं जानता हूं।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आप किसी विषय पर कहो तो दस हजार उदाहरण मैं दे सकता हूं ज़बानी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। किसी विषय पर अभिव्यक्ति है तो राजस्थानी की है। अंग्रेजी और संस्कृत उसका जरूर मुकाबला कर सकती है। हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है। हिन्दी के प्रति मेरे दिल में बहुत आदर है लेकिन इसके मुकाबले में बोली नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : राजस्थानी भाषा को मान्यता दें और केन्द्र सरकार को भेजें। (व्यवधान)

श्री आर.पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा को राज्य भाषा मानते हुए मान्यता दें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जो ढूंढाड़ी भाषा है वह भी राजस्थान की भाषा है चौथी। दौसा और जयपुर जिले में ढूंढाड़ी भाषा है। तो सारे राजस्थान में जो भाषा बोलचाल के रूप में बोली जाए वह भाषा ..(व्यवधान) इसलिए एक क्षेत्र की भाषा को राजस्थानी भाषा का दर्जा नहीं दिया जाए।

श्री रूपाराम : सबसे मीठी राजस्थानी की बोली है। आज हिन्दुस्तान में सबसे मीठी समझी जाने वाली बोली है। पांच करोड़ लोग इसको बोलते हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि जो राजस्थानी बोली है, राजस्थानी बोली को कहीं भी लोग सुनेंगे, जो बहुत ही मधुर वाणी है, मीठी बोली है, उस बोली के बोलने वालों के मुख से जैसे चीनी टपक रही हो, इतनी मीठी बोली है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थानी भाषा को आपके माध्यम से सरकार को जानकारी देना चाहता हूं.(व्यवधान)

श्री आर.पी. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उसे राजस्थानी भाषा का दर्जा दिया जाए (व्यवधान) जयपुर जिले और दौसा जिले में और पूरे राजस्थान में जो बोली काफी उपयोग में ली जाती है उसको ..(व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : ब्रज प्रदेश बने.(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सबसे बड़े क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में लोगों की है उस भाषा को ही राजस्थानी भाषा का दर्जा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी(पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिले इसलिए सारे राजस्थान में..(व्यवधान) राज्य भाषा हो। कृपया..(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिले एवं सारे राजस्थान में दूसरी राज भाषा न हो, तत्काल इसे शुरू करायें। ..(व्यवधान) छोटा क्षेत्र है और..(व्यवधान)

126

श्री शैलेन्द्र जोशी : केवल जोधपुर की भाषा को राजस्थानी भाषा का दर्जा नहीं दिया जाए.(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय के लिये अलग से थोड़ी चर्चा करवा ली जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : जो भाषा आपको मान दे, गौरव दे, इस वास्ते मेरा अर्ज है मातृ भाषा राजस्थानी को पूरा हक, संरक्षक और मान दिलवाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कमला जी।

श्रीमती कमला : मैं 295 का पढूंगी।

श्री कैलाश मेघवाल : यह तो पढ़े हुए माने जाएं।

श्रीमती कमला : नहीं, नहीं। मेरा नहीं है पढ़ा हुआ।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वीकृति दे दी है मुझे, अध्यक्ष महोदय ने।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत जैसे देश में जहां का जीवन दर्शन एवं जीवन शैली सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित रहा है वहां आज पश्चिम की अंधी नकल के कारण जिस प्रकार हमारे समाज में चिन्तनीय विकृतियां आ रही हैं वह बहुत ही दुखदायी स्थिति है। फिल्मों में महिलाओं को लगभग नग्न, अर्द्धनग्न एवं भद्दे आपराधिक दृश्यों में प्रदर्शित किया जा रहा है। ये दृश्य कोई भी परिवार या सभ्य व्यक्ति देख नहीं सकता। टी.वी. पर तो फिल्मी गानों के अनेक कार्यक्रम इसी प्रकार के बार-बार दिखाये जा रहे हैं। विज्ञापनों में, फैशन शो में और माडलिंग में भी ऐसे ही भद्दे और अश्लील दृश्य दिखाये जा रहे हैं। फिल्मों के निर्माण और प्रदर्शन को उद्योग का नाम देकर भारतीय परिवारों को इस प्रकार के भद्दे दृश्यों को देखने के लिये मजबूर करना तथा छोटे बालक-बालिकाओं और नौजवानों तथा बुजुर्गों के सम्मुख महिलाओं के इस प्रकार के अपमानजनक एवं अश्लील दृश्य दिखाना बहुत शर्मनाक अवस्था है।

(14.00)

दृश्य एवं श्रव्य माध्यम, टी.वी., रेडियो, पत्र-पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र व लोक साहित्य किन्हीं लोगों के लिए व्यवसाय एवं उद्योग हो सकता है किन्तु किसी भी राष्ट्र के लिए वे माध्यम मूलतः राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति को सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय नीतियों एवं चिन्तन के लिए लोक शिक्षण करने तथा राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के सर्वाधिक प्रभावी माध्यम हैं। किन्तु प्रतिदिन यह देख-देखकर बहुत दुख एवं शर्म महसूस हो रही है कि इस स्वतंत्र एवं महान् देश की ऐतिहासिक विरासत, इस बुरी तरह, हमारे नहीं चाहते हुए भी नष्ट होती जा रही है।

अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह

(श्रीमती कमला)

प्रस्तावित करती हूं कि हम इस सदन के माध्यम से भारत सरकार को पुरजोर ढंग से यह मांग करें कि वह अविलम्ब इस प्रकार की कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं करें कि किसी भी दृश्य, श्रव्य एंव पठनीय माध्यम में महिलाओं को भद्दे एवं अपमानजनक रूप में प्रदर्शित नहीं किया जावे तथा अपराधों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को भी अविलम्ब रोका जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि पूरा सदन इस प्रस्ताव से सहमत है और आप हमारी इस भावना को और इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भिजवाएंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आज हमारी बहिनों को नग्न दिखाया जाता है जिसके कारण हमारे चरित्र गिरते चले जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री कालूलालजी गूजर, सदस्य, विधान सभा पांच याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माता-पिताओं के साथ बच्चे बैठे रहते हैं। इस प्रकार के दृश्य दिखाये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। शांत, विराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का प्रस्ताव आप सदन के अन्दर अवश्य पास कराए।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पांच याचिकाएं उपस्थापित करता हूं : –

मांडल विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चानसेर से कटार तक की करीब 4-5 किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण ।

(1) मांडल विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चानसेर से कटार तक की करीब 4-5 किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण करवाने बाबत, तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

मांडल विधान सभा क्षेत्र के ग्राम करोई में टूटे जलाशय की मरम्मत व पानी की ऊँची टंकी बनवाने बाबत।

(2) मांडल विधान सभा क्षेत्र के ग्राम करोई में टूटे जलाशय की मरम्मत एवं पानी की ऊंची टंकी बनवाने बाबत, तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

ग्राम भगवानपुरा जिला भीलवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत

(3) ग्राम भगवानपुरा जिला भीलवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत, तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

(128)

(श्री कालूलाल गूजर)

तहसील भीलवाड़ा में स्थित ग्राम पंचायत डूडिया एवं जवासिया के मध्य बहने वाली बनास नदी पर पुलिया अथवा काजवे बनाने बाबत।

(4) तहसील भीलवाड़ा में स्थित ग्राम पंचायत डूडिया एवं जवासिया के मध्य बहने वाली बनास नदी पर पुलिया अथवा काजवे बनाने बाबत, तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं ।

भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत पीथास में सम्मिलित ग्राम मालपुरा व पीथास के मध्य बहने वाली कोठारी नदी पर पुलिया बनाने बाबत।

(5) भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत पीथास में सम्मिलित ग्राम मालपुरा व पीथास के मध्य बहने वाली कोठारी नदी पर पुलिया बनाने बाबत, तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा सात याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं समझती हूं, पूरा सदन इससे सहमत हूं। मैं चाहूंगी, हम सदन की भावनाओं को अपने प्रस्ताव के माध्यम से (व्यवधान) मैं जानना चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्या। माननीय कमलाजी, कृपया आप बिराजें। आप आसन को बाध्य न करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप प्रस्ताव पारित करायें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रस्ताव पारित करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। श्री महावीर भगोरा।

श्री रामस्वरूप मीणा : पारित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साहब ? क्या किया, कुछ जवाब तो मिले हमको ? बहिनों के नग्न चित्र दिखाये जाते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : मैं निम्नलिखित सात याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं :-

तहसील गोगुन्दा में बुझकी नाका के अधूरे बाँध को पूर्ण कर जलापूर्ति कराने बाबत।

(1) तहसील गोगुन्दा में बुझका नाका के अधूरे बांध को पूर्ण करवाकर जलापूर्ति कराने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह बड़ा गम्भीर मामला है। इसको आप गम्भीरता से लें।

श्रीमती कमला : राजस्थान विधान सभा की तरफ से इनिशिएट किया जाता है तो सारे देश के लिए एक उदाहरण होगा। आप पूरे

(श्रीमती कमला)

सदन में पास करवाकर, आपके माध्यम से भारत सरकार को भिजवाने की कृपा करें। (व्यवधान)

तहसील गोगुन्दा में सायरा से गायफल, जेमली करदा सड़क का निर्माण कर नाथ-द्वारा होकर राजधानी जयपुर व अजमेर को सीधे मार्ग को जोड़ने के बाबत।

श्री महावीर भगोरा : (2) तहसील गोगुन्दा में सायरा से गायफल, जेभली, करदा सड़क का निर्माण कर नाथद्वारा होकर राजधानी जयपुर व अजमेर को सीधे मार्ग से जोड़ने बाबत्, आठ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पूरे सदन से मालूम कर लीजिये, यह पूछ लीजिये कि क्या पूरा सदन इस प्रस्ताव से सहमत है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके ऊपर विस्तार से विचार करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कमलाजी, आपको नियमों का पूरा ज्ञान है। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। अब आप सदन को आगे चलने दीजिए। श्री भगोरा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सदन की तरफ से भेजना चाहिए। परिवार में कोई व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता। आजकल सारी संस्कृति नष्ट हो रही है। हम घरों में बैठ नहीं सकते। यदि राजस्थान की विधान सभा का यह मोशन चला जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय। आप विधिवत कहो।

एक माननीय सदस्य : सारे हाउस की मंशा है कि इस प्रस्ताव को पास करके भारत सरकार के पास भेजना चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस प्रस्ताव को पारित करो।

श्रीमती कमला : आप आगे चले जा रहे हैं लगातार। आप इसमें इनिशिएट नहीं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, सरकार कुछ कह रही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार तो सो रही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले से आने वाली माननीय सदस्या ने आज 295 के मार्फत राज्य सरकार का इस विषय में ध्यान आकर्पित किया है। मेरा आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि यह ऐसा विषय है कि इस विषय से सदन के किसी भी सदस्य की असहमति नहीं होगी। हम सब लोग इस बात से सहमत हैं। (व्यवधान) इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और व्यक्तिगत रूप से मेरी पूरी सहमति है, सदन के किसी भी व्यक्ति की असहमति नहीं होगी, परन्तु मेरा निवेदन है कि केवल केन्द्र सरकार के कहने से काम नहीं चलेगा, इसके इम्प्लीकेशन राजस्थान में क्या

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हैं, हम कौनसा प्रस्ताव लाएं, हम कौनसा कानून बनाएं या कोई और प्रक्रिया होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि एकमात्र 295 का प्रस्ताव आ गया, ध्यान आकर्षित हो गया, सदन फिर चलेगा, आप कभी भी विधिवत प्रस्ताव लाएं, प्राइवेट मैम्बर बिल लाएँ, सरकार लाएं, उस पर आप चर्चा करें और उसके सब इम्प्लीकेशंस पर विचार किया जाए। सरकार को कुछ करना हो तो राजस्थान की सरकार भी करे, अपना कानून भी बनाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, सहमति होने के बाद भी विधिवत जब प्रस्ताव आएगा तब इस बारे में विचार करके, कार्यवाही करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कमला : माननीय मंत्री महोदय, इसको प्रस्ताव मानकर आप कमेटी बना लें, चर्चा कर लें। सरकार क्या कर सकती है, उस पर चर्चा शुरू हो, आप स्वयं इनिशिएट कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब इसमें बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, कमलाजी। श्री महावीर भगोरा।

याचिकाओं का उपस्थापन

पंचायत मुख्यालय छाली में आश्रम छात्रावास हेतु निर्माण

श्री महावीर भगोरा : (3) पंचायत मुख्यालय छाली में आश्रम छात्रावास हेतु निर्माण बाबत।

गोगुन्दा से काछावा, पाटिया, मोरवल पंचायत मुख्यालय होती हुई ग्राम सेनवाड़ा तक सड़क निर्माण करवाने बाबत

(4) गोगुन्दा से काछावा, पाटिया, मोरवल पंचायत मुख्यालय होती हुई ग्राम सेनवाड़ा तक सड़क निर्माण करवाने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

उदयपुर जिले की तहसील गोगुन्दा की ग्राम पंचायत कमोल व पदराड़ा के क्षेत्र मादड़ी छापर में राज्य विद्युत मण्डल के स्वीकृत व ग्रिड स्टेशन की स्थापना हेतु स्वीकृति जारी करने बाबत,

(5) उदयपुर जिले की तहसील गोगुन्दा की ग्राम पंचायत कमोल व पदराड़ा के क्षेत्र मादड़ी छापर में राज्य विद्युत मण्डल के स्वीकृत व ग्रिड स्टेशन की स्थापना हेतु स्वीकृति जारी करने बाबत्, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

ग्राम पंचायत मोखल में चुंगी का नाका काकेरे का नाका बन्धवाकर गरीब किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु उपलब्ध कराने बाबत

(6) ग्राम पंचायत मोखल में चुंगी का नाका काकेरे का नाका बन्धवाकर गरीब किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु उपलब्ध कराने बाबत् चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

तहसील मुख्यालय गोगुन्दा में बालिका माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने बाबत।

(7) तहसील मुख्यालय गोगुन्दा में बालिका माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत

(श्री महावीर भगोरा)

करवाने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा पांच याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित पांच याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं :–

मांडिया रोड पाली, पडासला कलां, निम्बलाखेड़ा, बोमादड़ा, पंचायत समिति पाली, भीलों की ढाणी पंचायत समिति रोहट में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना

(1) मांडिया रोड पाली, पडासला कलां, निम्बलाखेड़ा, बोमादड़ा, पंचायत समिति पाली, भीलों की ढाणी पंचायत समिति रोहट में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित/

ग्राम ढाबर पंचायत समिति - रोहट जिला पाली से केरिया धार्मिक स्थान तक पीने के पानी की पाइप लाइन डलवाने बाबत

(2) ग्राम ढाबर पंचायत समिति - रोहट जिला पाली से केरिया धार्मिक स्थान तक पीने के पानी की पाइप लाइन डलवाने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

पंचायत समिति, रोहट जिला पाली के कतिपय ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने बाबत,

(3) पंचायत समिति, रोहट जिला पाली के कतिपय ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

मोरिया (राइकों की ढाणी), विठू योगदान की ढाणी) पंचायत समिति रोहट, जिला पाली में जी.एल. आर. बनवाकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत

(4) मोरिया (राइकों की ढाणी), विठू योगदान की ढाणी) पंचायत समिति रोहट, जिला पाली में जी.एल. आर. बनवाकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

ग्राम धर्मधारी, साजी, निम्बाड़ा पंचायत समिति रोहट जिला पाली में पेयजल की समुचित व्यवस्था करवाने बाबत्

(5) ग्राम धर्मधारी, साजी, निम्बाड़ा पंचायत समिति रोहट जिला पाली में पेयजल की समुचित व्यवस्था करवाने बाबत्, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं सदन में उपस्थापित करेंगी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं सदन में उपस्थापित करती हूं :-

जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय स्थानों पर समुचित प्रकाश के अभाव और जन सुरक्षा की दृष्टि में सोडियम लाइटें

(1) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय स्थानों पर समुचित प्रकाश के अभाव और जन सुरक्षा की दृष्टि में सोडियम लाइटें

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

लगाने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय सड़कों की मरम्मत व नवीन सड़कों का निर्माण कार्य करवाने बाबत

(2) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय सड़कों की मरम्मत व नवीन सड़कों का निर्माण कार्य करवाने बाबत, चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रवण कुमार जी मुझे कहकर गये हैं, आप हुकुम दें तो ?

श्री उपाध्यक्ष : उपस्थापित करिये।

विधायक नगर, जयपुर की बस्तियों में विद्युत की अव्यवस्था के संबंध में

श्री रामस्वरूप मीणा : श्री श्रवण कुमार (पिलानी) के स्थान पर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्याधर नगर जयपुर की बस्तियों में विद्युत की अव्यवस्था के सम्बन्ध में एक याचिका सदन में उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

ग्राम जलोई महसवास तहसील आमेर से ग्राम नांगल लाड़ी तक अधूरी सड़क को पूरी कराने बाबत

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम जलोई महसवास तहसील आमेर से ग्राम नांगल लाड़ी तक अधूरी सड़क को पूरी कराने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका सदन में उपस्थापित करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराजजी चौधरी।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला जालौर में बहने वाली जवाई नदी का पेटा करीब चार फीट नीचा हो जाने के फलस्वरूप उससे निकलने वाले मीठड़ी नाले का पेटा नदी के पेटे से करीब चार फीट ऊंचा हो जाने के कारण नदी से मीठड़ी नाले में पूर्व के वर्षों की भांति होने वाले पानी का बहाव बन्द हो गया है जिससे आहोर तहसील के करीब 15-20 ग्रामों यथा भैंसवाड़ा, आहोर बागोतरा, सामूजा, रोधन, सेदरिया, कूपावतान, वादनबाड़ी, मीठड़ी, देचू, देवकी, सोंपणी, हनवंतगढ़, बाकेड़ा वगैरा में स्थिति हजारों कुओं में जलस्तर बहुत ही नीचे चले जाने के कारण कृषि पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ साथ करीब 25 ग्रामों में जल आपूर्ति करने हेतु पेयजल विभाग द्वारा ग्राम मीठड़ी एवं वादनबाड़ी में बनाये गये आठ ट्यूबवैलों में भी जलस्तर बहुत नीचा चले जाने और कुछेक में पानी के पैरामीटर्स

(श्री भगराज चौधरी)

बदल जाने के कारण पेयजल आपूर्ति की 25 गाँवों में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण जवाई नदी से मीठड़ी नाले में पूर्व के वर्षों की भांति होने वाले जल के अवरुद्ध प्रवाह को पुनः चालू करवाने हेतु जवाई नदी के किनारे पर मीठड़ी नाले में आवश्यक मात्रा एवं साइज के पाइप आउटलेट लगाने की सिंचाई विभाग द्वारा शीघ्र व्यवस्था कराने हेतु सिचांई मंत्री महोदय आवश्यक व्यवस्था करें। यही मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता था। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रारम्भ करें उसके पहले मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित ही रूल 131 एवं रूल 307 के अन्तर्गत पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यह परम्परा है कि इस चेयर से जो पुरानी रूलिंग्स दी जाती रही हैं, हम उनकी पालना करें और यह तो और भी आवश्यक हो जाता है कि जब इसी चेयर से, इसी सदन में, इसी सत्र के दौरान कोई रूलिंग दी जाए तो उसकी भी पालना की जानी चाहिए।

12 तारीख को यहां पर अन्य पिछड़ी जाति के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई थी। इस प्रश्न को लेकर माननीय सदस्य बहुत उद्वेलित हुए थे और उस वक्त वैल के अन्दर माननीय सदस्य आ गये थे। अध्यक्ष महोदय ने उस वक्त मोस्ट प्रोबेबली 307 के अन्दर अपनी रेजीड्यूअरी पावर्स का उपयोग करते हुए निर्णय दिया था कि अन्य पिछड़ी जाति के ऊपर मैं 131 के अन्तर्गत यहां पर चर्चा करा दूंगा और इसके ऊपर यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, 131 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों का जो यहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा था उसका रिप्लाई भी आ गया। दस दिनों से हम इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान की जो चालीस प्रतिशत जनता है, यह सरकार उसके हितों पर जो कुठाराघात कर रही है, मुख्यतः उसके आरक्षण से सम्बन्धित जो बिंदु हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है और अन्य पिछड़ी जाति वर्ग को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, सुविधाएं नहीं दी जा रही है उस पर यहां चर्चा की जानी चाहिए थी। हमारे हितों की रक्षा की अध्यक्ष महोदय से तो हमेशा अपेक्षा थी। हमें उनमें पूरा विश्वास है और उन्होंने इसी कारण से यह रूलिंग यहां पर दी थी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार नहीं चाहती है कि अन्य पिछड़ी जाति से सम्बन्धित बिन्दुओं पर यहां पर चर्चा हो। अन्य पिछड़ी जाति का राजस्थान के अन्दर इक्कीस प्रतिशत आरक्षण है केन्द्र सरकार में सत्ताइस प्रतिशत आरक्षण है लेकिन उनके इक्कीस प्रतिशत

(श्री लक्ष्मण सिंह)

आरक्षण की भी यहां पर पालना नहीं की जा रही है।

अतः, उपाध्यक्ष महोदय, 131 के अन्तर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आप ले रहे हैं उसके पहले जो अध्यक्ष महोदय ने यहां पर रूलिंग दी थी उस रूलिंग की यहां पर पालना करायी जाए। यद्यपि आज अन्तिम दिवस है, फिर भी 131 के ऊपर यहां पर चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि अध्यक्ष महोदय द्वारा दी हुई रूलिंग को वही अध्यक्ष महोदय यहां पर उसकी पालना नहीं करा पाएं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से उठाया है इसी सम्बन्ध में मैं थोड़ा-सा अनुरोध करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, निरन्तर हम इस बात के लिए हाउस में और हाउस के बाहर माननीय अध्यक्ष जी से कई बार अनुरोध कर चुके। अब यह हमारी समझ से परे है कि आखिर 131 जब लगा हुआ है, सरकार की तरफ से जवाब भी आ गया तो क्यों नहीं उसको कार्य सूची में लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसका विशेष महत्व इसीलिए भी है कि अभी पुलिस में भर्ती होने वाली है और जो निर्देश पुलिस विभाग ने निकालें हैं उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े बारह प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्वेशन उसमें किया गया। बहुत खुशी की बात है, होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि यह साढ़े बारह प्रतिशत रिजर्वेशन किस कोटे में से कम किया जाएगा। क्या जनरल कोटे में से कम किया जाएगा या एस.टी. कोटे में से कम किया जाएगा या एस. सी. में से कम किया जाएगा या ओ.बी.सी. कोटे में से कम किया जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राजस्थान के पांच जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही वगैरह वगैरह। उसमें गवर्नमेंट ने, जो पुलिस में भर्ती करने जा रहे हैं उसमें 43 प्रतिशत आरक्षण कर दिया वहां के स्थानीय लोगों के लिए तो शेष एस.सी. का कोटा कहां गया ? क्योंकि जनरल कास्ट की फिर पचास प्रतिशत चली जाएगी तो पांच प्रतिशत एस.सी. का कोटा रह गया और ओ.बी.सी. बिल्कुल गयी। इस ढंग से निर्देश सरकार के आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में एक और तथ्य लाना चाह रहा हूं। कृषि विभाग अभी कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली और उसके बाद इन्होंने अपने डिप्टी डायरेक्टर, जोइंट डायरेक्टर वगैरह वगैरह को निर्देश दे दिये___

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। आपका आ गया था पहले।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक मिनट चाहूंगा मैं आपसे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक मिनट चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, जो जो निर्देश जारी किये हैं उसमें उन्होंने एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से अभ्यर्थियों के नाम मांगे हैं। तो जनरल लोगों के तो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम आ रहे हैं लेकिन उसमें एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों के नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज नहीं भेज सकता और न ही कोई विज्ञप्ति निकाली है। सीधे सीधे नाम उनके कार्यालय में भेज दिये जाएं, अन्धेरे में रखा जा रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी.....

श्री हरिसिंह (महुआ) : जनरल की बैकडोर एन्ट्री हो रही है। इस पर कोई व्यवस्था नहीं। सदन में बार-बार हम मांग करते रहे और सदन में भी इसकी कोई सुनवाई नहीं। निश्चित यह है कि सरकार एस.सी., एस. टी. और ओ.बी.सी. के प्रति संवेदनहीन है, इनके हितों पर कुठाराघात करना चाहती है और उसके बावजूद जब हम यह मांग करते हैं कि सदन में यह आवश्यक रूप से लिया जाए तो उसके ऊपर नकारात्मक जवाब मिलता है। हम आसन से सुरक्षा चाहते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आसन की रूलिंग के बाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस. टी. और ओ.बी.सी. के अधिकारों पर वास्तव में कुठाराघात किया जा रहा है। यह सरकार उनके खिलाफ है। (व्यवधान) यह सरकार रिजर्वेशन देना नहीं चाहती है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, चालीस प्रतिशत जनता पर इस सदन में चालीस मिनट तक चर्चा नहीं हो इससे बढ़कर...(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने न सिर्फ 131 में ध्यानाकर्षण किया बल्कि हमने 126 में भी एक अर्जी दे रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यहां हाउस में कमिट किया था। इसके ऊपर एक दिन चर्चा करा ली जाएगी। (व्यवधान) मात्र दिन और समय निश्चित नहीं किया था..

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : दस दिन तक यह टालते रहे, दस दिन तक हमको लुभाते रहे। (व्यवधान) सरकार नहीं चाहती है, अध्यक्ष महोदय के ऊपर दबाव डाला गया...(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : 126 में एक नोटिस और दिया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। बिराजें माननीय सदस्य।

श्री परसराम मोरदिया : (व्यवधान) ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी भावना आ चुकी। आप रामस्वरूपजी, आसन ग्रहण करें। कृपया आप बिराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भवना इससे थोड़ी अलग हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप वोलिये क्या है ?

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो आरक्षण का मामला है मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों का हक मारा गया है उनको मिलना चाहिए, परन्तु भविष्य के लिए मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि आरक्षण आर्थिक बेस पर होना चाहिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : स्क्रेप करवाइये। इसको हम मना नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : पूरी बात तो सुन लो आप।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। (व्यवधान) कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आप रक्षा करो हमारे अधिकारों की। (व्यवधान) हमें सरकार से आशा नहीं है, आपसे आशा है।

श्री रामप्रताप कासनियां : मेरी भावना है, मेरे क्षेत्र में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपकी बात सुन ली। एक पाइंट आफ आर्डर आया है उस पर मुझे व्यवस्था देनी है। आप आगे पीछे न बोलिये। आप बिराजें, बैठिये आप।

श्री परसराम मोरदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय लक्ष्मणसिंह जी जैसा कह रहे थे...

श्री राजेन्द्र गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट मेरी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर के बारे में ही कहिये।

श्री परसराम मोरदिया : मैंने भी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. के जो अधिकारी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बार बार आसन को परेशान करना चाहते हैं, आप बार बार खड़े होकर बोल रहे हैं, बैठे-बैठे भी बोल रहे हैं। आप नियमों का ध्यान रखिये। नो, नो इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान) आप बैठिये, आप बिराजिये। आप बैठे-बैठे नहीं बोल सकते।

श्री परसराम मोरदिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मेरी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) आप बैठे-बैठे नहीं बोल सकते।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद राजस्थान सरकार ने विशेष कर राजस्थान के मुख्य मंत्री, माननीय भैरोंसिहजी साहब ने अन्य पिछड़े वर्ग को 21 प्रतिशत आरक्षण दिया। आरक्षण का पूरा लाभ पिछड़े वर्ग को मिले इसके सम्बन्ध में सदन में चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये। बैठे बैठे न बोलिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 21 प्रतिशत आरक्षण की प्रशासनिक स्तर पर पालना नहीं हो रही है जिसके कारण अन्य पिछड़े वर्ग को बहुत ही नुकसान हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पुलिस की पांच जिलों की भर्ती के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने बताया। उसमें पिछड़े वर्ग का कहीं आरक्षण नहीं रखा गया है। साढ़े बारह प्रतिशत आरक्षण है, किसमें कटौती होगी उसको भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि 12 तारीख को माननीय अध्यक्षजी ने जो सदन में रूलिंग दी है उसकी पालना होनी चाहिए, परम्पराओं की पालना होनी चाहिए। संसदीय प्रणाली में हम सदन में जिन परम्पराओं को लेकर बैठे हैं वह परम्पराएं नहीं टूटनी चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : उपाध्यक्ष महोदय, उसी दिन मैंने भी यहां प्रश्न पूछा था।

श्री उपाध्यक्ष : अब इसमें कोई बात नहीं कहनी। बिराज जाइये आप, बैठ जाइये। आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि आप इस पर चर्चा के लिए अलग से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमने उसके बाद 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : ओ.बी.सी. रिजर्वेशन के मामले में की जा रही अनियमितताओं के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको अवसर ही नहीं दिया, आप बोल रहे हैं। आप बैठिये।

श्री कालूलाल गूजर : उस समय हमको अवसर दिया और हमारा (व्यवधान) नहीं हुआ। मेरी बात थी वह तो...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये आप। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिराज जाइये।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठ रहा हूं लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा बैठिये । आसन पैरों पर है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप बैठ जाइये । श्री गूर्जर साहब ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : पाइन्ट आफ आर्डर पर एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगा । मैं जानना चाहता हूं कि आसनकी क्या व्यवस्था है, आपकी ऐसी क्या परेशानियां है ...

श्री उपाध्यक्ष : वही मैं बताना चाहता हूँ। सुनिये पहले ।

(138)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जवाब देने के बाद, आश्वासन देने के बाद इस प्रदेश की 51 प्रतिशत जनता की भावनाओं की कद्र नहीं हो रही है, आप करना चाहते हैं, सरकार नहीं करना चाहती है। यह कहां तक न्याय है ? हम यहां काहे के लिऐ आते हैं ? ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आप रक्षा नहीं कर रहे हैं । .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामस्वरूपजी, आप बार-बार खड़े होकर व्यवधान कर रहे हैं । आप न्याय नहीं लेना चाहते हैं, व्यवधान डाल रहे हैं ।

श्री परसराम मोरदिया : मैं एक मिनट मेरी बात कहना चाहता हूँ ।.. (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्षजी, यहाँ कोई + + + आते हैं क्या ? हम अपनी बातें रखने आते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या तरीका है ।

श्री परसराम मोरदिया : यहाँ कोई +++ के लिए बैठे हैं ?

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सारी जातियों को करीब-करीब आरक्षण मिल गया है। एक जाट ही ऐसी जाति रही है जिसका आरक्षण नहीं है। मेहरबानी करके, मैं सारे सदन के सामने आपसे निवेदन करता हूं कि जाट जाति को भी आरक्षण में लिया जाए .. (व्यवधान) ठाकुरों में, राजपूतों में.. (व्यवधान) रावणा राजपूत हो गये, आरक्षण में शामिल हो गये। ब्राह्मणों में दूसरे पण्डित शामिल हो गये । एक जाट ही ऐसी जाति रही है जिसके लिए किसी का कोई समावेश नहीं हुआ है । इसलिए मेहरबानी करके जाट जाति को भी आरक्षण में लिया जाएं । यह किसान कौम है .. (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : पहले चर्चा के लिए लिया जाए।

श्री रामप्रताप कासनियां : इसमें न जाट को आवश्यकता है, न राजपूत को, न ब्राह्मण को। यह तो आर्थिक बेस पर होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिसके जो मन में आए, वह खड़े होकर बोलना शुरु कर देते हैं । आसन का कोई ध्यान नहीं । कृपया बिराजें सुनें मुझे यह जानकारी है, माननीय स्पीकर साहब ने यहाँ यह कहा था कि माननीय सदस्य मेरे चैम्बर में आकर बातचीत करें । अब उसका क्या निर्णय हुआ .. (व्यवधान) आप सुनिये, आप सुनिये ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बोल नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं । केवल इशारा कर रहे हैं कि गलत है । स्पष्ट रूलिंग थी । 131 में चर्चा कराएं आप ।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा सुन लीजिए आप । माननीय सदस्य, कृपया । माननीय स्पीकर साहब के चैम्बर में क्या बातचीत हुई है उसकी मैं जानकारी कर रहा हूँ और जानकारी करके इस पर निर्णय दे दिया जाएगा। कृपया आगे चलने दीजिए आप ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी की आवश्यकता नहीं है। यहां स्पष्ट

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

रूलिंग दी गयी थी कि 131 पर यहां चर्चा करवा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जीतराम चौधरी, श्री मांगीलाल मेघवाल, श्री शंकर भानुदा, सदस्य, विधान सभा टोंक जिले की चारागाह भूमि को बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित किये जाने से ग्रामवासियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह सरकार लोगों के लिए (व्यवधान) पिछड़ी जाति के वर्ग ने भी (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार भाग जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यान आकर्षण करिये। (व्यवधान)

श्री जीतराम (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत टोंक जिले की चरागाह भूमि को बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों को आबंटित किये जाने से ग्रामवासियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में भी हमने कई बार निवेदन किया और अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि हम व्यवस्था देंगे। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे संवेदनशील मामले में चर्चा जरूर करवानी चाहिए। ओ.बी.सी. का सवाल है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सारे रिजर्वेशन का लाभ ओ.बी.सी. की जातियों को नहीं मिल रहा है। उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको नौकरियों आदि में आरक्षण नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : चालीस वर्षों के बाद तो सरकार ने आरक्षण किया है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हम ऐसे में नहीं बैठ सकते हैं, हम धरने पर बैठते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारेबाजी)

श्री रामप्रताप कासनियां : यह महज राजनैतिक रोटियां सेंकने के लिए... (व्यवधान) महज वोट बटोरने के लिए समाज के अन्दर भ्रान्ति पैदा कर दी। समाज के अन्दर आपस में टकराव आ गये इस बात पर (व्यवधान) राजनीति करने वालों का, जो इस तरह की राजनीति करते हैं उनका नाश हो। अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए आरक्षण का नाम लेकर वोट बटोरना चाहते हैं और हाउस का समय खराब कर रहे हैं। मेरा इसमें यह निवेदन है कि जाति के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो बिराजें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं एक मिनट सुनिये आप। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) आप एक मिनट सुनिये। माननीय रामस्वरूपजी, इस समय आप अंधे

(श्री उपाध्यक्ष)

कुएं में हैं। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैंने प्रोसिडिंग्स मंगवा ली है। इसको हूबहू आपको पढ़ कर सुनाऊंगा। आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। जिस जगह आप बिराजमान हैं, आपके लिए शोभा नहीं देता। (व्यवधान) मैं प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह अपने दल को संभाले। मुख्य सचेतक महोदय। श्री जीतराम चौधरी। जीतरामजी, आप बोलना चाहते हैं कि नहीं? आप बोलिये। आप जोर से बोलिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

टोंक जिले की चरागाह भूमि बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों को आबंटित किये जाने से व्याप्त जनाक्रोश

श्री जीतराम (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत में टोंक जिले की चरागाह भूमि को बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों को आबंटित किये जाने से ग्रामवासियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों को टोंक जिले के विभिन्न गांवों में चरागाह से सिवाय चक भूमि के रूप में परिवर्तन होने के साथ कृषि भूमि आबंटन का कार्य अतिरिक्त कलक्टर, पुनर्वास द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रत्येक गांव की चरागाह भूमि का 60 प्रतिशत क्षेत्रफल बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के लिए राज्य सरकार द्वारा आरक्षित किया जाता है। यह भी सही है कि बीसलपुर परियोजना की डूब में आने वाले गांवों के विस्थापितों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अंतर्गत कृषि भूमि का आबंटन टोंक जिले की तहसील देवली, टोंक एवं टोडारायसिंह में किया जा रहा है। लेकिन किसी भी राजस्व ग्राम की उपलब्ध कुल चरागाह भूमि के 60 प्रतिशत से ज्यादा भूमि का आबंटन विस्थापितों को नहीं किया गया है।

विस्थापितों एवं ग्रामवासियों में सामन्यतः सम्बन्ध अच्छे हैं। गांव के आम व्यक्ति को विस्थापितों से तथा विस्थापितों को गांव के व्यक्तियों से किसी प्रकार की परिवेदना नहीं है। राज्य सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास को प्राथमिकता की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए अतिक्रमियों के अतिक्रमण को हटाकर पुनर्वास हेतु जमीन का आबंटन बेहतर समझा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया यहां तो कम से कम अनुशासन बनाए रखें।

श्री गंगाराम चौधरी : राज्य सरकार की नीति के अनुरूप ही जिला प्रशासन ने विस्थापितों की पुनर्वास सम्बन्धी समस्याओं को संवेदनशील होकर निपटाया है तथा साथ ही ग्राम के मूल निवासियों की समस्याओं को भी ध्यान में रखा है।

विस्थापितों को किया जाने वाला आबंटन राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (10)

(श्री गंगाराम चौधरी)

आई.आरजी/88 दिनांक 25.1.91 के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही किया जा रहा है।

टोंक जिले की तहसील देवली के राजस्व ग्राम दूनी में भी विस्थापितों को वर्ष 1993 में आबंटन किया गया था। राजस्व अभिलेखों में कहीं भी इस तथ्य का इन्द्राज नहीं है कि ढाणी तेलोलाई के निवासियों ने जागीरदार से कीमती भूमि लेकर चरागाह बनाया था। वैसे भी वर्ष 1958 में जागीरदार इस प्रकार के पट्टे जारी करने में सक्षम नहीं थे।

जहां तक भूमि आरक्षित करने का सम्बन्ध है, कलक्टर द्वारा राजस्व ग्राम को यूनिट मानते हुए प्रस्ताव बनाए जाते हैं। दूनी गांव की कुल 442.90 हैक्टेयर में से 187.93 हैक्टेयर के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए थे जो कि 42.43 प्रतिशत होते हैं और राज्य सरकार की नीति के अनुरूप हैं। राज्य सरकार के स्तर से ही ग्राम दूनी में ढाणी तेलोलाई के पास ही स्थित खसरा नम्बर 4146 रकबा 8 हैक्टेयर, खसरा नं 4147 रकबा 2.72 हैक्टयर, खसरा नं. 4148 रकबा 8 हैक्टेयर, खसरा नं. 4142 रकबा 2 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 20.72 हैक्टेयर भूमि चरागाह से सिवाय चक में दिनांक 19.7.93 को रूपान्तरित की गयी। वर्ष 1994 में ही 29 विस्थापितों को उप निदेशक, पुनर्वास द्वारा 17.97 हैक्टेयर भूमि आबंटित कर दी गयी एवं विस्थापितों को इस आबंटित जमीन की खातेदारी भी वर्ष 1993-94 में ही दे दी गयी। यह तथ्य सही नहीं है कि ढाणी तेलोलाई में आने-जाने के रास्ते व श्मशान आबंटित कर दिये गये। आज भी ढाणी से आने-जाने के लिए रास्ते पर्याप्त हैं।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ढाणी तेलोलाई के बिलकुल नजदीक आज भी करीब 33 बीघा चरागाह भूमि उपलब्ध है। इस ढाणी के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने इसी चरागाह भूमि पर बाड़े आदि बनाकर अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ है तथा वे इस चरागाह भूमि पर अपने अतिक्रमण बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन भी तेलोलाई ढाणी के बिलकुल नजदीक खसरा नं. 4146 रकबा 1.93 हैक्टेयर, खसरा नं. 4148 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नं 4242 रकबा 3.86 हैक्टेयर, खसरा नं. 4056 रकबा 0.61 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 4057 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 8.26 हैक्टेयर (करीब 33 बीघा) चरागाह भूमि उपलब्ध है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 23.6.96 को ही कुल 23.60 हैक्टेयर भूमि तेलोलाई गांव के पशुओं को चराने हेतु जिला कलक्टर द्वारा आबंटित की गयी है। जिसका नामान्तरकरण भी दिनांक 2.7.96 को ही स्वीकृत हो चुका है।

यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम दूनी की राजस्व सीमा में तेलोलाई ढाणी के लिए 33 बीघा चरागाह आबादी के पास तथा शेष चरागाह भूमि साढ़े चार से पांच किलोमीटर दूरी पर आरक्षित की गयी है क्योंकि दूनी राजस्व ग्राम में नजदीक अन्य कोई चरागाह भूमि नहीं है। यह तथ्य भी सही नहीं है कि 10 कि.मी. दूर चरागाह भूमि तेलोलाई ढाणी के लिये आरक्षित की गयी है। जिला प्रशासन

142

(श्री गंगाराम चौधरी)

ने तेलोलाई ढाणी के लिए चरागाह हेतु भूमि आरक्षित करने के लिए उपलब्ध विकल्पों पर संवेदनशील ढंग से विचार कर निर्णय लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) माननीय सदस्य, वैल के अन्दर बहुत ही सीरियस रहना पड़ता है। यह वैल है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पढ़ो ना आप तो।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा पढ़िये।

श्री गंगाराम चौधरी : ग्राम अलीपुरा में गांव के लोगों की समस्या को जनहित में न्यायोचित मानते हुए वहां विस्थापितों का पुनर्वास किया गया है। गांव की आबादी एवं स्कूल के विस्तार को ध्यान में रखते हुए विस्थापितों का पुनर्वास पहले से ही रोक दिया है। फरासिया गांव में भी आबादी एवं स्कूल विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि छोड़ी गयी है। फरासिया गांव के आम ग्रामवासी को विस्थापितों से किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। ग्राम राधावल्लभपुरा, बन्थली एवं खेड़ा गांव में भी विस्थापितों को किया गया आवंटन मानदण्डों के अनुरूप है।

जिला प्रशासन विस्थापितों की समस्याओं के अतिरिक्त ग्रामवासियों की आबादी विस्तार, श्मशान, रास्ते खलिहान, स्कूल विस्तार आदि सुविधाओं के लिए जागरूक हैं तथा जहां कहीं भी जनहित में गांवों की समस्याएं सामने आई हैं उनका संतोषप्रद ढंग से निराकरण किया गया है।

बीसलपुर बांध की नहरों से टोंक जिले में 198 गांवों की 64,900 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई का प्रस्ताव है। सुनिश्चित सिंचाई सुविधा से कृषि उत्पादन व पशुधन का संवर्द्धन होगा। अतः बीसलपुर बांध के विस्थापितों को 60 प्रतिशत चरागाह भूमियों का आबंटन व्यापक रूप से जनहित व राज्य हित में है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बोलें। जीतरामजी, आप जोर से बोलें।

श्री जीतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार के उत्तर से क्या आप संतुष्ट है ? टोंक जिले के काश्तकार मेरे पास कम से कम दो साल से चक्कर लगा रहे हैं। मैं हमेशा मंत्रीजी के पास लेकर जाता हूं। मंत्रीजी ने कई बार यह आदेश दिये और मंत्रीजी के आदेश रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये। एक राजस्व मंत्री चौधरी कुम्भाराम जी थे और दूसरे राजस्व मंत्री चौधरी गंगाराम जी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी कुम्भाराम जी जैसे रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं और अब रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के जितने भी आदेश होते हैं वह सब रद्दी की टोकरी में जाते हैं क्योंकि मंत्रीजी से मैंने आदेश करवाये हैं इसलिए मंत्रीजी ने कहा है कि 60-40 का रेश्यो रखा गया है। यह पंचायत के प्रस्ताव लिये हैं ? एन.ओ.सी. ली है कि नहीं ली है? पंचायत से एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है, वह ली है कि नहीं ली है, मंत्रीजी एक तो यह बताएं।

दूसरा, रेवेन्यू कानून के तहत यह आबंटन

(श्री जीतराम)

जायज है, नियमानुसार हैं कि नहीं है ? अगर नहीं है, तो क्यों ? इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी ? टोंक जिले में दूनी गांव ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप शान्ति से बिराजें। मैं बहुत गम्भीरता से विचार कर रहा हूं। माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री जीतराम चौधरी : फिर भी वहां तो बहुत अच्छी तरह का सब आंबटन किया गया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री जीतराम : दूनी पंचायत के सरपंच का जिसमें ढाणी तेलोलाई है, पंचायत बैठक दिनांक 10.5.95 के प्रस्ताव...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न अभी एक आया हुआ है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड हो जाने दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसको कर दो आप।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न के ऊपर दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप उसको लटकाये रखो, मैं व्यवस्था था का प्रश्न पूछता रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप नियमों को जानते हैं, आप अच्छे वकील हैं, अच्छे कानून विशेषज्ञ हैं, कृपया बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप वक्त तो तय करो कि कब तक व्यवस्था दे देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : आसन से बातचीत करके इसको समाप्त करिये।

श्री जीतराम : निन्दा प्रस्ताव पास किया। सरपंच दूनी ने एक निन्दा प्रस्ताव रखा कि ग्राम तेलोलाई में बीसलपुर के विस्थापितों को जो भूमि आवंटित की गयी है वह गलत तरीके से की गयी है। वहां पर मवेशियों के चरने की जगह नहीं हैं मुर्दा, मवेशी को डालने की जगह नहीं है। श्मशान तक की भूमि भी नहीं रखी है। सारी अलाट कर दी। मंत्रीजी कह रहे हैं, कि कोई अलाट नहीं किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भाषण मान लिया गया।

श्री जीतराम : मान कैसे लिया जाएगा। इस तेलोलाई ढाणी में मैं खुद जाकर आया हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद गया हूं। काश्तकार मेरे पास आए, उन काश्तकारों के ऊपर के कपड़े तो उतार लिये गये नीचे बनियान बची है। इसलिए मैं उन काश्तकारों का दुःख दर्द जानता हूं, मंत्रीजी, जो पटवारी उस टाइम पचांयत दूनी में लगा हुआ था...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जीतरामजी, आप इधर देखिये, बोलिये, उधर कहां जा रहे हो ?

श्री जीतराम : पीछे से ये कह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट जवाब मांग रहा हूं। उस टाइम के वहां जो पटवारी और अधिकारी थे उन अधिकारी और पटवारी के दलाल घूम रहे थे। दलालों ने घूम-घूम कर जो अच्छे-अच्छे चरागाह थे, जिनको पंचायत

(144)

(श्री जीतराम)

की एन.ओ.सी. भी नहीं थी वह अलाट करवा दिये क्योंकि उसमें पैसे खाने को मिले। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि उन अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ढाणी तेलोलाई के पास की जमीन और दूनी गांव की कुछ जमीन चरागाह से सिवाय चक में 1993 में परवर्तित की गयी थी। 1994 में, जबकि राष्ट्रपति शासन था। पंचायत की एन.ओ.सी. उस वक्त में थी या नहीं थी, इस बात की जानकारी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आबंटन के नियम, रेवेन्यू लीज के तहत नियम अभी विचाराधीन हैं, बनाये जा रहे हैं। जो पहले आबंटन हुए वे 1991 में कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आबंटित किये हैं। विस्थापित जो अधिकृत थे उनको 4 एकड़ जमीन तक का आबंटन करने का प्रावधान उन नियमों में था और अभी हमारा रिहैबिलिटेशन ए.डी.एम. आबंटन करता है। गवर्नमेंट के आर्डर्स के तहत आबंटन हुआ है, राजस्व नियमों में अभी प्रावधान करना शेष है। तो राज्य सरकार उसके हिसाब से ही करेगी।

दूनी गांव की कुल जमीन ली गयी है वह मैंने अभी बताया था कि इतनी ली गयी थी। यह जरूर है कि उसमें ढाणी तेलोलाई के पास वाली जमीन ज्यादा तादाद में ले ली लेकिन उस वक्त नियमों में 60 प्रतिशत से ज्यादा भूमि लेने की कोई बंदिश नहीं थी। इसलिए उस वक्त जो भी प्रस्ताव आए उस हिसाब से यह भूमि आरक्षित कर दी गयी थी और विस्थापितों को वसाने के लिए उनको आबंटन किया गया।

इसके अलावा मैंने अभी निवेदन किया कि इस ढाणी के बिलकुल नजदीक करीब 8 हैक्टेयर भूमि हमने फिर से चरागाह घोषित कर दी है और वह ज्यादा दूर नहीं है। माननीय सदस्य की यह चिन्ता है कि इस ढाणी के बिलकुल निकटतम आपने आबंटन कर दिया या श्मशान भूमि का कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि रिकार्ड के हिसाब से तो श्मशान भूमि आबंटित हुई नहीं है। यह जरूर है कि ढाणी के बिलकुल निकट कुछ जमीन हमने आबंटित कर दी थी लेकिन वह आबादी के लिए आबंटित थी। विस्थापितों में दो तरह के आबंटन होते हैं। कृषि के लिए भी होता है और बस्ती बसाने के लिए भी होता है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

तो बिलकुल जो नजदीक भूमि थी उसको हमने छोड़ दिया है। फिर भी माननीय सदस्य की अगर यह चिन्ता है ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप सुनिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो वैल में बैठे हैं, आपके माध्यम से मेरा उनसे निवेदन है कि मैं अभी (व्यवधान) आप अपनी जगह बैठिये, हम आपस में आपके नेताओं से बात कर लेते हैं और उसमें से क्या रास्ता निकलता है वह बता देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बात कर रहे हैं। (व्यवधान) बिराजें। बात कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कितने सीधे-साधे, कितने भोले, समझदार हैं माननीय सदस्य।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1993 में इस भूमि को अलग कर दिया था और सिवाय चक-

श्री उपाध्यक्ष : समझदार हैं, माननीय सदस्य समझदार हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्रतिपक्ष के सदस्य समझदार हैं यह आसन का निर्णय है और सत्ता पक्ष मिसचिवियस है।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य की चिन्ता है या गांव वालों को जो चिन्ता है उन्होंने मिल कर आम तौर पर बताया है-

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बातचीत नहीं।

श्री गंगाराम चौधरी : उनकी चिन्ता यह है कि गांव के बिलकुल निकटतम आपने भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आबंटित कर दी। वैसे तो मैंने निवेदन किया कि गांव के बिलकुल निकटतम बस्ती बसाने के लिए है। विस्थापितों के दो तरह के आबंटन होते हैं। कृषि प्रयोजनार्थ और बस्ती के लिए, आबादी के लिए होता है। जो भूमि गांव के नजदीक आबंटित की थी वह आबादी के लिए थी लेकिन उसको भी अब अलग करने का सरकार ने विचार कर लिया है। गांव के बिलकुल निकटतम 2-4 बीघा जमीन छोड़ दी जाएगी और आसपास में हमने 8 हैक्टेयर, 33 बीघा के करीब जमीन चरागाह के लिए आरक्षित कर दी है। यूं तो बहुत सी आरक्षित की है लेकिन वह साढ़े चार-पांच किलोमीटर दूर है। इस बस्ती के लिए, इस बस्ती में मवेशी के लिए 33 बीघा जमीन बिलकुल निकटतम आरक्षित कर दी है, फिर भी माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है तो मैं माननीय सदस्य से चर्चा कर लूंगा और उनकी कोई समस्या है तो निवारण के लिए प्रयास करेंगे, सरकार प्रयास करेगी।

श्री हरजीराम बुरडक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं भी पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जिनके नाम हैं पहले उनको पूछने दीजिऐ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है इसमें गांवों के लोगों की सिवाय चक भूमि है। अलाटमेंट करने से गांवों को परेशानी हो रही है इसलिए यह मुद्दा सामने आया है। इसके पीछे षडयंत्र हुआ है, यह बहुत बड़ा घोटाला है। मैं चाहूंगा की

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

इसकी जांच करायी जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर योजना में केवल 17 - 18 गांव डूब में आये। वहां पर इंजीनियर्स और अधिकारियों की मिलीभगत से और समन्वय समिति है जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिन्होंने कभी हिसाब नहीं लिया, लेखा-जोखा नहीं लिया, जिन पर पुलिस के आरोप लगे है, उनके ऊपर मुकदमे चले, ऐसे लोगों ने षड़यन्त्र किया है, अपना हिस्सा लेने के लिए, दलाली लेने के लिए यह सारी योजनाएं बनाई। इसलिए अफरा-तफरी में जिन गांवों के कुछ रकबे हैं उनके अधिकांश लोगों को अवार्ड देने के नाम से अलाटमेंट करने की योजना बनाई गयी है। इसमें घासीलाल जांगिड़ नाम के व्यक्ति से 1 लाख, 18 हजार रुपये वापस भी दिलाये गये हैं। इसमें इन्द्रसिंह राणावत भी शामिल है। इन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों और विधवा तक की जमीन षड़यंत्र करके हड़पी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अवार्ड देने में धांधलियां की गयी हैं और करोड़ों रुपये हड़प गये हैं। ऐसी समितियां जिनका रजिस्ट्रेशन हैं उनसे काम नहीं कराया जा रहा, बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा है। अलॉटमेंट और अवार्ड देने में जो धांधलियां की गयी हैं, बहुत बड़ा षड़यंत्र और घोटाले करके जो पैसा हड़पा गया है उसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मांगीलालजी, आप सवाल पूछिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : तेलोलाई ढाणी के तत्कालीन जागीरदार ने इनको जो पट्टे दिये हैं उनको नजरअन्दाज किया गया है। जैसा मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे इसके बाद वे मिनिस्टर साहब स

मिले। मंत्री महोदय, जो जवाब दिया है उसमें दिनांक 11.12.95 का जो आदेश अनिल कुमार चपलोत, उपशासन सचिव द्वारा दिया गया है, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है, कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है, "दिनांक 19.7.93 को जो अलाटमेंट किये गये हैं उनको एतदर्थ द्वारा निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पुनः चरागाह भूमि स्थापित किया जाता है।" साथ ही लिखा है, "आवंटियों को किसी अन्य स्थान पर नियमानुसार आबंटन करें तथा पूर्व में किये गये गलत आबंटन के सम्बन्ध में शीघ्र जांच करवाकर की गयी कार्यवाही से राज्य सरकार को अवगत कराएं।" इस आदेश के द्वारा पुनः जांच की जो बात कही गयी है उसको स्थानीय अधिकारी स्तर पर दबाया गया है और उन गरीबों को परेशान करने की योजना बनाई जा रही है। उनके साथ न्याय किया जाए और इतने बड़े घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाकर राहत दिलायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : डा. शंकरलाल भानुदा।

डॉ. शंकर भानूदा (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान तीन प्रश्नों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा पहला प्रश्न यह हे कि राज्य सरकार कोई भी आदेश निकालती है तो वह मनमाने नहीं निकाल सकती, नियम और कानूनों से

(डॉ. शंकर भानूदा)

वह बंधी हुई है इसलिए सरकार ने जो आदेश निकाला है वह किन नियमों और कानूनों के अंतर्गत निकाला है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, जैसा कि कानून है, जब भी चरनोट जमीन एक्वायर करती है और किसी और उद्यम में काम लेती है तो उसके लिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिया जाता है कि वह उसके उपयोग के लिए सहमत है। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं कि क्या इसमें भी ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव लिया गया है और यदि लिया गया है तो जो विवादग्रस्त जमीन है, क्या उसका लिया गया है ? ग्राम पंचायत इस विवादग्रस्त जमीन को हैण्डओवर करने को तैयार थी या कोई और भूमि देना चाहती थी?

श्री उपाध्यक्ष : दो प्रश्न हो गये, तीसरा प्रश्न पूछिये।

डॉ. शंकर भानूदा : स्थिति वास्तव में यह है कि ग्राम पंचायत ने जो प्रस्ताव लिया है उसमें इस भूमि का कोई जिक्र नहीं है। ग्राम पंचायत देना चाहती थी, कि अभी दे सकती है पर वह दूसरी जगह है। वहां तो लेना नहीं चाहते और वह जमीन लेना चाहते हैं जो ग्राम के पास स्थित है।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है, इसमें लिखा है कि ग्राम दूंनी की राजस्व सीमा में तेलोलाई ढाणी के लिए 33 बीघा चरागाह भूमि आबादी के पास है तथा शेष चरागाह भूमि साढ़े चार से पांच किलोमीटर दूर है। गांव वाले कहते हैं कि 10 किलोमीटर दूर है और राजस्थान सरकार कहती है कि चार-पांच किलोमीटर दूर है। किसने नापा है कि यह कितनी दूर है ? उस स्थान पर जाते तो कोई बात होती। उनके उत्तर से यह बात निश्चित है कि चरागाह के लिए जो भूमि उपलब्ध है वह गांव से बहुत दूर है। अच्छा होता कि जो जमीन दूर है वहां पर विस्थापितों को बसाया जाता क्योंकि गांव के पास वाली जमीन तो गांव वालों के पहले ही काम आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो किसान हैं और आप अच्छी तरह वाकिफ हैं...

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री भी किसान ही हैं।

डॉ. शंकर भानूदा : इसमें लिखा है कि गांव के लिए 33 बीघा जमीन चरागाह के लिए होगी। 33 बीघा जमीन की क्या स्थिति होगी, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, पशुओं को पांव रखने की जगह भी नहीं होगी। उसमें काश्तकार रेवड़ पालेंगे, उनके श्मशान भी होंगे, खलिहान और दूसरी यूटीलिटीज भी होंगी। उसमें पशु चरायेंगे कि ये सब काम करेंगे ?

30 बीघा जमीन उनके पास हैं, आठ और दे दी। विस्थापितों को तो यहां बसाओ चाहे वहां बसाओ उनके क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उनको दूर वाली ही जमीन पर बसाओ। यह स्पष्टतः जान बूझकर किया गया काम लगता है। इसमें पटवारी निलम्बित हो चुका है। जैसा कि माननीय जीतरामजी ने अपने भाषण में निवेदन किया था, यह जान बूझकर लोगों को परेशान करने, पैसा कमाने के हिसाब से की गयी कार्यवाही है। इसको निरस्त कराएं और जिन्होंने दुर्भावना से कार्यवाही की है उनके खिलाफ भी कार्यवाही कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या ढाणी तेलोलाई के काश्तकारों ने लगान देकर यह भूमि चरागाह के लिए आरक्षित करवायी थी ? एडीएम. ने बीसलपुर के विस्थापितों को जो भूमि अलॉट की थी, क्या राज्य सरकार ने उस भूमि का अलॉटमेंट निरस्त कर दूसरी जगह अलॉटमेंट करने के आदेश दिये हैं? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि तेलोलाई ढाणी के चिपकी हुई भूमि जहां काश्तकारों के मवेशी वगैरह बैठते हैं...।

श्री उपाध्यक्ष : यह टोंक जिले का मामला है।

श्री रामप्रताप कासनियां : जी हां, टोंक जिले का ही है। मेरा निवेदन यह है कि ढाणी तेलोलाई के लोगों ने इस जमीन को मुफ्त में नहीं लिया है, जागीरदार को लगान दिया है। चरागाह के लिए जो भूमि आरक्षित की गयी है उस जगह विस्थापितों को बसाया जा सकता है ? मंत्री जी यही मेरा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर टोंक जिले में है...

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल ही कर लें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। डूब में आने वाले लोगों के लिए हम सब संवेदना और हमदर्दी रखते हैं। उन्हें जमीन मिल जानी चाहिए थी। जब विस्थापितों को जमीन देने लगे तो यह बात तय हुई थी कि एक गांव के लोगों को उठाकर दूसरे गांव, जो डाउन स्ट्रीम में बसे हुए हैं, चरागाह को लेकर विस्थापित लोगों को बसाया जाएगा। लेकिन उस समय सबसे पहली बात यह आई कि उस समय तक नहरें नहीं बनी जिससे उन लोगों को लाभ भी नहीं मिला है।

जो प्रमुख समस्या थी उसको हल करने के लिए सबसे पहले टोंक जिले के महुआ ग्राम में अलॉटमेंट हुआ। वहां के काश्तकारों की मुख्य समस्या यह है कि हमारी 208 बीघा जमीन पूरी की पूरी आप उन लोगों को अलाट कर रहे है, इससे हमारे लोगों को बहुत भारी परेशान हो जाएगी, हम अपने जानवर कहां ले जायेंगे, किधर से जायेंगे ? कल को हमारे रास्ते रुक जाएंगे। यह बात राज्य सरकार और प्रशासन से भी कही लेकिन हमारे काश्तकारों की बात नहीं सुनी गयी। उसके बाद जनवरी, 1993 में चार ट्रक पुलिस वहां गयी, सी.आर.पी. और पता नहीं, कहां-कहां से पुलिस मंगाई गयी, एस.पी. और एडीशनल एस.पी. भी भग गये और बड़ी निर्ममता से औरतों को पीटा गया, बच्चों को पीटा गया।

(15.00)

बूढ़ों को पीटा गया। वह तो हमारे लोग थे जो पिटने वाले और उसके बाद उनके खिलाफ केस बना दिये गये। उनकी जमीन सब छीन ली गयी। मेरा निवेदन करना यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

मसला आया है तेलोलाई गांव का, उसके अन्दर कुछ जमीन अलाट हो गयी, कुछ लोगों को उसके कब्जे दे दिये गये। उसी तरीके से कब्जे वहां पर भी मिल गये क्या सरकार इस तरह का विचार रखती है, जो और जगह पर व्यवहार कर रहे हैं कि आप 60 प्रतिशत जमीन तो अलाट कर देंगे और 40 प्रतिशत छोड़ देंगे तो क्या वहां के बारे में भी आपका विचार है कि उन लोगों को जो अलाट हुई है, उन लोगों से जमीन छीनी गयी है, वापस आप 40 प्रतिशत जमीन उन काश्तकारों को लौटायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक। स्पेसिफिक सवाल पूछें।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक सवाल माननीय मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं कि सिवाय चक भूमि में और चरागाह भूमि में, जो राजस्थान सरकार के नियंत्रण में है क्या फर्क है ? क्या , मंत्री महोदय, चरागाह भूमि जो डिक्लेयर हो जाती है, राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज होने के बाद वह नियमों के अनुसार शासित है ? आपको पंचायत का प्रस्ताव लेना चाहिए था अगर आपको कन्वर्ट करना था तो। आपने प्रस्ताव लिया नहीं इस मामले में।

दूसरा यह है कि जब चरागाह भूमि को आप कन्वर्ट करेंगे तो उस समय यह भी ध्यान रखेंगे कि नियमों में यह व्यवस्था है कि आधा बीघा प्रति पशु के हिसाब से चरागाह रखकर उसके बाद में है तो आप कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों बातों का आपने ध्यान नहीं रखा इसलिए आपने जो कोई आदेश दिये हैं वह नियमों के विपरीत हैं। यदि आपने नियमों में कोई संशोधन किये हैं तो वह बता दीजिए।

दूसरे आपने कहा है अपने उत्तर में कि 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के हिसाब से आप कन्वर्ट करते हैं। कई गांवों के ऐसे उदारहण हैं, इसी तहसील के अन्दर गांव बनथली में आपने 60 प्रतिशत से ज्यादा भूमि अवाप्त कर ली और बची हुई भूमि को और कर रहे हैं। इसके बारे में पटवारी ने कलक्टर और तहसीलदार को सब को लिखकर दिया है कि यह भूमि पहले से ही 60 प्रतिशत से ज्यादा कन्वर्ट हो गयी, अब नहीं की जाए। आप इसको भी कर रहे हैं। इसलिए आप इन दोनों सवालों का जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने दो तीन सवाल खड़े किये हैं। उन्होंने मुआवजे के बारे में भी कुछ जिक्र किया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो जमीन एक्वायर की गयी है बीसलपुर बांध के लिए उसके मुआवजे का मामला तो सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है, मैं इस सम्बन्ध में मेरी तरफ से ज्यादा निवेदन नहीं कर पाऊंगा। साधारण सी जानकारी है कि इस सम्बन्ध में इंक्वायरी हुई थी और कई लोगों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। कई लोग सस्पैण्ड हुए हैं, उसमें राजस्व विभाग के भी कुछ कर्मचारी सस्पैण्ड हुए हैं, इतना ही कह पाऊंगा।

(150)

(श्री गंगाराम चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, आबंटन के घोटाले के बारे में मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। केवल मात्र तीन चार गांव जिनका माननीय सदस्यों ने इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में जिक्र किया है, उनके रिप्रेजेन्टेशन आए हैं। वहां के निवासियों ने यह जरूर कहा था कि हमारे यहां गांव के नजदीक आबंटन किया जा रहा है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लें। नो-नो माननीय सदस्य पहले सुनें।

श्री गंगाराम चौधरी : पहले मुझे कहने दीजिए फिर आप कहेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। जिन गांवों के नजदीक में आबंटन हो रहा था उनका मामला भी बहुतों का सुलझा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार का आर्डर है इस सम्बन्ध में 1991 में कैबिनेट में निर्णय लिया था उसी हिसाब से यह पालिसी निर्धारित की। लेकिन उस वक्त चरागाह की 60 प्रतिशत रिजर्व करने का और 40 प्रतिशत छोड़ने का निर्णय नहीं था। यह निर्णय तो अभी 1995 में लिया है कि चरागाह सारे आबंटित या कन्वर्ट नहीं कर दिये जाएं और उसमें गांव के पशुओं की संख्या को देखते हुए कम से कम 40 पर्सेन्ट छोड़ी जाए। विस्थापितों को बसाना भी सरकार के सामने एक बड़ी समस्या है और लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के अन्तर्गत भी कुछ प्रावधान ले रखे हैं। रिहैबिलिटेशन को गवर्नमेंट आफ इण्डिया के इन्स्ट्रक्शन हैं कि रिहैबिलिटेशन भी साथ साथ ही किया जाए। इसलिए सरकार ने इन विस्थापितों को रिहैबिलिटेट करने के लिए यह नीति बनायी थी और इस नीति में हमको कुछ निमयों में संशोधन करना पड़ा जो साधारणतया प्रावधान है कि पंचायत से कन्सल्ट करके ही आबंटन किया जाए। कन्सल्ट वर्ड है उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, एन.ओ.सी. या अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। परामर्श है पंचायत से करने का हमारे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के नियम 7 में। परामर्श करने का प्रावधान है लेकिन बीसलपुर के विस्थापितों के लिए अलग से प्रोविजो जोड़कर उसमें यह बात रखी है कि बीसलपुर के विस्थापितों के लिए परामर्श की भी जरूरत नहीं है और अब तो कलक्टर को पावर्स दे दी हैं।

आबंटन नियमों का जहां तक सवाल है, मैंने निवेदन किया कि अब तक तो जो आबंटन हुआ वह केवल कैबिनेट आर्डर से, दिये हुए सिद्धान्तों के आधार पर किया गया यह जरूरी नहीं है, हमारे लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के अन्दर प्रावधान है लेकिन उन प्रावधानों के अन्तर्गत एडवाइजरी कमेटी या वह प्रोसेस तो इसमें नहीं अपनाया गया है। कैबिनेट में जो आर्डर दिया उस हिसाब से आबंटन ए.डी.एम. रिहैबिलिटेशन द्वारा किया गया है और इसमे पैसा लेकर आबंटन करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। एक तो विस्थापित होना जरूरी है- एक बात, दूसरे जितनी कृषि भूमि का मुआवजा मिलना है उसकी आधी कीमत प्रति बीघा लेकर 4 एकड़ भूमि ज्यादा से ज्यादा हम आबंटन करते हैं। 4 एकड़ से

(श्री गंगाराम चौधरी)

ज्यादा कोई भूमि मांगता है तो इन्दिरा गांधी नहर में आबंटन करेंगे। इस आधार पर आबंटन किया जाता है। इसलिए आबंटन करते ही उनको खातेदारी भी दे देते हैं। अब परेशानी यह है कि यह जिक्र आया था कि राज्य सरकार ने एक दफा इस आबंटन को खारिज भी कर दिया था और चरागाह दुबारा घोषित भी कर दिया था लेकिन उसमें दिक्कत यह सामने आई कि आबंटन करते ही इनको खातेदारी प्रदान कर दी गयी थी इसलिए राज्य सरकार को अपने ओदश विथड्रा करने पड़े और खातेदारी दी जाने के कारण से उन आबंटनों को हमने कायम रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जो प्रश्न मेरे सामने आया है, नियमों का जिक्र मैंने कर दिया कि उसके तहत किया पंचायत का प्रस्ताव जो है इस नामले में 1993 में हुआ था राष्ट्रपति शासन के दौरान इसलिए, उस वक्त प्रावधान तो था पंचायत के प्रस्ताव लेने का लेकिन मुझे जानकारी नहीं है उस वक्त प्रस्ताव लिये या नहीं लिये। जब हमने नियमों के अन्दर संशोधन करके पंचायत के कन्सट्रेक्शन की आवश्यकता नहीं समझी अब यह भी बात कही गयी कि अब आरक्षित की है वह भूमि ज्यादा दूर है। मैंने निवेदन किया कि ज्यादा से ज्यादा साढ़े चार या पांच किलोमीटर दूर है, कुछ भूमि आरक्षित, लेकिन 33 बीघा गांव के बिलकुल निकट है। 10 किलोमीटर वाली बात इसलिए सही नहीं है कि दूनी गांव की, पूरे की सीमा भी 10 किलोमीटर में नहीं है। 5-7 किलोमीटर में फैला हुआ है दूनी, हालांकि बड़ा गांव है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहा गया है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी। इसमें दोष इसलिए नजर नहीं आता है कि 1993 के अन्दर कोई प्रस्ताव किया गया था और उसके तहत भूमि की गयी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि जागीरदार से इन्होंने कीमत देकर भूमि ली है। रेवेन्यु रिकार्ड में इस बात का इन्द्राज नहीं है। यह बात सही है कि कुछ लोगों ने उपस्थित होकर कहा था हमने कीमत देकर भूमि ली है। सन् 1991-92 में भी जब एक दफा आवश्यकता आई थी कि जिस जागीरदार ने हमको जमीन पट्टे पर दी थी वही जागीरदार इसमें खुद ही काश्त करने लग गया, यह पुरानी बात है लेकिन मेरे पास यह शिकायत आई तब आदेश दिया था कि जो आदमी जिस चरागाह भूमि में काश्त कर रहा है उसे बेदखल किया जाए। राज्य सरकार ने आबंटन निरस्त जरूर किया जिसका मैंने आपको हवाला दे दिया।

माननीय श्री बैरवा साहब ने यह बात जरूर उठाई है कि डूब में आए लोगों को बसाना है लेकिन कई जगह पहले भी इस सम्बन्ध में समस्या पैदा हुई थी, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मारपीट भी हुई है उसकी मुझे जानकारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरजीराम जी ने दो बातें उठाई हैं कि क्या आधा बीघा प्रति जानवर आप जमीन आरक्षित रखते हैं और

(श्री गंगाराम चौधरी)

क्या यह आरक्षण जो हुए हैं, चरागाह के सिवाय चक जो किये हैं, यह नियमों के विपरीत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने निवेदन किया था कि नियमों में बीसलपुर विस्थापितों को बसाने के लिए विशेष प्रावधान जोड़ें उसमें आधा बीघा वाला हिसाब हमने नहीं रखा, उसमें केवल 40 पर्सेंट ही भूमि आरक्षित करने की है।

श्री हरजीराम बुरडक : आधा बीघा वाला ज्यों का त्यों है, उसमें संशोधन नहीं है। संशोधन आपने सिर्फ यह किया है कि आप कन्वर्ट करेंगे बिना पचांयत की सहमति के और अलॉट कर दी। यह तो है लेकिन आधा बीघा वाले में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

श्री गंगाराम चौधरी : देखिये, नयी जमीन जब हम आरक्षित करते हैं, सिवाय चक से चरागाह जब घोषित करते हैं तब आधा बीघा का हिसाब जरूर लगाते हैं लेकिन चरागाह से सिवाय चक करने में...

श्री हरजीराम बुरडक : चरागाह को आप काश्त में कनवर्ट नहीं कर सकते, नियमों का मतलब ही यह हुआ। जब आप चरागाह भूमि कन्वर्ट करने के लिए नियमों का पालन कर रहे हैं आधा बीघा का तो उसमें से निकालने के लिए भी वही है।

श्री गंगाराम चौधरी : आधा बीघा नहीं रहेगी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कि विस्थापितों को बसाने के लिए हमें जमीन चाहिए और टोंक जिले के अन्दर या आस-पास के जिन जिलों में यह आबंटन किया जा रहा है उनमें सिवाय चक जमीनें बहुत कम हैं, इसलिए जमीन चरागाह से लेने में...

श्री उपाध्यक्ष : पूरा तो सुनें, माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरडक : एक को सुविधा देने के लिए आप...

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम जी बुरडक, कृपया सुनें।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरा जब सेन्टेंस कम्पलीट हो जाए तब आप सवाल पूछ लें। आप पहले खड़े हो जाते हैं और मैं पूरी बात सुन नहीं पाता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि विस्थापितों को आबंटन के लिए सिवाय चक भूमि उपलब्ध नहीं है इसलिए यह जो आधा बीघा वाला सिद्धांत है इसमें हमें शिथिलता देनी पड़ी और 60 पर्सेंट जमीन चरागाह से लेकर ही इनको हम बसा पा रहे हैं और कई जगह ऐसा हुआ, जहां भूमियां हैं वहां पर चरागाह आज समाप्त होते जा रहे हैं। तो यह कुछ परिस्थितियां बदली हैं। उसके साथ साथ में इन नियमों की पालना में भी शिथिलता दी जानी पड़ रही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यह आधा बीघा वाला हिसाब सब जगह नहीं रखा जा रहा है। 60 पर्सेंट हम लेते हैं। विस्थापितों को बसाना भी हमको आवश्यक है। जो विस्थापित हैं उनको प्रति परिवार, 4 एकड़ ही जमीन हम अलाटमेंट करते हैं।

(श्री गंगाराम चौधरी)

अंत मे पुनः यह निवेदन कर दूं, फिर भी इस ढाणी की समस्या हम आपस में बैठकर, आबंटियों को और गांव के लोगों को बिठाकर, हम भी यह चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे रहें वह पास में बसेंगे, कोई न कोई हल निकालेंगे जिससे कि गांव के रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो।

गोपीनाथ मंदिर, सूरतगढ़ की मूर्ति चोरी के प्रकरण की तफतीश

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रमाकान्त, सदस्य, विधान सभा, थानागाजी स्थित ग्राम सूरतगढ़ के गोपीनाथ मंदिर की मूर्ति चोरी होने पर पुलिस द्वारा सक्रियता से तफतीश नहीं करने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री का थानागाजी क्षेत्र के ग्राम सूरतगढ़ के गोपीनाथ मंदिर की मूर्ति चोरी होने पर पुलिस द्वारा सक्रियता से तफ्तीश नहीं करने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 28.3.95 को श्री सुमेर सिंह निवासी सूरतगढ़ (अलवर) ने थाना थानागाजी पर रिपोर्ट प्रस्तुत की कि गांव में गोपीनाथजी कि मूर्ति, काले पत्थर की डेढ़ फीट ऊंची जो बहुत प्राचीन थी, को कोई चुरा कर ले गया। पुजारी ने ग्रामवासियों को दिनांक 27.3.95 को रात्रि को चोरी हो जाना बताया।

उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियोग संख्या 29/95, दिनांक 28.3.95 धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत थाना थानागाजी पर पंजीबद्ध कर थानाधिकारी द्वारा अन्वेषण आरम्भ किया गया। अभियोग के अन्वेषण के दौरान सम्बन्धित गवाहान के बयान लिए गये। सीमावर्ती थानों एवं सीमावर्ती जिलों के थानाधिकारियों को वितन्तु संदेश से मूर्ति की खोज हेतु सूचित किया। संदिग्ध व्यक्तियों से एवं आस-पड़ौस के थानों के संदिग्ध व्यक्तियों -बदमाशान से पूछताछ की गयी।

मूर्ति चोरी हो जाने के सम्बन्ध में भी सभी संदिग्ध व्यक्तियों से कई बार अन्वेषण एवं पूछताछ की है। अभियोग का अन्वेषण भी थानाधिकारी के अतिरिक्त वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा किया गया है। परन्तु सफलता प्राप्त नहीं होने पर अभियोग में दिनांक 31.8.95 को अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुलजिमान में दी गयी। चोरी के अन्य अभियोगों की अन्वेषण के साथ मूर्ति एवं अभियुक्तों की खोज अभी भी जारी है।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीचे से लिखा लिखाया स्टेटमेंट आया और माननीय गृह मंत्रीजी ने पढ़ दिया। यह सारा का सारा स्टेटमेंट एक मनगढ़न्त कहानी है। सच बात तो यह है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई कार्यवाही नहीं की। मेरा

(154)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

निवेदन है कि इस सम्बन्ध में गांव के करीब 200 आदमी यहां पर आए, उनको भीतर तक तो ला नहीं सकता थे क्योंकि विधान सभा का पिछला बजट सत्र चल रहा था, उनमें से 10 आदमी भीतर आए, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले, माननीय गृह मंत्रीजी से मिले, अपनी वेदना बताई लेकिन उसके बाद में पत्ता नहीं हिला।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मूर्ति केवल मात्र वहां 20 गांवों की आस्था और श्रद्धा का ही प्रश्न नहीं है, यह 16वीं शताब्दी की मूर्ति है। इसका भारी ऐतिहासिक महत्व और पुरातात्विक महत्व है। यह मूर्ति उन्हीं दिनों आई हुई है जिन दिनों यहां जयपुर में गोविन्द देवजी महाराज की मूर्ति आई है, जो ऐतिहासिक है। उसके साथ की यह मूर्ति है। पुलिस ने इस बात को महत्व नहीं दिया कि इतनी ऐतिहासिक चीज है, पुरातात्विक चीज है और केवल मात्र एक साधारण मंदिर के अन्दर कोई साधारण मूर्ति चली गयी हो उस प्रकार से इन्होंने बात की। जब जब वहां के थानेदार से बातचीत हुई तो थानेदार ने यह जवाब दिया कि मेरे पास तो सरिस्का पड़ता है और सरिस्का में रोज वी.आई.पी. आते हैं सवेरे से लेकर शाम तक और मैं तो वी.आई.पीज. की खातिर करने में लगा रहता हूं। उसको भी लाभ मिलता है इन वी.आई.पीज. की खातिर करने में। वह थानेदार तीन वर्ष से वहां पर मौजूद है क्योंकि वी.आई.पीज. की खातिर के अन्दर उसको कम से कम यह प्रोफिट तो मिल ही जाता है। इससे पहले भी थानेदार वहां पर वी.आई.पीज. की खातिर करते रहे हैं और उसका नतीजा यह होता है कि बराबर चोरियां वहां पर जोरों से बढ़ रही हैं। खास थानागाजी के अन्दर ही चोर आए और चोरों ने दिन दहाड़े बाकायदा बाजार में जीप खड़ी करके चोरी की। थानेदार भी वहां गये, थानेदार जी पिटकर वापस आ गये और चोर चोरी करके चले गये। इस तरह की प्रवृत्ति वहां पर हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर इस मामले को महत्व देते तो गृह मंत्रीजी इसको यहां के क्रिमिनल इंटेलीजेंस सैक्शन को देते, इंटेलीजेंस के आई.जी. को देते। हिन्दुस्तान में जो बड़े-बड़े संस्थान बने हुए हैं जो अन्तरराष्ट्रीय मूर्तियों की चोरी में लगे हुए हैं। उनकी दुकानें चल रही हैं। दिल्ली, मद्रास में उनकी दुकानें चल रही हैं। वहां पर जाकर के छापे डाले होते और छापे डाल करके पता लगाया होता। इसमें कहानी कही गयी है कि एक कोई सफेद कार आई थी और उस कार के बारे में पता नहीं लगा। जिससे पूछा था कि सफेद मारुति कार थी तो उसके नम्बर भी पूछे होते। यह भी पूछा होता कि पुरानी थी या नयी थी। उस पर कीचड़, मिट्टी लग रही थी या नहीं लग रही थी। उससे यह भी पूछा होता कि उसके अन्दर आदमी बैठा था वह सफेद कपड़े पहने हुए था या नीले कपड़े पहने हुए था, किस तरह

(श्री रमाकान्त शर्मा)

का आदमी था। कहीं कोई पीछा किया गया क्या ?

केवल मात्र यहां पर एक कहानी कह दी गयी कि एक सफेद कार आई थी और हमें अभी तक पता नहीं चला उस सफेद कार का। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि थानेदारजी कब कब वहां पर गये। स्टेटमेंट लेकर के जो पुलिस के अधिकारी इनके पास आए उनसे यह तो पूछा होगा कि सूरतगढ़ कुल मिलाकर के वहां से 6-7 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, थानेदारजी वहां कब कब गये और जाकर के किनसे पूछताछ की ? वह कोई नाम बताए कि उनसे पूछताछ की थी, किनकी गवाही ली। उन्होंने वहां जाकर के किसी से कोई पूछताछ नहीं की। वहां डीवाई. एस.पी. जरूर एक दफा गये थे। इतना बड़ा हादसा हो जाए, अलवर के एस.पी. साहब कभी नहीं गये। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखे, माननीय गृह मंत्रीजी को पत्र लिखे, माननीय महानिदेशक, पुलिस को पत्र लिखे, एस.पी. को पत्र लिखे लेकिन किसी से कोई जवाब नहीं आया इस मामले का। इन सब के अन्दर एस.पी. का भी जवाब नहीं, महानिदेशक को लिखा उसका भी कोई जवाब नहीं। वहां पर एक बार डीवाई. एस. पी. जरूर गये हैं और जाकर के पूछताछ करके वापस आ गये।

थानागाजी का सम्बन्धित डीवाई.एस.पी. राजगढ़ का रहने वाला है। उनको वहां पर आने में छह घंटे लग जाते हैं। उनका कोई सुपरविजन नहीं है, न उनका कोई इन्टरेस्ट है क्योंकि वे राजगढ़ में बैठे हुए हैं इसलिए वे वहां के मामले को ही देखते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह अलग से मामला है, इस मामले को डाइल्यूट नहीं करूंगा परन्तु एक बार वहां से आए, उसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। मेरा निवेदन यह करना है कि आज तक एस.पी. वहां पर नहीं गये। इतनी ऐतिहासिक महत्व की चीज चोरी हो जाए और एस.पी. जाकर मौका भी नहीं देखे। इन्होंने कहा है, जिन लोगों पर संदिग्धता प्रकट की थी, उनसे कई बार पूछताछ की गयी। कैसे पूछताछ की गयी ? यह बताया नहीं कि एक बार भी इन पांच आदमियों को थाने में बुलाया गया हो। कभी भी थाने नहीं बुलाया गया। वहां गये डीवाई.एस.पी. और वहां जाकर पूछ लिया, अच्छा आप हो ? वह बोला, हां। आपने चोरी तो नहीं की ?

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा, मुझे अभी-अभी याद आ गया है, रामाकृष्णन गृह सचिव थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से आ रहा था बस से, यह पुराने जमाने की बात है, आतंकवादियों के जमाने की बात है, रास्ते में कुछ सिपाहियों ने गाड़ी रोकी, थानेदार नीचे खड़े हुए थे और सिपाही बस में आया और अन्दर आकर बोला कि इस बस में कोई आतंकवादी है क्या। वह आकर बोला, थानेदार जी, कोई नहीं है। तो इस प्रकार की बात, पुलिस की कार्यवाही है कि वह वहां गये

(156).

(श्री रमाकान्त शर्मा)

और वहां जाकर उन लोगों से पूछ लिया। उन लोगों से जिन पर शक है, जिन पर संदिग्धता है, जो वहां पुजारी है, जो वहां बैठे हुए हैं, जो किसी प्रकार के भगवे कपड़े पहनकर 24 घंटे वहां रहते हैं और उनकी मौजूदगी में मूर्ति चोरी हो जाए तो उनके ऊपर लोगों की संदिग्धता है, उनको थाने में नहीं बुलाया गया कभी भी। फिर कहा कि गहनता से पूछताछ की गयी। मैं पूछना चाहूंगा गृह मंत्रीजी से कि वह गहनता का अर्थ क्या है, किस प्रकार की गहनता से पूछताछ की गयी ? क्या उनको कोई बिजली का करंट लगाया गया था या उनके ऊपर पानी का टोपा-टोपा छोड़ा गया था ? कौनसी गहनता थी, किस प्रकार की गहनता थी ? यहां पर गहन लिखने के अन्दर तो बहुत अच्छा शब्द आ गया कि गहनता से पूछताछ की गयी। इसमें यह बताया गया है कि कई बार पूछताछ की गयी। कई बार से मतलब तो यह बता दीजिए कि छह दफा की, सात दफा की या आप एडजेक्टिव, एडवर्ब की बात करते हैं। कई बार तो यह बता दें कि छह दफा की फलां-फलां तारीख को की, उस-उस तारीख को की। तो कोई उसमें यह बात भी नहीं आई। कितनी बार, कहां-कहां पर की। इन्होंने लिखा कि खोज अभी भी जारी है। कौनसी खोज जारी है ? कोई 5-7 आदमी बराबर मद्रास की तरफ या लन्दन की तरफ चलते जा रहे हैं जिनसे इनको यह सूचना आ रही है ? किस प्रकार की खोज जारी है, इस स्टेटमेंट से मुझे कुछ समझ में नहीं आता।

आखिरी प्रश्न है। यदि यहां पर इस विषय को गम्भीरता से ले लिया गया होता तो नीचे का सिपाही गम्भीर हो जाता। चूंकि यहां पर इस प्रश्न को गम्भीरता से नहीं लिया गया इसलिए न एस.पी. ने चिंता की, न थानेदार ने चिन्ता की, न डीवाई.एस.पी. ने चिन्ता की। किसी ने किसी प्रकार की चिन्ता नहीं की। यही मेरे प्रश्न है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले वरिष्ठतम विधायक डाक्टर रमाकांत जी ने अपने कथन के प्रारम्भ में यह कहा था कि अधिकारियों ने जैसा भेजा है वैसा पढ़ दिया है। शायद यह आक्षेप नहीं करते तो ठीक रहता क्योंकि 30-35 साल से हमेशा भेजते रहे हैं और इसी श्रेणी में दूसरे लोग आज भेजते हैं और उसी के आधार पर यह सारी व्यवस्था चल रही है। मेरे पास कोई अलग से मशीनरी तो है नहीं कि गृह मंत्रालय से विधान सभा के जवाब देने के लिए कोई एक एजेंसी हो जिससे कि सूचना मंगवावें...

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी..(व्यवधान) जिस समय स्टेटमेंट आपको दिया गया होता तो उसमें बहुत बदलाव आ जाता।

श्री कैलाश मेघवाल : इनकी चिन्ता सही है कि एक मूर्ति चोरी गयी, बहुमूल्य, पुरातात्विक, एंटिक हो सकती है, मैं इसको मना नहीं करता। इस देश में मूर्तियां चोरी हो रही हैं, विदेश में भी जा रही हैं लेकिन -

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : मूर्ति ही

(श्री चन्दनमल बैद)

थी या पेंटिंग भी थीं ? पेंटिंग भी थी या खाली मूर्ति ही थी ?

श्री कैलाश मेघवाल : पेंटिंग भी ऐंटिक होती है, यह तो मूर्ति ही गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन करता हूं कि राजस्थान के जो भी मसले मेरे सामने लाए जाते हैं या माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने लाए जाते हैं या कुल मिलाकर जब इस प्रकार के अपराध घटित होने की सूचना होती है तो उन पर कार्यवाही की जाती है और इसमें एस.एच. ओ. ने की है। डीवाई.एस.पी. ने अलग से टीम गठित करके कई जगह भेजी है। आपका संकेत, गांव वालों का संकेत था कि पुजारी ही इस चोरी में है। पुजारी दो-तीन हैं, उनके बारे में भी जानकारी की गयी है और जो भी संदिग्ध था जैसे किसी का नाम लिया, जगदीश का जो रोडवेज में नौकर है, यह भी हो सकता है तो पता लगा कि वह तो उन दिनों भारत दर्शन यात्रा पर कहीं बस गयी हुई थी, उसके साथ था, वहां नहीं था। किसी और पर शक हुआ कि विदेश में कोई ले जा सकता है। चतुर्भुज के पास पासपोर्ट है, उससे भी जानकारी की गयी। जिस-जिस पर भी शक हो सकता था और जैसा आपने फरमाया, अभी भी कैसी खोज जारी है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि पुलिस कार्य प्रणाली में एफ.आर. देने के बावजूद भी इस प्रकार के जो प्रकरण है, कई बार गैंग-आपरेशन होते हैं, गैंग आपरेशन में कोई पकड़ में आ जाए, गैंग से तो कई-कई चोरियां भी, कई-कई अपराध भी, हत्याओं के अपराध भी इस तरह वर्क-आउट होते हैं, इसलिए वह फाइलें लगातार पुलिस की निगरानी में रहती है। माननीय विधायक ने कई सवाल उन तफतीशों के लिए पूछें हैं कि कब किया, कब नहीं किया। यह विस्तार से यहां जवाब देने की स्थिति में मैं नहीं हूं। मैं तो एक ही निवेदन कर सकता हूं उनसे कि जो उन्होंने और चिन्ता जताई है, जो मेरी चिन्ता है तो मैं और गहनता से एडिशनल एस.पी. को और एस.पी को इस बात के निर्देश दूंगा और दूसरी जो भी तफतीशें चालू हैं, इस बारे में भी विशेष तौर पर ध्यान रखकर तफतीश कराऐं। आप और हम उम्मीद करें कि कहीं वर्क-आउट में पता हो जाए।

भरतपुर में नवनिर्मित मंडी की दुकानें वरीयता सूची के अनुसार आबंटित न कर नीलाम करने से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा भरतपुर में नवनिर्मित मंडी की दुकानों का वरीयता सूची के अनुसार आबंटित न कर नीलाम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कृषि राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत भरतपुर में नवनिर्मित मंडी की दुकानों का

(श्री हरिसिंह)

वरीयता सूची के अनुसार आबंटन न कर नीलाम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कृषि राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : यह सही है कि कुम्हेर रोड पर गौण मंडी यार्ड का निर्माण होने पर भरतपुर शहर के अन्दर स्थित गौण मंडी यार्ड, अटलबंद को दिनांक 23.1.91 से डिनोटिफाइड कर दिया गया था तथा व्यापार स्थानान्तरण नये गौण मंडी यार्ड पर करने के निर्देश भी दिये गये थे। यह भी सही है कि वर्ष 1991 में गौण मंडी यार्ड कुम्हेर रोड में दुकान आबंटन हेतु 63 व्यापारियों के प्रार्थना पत्र वैध पाए गये। चूंकि निर्मित दुकानों की संख्या 30 थी, अतः आवेदनकर्ताओं में से निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वरीयता में आने वाले 30 व्यापारियों को दुकानें आबंटित कर दी गयी। पूर्ण व्यापार स्थानान्तरण की दृष्टि से 16 अन्य व्यापारियों को प्लेटफार्म पर स्थान आबंटित किये गये। इस स्थान का किराया भी रुपये 72/- प्रतिमाह निर्धारित किया गया। इन 16 व्यापारियों को प्लेटफार्म पर स्थान आबंटन की शर्त यह थी कि मंडी प्रांगण में और दुकानों का निर्माण व आबंटन होने पर ये प्लेटफार्म का स्थान खाली कर देंगे। अन्य किसी भी व्यापारी को अस्थाई आबंटन नहीं किया गया।

वर्तमान में मंडी प्रांगण में फुटकर दुकानों सहित कुल 38 दुकानें आबंटन हेतु उपलब्ध हैं। इनमें से 16 दुकानें उन व्यापारियों को बिना आबंटन शुल्क की नीलामी किये निर्धारित आबंटित शुल्क पर आबंटित इस आधार पर की जा सकती है कि उन्हें पूर्व में दुकानों की आबंटन की शर्त के साथ प्लेटफार्म पर अस्थाई आबंटन किया हुआ है। शेष 22 दुकानें वर्तमान नीति के अनुसार शेष रहे अनुज्ञापत्रधारी व्यवसायियों के बीच आबंटन शुल्क की खुली नीलामी से आबंटित करनी होगी। 16 दुकानों को मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बिना नीलामी से आबंटित करने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति दे दी जाएगी।

पूर्व में 20 दुकानों की खुली नीलामी से आबंटित किये जाने हेतु दिनांक 30.1.96 नियत थी, परन्तु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.1.96 को इस सम्बन्ध में स्थगन आदेश जारी किये गये तथा पांच व्यापारियों तथा माननीय उच्च न्यायालय में एक सामूहिक रिट संख्या 499/96 दिनांक 22.1.96 दायर कर नीलामी से आबंटन कर दिनांक 23.1.96 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले गरीब व्यापारियों की दुकानों का प्रश्न है। माननीय कृषि मंत्री महोदय बहुत ही संवेदनशील हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, क्या यह बात सही नहीं है कि अटलबंद का जो सब यार्ड था वह राज्य सरकार ने अपने आदेश से क्लोज किया और आपने उस समय यह भी तय किया कि जितने व्यापारी हैं, जो भी बिजनेस है, उस पूरे

(श्री हरिसिंह)

बिजनेस को कुम्हेर गेट स्थित मण्डी सब यार्ड में ले जाएंगे और उस समय मण्डी कमेटी की मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग में बड़ी खोजबीन करके, बहुत ही सोच समझ कर कम्प्यूटर के हिसाब से 63 व्यापारियों की आपने एक लिस्ट बनाई कि यह 63 आदमी इलीजिबल हैं जिनको दुकानें अलाट की जा सकती हैं ? उस समय दुर्भाग्य से मण्डी में केवल 30 दुकानें निर्मित थीं इसलिए आपने उन 63 में से 30 को दुकानें उस समय अलाट कर दीं। अब बाकी रह गये 33 दुकानदार। अगर 63 दुकानें उस समय निर्मित होती तो आप 63 के 63 को ही अलाट कर देते लेकिन चूंकि 30 ही थीं इसलिए आपने 30 दुकानें अलाट कीं। अब उन 33 को, कहां व्यापार करते वह, इसलिए जो चबूतरा था, उस चबूतरे पर आपने उनको अलाटमेंट की कार्यवाही शुरू की कि यहां पर आप काम करिये। दुर्भाग्य से वह चबूतरा भी आधा कवर्ड था इसलिए 33 में से 16 या 17 दुकानदार उस पर आपने बैठाये, बाकी 16 रह गये। उन 16 के लिये आपने कहा कि दुकानें जब निर्मित हो जाएंगी तब आपको आबंटन पर विचार कर लेंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि आपकी जो समिति की प्रोसीडिंग्स हैं तारीख 18.1.91 की, उसमें है। आप ध्यान दें, उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सब्जी मण्डी में 30 दुकानों का ही निर्माण हुआ है इसलिए उपरोक्तानुसार 30 दुकानों का आबंटन कम्प्यूटर द्वारा तैयार वरीयता सूची में से किया जाता है। 63 की वरीयता सूची है। 17 आबंटियों को सब्जी मण्डी ब्लाक में निर्मित नीलामी चबूतरा, जिसका आधा भाग कवर्ड है, उस कवर्ड भाग में निम्नानुसार साइज का स्थान वरीयता क्रम के हिसाब से अलाटमेंट किया जाता है। यह आपने 17 को किया। आप 16 की कह रहे हैं, 16 नहीं हैं, मंत्री महोदय, 17 हैं। अब रह गये हैं 16। उसके बारे में आपने लिखा है इसमें, आपकी समिति ने, शेष आवेदकों को भविष्य में नीलामी के चबूतरे का शेष भाग कवर्ड होने अथवा दुकानों का निर्माण होने पर आबंटन पर विचार किया जाएगा। इसके उपरान्त सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

अब आप देखिये 63 के 63 का काज आफ एक्शन एक है। 63 के 63 के अधिकार बराबर हैं। वरीयता सूची तो केवल इसीलिए है कि पहले दुकान किस को अलाट होगी, एक-दो-तीन-चार-पांच के हिसाब से। अन्यथा किसी के केस में कोई फर्क नहीं हैं। All are entitled and are in the same position. सब की इक्वल पोजीशन है। और 63 के 63 को आपने उस समय माना है की इनको हम अलाटमेंट करेंगे। उस समय अगर 63 दुकानें अवेलबेल होतीं तो आप अलाट कर देते। अब 63 में से आपने 30 तो सब अलाट कर दी, 16 को आप अब अलाट करने के लिए तैयार हैं। अब बाकी के जो 16 या 17 रह गये हैं, उन्होंने क्या पाप किया है ? वह भी आपके कहने से वहां शिफ्ट हुए मण्डी में आकर के उन्हें आप यह कह रहे हैं, आपका कमिटमेंट है इसमें कि जब या तो चबूतरा कवर हो जाएगा या दुकानें बन जाएंगी, तब आप उनको अलाटमेंट कर देंगे।

(श्री हरिसिंह)

अब आपकी दुकानें वहां पर हैं। आपने 38 दुकानें बना ली हैं इस समय। अब वह जो दुकानें बनी हुई हैं उसमें 16 या 17 जो आदमी रह गये हैं उन्हें आपको आबंटन करना चाहिए। आपने यह समझ कर पहले इस बात पर स्टे भी दिया है। आबंटन करने का तो इनका अधिकार बन गया। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिसइक्वलिटी क्यों आप उनके साथ कर रहे हैं ? बाकी जो 30 और 16 हैं, 46 आदमियों में तो क्या खास बात थी और यह जो 16 या 17 आदमी रह गये हैं इनमें क्या कमी है, इनको अलाट करने के लिए ? इनके साथ क्यों नीलामी की जाए ? अगर नीलामी होती है, गवर्नमेंट नीलामी करती तो 63 के साथ ही करती। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से क्या कारण है इसका कि आप एक केस को दूसरे से डिस्टिंग्युइश कर रहे हैं। 63 के 63 आदमी एक से राइट लेने वाले हैं, एक काज आफ एक्शन है, एक आर्डर से उनको शिफ्ट किया जा रहा है, एक ही मण्डी से दूसरी मण्डी में शिफ्ट हो रहे हैं वह, एक से दुकानदार हैं, उनके साथ में यह अन्याय इस प्रकार से क्यों किया जा रहा है। उनको क्यों नहीं अलाटमेंट किया जा रहा है ? यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि–

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय मंत्रीजी, मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा–

श्री हरजीराम बुरड़क : उत्तर आने दो।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : उत्तर आ रहा है और उसी संदर्भ में मैं निवेदन कर रहा हूं कि उतने जो बचे हैं, आपके पास में 38 दुकानें मौजूद हैं और 38 दुकानों में से पहले जिनको अलाट करनी चाहिए थी, वह आपके ही उस पर हटाये गये हैं जिन्होंने कहीं चबूतरे पर दुकान करी या चबूतरे के बाहर जो रहे, उनको तो आप अलाट करें, उनकी नीलामी नहीं करें। अब यह नीलामी जो कर रहे हैं, बाकी के दुकानदार जो बचे हैं उनको नीलामी न करके आप उनको अलाट करिये। गरीब का हक मारना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय का विशाल हृदय है और वह गरीब का हक नहीं मारेंगे, उनको अलाट जरूर कराएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक काश्तकारों को 10 प्रतिशत दुकानें अलाट की जा रही हैं या नहीं ? मेरी जहां तक जानकारी है, यह घोषणा सचिवालय तक ही सीमित रह गयी है। बस यह दो ही मेरे प्रश्न हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने ही प्रश्न किया और आपने ही जवाब दे दिया। उत्तर भी आपने ही दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी तथ्यात्मक बातें कहीं। यह बात बिलकुल सही है कि अगर उस समय 63 दुकानें बनी होतीं तो 63 दुकानों के पाने के जो पात्र थे उस समय उन 63 सबको दुकान मिलती।

श्री रामनारायण चौधरी : और बनवा दो, साहब।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : लेकिन उसके बाद आज जो स्थिति है, उस समय जिन 17 लोगों को कवर्ड प्लेटफार्म पर हमने उनको स्थान दिया, इसी कंडीशन पर दिया कि जब इन दुकानों का निर्माण हो जाएगा उनको आबंटन कर दिया जाएगा, तो जैसा अभी मैंने पहले मेरे उत्तर में बताया कि वह जो 17 लोग हैं, जो हमारा कमिटमेंट हैं, उनको हम सैक्रेटरी से प्रस्ताव आने के बाद में दुकानें अलाट करने के आदेश दे रहे हैं। जहां तक बचे हुए 16 लोगों का प्रश्न है, अब क्या था कि यह 23.1.91 को जब हमारी मण्डी शिफ्ट हुई थी उस समय जो दुकानों के अलाटमेंट की पालिसी थी और आज जो है उसमें कुछ न कुछ फर्क आ गया है। क्या आया है कि हमने 26 अप्रेल, 95 को एक संशोधन किया, आदेश जारी किये कि फर्स्ट फेज में तो हम दुकानों का अलाटमेंट करेंगे और उसके बाद दूसरी स्टेज पर जो भी हमारी दुकाने बनेंगी उनको हम नीलामी से देंगे। इस प्रकार का निर्णय हमने 26 अप्रेल, 1995 को किया। तो उसी वजह से जो हमारे 17 लोग बचे हुए हैं उनको हम आबंटन नहीं कर पा रहे हैं। कानूनी स्थिति वास्तव में यह है। जब हमने यह निर्णय लिया तो उससे पहले हमने यह भी निर्णय लिया 19 अप्रेल, 1994 को कि जब हम दुकानों की नीलामी कर रहे हैं तो जैसा अभी इन्होंने बताया कि व्यापार करने वालों को वास्तव में वहां पर स्थान मिलना चाहिए, उसके लिए हमने 19 अप्रेल, 1994 को यह निर्णय किया कि अगर दुकानें उपलब्ध नहीं करा पाऐ तो वहां हम व्यापार करने वालों को एक निःशुल्क भूमि का आबंटन करेंगे, वह दुकानें अपने खर्चे से बनाएंगे और 12 साल तक उससे कोई किराया नहीं लिया जाएगा, 13 साल के बाद जो हमारी निर्धारित प्रक्रिया है उससे किराया शुरू किया जाएगा। यह इसीलिए किया कि कम से कम जिनको हम दुकानें नहीं दे सकते, उन लोगों को दुकानें मिल सके। इस प्रकार का निर्णय किया। लेकिन आज अभी भरतपुर की जो स्थिति बताई, यह वास्तव में उन व्यापारियों को तो निश्चित रूप से महसूस करने वाली स्थिति है। उनमें से कुछ लोगों को पहले 30 आदमियों को दुकानें मिल गयीं, उसके बाद 17 लोग जिनको पहले शैड कवर मिले थे उनको दुकानें मिल गयीं, 16 लोग ऐसे रह गये जो वास्तव में पात्र थे और आज उनको वास्तव में आबंटन प्रक्रिया से दुकानें नहीं मिल रहीं। इसलिए इस कानून की जो मंशा है उस

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

मंशा के हिसाब से हम उनको दुकान नीलामी पर ही दे सकते हैं। अगर वह चाहें तो हमारी 19 अप्रेल, 1994 की जो प्रक्रिया है उसके तहत हम उनको प्राथमिकता पर भूखण्ड आबंटन निःशुल्क कर देंगे जिसमें कि वह भी वहां पर व्यापार कर सकें।

दूसरी बात जो अभी कासनियांजी ने कही कि हमारे 10 प्रतिशत काश्तकारों को दुकानों का मामला है। वैसे तो काश्तकारों को अब तक हमने 59 तो बड़ी दुकानें मण्डियों में दी हैं, 19 हमने जो सण्ड्री शाप्स हैं, छोटी दुकानें दी हैं और आगे भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को हमारे व्यापार में भागीदार बनाया जाए और उनके दुकानों की जहां भी आवश्यकता है, कोटे में जहां दुकानें खाली हैं उनको दुकान दी जाए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय मंत्रीजी, मैं तो एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो आपकी समिति की 18.1.91 को मीटिंग हुई, उसमें जो व्यापारियों के और आपकी समिति के बीच में एक एग्रीमेंट सा हुआ, उसमें आपने कुछ कमिटमेंट्स किये उन कमिमेंट्स को आप पूरा कर दीजिए, उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि यह जो बाकी रह गये हैं इनको भी हम आबंटन करेंगे। कृपया आप इन्हें एक्जामिन कर लें। आपके नये नियम बने हैं पर यह तो कमिटमेंट है सरकार का और उसके हिसाब से ही लोगों को दुकान आप अब भी दे रहे हैं, 16-17 को दे रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आप इनको एक्जामिन कर लें। कानूनन कहीं बाधा नहीं हो तो आप इनको अलाट कर दें। यदि कानूनन बाधा हो तो दूसरी बात है। यह मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान) दुकानें बनी हुई हैं, दुकानें तैयार हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर दुकानें नहीं बनी हैं तो बनवा डालें।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : नहीं, 1993 के कानून का, मंत्री महोदय, आप जो हवाला दे रहे हैं उसके बाद जब आप 17 को दे रहे हैं तो फिर 16 को क्यों नहीं दे रहे ? कानून जो आपका बना है उसमें जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को तो आप पूरा करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय मंत्रीजी, दुकानें बनी हुई हैं उन्हें आप अलाट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें, माननीय सदस्य। मंत्रीजी को सुनें। श्री भंवरसिंह डांगावास और बोलना चाहते हैं। श्री भंवरसिंह डांगावास। एक सवाल।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : एक सवाल। सिर्फ एक सवाल। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी आश्वासन दिया है कि किसानों को भी हम दुकाने देंगे। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार का वो आदेश जो पहले निकला था 10% दुकानें दी जायेगी, आज स्टैण्ड करता है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : इसके सम्बन्ध में जो भंवरसिंहजी ने कहा उसमें स्थिति यह है कि हमने दो आदेश जारी किये। फरवरी, 1994 में एक आदेश जारी किया सण्ड्री शॉप, छोटी दुकानें काश्तकारों को 10% दी जाएंगी। उसके बाद में हमने मई, 1994 में दूसरा आदेश दिया कि 10% बड़ी दुकानों में भी काश्तकारों का रिजर्व किया जाएगा। यह व्यवस्था चलती रही और उसके बाद हमारा छोटी दुकानों का तो आज भी कोटा जो रिजर्वेशन का है वो यथा जैसा हमने किया वो है लेकिन बड़ी दुकानों का हमारे प्रोसेस में कहीं मुख्य मंत्रीजी के यहां विचाराधीन पत्रावलियां थीं उस पत्रावली में भूल से या चूक से वो काटे पर और दूसरी फाइलों के साथ उस पर यह आदेश कर दिये कि बड़ी दुकानों का कोटा वापस ले लिया जाए और उस समय स्थिति भी यह रही कि मैं भी बाहर था और वो पत्रावली के आदेश जारी कर दिये गये। दुबारा जब मैं आया तब मुझे मालूम पड़ा तो उस पत्रावली को वापस मुख्य मंत्रीजी को सबमिट किया और मुख्य मंत्रीजी ने भी यही चाहा कि इसको केबिनेट में लेकर और केबिनेट में इस नीति को पूरी तरह से डिस्कस करके इस का निर्णय कर दिया जाए। अब बड़ी दुकानों का जो मामला है वो मंत्री मण्डल के विचाराधीन है और निश्चित रूप से अगली आने वाली बैठक में इसमें निर्णय होगा और 10% निश्चित रूप से बड़ी दुकानों का काश्तकारों का जो भी निर्णय है वो बहाल रहेगा, इसका मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

जहां तक अभी हरिसिंहजी ने जो बताया बयाना के सदस्य ने भी बताया, हमारे लोगों ने भी कहीं कि वास्तव में यह एक अजीब स्थिति है। रामनारायण जी ने भी जिक्र किया। हमारे पास 68 दुकानें हैं निश्चित रूप से, और पात्र 33 हैं तो यह भावना देखते हुए उस नियम में यह रिलेक्स करते हुए कि यह अन्य मण्डियों पर लागू नहीं होगा, बचे हुए 16 आदमियों को दुकानों के बजाय नीलामी के आबंटन कर दिया जायेगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मंत्रीजी को धन्यवाद।

विधायी कार्य

राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

विधेयक पर विचार

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रस्ताव शुरू में मैंने जो पेश किया वो इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये पेश किया और मैं उसको प्रस्तुत भी कर रहा हूं लेकिन इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक वैधानिक पाइंट है कि क्या इस बिल पर वर्तमान स्थिति में विचार हो सकता है या नहीं हो सकता है ? उपाध्यक्ष जी, हमारे रूल्स 66 और 67 बहुत साफ हैं कि किसी भी बिल को इन्ट्रोड्यूस करने से पहले दो रोज का समय माननीय सदस्यों को उस बिल को देखने को मिलना चाहिए। जो ओरिजिनल बिल था उसमें यह खाना-पूर्ति की गयी है यह सही बात है। उसके बाद में जब भी यह विचारार्थ लिया जाये उस वक्त भी यह भावना है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सुबह जो हमको अमेंडमेंट्स दिये गये हैं उन अमेंडमेंट्स को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय भाभड़ा साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को देखें, आपके लीगल डिपार्टमेंट को देखें, लॉ डिपार्टमेंट को देखें और क्या इस प्रकार का बिल आज यहां डिस्कस हो सकता है। उपाध्यक्ष जी, जो ओरिजिनल बिल है उसमें कुल 37 क्लाज हैं और माननीय प्रभारी मंत्री जी ने इसमें थोड़े से संशोधन किये हैं। वो गिनाता हूं -क्लाज- 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 और सूची।

माननीय उपाध्यक्ष जी, गलती से क्लाज 4 में अमेंडमेंट पेश करने से रह गया इसलिए मैं आपसे पहले तो निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी आप कोई अमेंडमेंट पेश करना चाहें तो कर दीजिये।

उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात को बहुत सीरियसली लेता हूं कि हमारे लेजिस्लेटिव बिजनेस को जिस प्रकार से हल्का किया जा रहा है वो सदन की चिन्ता का विषय है, मेरी भी उसमें चिन्ता है। बहुत बड़ी चिन्ता है। आज जिस प्रकार का व्यवहार लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, इस प्रकार के जो नये बिल हैं आपको तो पूरे इतिहास का पता है, जब इस विधान सभा में कोई भी नया इम्पोर्टेंट बिल पेश हुआ है जिसमें 50-40 क्लाजेज हों, कोई भी बिल आपको ऐसा नहीं मिलेगा 1952 से लेकर और बहुत समय बाद तक कि उसको सलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा गया हो। सलेक्ट कमेटी में भेजना उस बिल को सही रूप से पास करना होगा।

उपाध्यक्ष जी, इस बात को हम देख चुके हैं कि राजस्थान पंचायत राज विधेयक, पंचायत कानून जो हमने बताया, हमने बार-बार यहां से मांग की कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजिये, बहुत इम्पोर्टेंट कानून है। सरकार ने नहीं माना

(श्री शिवनाथ सिंह)

और उसका नतीजा यह है कि आज तक न उसके नियम बन पाये हैं, न उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है और पंचायत राज की जो भावना थी बिल कि न वो पूरी हो रही है। इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी बिल हो विपक्ष सही कदम उठाने के लिए सरकार को चेताता है। आप स्वीकार नहीं करते हैं। आज, उपाध्यक्ष जी, हम क्या जस्टिफिकेशन इस बिल के साथ में करेंगे? हर क्लाज में अमेंडमेंट है इसका मतलब पूर्ण रूप से पूरा नया बिल पेश हो गया हमारे सामने और मैंने जैसा कहा है कि यह संवैधानिक पाइंट है जो हमको आज सुबह मिला है, दो रोज का समय हमको इसको देखने का नहीं मिला है। आज पूरे क्लाजेज एवं पूरे बिल को रि-ड्राफ्ट कर दिया गया है संशोधन के माध्यम से, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा जो इसको जनमत के लिये भेजने का है वो तो पाइंट गौण हो गया। अब मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, कि इस ओरिजिनल बिल को विथड्रा करें और नया बिल लाने के लिये इस सदन में आएं। आज चाहे कितना ही हो, भाभड़ा साहब इस बात को मंजूर नहीं करेंगे, उनकी आदत है कि वो जो सोचते हैं, सही है। हम उनके पांडित्य के कायल हैं, बड़े विद्वान हैं और संस्कृत के बड़े ज्ञाता हैं लेकिन संस्कृत श्लोक उच्चारण के बाद में माफी भी मांग लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस प्रकार का बिल आप पायलट नहीं करें। जो पर्यटन मंत्री हैं वह होतीं, मैं इस बात के लिए नहीं कहता। उनकी समझ की बात नहीं है लेकिन आप इतने विद्वान होते हुए, इतने योग्य मंत्री होते हुए भी, मैं इस समय इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो बिल पेश किया उसमें अमेंडमेंट आपने रखे हैं, आज सदन उन पर विचार करने में असमर्थ है। मैं तो अपने आपको असमर्थ पाता हूं। इसलिए या तो इस बिल को आप सलेक्ट कमेटी का जो आगे आने वाला प्रस्ताव है, सलेक्ट कमेटी में भेज दीजिये या बिल को विथड्रा कर नया ड्राफ्ट आप हमारे सामने लेकर आएं। मुझे, माननीय उपाध्यक्ष जी, इस वक्त इतना ही निवेदन करना है और फिर यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसको जनमत जानने हेतु मैं परिचालित क्यों करवाना चाहता हूं उसमें अपनी बात कहूंगा। उसका जवाब दे दो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ऐसा है, यह स्टेज प्रिलिमिनरी आब्जेक्शन की नहीं है क्योंकि बिल तो पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया है। यह तो विचारार्थ हम ले रहे हैं। आपने जो आपत्ति उठाई...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हाथों हाथ ही इसको कैसे पास करेंगे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह नहीं कह रहा हूं मैं।

166

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतने संशोधन मैंने जीवन में कभी नहीं देखे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : दो मिनट बैठो न आप, अब आपको इतनी जल्दी क्या है ? आपने प्रिलिमिनरी आब्जेक्शन किया है जो इंट्रोडक्शन के पहले होना चाहिए कि इसकी कापी दो दिन पहले सर्क्यूलेट नहीं हुई। आपने यही कहा है ?

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने यह कहा कि सर्क्यूलेट तो हुआ था। आज जो आपने अमेंडमेंट के माध्यम से नया रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, आप अब यह भूल जाइए। अभी तो बिल पर इंट्रोडेक्शन की आपत्ति की बात करें तो प्रिलिमिनरी नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिए वह प्राथमिक आपत्ति नहीं है। यह तो विचारार्थ लेने पर आपत्ति है। अब उसमें आपने आपत्ति यह की है कि या तो सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए और या फिर इसको वापस लेकर, दुबारा ड्राफ्ट करके प्रस्तुत करें आपकी आपत्ति यह है।

श्री शिवनाथ सिंह : जी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा निवेदन इसमें यह है कि इस बिल पर बिजनस एडवाइजरी कमेटी में विचार हुआ, शायद उसमें आप भी मौजूद थे और उसमें यह हुआ कि चूंकि रज्जु मार्ग के लिए कई प्रपोजल्स आ रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से यह जरूरी है कि हम इस पर कोई न कोई कार्यवाही जल्दी करें, 6 महीने बाद विधान सभा बैठेगी तो उसमें बहुत डिले हो जाएगी।

श्रीमती कमला : मंत्री महोदय, कोई शतरंज खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ? एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं ऐसे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मंत्रीगण बात न करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो उस बिजनस एडवाइजरी कमेटी में भी यह सवाल आया था इसको सलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। यह विचार आने के बाद फिर यह तय हुआ कि बजाय इसके सभी माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाए जो बिल को विचारार्थ पास करने के पहले उस पर विचार करे और उसमें जो भी अमेंडमेंट करना है वह अमेंडमेंट सजेस्ट कर दे। इस पर माननीय सदस्यों की एक समिति बनी जिसमें माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी थे, माननीय राज्य मंत्री पर्यटन थीं, श्री शैलेन्द्र जोशी और श्री जगदीप धनखड़ थे। इन्होंने बैठकर इस पर विचार किया। विचार करके सारे ही बिल में जहां उनको लगा कि अमेंडमेंट जरूरी है, वह पूरे अमेंडमेंट उन्होंने सजेस्ट किये, समय बचाने के लिए। वैसे तो जो आपने कहा, जो प्रक्रिया नार्मली बताई उसमें कहीं दो राय नहीं है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह मामला

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

बिजनस एडवाइजरी कमेटी में तय हो गया और उसके अनुरूप कमेटी बनाकर कमेटी में विचार कर लिया और विचार करने के बाद अमेंडमेंट दिये हैं इसीलिए इस पर पूरे के पूरे सैक्शंस में अमेंडमेंट हो रहा है। कमेटी ने बहुत विस्तार से एक एक क्लाज पर ही नहीं बल्कि एक एक शब्द पर आपस में काफी विचार-विमर्श करने के बाद ही यह अमेंडमेंट सजेस्ट किये हैं। तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी की अनुशंसा के अनुसार, उनकी इच्छा के हिसाब से और यह एक प्रकार से एक्स्ट्रा आर्डिनरी समझ लीजिये आप इसको, जिसमें स्पीकर साहब की भी सहमति है, लीगल जो उसमें कार्यवाही होनी चाहिए वह है। लेकिन जो नार्मल प्रक्रिया होनी चाहिए वह नहीं है। आपका कहना भी ठीक है कि सामान्यतया नार्मली नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि सलेक्ट कमेटी की जगह पर कई माननीय सदस्यों ने विचार किया आखिर सलेक्ट कमेटी तो माननीय सदस्यों की ही बनती है, उन्होंने बैठकर इस पर गम्भीरता से विचार कर लिया और जो भी अमेंडमेंट उन्होंने सुझाये वह सारे अमेंडमेंट्स आज हमने प्रस्तुत कर दिये हैं। इस बिल को जरूरत के मुताविक आवश्यकता समझते हुए एक्सपीडाइट करना है इसलिए यह प्रक्रियां अपनायी गयी है और मैं समझता हूं कि सलेक्ट कमेटी का काम लगभग हो गया। अब तो रिपीटिशन होगा। आज हम इसको दुबारा, सलेक्ट कमेटी को नहीं भेजते हैं तो जो अमेंडमेंट अब हमारे पास आए हैं, विचार विमर्श के बाद में उससे शायद ही बाहर कोई हो, मैं समझता हूं और यूं तो गुंजाइश हमेशा ही रहती है। आप दस बार सलेक्ट कमेटी बनाइए तो दस बार नये उसमें अमेंडमेंट्स आने की सम्भावना है लेकिन वह प्रक्रिया जो सलेक्ट कमेटी में होनी चाहिए थी वह लगभग पूरी हो चुकी है, उसकी मंशा भी पूरी हो चुकी है। फिर भी यह एक नया बिल है और राजस्थान में वल्कि बहुत कम स्टेट्स हैं इस तरह के नये बिल लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हिमाचल में, 3-4 प्रदेशों में ही हैं। इसलिए भी यह नया बिल है। जैसे जैसे हम इस पर काम करेंगे उसके बाद जब जब भी अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो आपका हमेशा अधिकार है, उसमें अमेंडमेंट्स किया जा सकता है और मैं समझता हूं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि यह बिल इसी रुप में पास हो गया तो उससे कोई भारी नुकसान होगा, हानि होगी। यह तो मैं नहीं समझता। बोलने का अवसर आपको आज भी मिलेगा और चूंकि इस बिल के अन्तर्गत रूल्स लाने के अधिकार सरकार को दिये हुए हैं, आप जो भी इस सम्बन्ध में कहेंगे उन बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा और उनको ध्यान में रखकर रूल्स उसी हिसाब से बनाये जायेंगे। वैसे बिल में क्लाजेज ज्यादा जरूर हैं लेकिन बिल छोटा-सा है, मकसद बहुत छोटा-सा है। मकसद कोई बड़ा लम्बा-चौड़ा नहीं है।

168

श्री रामनारायण चौधरी : मकसद तो कुछ है ही नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मकसद तो है। मकसद इसका यह है कि राजस्थान में पर्यटन का विकास हो रहा है। हमारे पास एक प्रस्ताव आया कि जयगढ़ पर आमेर से एक रोप-वे बनायी जाए ताकि पर्यटकों को वहां पर ले जाने में और अधिक आकर्षण होगा, लोगों को पैदल चलना नहीं पड़ेगा, गाड़ी में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह के कई स्पाट राजस्थान में हैं। माउण्ड आबू पर भी इस प्रकार के स्पाट्स हैं और सीमेंट कारखाने भी राजस्थान में बड़ी मात्रा में लग रहे हैं उन सीमेंट कारखानों में भी इस रोप-वे का प्रयोग किया जाता है तो अब तक तो सरकार के पास केवल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी उसी हिसाब से करते थे। इसको हम एक निश्चित स्वरूप दे सकें ताकि इसमें टेक्निकल खामी नहीं हो। खास तौर से 1992 में हिमाचल प्रदेश में एक दुर्घटना हुई उस दुर्घटना के बाद राज्य सरकार ने भी एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने यह विचार किया कि इसमें अधिनियम ही बनना उचित रहेगा ताकि उसमें सारी टेक्नीकल जितनी भी कमियां हैं वह पूरी हो जाएं और हर तरह से जान, माल का किसी प्रकार का नुकसान हो उसकी पूरी सुरक्षा पहले से ही अधिनियम के अन्तर्गत करायी जाए। इस दृष्टि से यह बनाया है। कलक्टर को इसमें लाइसेंस देने का अधिकार दिया है। इसमें कोई प्राइवेट आदमी, नगरपालिका या कोई कम्पनी, स्वयं सरकार भी रोप-वे चालू कर सकती है तो उसको भी लाइसेंस कलक्टर से लेना पड़ेगा, कलक्टर के लेवल पर। अब जहां तक हुआ है इसको एग्जास्टिव बनाने की कोशिश की है। उसमें टेक्नीकल इंस्पेक्टर्स देखरेख करने वाले इन सबकी व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि यदि यह बिल पास होता है तो राजस्थान में पर्यटन के स्थान जहां जहां पर हैं, इस तरह के प्रस्ताव और ज्यादा संख्या में आने की सम्भावना है। हम यदि यह नयी व्यवस्था करें तो पर्यटकों का आना जाना अधिक होगा।

श्री. रामनारायण चौधरी : हाथों हाथ हो जाएगा ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हाथों हाथ तो कोई काम नहीं होता है। हाथोंहाथ तो जो हाथ में होता है वही होता है लेकिन सम्भावनायें हैं और पूरे परिप्रेक्ष्य में जो राजस्थान में पर्यटन के मामले में जिस तरह से आकर्षण बढ़ रहा है, सारे विश्व में बढ़ रहा है लेकिन जो भी हिन्दुस्तान में आते हैं वह निश्चित रूप से राजस्थान में कहीं न कहीं जाते हैं और इसीलिए उन्हीं को और अधिक आकर्षित करने के लिए है। जैसे जालौर का किला है, जालौर का किला चित्तौड़ के किले से छोटा नहीं है, कम महत्वपूर्ण भी नहीं है लेकिन चूंकि इसमें चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है और पैदल चढ़ने में बहुत ऊंचा पड़ता है इसलिए बहुत कम लोग उसके बारे में जानकारी रखते हैं, यदि वहां पर रोप-वे का काम हो तो मैं समझता हूं कि भारी संख्या में लोग जालौर का किला देखने भी पहुंच जाएंगे। कई ऐसे स्पॉट्स हैं। आज गिरनार पर्वत है, उस पर हर आदमी नहीं चढ़ सकता है। मैं समझता हूं

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आप, शिवनाथसिंहजी, शायद अब इस उम्र में नहीं चढ़ पाएं। ऐसे ही आपका लोहार्गल है, माताजी का मंदिर है तो उस पर भी हर आदमी नहीं चढ़ सकता। मगर यह रोप-वे का सिस्टम हो तो लोहार्गल की कीमत बढ़ेगी कि नहीं ? वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं ? तो कुछ ऐसे स्पाट्स हमारे ध्यान में हैं उनको ध्यान में रखकर ही मैं चाहता हूं कि इसको आप पास कर दें। फिर कोई भी इसमें कहीं पर भी ऐसी स्थिति आएगी तो अमेंडमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप बोलेंगे तो जो भी आप इस समय विचार या सावधानियां बरतने के सुझाव देंगे निश्चित रूप से उसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार नियम बनाएगी और मैं समझता हूं, आपके द्वारा बताये गये जो भी सुझाव होंगे उनको दृष्टिगत रखकर इस बिल के कारण किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं हो, इसी तरह से किया जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, चूंकि सलेक्ट कमेटी आलरेडी बैठ चुकी है एक तरह से, प्रेक्टिकल, व्यावहारिक रूप से और उन्होंने ही अमेंडमेंट, सुझाव दिये हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि इसको पास करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(16.00)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : उपाध्यक्ष जी, अब मैं अपने ओरिजिनल प्रस्ताव पर आता हूं। माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने इसकी उपयोगिता बताई। उन्होंने जो कुछ भी बताई मैं उससे भी अधिक इसको उपयोगी मानता हूं। हमारे लोहार्गल की पहाड़ी पर चढ़ने का भी मौका मिलेगा, बहुत खुशी की बात है। ऐसा कानून बनना चाहिये। लेकिन एक बात से इत्तफाक नहीं करता। आपने कहा कि एक तरह से सलेक्ट कमेटी बैठ चुकी है। उपाध्यक्ष जी, उस समिति में बैठकर जो कार्यक्रम तय होता है, क्या बात होती है, क्या नहीं होती है, सदन उसको जानने की चेष्टा नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए। वहां इन्ही 2-3-4 माननीय सदस्यों को, जो कि काफी योग्य थे और सबसे अधिक योग्य आपने उनको माना, को बुलाकर बैठा लिया। मैं शुरू से ही निवेदन कर रहा था कि जो पंचायत राज कानून के साथ में हुआ है वो ही आपने यहां किया है। जो प्रोसिजर आप आज एडॉप्ट करना चाहते हो, पंचायत राज कानून में यह हुआ, यहां हाउस में डिबेट चलती रहती थी और किन्हीं माननीय सदस्यों को अपना सुझाव देना होता वो माननीय मंत्री के साथ बैठकर दे दिया करते थे और सलेक्ट कमेटी का नया रूप बनाने की परम्परा चल गयी है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे इसमें सख्त एतराज है। सलेक्ट कमेटी अपनी जगह होती है और इस तरह से माननीय सदस्यों को आप बुलाकर बात करते हो, वह एक अलग बात है। यदि सलेक्ट कमेटी में यह सवाल आता, यह बिल

(170)

(श्री शिवनाथ सिंह)

आता तो सलेक्ट कमेटी को अधिकार था लोगों से बात करती, मौके पर जाती, कहां-कहां किस प्रकार की प्राब्लम आती है, उन सब बातों को देखती। वह आपने बाई पास कर दिया और माननीय सदस्य, चाहे 50 के साथ बैठकर बात करो लेकिन जो सलेक्ट कमेटी का रूप होना चाहिए, वो आपने नहीं दिया है। यही मेरा शुरू का निवेदन था। आज सरकार इस लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए बहुत हल्का आंक रही है। इसके लिए कतई सीरियस नहीं है और इस बात का मुझे बहुत एतराज है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने इस बिल पर जनमत जानने के लिए क्यों कहा है ? इस बिल में बहुत सी गलत बातें हैं। कल माननीय मंत्रीजी कह रहे थे कि बिल को पास किया, यह तो इनेबलिंग एक्ट हे, इनेबलिंग बिल है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो सभी एक्ट पास करते हैं वो इनेबलिंग बिल ही होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें हम सरकार को कोई पावर्स नहीं देते हैं। इस बिल में भी इन्होंने पावर्स लेने की चेष्टा की है। लेकिन कल के बिल के खिलाफ बिलकुल कन्ट्राडिक्ट्री है आपने यहां जो काम रूल्स से हो सकते थे, उनको इस एक्ट की धाराओं में रखने की चेष्टा की है। किस प्रकार के फार्म में एप्लीकेंट एप्लाई करेगा, उसका प्रारूप भी इस बिल में दिया है। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, किसी भी एक्ट में कि कौन क्या दरख्वास्त देगा, किस प्रकार के उसके कन्टेन्ट्स होंगे, कभी नहीं होता है। फिर उसकी सैंक्शन किस तरह से निकलेगी, कभी इसमें प्रेस्क्राइब नहीं होता है। आपने इस बिल की जो धाराएं हैं उसमें यह सब प्रावधान किया जो कि रूल्स में होना चाहिए था। फिर आपने प्रमोटर के लिए प्रावधान किया है कि वो अपनी मर्जी से चाहे जब इसको बंद कर सकता है, यह कलाज 22 है। अपनी मर्जी से चाहे तो बंद कर दे, मर्जी से चाहे तो खोल दे। माननीय उपाध्यक्ष जी, रेट्स जो हैं, क्लाज 18 में आपने व्यवस्था की है कि रेट्स की जो परमीशन लेगा, आपरेटर होगा या प्रमोटर होगा, अपनी मर्जी से लागू कर सकता है। सरकार ने सिर्फ इतना ही नियन्त्रण रखा है कि मैक्सीमम और मिनिमम रेट वो तय कर देंगे। आज जिस प्रकार की धोखाधड़ी कंजूमर क्लास के लिए हो रही है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यह प्रमोटर लोगों की जेब काटेगा। अपनी मर्जी के हिसाब से उसमें रेट्स तय करेगा। यह भी इसमें देखने का सवाल है और इसको जिस प्रकार के लोग यूजर्स होंगे, एक नया बिल आ रहा है, राजस्थान में एक नया प्रयोग किया जा रहा है और इसमें प्रयोग नया हो रहा है तो इससे सम्बन्धित कहां-कहां इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, उन लोगों की भी राय जानना बहुत जरूरी है। आपने लोहार्गल के लिए कहा, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए सर्क्युलेट किया जाए और मैं पुरजोर शब्दों से निवेदन करना

(श्री शिवनाथ सिंह)

चाहूंगा कि इस बिल को इस रूप में पास नहीं किया जाए। दूसरा अमेंडमेंट आता है सलेक्ट कमेटी वाला, तो मैं अपने इस प्रस्ताव को विथड्रा कर लूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जनमत जानने हेतु मूव किया था। सरकार ने स्वयं ही साबित कर दिया है कि इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसके बाहर ही पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। यह इस बात से जाहिर है माननीय मंत्री महोदय कि कुल 37 क्लाज हैं जिनमें से 35 अमेंडमेंट दिये हैं। मुलाहिजा, अवलोकन कीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से आज तक राजस्थान के इतिहास में 37 क्लाज के बिल के अंदर 35 अमेंडमेंट नहीं आए होंगे। इससे यह प्रमाणित है, सरकार ने अपना दिमाग ओरिजिनल बिल जो पेश किया, उसके बारे में ठीक तरह से नहीं लगाया इसमें लोगों की राय जानने की आवश्यकता है। मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया कि यह एक नया एक्सपेरीमेंट है। इस नये एक्सपेरीमेंट में कई जोखिम भरे कदम भी हैं। बड़ी रिस्क है। इन सब बातों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने, सरकार ने इसमें 35 अमेंडमेंट दिये हैं और 35 अमेंडमेंट यह पास करवाएंगे क्योंकि इनका बहुमत है। पास हो जाएगा। अब पास हो जाएगा तो, मान्यवर, जो आपकी प्रक्रिया है, इसमें नियम 85 है -

"Passing of Bill. - (1) When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member in charge may at once move that the Bill be passed."

अगर कोई अमेंडमेंट नहीं हो तो Member incharge is free to move that it be passed. But sir, in clause 2, "Where a Bill has undergone amendments the motion that the Bill as amended be passed shall no be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded,..." यह क्लाज 2 है। सरकार को अमेंडमेंट पास कराने के बाद आज यह अधिकार ही नहीं होगा कि इस बिल को ये पास करवाएं। यह अपनी आपाधापी करें बहुमत के आधार पर मान्यवर, बहुमत के आधार पर आसन को प्रभावित करने की भी कोशिश करें तो वो बात अलग है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से काम करना है और हमें भी कांफीडेंस में लेना है, राजस्थान की जनता के साथ इंसाफ करना है, अपोजिशन के साथ भी करना है, तब तो आपको फुल कंसीडरेशन इसमें देना होगा। जनमत के लिए भेज दिया

(172)

(श्री रामनारायण चौधरी)

जाए जनमत के लिए नहीं भेजना चाहते हैं तो सलेक्ट कमेटी में भेजिए और हमारी भी राय जानिए। अगर जनता की नहीं जानना चाहते हैं तो ऑनरेबल मैम्बर्स की राय लो। बहुमत आपका है, सलेक्ट कमेटी आपकी बना लीजिए हमारे भी उसमें आ जाएंगे, हम भी अपना कांट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन यह क्या तरीका हुआ कि 37 क्लाज में आपने 35 अमेंडमेंट दे दिये और वो आज ही पास करवा लेंगे और आज ही आप इस बिल को भी पास करवा लेंगे। नियमों के खिलाफ कैसे करवा लेंगे ? अब आप यह कहेंगे कि नियम अमेंड करवा लेंगे हम, परमीशन ले लेंगे, सस्पैंड करवा लेंगे। तो फिर यह सारी की सारी धांधली हुई, आपाधापी हुई। यह कोई लोकतान्त्रिक तरीका हुआ क्या? यह बिल पास कराने का तरीका हुआ क्या ? कौनसा आकाश टूट रहा है जो आप यह सब कुछ करवा रहे हो ? 35 अमेंडमेंट दे रहे हो और फिर स्पीकर साहब से अनुमति मांग लोगे और उसको अमेंडमेंट करवाओगे, रिलेक्सेशन करवाओगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सिवाय धांधली के कोई काम नहीं है। सरकार बिलकुल अलोकतान्त्रिक है। यह मनमानी करना चाहती है। मैं यहां प्रस्ताव करता हूं कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान। श्रीमती डाक्टर उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, एक नई चीज राजस्थान में लाए जाने के लिए बहुत अच्छा प्रयत्न है। काफी दिनों से चर्चा थी, एक-दो बार इसको लागू किये जाने का पहले भी प्रयास किया गया लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया, उस कारण से इसको लाया नहीं गया। अभी माननीय रामनारायण जी चौधरी कह रहे थे, ऐसा बिल लाने का कोई तरीका है? आप तो अध्यादेश लाते थे। आपको तो बिलों का कुछ मालूम ही नहीं। हम बिल तो लाए हैं कम से कम। मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें इतने संशोधन हुए...

श्री रामनारायण चौधरी : इससे अध्यादेश अच्छे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रहने दो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वास्तव में मैंने भी जीवन में कभी इतने सारे संशोधन नहीं देखे। ये सम्पूर्ण रूप से शामिल ही कर लेते मुझे समझ में नहीं आया है, मंत्री महोदय ने समझाने की कोशिश की है।

अब मैं क्या कहूं, आपने इसमें मनुष्यों को लाने के लिए पर्यटन की बात कही है। खाली मनुष्यों के लिए नहीं, इसमें साथ -साथ पशुओं को भी ले जाने में, माल-भाड़े को ले जाने के लिए और कई तरह से भी, न केवल एक जगह, राज्य में अनेक जगह, रेलवे के ऊपर भी ले जाने वाले मालवाहकों के सम्बन्ध

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में भी कार्यप्रणाली को प्रारम्भ करने की बात कही है। यह लागू हो जाए तो अच्छा है लेकिन इस रूप में तो मामला ठीक नहीं लगता है।

अब यह रज्जु मार्ग है, वैसे यह होगा तारों से, रस्से का कोई लेना-देना ही नहीं होगा और वे तार भी विद्युत प्रवाह के द्वारा चलेंगे। नामकरण जो भी हे, वह है, मैं कुछ नहीं कहती हूं। लोहे के तारों की ऐसी रस्सी बनी हुई है। मुझे इस मार्ग के बनाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इतने संशोधन देखकर मुझे थोड़ा लगा कि मैं बातचीत करने का मौका भी लूं और सुझाव भी दूं इस कारण से मैंने यह रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (अनुपस्थित)। श्री शैलेन्द्रसिंह-श्री शैलेन्द्र जोशी। ये सदन में सिंह का काम करते हैं, इसलिए मैंने कहा है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, ऋषि परशुराम ने 21 क्षत्रियों का नाश किया था। नम्वर-एक पर हमारे पण्डितजी हैं और नम्बर दो पर शैलेन्द्र जोशी हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जो विधेयक लाया जा रहा है, राजस्थान रज्जुमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान में पर्यटन को एक नयी दिशा मिलेगी, यह तो बिलकुल सत्य है, शाश्वत सत्य है। किन्तु इसमें जो प्रावधान रखा गया है कि इसको सरकार द्वारा नहीं चलाया जाकर, पब्लिक सैक्टर में नहीं चलाया जाकर, प्राइवेट सैक्टर में चलाया जाएगा, यह प्रावधान निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम नौकरशाही पर विश्वास कम करने लगे हैं तथा सरकारी तंत्र पर हमारा कोई विश्वास नहीं है इसलिए हम इसको प्राइवेट सैक्टर में देना चाहते हैं।

इसके अन्तर्गत मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जब यह विधेयक बना, उस समय सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के 2-3 माननीय विधायकों ने भी अपनी जानकारी दी, हर मुद्दे पर अपने सुझाव दिये जिसके कारण इसमें करीब 35 अमेंडमेंण्ट्स आए। जहां-जहां उचित समझा, जहां-जहां देखा कि पब्लिक के हितार्थ इस तरह का संशोधन करना अनिवार्य है तो हमारे सुझावों को भी किसी हद तक माना गया। ऐसी स्थिति में इसमें अत्यधिक अमेण्डमेंट हुए। इन सारी स्थितियों में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक निश्चित तौर पर राजस्थान के पर्यटन को समूचे राजस्थान के स्तर पर बढ़ावा देगा क्योंकि इस बिल के माध्यम से हम पहली बार आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह एक शंका और शुबहा बनना इसमें प्रतीत होता है कि कहीं ऐसा न हो कि पब्लिक पर किसी तरह का कोई संकट हो जाए या जन-धन की हानि हो। सुरक्षा के सभी उपायों का इसमें काफी विस्तृत विवेचन किया गया है और इस तरह की लेकूना के

174

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

बारे में सोचा गया है कि कभी समय आने पर एक वैक्यूम के रूप में न रहे, उसको भी पूरा किया गया है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक (अनुपस्थित)। श्री भीमसेन चौधरी (अनुपस्थित)। श्री अमराराम (धोद) (अनुपस्थित) प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जस्ट फार ए मिनट।

मैं आपक अनुमति से बोलना चाहता हूं क्योंकि पब्लिक ओपीनियन एलिसिट करने का मैंने मेरा कोई भी मोशन मूव नहीं किया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जिस दिन इस बिल की चर्चा आई तो मुझे बहुत गलतफहमी हो गई। मुझे स्पष्ट तौर पर सदन में यह कहने से कोई एतराज नहीं कि मुझे गलतफहमी यह हो गयी कि आप रज्जु भैया वाला कोई बिल ला रहे हैं, मैंने कहा कि राजेन्द्रसिंह जी का कोई नामेनक्लेचर हो रहा होगा। अब वे सर संघचालक बन गये हैं लेकिन पहले जब वे तीसरे-चौथे नम्बर पर थे तो मेरे पास एक सचिव थे, जिनके वे बड़े भाई हैं। मैं आफिसर्स को ओड आवर्स में बुलाता था। वे अधिकारी काफी देर तक नहीं आए, पी.एच.ई.डी. के दो चीफ इंजीनियर्स मेरे पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आज उनके बड़े भ्राता आए हुए हैं। आते ही मैंने उनको वापस भेज दिया था कि आपके ब्रदर आए हुए हैं , आप चले जाइए कोई बात नहीं, अपन कल मीटिंग कर लेंगे।

जो सरकार सत्ता में होती है, वह नामेनकलेचर करती रहती है, इसमें मैं इन-प्रिंसिपल कोई एतराज नहीं कर रहा था। मैंने कहा, यह छोटा सा बिल है, जल्दी से पास हो जाएगा। उस दिन शाम को या दूसरे दिन सचिव महोदय के कमरे में जब प्रभारी मंत्रीजी मुझसे मिले तो मिलते ही मैंने कहा कि वहां बी.ए.सी. से मैंने कह दिया है कि बिल निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, रोप-वे बिल पर। मैंने कहा This is a very long Bill. यह सलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए। उन्होंने कहा यह बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह चर्चा हुई थी कि प्रतिपक्ष के कुछ लोग एसोसिएट कर लें। (व्यवधान) आपने कहा क्या, बहिनजी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक शब्द का उल्लेख करने के लिए, आपने चर्चा की है। अब मेरे को भी घर में कोई उज्जवल कहता है, कोई उज्जल कहता है, कोई उज्जु कहता है तो कोई उजला कहता है, आपको भी कितने ही नाम से पुकारा जाता है। रज्जु-भैया एक बहुत प्यारा नाम है, उसको उल्लिखित करने के लिए आपने चर्चा की है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें किसी को आपत्ति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपसे सहमत

(श्री परसराम मदेरणा)

हूं। उज्जला का मतलब भी उज्ज्वल है और आपका भविष्य भी बहुत उज्ज्वल है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह उत्तरोत्तर उज्ज्वल रहे।

मैंने प्रभारी मंत्रीजी से कहा कि इसमें तो काफी क्लाजेज हैं। मुझे एक बात याद आ गयी कि हिमाचल प्रदेश में एक रोप-वे है। एक बार रोप-वे की मशीन कहीं बीच में खराब हो गयी या तार टूट गये तो उस रोप-वे में बैठे हुए सभी बीच में ही लटक गये। कई हेलीकाप्टर्स उनके ऊपर घूमे और इण्डियन एयर-फोर्स को उसमें डिप्लाय किया गया, जो तार टूट गये थे, उनको बड़ी होशियारी से बांधने की कोशिश की गयी। कई घण्टों तक, शायद रात भर तो वे वहां भूखे रहे और उसके बाद में उनको जिंदा नीचे उतार लिया गया।

मैंने मंत्रीजी से पूछा कि आप रोप-वे के ऊपर जो मशीन लगाएंगे, उसको क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं या कुछ और कहते हैं, आप इनको कहां लगाएंगे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कैरियर-ट्राली कहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ट्राली कहो या कैरियर कहो, कुछ भी कहो।

उन्होंने कहा कि अभी निश्चित तो नहीं है लेकिन 2-3 जगह लगाने का विचार है। कोई नाहरगढ़ वाला बता रहा था, कोई उदयपुर में बता रहा था। अभी इन्होंने चिन्हित नहीं किया है, लगाना है कि नहीं लगाना है। अभी तो उसकी हाइट वगैरह देखेंगे, किस हाइट पर लग सकती है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : नयी विधान सभा बिल्डिंग से सिविल लाइन्स तक लगाएंगे।

श्री परसराम मदेरणा : क्यों, सीकर तक लगाने में आपको कोई एतराज है ? वह सीकर तक लग जाएगी, आपके घुटनों में तकलीफ रहती है, वे लगा देंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : बड़ी मेहरबानी होगी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरा बीच में झूलने का इरादा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा विनम्र निवेदन यह है कि सर्टेन अपोजिशन के माननीय सदस्यों ने इस बिल के सभी क्लाजेज पर और in every clause विचार किया और अब ऐसा है, इस पर न कोई ट्रेन बन्द हो रही है, न इसमें रेगुलर प्लेन सर्विस अवरुद्ध हो रही है। समय में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब यह रोप लगाकर नये लोगों को इसमें बैठाना चाहते हैं। अभी अपन हाथी पर बैठा रहे हैं तो लोग हाथी के लिए आते हैं, यह रोप के लिए तो बहुत आएंगे वहां पर। इसमें ज्यादातर टूरिस्ट बैठेंगे, अपने होम टूरिस्ट भी बैठ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।

इसलिए मैं यह कह रहा था कि पब्लिक ओपीनियन की बात आई है, पब्लिक ओपीनियन में आप भी एक्सपर्ट नहीं हैं

171

(श्री परसराम मदेरणा)

लेकिन अगर इतने ज्यादा अमेंडमेंट हैं मैं अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से वार्तालाप कर रहा था, उन्होंने कहा लार्ज नम्बर आफ अमेंडमेंट इसमें मूव करने पड़ेंगे और लार्ज नम्बर आफ अमेंडमेंट करते हो तो स्कीम आफ दी बिल जो हैं, वहुत ही क्रिटीकली एग्जामिन नहीं होती, कोई न कोई उसमें कंट्राडिक्ट्री प्रोविजन रह जाता है। because more or less it is drafting of the new Bill.

इन परिस्थितियों के अन्दर अर्जेन्सी कुछ है नहीं। एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, कन्सोलीडेटेड फण्ड्स जो हैं, सर्विसेज के लिए, सेवाओं के लिए आप फण्डस एप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, उसके अधिकार आपको 31 मार्च, 1997 तक मिल गये। इस रोप-वे के ऊपर, ऐसा मामला है, जब इतने अमेंडमेंट् हैं तो पब्लिक ओपीनियन एलिसिट करने के लिए रैफर करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इस सदन के माननीय सदस्य बैठ करके और दूसरी जगह पर जितने भी बिल्स हैं, इन इनेक्टमेंट्स को यहां पर मंगाना चाहिए। जिन हालात के अन्दर कैरियर या ट्रोली जो स्ट्रेंडेड हुई हिमाचल प्रदेश में, उन सभी परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए और उनकी जानकारी लेनी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसी आशंकाएं हैं आप यह नाहरगढ़ में तो ऊपर जाएंगे कि न जाएंगे, बीच में लटकाए हुए बैठे रहोगे। वे न तो मरेंगे, न वे जिन्दा रहेंगे, बीच में उनकी ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए अगर इस बिल में इतने ज्यादा अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ गयी है और माननीय मंत्रीजी ने उन अमेंडमेंट को स्वीकार करने की सहमति दे दी है... (व्यवधान) आपकी तरफ से, चीफ-व्हिप की तरफ से जो आई है, सब है उसमें। कोई भी एग्रीड जब अमेंडमेंट होता है तो गर्वनमेंट की तरफ से मूव कराना आसान रहता है। दूसरे कर दें तो आप भी तो मूंछों पर ताव रखते हो कि हम दूसरों के नहीं, हमारा अमेंडमेंट् ऐसा होना चाहिए। मेरी यह नहीं थी- A large number of biils I have piloted in this House. I think I may not say. With all the huminity at my command, गांधी ने कहा है कि, "The greatest hour of my triumph is the greatest huminity."

जितना आदमी विनम्र है, वह मेरे जीत का सबसे बड़ा क्षण है। प्रेस्टीज का सवाल नहीं बनना चाहिए। अगर एक रीजनेबल बिल आया है, एक दफ़ा में फोरेस्ट का बिल पायलट कर रहा था (व्यवधान) सर्टेन एतराज किये गये। डेढ़ बजे हाउस का बिजनस एडजोर्न हो गया। मैंने कहा, I refer it to the Select committee.

क्योंकि इसमें जो एतराज माननीय सदस्यों ने किये हैं, वे कन्विन्सिंग भी नहीं हैं लेकिन इस बिल को अच्छी तरह से देखा

(श्री परसराम मदेरणा)

जाना चाहिए क्योंकि यह लाखों लोगों को प्रभावित करेगा, जो आदिवासी एरिया में हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर इसको करने पर तुले हुए हैं तो वह तो मुझे मालूम है। पन्द्रह जुलाई का दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। आज भी मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं और उस दिन भी मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं थे। उप मुख्य मंत्री, मुझें भी अवसर मिला है, दो दफा, उप मुख्य मंत्री का नामिनक्लेचर मेरे नहीं लगा लेकिन जोशीजी के और शिवचरण माथुर के समय में आर्डर आफ प्रिसिडेंट में नम्बर दो था और मेरी पार्टी में भी मैं डिप्टी लीडर था। जो आपका एक मैंने पढ़ा था, इसमें या तो संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि मैं डिप्टी लीडर नही हूं, नोट नेसेसरी कि डिप्टी लीडर का पार्टी में इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं लेकिन मैं डिप्टी लीडर भी चुना गया था, दो दफा यूनेनिमसली चुना गया। एक दफा (व्यवधान) एक कोई चुनाव लड़ा था, मुझे इंटरनल डेमोक्रेसी है, पार्टी में लड़ सकते हैं चुनाव लेकिन जब कभी भी मैं अकेला था और मुख्य मंत्री अनुपस्थित थे तो पूरी रेस्पांसिबिलिटी मैं गवर्नमेंट की लेकर के निर्णय लेता था । कभी भी मैंने यह कोशिश नहीं की कि मैं मुख्य मंत्रीजी को टेलीफोन करूं कि मुझे इसमें क्या करना है। कल मुझे इस फोगिंग के मामले में दो दफा मुख्य मंत्री जी से बात करनी पड़ी । आप उनसे बात कर लीजिए, कर लेंगे और तो क्या बात है । मुख्य मंत्रीजी जब चले गये और उनकी मीटिंग है और मीटिंग में वे बैठे हैं, हम कोई निर्णय नहीं ले सकते तो उनसे भी बात करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि इसको रख दो जैसा वे कहते हैं ।

मैं यह कह रहा था कि माननीय सदस्यों की यह राय है और आगे जाकर एक सैशन तो आपको बजट सैशन से पहले और बुलाना पड़ेगा, यह उस वक्त पास हो जाएगा । इसकी न तो कोई टोपिकल इम्पोर्टेंस है, टाइम की, न इसके बिना राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो रहा है, न यह आपके विकास की जो सम्भावनाएं हैं, कल मुख्य मंत्रीजी ने जो प्राथमिकताएं बताई थीं, चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, चाहे सोशल सैक्टर में है, चाहे राजस्थान को विकासशील राज्यों से सोशियो-इकानामिक पैरामीटर्स के अन्दर और इंडीकेटर्स में, सबसे आगे लाने में, उसमें हम भी आपके साथ हैं - (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : बीमारुपन से मुक्ति दिलवाइये ।

श्री परसराम मदेरणा : (व्यवधान) मरवाना है क्या आपको ?

तो मेरा निवेदन यही है कि सदन की जो राय आई है और माननीय सदस्यों ने जो निवेदन किया है It is full of wisdom. It stands at the highest top of the bar of rationality.उनके आर्ग्यूमेंट तर्कसंगत हैं और युक्तिसंगत है और निश्चित तौर पर मेरा खुद

(श्री परसराम मदेरणा)

का भी अभिमत यह है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को रैफर निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्यमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल 11.3.1996 को सर्क्यूलेट हुआ था और 12.3.1996 को इण्ट्रोड्यूस हुआ था । उस समय यही विचार था कि अगले सत्र तक माननीय सदस्यों को इस बिल की पूरी स्टडी करने का अवसर मिल जाएगा और आने वाले सत्र में वे अपनी राय दे सकेंगे लेकिन यह स्थिति नहीं हुई। माननीय सदस्य शायद इस बिल को देख नहीं पाए।

श्री शिवनाथ सिंह : पूरा देखा है। इसके अमेंडमेंट नहीं पढ़ पाए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं यह नहीं कह रहा हूं। चूंकि इसमें कोई अमेंडमेंट किसी प्राइवेट मैम्बर का आया नहीं है। यदि वे देखते और उनके ध्यान में कोई बात आती तो निश्चित रूप से अमेंडमेंट के रूप में, उनको अमेंडमेंट देने में तो कोई बाधा थी नहीं, उनको छूट थी। यह तो जो अमेंडमेंट आए हैं, जैस मैंने आपको निवेदन किया कि बिजनेस, एडवाइजरी कमेटी और प्रतिपक्ष के नेता की सहमति से जो समिति बनी उस समिति ने अमेंडमेंट्स दिये हैं। समिति के माननीय मैम्बर आपके जोशीजी ने अभी बता भी दिया कि हमने पूरी तौर से इसमें सब प्रकार की सावधानी का ध्यान रखा है।

जहां तक इस बिल को फ्रेम करने का सवाल था, जैसा मैंने आपको निवेदन किया, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और हिमाचल में तीन जगह पर ऐसे बिल हैं। उन तीनों बिलों का अध्ययन करने के बाद और जो 1992 में हिमाचल में दुर्घटना हुई उसको ध्यान में रखने के बाद ही इस बिल का ड्राफ्टिंग किया गया था। यह सारी सावधानियां उस वक्त भी बराबर रखी गयी थीं लेकिन माननीय सदस्य जो आपत्ति कर रहे हैं, मैंने भी इसमें यह नहीं कहा कि आप की आपत्ति नाजायज है। तो ऐसी सूरत में मैंने भी उनको नहीं कहा कि यह आर्ग्यूमेंट कोई महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि मैंने...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप निर्णय पर पहुंचे उसके पहले हमारी भी कोई बात सुन लें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपको नहीं सुनूंगा, आप बैठ जाइये। (व्यवधान) और इसलिये में समझता हूं...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तीन स्टेट का तो देख लिया आपने, वेस्ट बंगाल का नहीं देखा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब आप थोड़ा मुझे ही सुन लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, वेस्ट बंगाल का एक बड़ा इम्पार्टेंट है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, वो नहीं है, बिराजिये। वहां एक्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इम्पार्टेंट ही नहीं है वो ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक्ट नही है वहां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वैसे ही रोप-वे चल रहा है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : केवल कलिम्पोंग में चल रहा है, वहां कोई एक्ट...(व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अपने भी वैसे ही चला लो न, साहब। फिर यह...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : चल रहा है। यहां भी ऐसा ही था, यहां भी औद्योगिक क्षेत्र में अभी भी कई जगह पर रोप-वे है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : खेतड़ी में चल रहा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : राजस्थान में भी सीमेंट फैक्ट्रियों में है। हां, तो कह रहा हूं राजस्थान में भी कई औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहा है परन्तु उसके लिए अधिनियम नहीं है प्रशासनिक व्यवस्था है, उसी प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के लिए अधिनियम ला रहे थे कि पूरी सेफ्टी प्रशासनिक व्यवस्था में तो हो नहीं सकती और अधिनियम से पूरी व्यवस्था होगी जिससे सब प्रकार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।

माननीय शिवनाथ सिंहजी ने मुझे कहा कि मैं अपने आपको इतना पंडित समझता हूं कि किसी दूसरे को कुछ समझता ही नहीं। बात यह है कि अब इसका प्रमाण क्या है ? प्रतिपक्ष के नेता ने भी यही कहा कि मुख्य मंत्रीजी की अनुपस्थिति में मुझे एक बार उन्होंने देख लिया, लेकिन मुझे खेद है कि आज प्रतिपक्ष के नेता ने मुझे नहीं देखा कि जब आप के सारे माननीय सदस्य वैल में बैठे थे और जो उन्होंने मांग की थी, तो प्रतिपक्ष के नेता नहीं थे और उसके बावजूद उसको मैंने स्वीकार किया है। तो इसलिए किसी के बारे में कोई धारणा निश्चित रूप से बना लेना और फिर उसी का आग्रह या दुराग्रह करते जाना यह कम से कम किसी पंडित का लक्षण नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : इसमें एक में और मान लो, झगड़ा मिटे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं कह रहा हूं इसमें कोई पंडित का लक्षण तो है नहीं, पंडित तो वही है कि जो उचित समय पर उचित काम करे। "वज्रादपि कठोरानि, मृदुनि कुसुमादपि", वक्त पर वज्र के समान कठोर भी हो सके और वक्त पर कुसुम के समान मृदु भी हो सके। यही तो पंडिता : समदर्शना है।

श्री शिवनाथ सिंह : आज तो कुसुम बनने का समय आ गया आपका।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो इसलिए मेरा निवेदन यह है कि प्रतिपक्ष के नेता की सलाह पर ही उस समय इस समिति का गठन किया गया था। प्रतिपक्ष के नेता की सलाह लेकर

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

ही उस पर विचार किया गया था ओर अब यदि प्रतिपक्ष के नेता इस बात का आग्रह करते हैं, यह बात सही है कि इसमें थोड़ी-सी यह हानि होगी कि पर्यटन के बारे में हम जो चाहते हैं कि द्रुत गति आए, तो यह पांच-छः महीने का विलम्ब जरूर होगा।

श्री शिवनाथ सिंह : कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, उसका एक नुकसान होगा कि जो पार्टीज आ रही हैं वो फिर चली जाएंगी। अभी तो कुछ पार्टीज प्रपोजल लेकर आ रही हैं, वो लम्बे समय तक प्रतीक्षा करें या न करें, यह एक कमी की बात जरूर होगी।

श्री शिवनाथ सिंह : और आ जाएगी, बहुत आएगी। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप भी कुछ बोलेंगी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सलाह दे दूं फिर आप बोलना। मेरी सलाह ज्यादा अच्छी रहेगी।

मैं कहना चाहती हूं, जब रेल चली तब भी लोग घबराये थे, जब लिफ्ट चली तब भी लोग घबराये थे, नये काम से कई लोग घबराते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। सारी सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए यह रोप-वे पहले तीन जगह लग चुका है और कई जगह लगा हुआ है। मैंने खुद दार्जिलिंग वगैरह में माल को ढोते, ले जाते देखा है और आपने तो पिक्चरों में भी देखा होगा, मैं तो पिक्चर नहीं देखती। मान्यवर, इसमें कहीं आशंका नहीं, सवाल तो सिर्फ इतना था कि इसमें काफी संशोधन हैं इसलिए कोई बात कही थी मैंने। मैं तो मेरी बात वापस लेती हूं। आप लगाइये, बहुत खुशी की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि विधान सभा में हम जो भी कानून पास करें, मूल रूप से हमारा काम कानून पास करने का ही है और इसमें यद्यपि यह बात सही है कि बाहर बैठ कर सारी बात की गयी लेकिन जिस ढंग से और जितने अमेंडमेंट्स इसमें आए और जितने अमेंडमेंट्स को रात को प्रसारित किया गया है, आज अगर अपन इसको बैठ कर जल्दी में पास करेंगे तो थोड़ा उचित नजर नहीं आता। इसलिए मैं इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं जब 29 अमेंडमेंट सरकार पेश करेगी और पेश करके फिर सलैक्ट कमेटी को भेजेगी उसके बजाय तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन उपमुख्य मंत्रीजी से यह है कि तीन-चार महीने बाद सैशन होने ही वाला है, बाहर बैठ कर आपने सलाह कर ली है तो उन अमेंडमेंट्स के आधार पर नया बिल आप ड्राफ्ट करें और नया बिल ड्राफ्ट करके सदन में पेश करें। सरकार अनुमति ले आसन से, इसको विदड्रा करे और विदड्रा करके इनके आधार पर नया बिल अगले सैशन में पेश

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करके पास कराए तो ज्यादा एप्रोप्रियेट होगा और हम इसमें अच्छी तरह से बहस भी कर सकेंगे। मेरी व्यक्तिगत रूप से यह राय है बाकी विपक्ष के नेताजी से _(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : व्यक्तिगत राय है, यह, मैं समझता हूं वह तो ठीक है लेकिन अलग बैठ करके और फिर क्या होगा _

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, यह नहीं कहा मैंने।

श्री परसराम मदेरणा : यह सलैक्ट कमेटी को अपन रैफर नहीं करते हैं तो कुछ मैम्बरों से कंसल्टेशन, डिस्कशन, उनके सजेशन मंत्रीजी ने एक्सेप्ट किये वो अमेंडमेंट वो मूव करने जा रहे हैं। लेकिन जब दुबारा इस बिल को रि-ड्राफ्ट करना है और नया बिल लाना है रि-ड्राफ्टेड फार्म में, मैं ऐसा समझता हूं कि फिर हाउस को बाईपास नहीं करना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाउस को नहीं, मेरा निवेदन यह है वो दुबारा आयेगा न हाउस में। बिल तो हाउस में आएगा, साहब।

श्री परसराम मदेरणा : The Select Committee is nominated by the speaker in consultation with the party in power and the opposition. इसलिए वो हाउस की एक बिल को रिप्रेजेंट करती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा। एक मिनट सुनिये।

श्री परसराम मदेरणा : आज कुछ मैम्बर्स ने सजेशन दिये, आप उसमें एसोसियेटेड नहीं थे तो आप के दो सजेशन और भी हो सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यस।

श्री परसराम मदेरणा : जिन मैम्बर्स ने अच्छी तरह नहीं पढ़ा है अब वो अमेंडेड फार्म में जब क्लाज को देख रहे हैं तो और भी उसमें मोडिफाई करने का उनके दिमाग में एक प्रपोजल आ सकता है। अगर वो देना है तो फिर सलैक्ट कमेटी को देना है। अलग से बैठ कर अपन वापस रि-ड्राफ्ट करेंगे, तो सलैक्ट कमेटी में होता है तो पूरी ड्राफ्ट होती है, सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट यों ही नहीं आती है। सलेक्ट कमेटी में इतने अगर अमेंडमेंट हैं तो सलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट, पूरी की पूरी उस बिल को ड्राफ्ट कर सकती है सलैक्ट कमेटी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, वो ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का मतलब यह था कि इतने अमेंडमेंट सरकार को आज मूव करने पड़े। इसी कारण से तो अपन कह रहे थे कि आज इस पर चर्चा नहीं की जाए। जब यह सारे अमेंडमेंट इतने हैं तो दुबारा जो नया सैशन आए उसमें रिड्राफ्ट करके हाउस में इसको पेश किया जाए और उस पर फिर सदन चर्चा करके, संशोधन पेश करके, बातचीत करके उसको पास कर लें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिए मेरी राय यह थी, उप मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन था और आप से भी था कि सरकार इसके सम्बन्ध में इसमें सारा करके करेंगे तो हम इसको बहुत बढ़िया ढंग से पास कर सकेंगे। इसमें बड़ा लम्बा-चौड़ा नुकसान इसलिए भी नहीं होगा कि तीन-चार महीने में दो-चार रोप-वे, मान लीजिए, लगने वाले हैं, वो नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे तो तीन महीने बाद लगेंगे। लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार से मेरा निवेदन है कि एक-एक करके सरकार 29 अमेंडमेंट एक-एक पास करेगी—

श्री रामनारायण चौधरी : 35 हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, 35 को पास करेगी उसके बजाय इसको विदड्रा करके और सैशन में इसको नये ढंग से पेश करें तो हम सब आराम से पास कर देंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह तो सही बात है। इसमें सुझाव तो दे देंगे हमारे। इस पर कुछ चर्चा तो कर लें।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इन्टरनेशनल ला क्या कहता है ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पर जब आयेगा फिर अमेंडमेंट देने पड़ेंगे। (व्यवधान) फिर अमेंडमेंट देने पड़ेंगे इसलिए यहां थोड़ी चर्चा तो कर लें। कुछ अमेंडमेंट आए हैं, सुझाव दे देंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : विराजें, आप नया प्रोविजन लगा रहे हैं। एक मिनट बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : स्विटजरलैंड में इसके बारे में क्या है ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वो ही तो मैं सुझाव देना चाहता हूं। दो सुझाव हैं मेरे। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब आप विराजिये। प्लीज, आप बैठिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब दो सुझाव आये हैं। एक सुझाव तो यह है कि हम इसको विदड्रा करें दुबारा पेश करें और प्रतिपक्ष के नेता का सुझाव है कि सलैक्ट कमेटी में दे दिया जाए और सलेक्ट कमेटी इसको पूरा रि-ड्राफ्ट करके भी अपनी रिपोर्ट में पेश कर सकती है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह ठीक है।

श्री शिवनाथ सिंह : यह ठीक है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पूरा पेश कर सकती है न ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : यह ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो मैं यह समझता हूं कि इस हालत में यदि हम विदड्रा करते हैं तो फिर सवाल सलैक्ट कमेटी का खड़ा हो सकता है और इससे और अधिक समय जाया हो सकता है।

श्री शिवनाथ सिंह : इस ओरिजिनल बिल को, आपके अमेंडमेंट्स को सलैक्ट कमेटी को भेज दीजिए।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने भी जो अपने विचार प्रकट किये और अपने ऊपर जो +++ लगा है कि मैं देखता नहीं, उसको भी मिटाने के लिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि इसको सलेक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए। अब मैं समझता हूं आज चूंकि हाउस एडजोर्न होगा इसलिए नाम बाद में..(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : +++ शब्द को एक्सपंज करवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : +++ शब्द को एक्सपंज कर दिया जाए।

प्रश्न यह है कि राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996

श्री कैलाश मेघवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह : होम मिनिस्टर कह रहे हैं तो छोड़ो इसको।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी। श्री जुबेर खान।

(माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े ही नहीं हुए।)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे मंत्री महोदय यह बतायें, (व्यवधान) मुझे कोई दिक्कत नहीं है..(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जरा बैठें तो सही उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है। नया कानून लाना चाहिए, गुण्डा एक्ट में पकड़ेगी। कोई तरीका है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री शिवनाथ सिंह : हमारा तो मूव ही नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाए ?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

184

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री कैलाश मेघवाल, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 को पारित किया जाए। सब हां कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 को पारित किया गया।

श्रीमती उजला अरोडा : मालूम पड़ेगा, जब नतीजे निकलेंगे। (व्यवधान)

शासकीय वक्तव्य

जयपुर के रामगंज बाजार में नगर निगम द्वारा की गयी फोगिंग

श्री उपाध्यक्ष : जयपुर के रामगंज बाजार क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कथित फोगिंग के फलस्वरूप फैली बीमारी और तत्संदर्भ में समुचित कार्यवाही नहीं किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15 जुलाई, 1996 को सदन में दिये गये वक्तव्य पर संक्षिप्त चर्चा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर के रामगंज बाजार में नगर निगम द्वारा की गयी फोगिंग

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मेडिकल एण्ड हैल्थ मिनिस्टर का वक्तव्य आ गया था, आज अगर स्वायत्त शासन मंत्रीजी थोड़ा इसमें अपना वक्तव्य दे दें तो माननीय सदस्यों को सवाल पूछने में आसानी रहेगी। मेडिकल एण्ड हैल्थ मिनिस्टर का जवाब तो हमारे पास है।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : जवाब आ चुका है और वह सर्क्युलेट हो गया है।

श्री जुबेर खान : लेकिन स्वायत्त शासन मंत्रीजी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। इसलिए सदन जानना चाहेगा कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं ताकि हम लोगों को सवाल

(श्री जुबेर खान)

पूछने में आसानी रहेगी और समय बच जाएगा। हम सवाल ही पूछेंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : स्वायत्त शासन मंत्रालय से भी इसका बहुत महत्वपूर्ण सम्बन्ध है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : इस प्रकरण का सीधा सम्बन्ध लोकल सैल्फ डिपार्टमेंट से है, नगर निगम से है, स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से है। स्वास्थ्य मंत्रीजी का प्रकरण तो जो पीड़ित लोग हो गये थे उसके बाद का है।

श्री उपाध्यक्ष : एक बार आप स्वास्थ्य मंत्रीजी को सुन लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण के अंदर सरकार की तरफ से जो वक्तव्य आना था, वह वक्तव्य आ गया। आपने व्यवस्था यह दी है कि उस वक्तव्य से कोई और जानकारी चाहे, कोई और प्रश्न पूछना चाहे तो प्रश्न पूछ सकता है। उन प्रश्नों का उत्तर स्वास्थ्य मंत्री दें या स्वायत्त मंत्री दें, इसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि मंत्रिमण्डल के जोइंट रेस्पांसिबिलिटी की हैसियत से हम काम करते हैं। इसलिए आप प्रश्न पूछिये, हम उत्तर देंगे। (व्यवधान).....

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक बोलिये। श्री जुबेर खान। हरिसिंहजी, आप बिराजें।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, यह उचित रहेगा कि सबसे पहले कुछ प्रश्न मैं पूछूं। उसके बाद में जो प्रश्न मैं पूछता हूं केवल उसमें रह जाए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद तो कोई प्रश्न ही नहीं रहेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं ऐसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, सब माननीय सदस्य स्वतन्त्र हैं प्रश्न पूछने के लिए। आपका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि दिनांक 8 जून, 1996 को रामगंज क्षेत्र के विभिन्न मौहल्लों में फैली स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारी की इस सरकार को जानकारी कब हुई ? इन्फार्मेशन आपको सबसे पहले कब मिली ? क्योंकि आपने अपने वक्तव्य में 11 तारीख बताई और 11 तारीख को शाम को बताई है आपने। इसका मतलब है 8 की रात, नौ का दिन, नौ की रात, 10 का दिन, 10 की रात और 11 का दिन, चार रात और तीन दिन तक यह सरकार कुंभकरणी नींद में सो रही थी।

मेरा प्रश्न संख्या - दो, क्या यह सही है कि नगर निगम के महापौर, श्री गुप्ता ने इस बात को महज भ्रान्ति बताया कि स्वास्थ्य में

(श्री परसराम मदेरणा)

तकलीफ व खांसी का कारण नगर निगम की ओर से उन इलाकों में मच्छर मारने के लिए की गयी फोगिंग नहीं है ? उसको भ्रान्ति बताया है उन्होंने, क्या यह सही है ?

प्रश्न संख्या - तीन, उपाध्यक्ष महोदय, रामगंज क्षेत्र में जो बीमारी फैली वह क्या बीमारी थी, उसका तकनीकी नाम क्या है ?

प्रश्न संख्या - चार, बीमारी के कारण जानने के लिए ,परीक्षण हेतु कितने सैम्पल लिये गये फोगिंग मैटेरियल के और वे किन-किन संस्थानों द्वारा लिये गये ? उनका परीक्षण और जांच कहां-कहां करायी गयी ? फोगिंग करने के लिए केमिकल कम्पोनेंट को डीजल के साथ मिलाकर एक निर्धारित टैम्पर जैसे हीटिंग करके फोगिंग किया, उसके कितने नमूने लिये और कब लिये ? कितने दिन बाद लिये और उन नमूनों को किस प्रयोगशाला में परीक्षण के लिये भेजा गया था और उनकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

प्रश्न संख्या - पांच, क्या मेलोथियान का प्रयोग न कर, इट इज माई चार्ज, कोई और केमिकल का प्रयोग किया गया, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाइंट को प्रभावित कर गया और श्वास व खांसी की बीमारी हो गयी ? यह ट्रूथ है, किसी दिन आ जाएगी।

प्रश्न संख्या - छह, क्या राज्य सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों.... (व्यवधान) जवाब नहीं देना, जवाब तो पूरा साथ में देना। जब तक एंटायर गेमट को मैं सामने नहीं रख दूं तो दोनों ही मंत्री जवाब कैसे देंगे ? क्या सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों की जो टीम इस बीमारी की जांच हेतु बनाई थी ? Team comprising of five doctors of different specialities. वह जांच के पश्चात् किसी निष्कर्ष पर पहुंची ? जो बीमारी फैली वह एलर्जिक ब्रोकांइटिस थी अथवा नीमो नाइटिस ? क्योंकि अखबार मैंने पढ़ा है, पहले उन्होंने एक रिपोर्ट दी प्रिलिमिनरी, उसके बाद में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दी और क्या मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस टीम ने फाइनल रिपोर्ट दी है और अगर फाइनल रिपोर्ट दी है तो उनका निष्कर्ष क्या है ? यदि नीमो नाइटिस का कारण एलर्जिक था तो यह संक्रामक बीमारी किस कारण से फैली, किस वजह से लोगों को इस बीमारी ने पीड़ित किया ? क्या आपने पीड़ित मरीजों के खून की जांच, बायोस्कोपी करायी है ? अगर करायी है तो उसकी जांच के क्या परिणाम निकले ? नेशनल इन्स्टीट्यूट कम्युनिकेबल डिजीजेज के दो विशेषज्ञ डाक्टर पी.पासा और डाक्टर आर. एस. गुप्ता ने भी अनुसंधान किया था, उनकी जांच की फाइंडिंग क्या है ? श्वांस रोग के विशेषज्ञ डाक्टर बी.आर. कामथ बम्बई से यहां आए थे उन्होंने भी जांच की, उन्होंने इस बीमारी के क्या कारण बताये हैं ? फोगिंग मिश्रण में कौनसा-कौनसा केमिकल इस जांच रिपोर्ट में पाया गया है ? बीमारी की जड़ यहां है और बीमारी की जड़ इसलिए है

(श्री परसराम मदेरणा)

कि जिस नुआन के डीजल के साथ इस्तेमाल करने की बात आप कह रहे हैं और जिस फोगिंग के लिए प्लेग फैलने के बाद में पूना से वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के आपके पास में निर्देश आए थे, नुआन कभी भी डीजल के साथ में मिक्स नहीं की जाती है, वह हमेशा वाटर के साथ में मिक्स की जाती है। मच्छर मारने हों, कीड़े मारने हों, आपको चूहे मारने हों तो इसमें होती है। आप मच्छर मार रहे थे या आदमियों को मारना चाहते थे ? इस बीमारी के डाइग्नोसिस के लिए क्या मेडिकल जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस बीमारी का पता केवल मेडिकल एक्सपर्टस या दूसरे लोग जांच से लगा सकते हैं। क्या लंग एक्सपाइरेट करायी ? और लंग एक्सपाइरेट मैटेरियल का केमिकल एनेलेसिस कराया या नहीं और लंग एक्सपाइरेट को वायरल कल्चर के लिए पूना लेबोरेटरी में भेजा या नहीं ? क्योंकि आपके पास लेबोरेटरी नहीं है। लंग एक्सपाइरेट वायरल कल्चर ओर ब्लड को वायरल कल्चर करने के लिए आपके पास में कोई लेबोरेटरी नहीं है इसलिए क्या आपने पूना लेबोरेटरी में भेजा या नहीं ? क्या आपने बीमार पड़े हुए मरीजों का ब्रोकल वाशिंग कराया क्या नहीं ? ब्रोंकाइटिस वाशिंग मैटेरियल का एनेलेसिस कराया कि नहीं आपने ? क्योंकि वाशिंग मैटेरियल का एनेलेसिस कराना बहुत ही आवश्यक है और वही स्पेशली जांच का कारण बन सकती है। नेचर आफ रीजन का पता लगाने के लिए वाशिंग मैटेरियल की ? जब तक आप वाश नहीं करते है तो, क्योंकि वह चिपकता है, यह ऐसी बीमारी थी जो चेस्ट में जो ब्रोंकाईल ट्री है, उसमें चिपकी हुई चीज है वह वाशिंग से ही बाहर आ सकती है, यह आपने करायी या नहीं करायी ? नगर निगम द्वारा फोगिंग में जो रसायन काम लिया गया था उसका रासायनिक विश्लेषण व मिश्रण का रेश्यो क्या था ? फिक्स्ड है वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन और हैल्थ मिनिस्ट्री से, इससे ज्यादा अगर आपने लगाया तो it is dangerous to human being and रेजीडेंशियल एरियाज में यूज ही नहीं होना चाहिए। क्या यह रेश्यो निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप था ? क्या फोगिंग से पूरी इस बात की जांच कर संतुष्टि कर ली गयी थी कि मिलाया गया मिश्रण मानदण्डों के अनुरूप है? (व्यवधान) आप अगर समझने की कोशश नहीं करेंगे तो आपसे मेरा अनुरोध है कि बूंदी पधारिये।

क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में फोगिंग करना आवश्यक बताया है? जैसाकि वह कह रहे हैं कि निर्देश दिये थे। यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश किस पाइन्ट पर हैं ? नुआन के साथ डीजल मिला हुआ था कि नहीं था ? डीजल मिलाना ही नहीं चाहिए। It is hazardous just for human life. कभी भी मिलाकर फोगिंग होता ही नहीं है। मौतों के पहले यह

(श्री परसराम मदेरणा)

एपेडेमिक फैला हो या प्री-फ्रेयर्डली कोई मेले लगते हों या बड़ा काम्बीनेशन हो, दि नुआन फार पोस्क्यूटोज के लिए या दूसरे जानवरों के इन्सेक्ट्स को मारने के लिए डम्पिंग एरिया में यूज होता है। मलेरिया मारने के लिए ह्यूमन पापुलेशन के बीच में नहीं। हमेशा नुआन इन वाटर, मिक्स किया जाता है, नेवर इन डीज़ल। और उसका जो रेश्यो है it should be less than 1%. जहां तक मुझे अनआफिशियल जानकारी मिली है, स्वास्थ्य मंत्रीजी, इसका रेश्यो दो से तीन प्रतिशत था, लोग मरे नहीं, भगवान के भरोसे है, लेकिन मर सकते थे. Last but not the least, क्या इस घटना की जांच हेतु आपने आयोग गठित किया है, जिसका नाम बेरी आयोग है? (व्यवधान) बेरी में भी आजकल इन्फेक्शन होने लग गये। जोधपुर में डीपलीबोरड हिन्दुस्तान में मशहूर था लेकिन उसके बाद में बीमारी फैलने लग गयी फर्टिलाइजर की वजह से। अब बन्द हो गया है, देश में सबसे अच्छा था। तो उस बेरी आयोग के टर्म्स और रेफरेंस क्या है ? इसकी सदन को जानकारी दें और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, राजस्थान सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को और जो फोगिंग के लिए जो इन्चार्ज हैं, ह्यूमन रेजीडेंशियल में, उनको किस प्रकार के निर्देश दिये हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई प्रश्न रह गया क्या? रह गया ? जवाब आने दीजिए। मंत्री महोदय। (व्यवधान) सारे प्रश्न हो गये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम अभी प्रश्न करेंगे। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा काल अंटेशन था। उस दिन जिस तरह से हाउस चला उसमें यह फोगिंग खतम हो गया। अब प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने पूछा है तो जिन सदस्यों के काल अंटेशन थे उनको अधिकार है पूछने का इस चर्चा में, सवाल पूछने का अधिकार है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सबको बुलाना पड़ेगा आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी, पूछिये क्या सवाल पूछ रहे हैं। (व्यवधान) पहले शैलेन्द्र जोशी को पुकारा है। बोलिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा पहला प्रश्न यह है, मंत्री महोदय, कि मिक्सचर बनाने की नगर निगम में जो फोगिंग मशीन है, जो अमेरिका से खरीदी हुई है उसका कोई सर्विस कान्ट्रेक्ट है ? क्या यह सही है कि दो-तीन साल से उस फोगिंग मशीन की एक बार भी सर्विस नहीं हुई ? क्या यह सही है कि डाक्टर कामथ ने उसकी जो गन है उस पर दो इंच

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

का डिपोजिट कार्बन देखा ? क्या यह सही है कि फोगिंग के बाद डाक्टर कामथ की यह ओपीनियन थी कि यह मशीन पूरी डिफेक्टिव है और इसका एक वाल्व बन्द है जिससे एक तरफ की ही दवा निकल रही है ?

(17.00)

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि आपके यहां जिन्होंने फोगिंग की है वह मुनफ्फर हुसैन, नान टेक्निकल स्टाफ है, कोई भी उनको टैक्नीकल ट्रेनिंग नहीं दी गयी है, न ही हैल्थ डिपार्टमेंट का कोई डिप्लोमा है ? यह जो नान टेक्निकल स्टाफ फोगिंग कर रहा है इसके इन्चार्ज हैं उनकी नियुक्ति के बारे में लोकायुक्त राजस्थान सरकार ने और मुख्य मंत्री महोदय ने, दोनों ने ही उन तीनों अधिकारियों को निलम्बित करने की रिकमण्डेशन की है। उसके बावजूद भी, माननीय मन्त्री महोदय, आपने तीनों को निलम्बित नहीं किया और नॉन टेक्निकल स्टाफ से ही लगातार आप जयपुर में फोगिंग करवाते जा रहे हैं जिसका यह हश्र हुआ।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि यह जो नुआन का मिक्सचर है उसमें डेनसिटी नुआन की बहुत ज्यादा हैवी होती है और यह नीचे रहता है तथा डीजल हल्का होता है इसलिए डीजल ऊपर रहता है। तो क्या इसके लिए फोगिंग के टाइम जो रोटेटर था वह प्रोपरली काम कर रहा था ? यदि रोटेटर काम नहीं कर रहा था तो ऐसी स्थिति में फोगिंग करवाई वह एक्स्ट्रीम पायजनस थी। इस मशीन पर एक मिनट में 900 रुपये का खर्चा आता है, ऐसी स्थिति में क्या यह सही नहीं है कि डिफेक्टिव मशीन से फोगिंग हो रही थी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री जुबेर ख़ान : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम भी बुलाया था। विपक्ष के नेता महोदय उठ गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय मैंने विष्णु मोदीजी का नाम पुकार लिया है। पहले विष्णु मोदी उसके बाद आप।

श्री जुबेर ख़ान : माननीय मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि दिनांक 2 अगस्त, 1985 को जोइंट सैक्रेटरी, मेडिकल एण्ड हैल्थ, गवर्नमेंट आफ॰इण्डिया ने राजस्थान सरकार के मेडिकल एण्ड हैल्थ के डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी कि फोगिंग का आपरेशन बंद कर दिया जाना चाहिए, आगे रेगुलर नहीं होना चाहिए।

मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह भी सही है कि उसमें यह भी कहा गया कि इनीशियल स्टेज पर तीन या चार साल में एक बार आप करा सकते हैं ? क्या यह भी सही है, यह जो रिपोर्ट आई है आपके डाक्टर स्पेशलिस्ट की, इसमें कहा है कि दीनबन्धु आचार्य, जो नगर निगम के मेडिकल आफिसर हैं, एडमिट किया है कि जयपुर शहर

(190)

(श्री जुबेर खान)

में सत्तर म्यूनिसिपैलिटी वार्ड में प्रत्येक माह फोगिंग की जाती है ?

मेरा तीसरा सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि रिपोर्ट में दर्शाया है, स्थानीय वातावरण की वजह से यह निमोनिया हुआ, रिपोर्ट में दिया है कि स्वेटिंग थी, लोगों को पसीना आ रहा था, आई बर्न था और उसके साथ-साथ स्किन रशेज थे। क्या जयपुर शहर में कभी इस तरह की बीमारी इन मौहल्लों में हुई है ? यह कहा गया है कि वहां दूषित वातावरण है।

मेरा यह भी प्रश्न है, जैसा रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह के आइटम्स, वहां गन्दगी से यह उस तरह की बीमारी फैली, "The inhalation of allergic and toxic substances such as wood dust, moulds, elephant dung, garbage dump, organo phosphorus compund and petroleum products. Some of these substances are present in the material used for fogging." क्या इससे यह नहीं लगता है कि फोगिंग के बाद भी वहां कचरा था या गन्दगी थी उसमें भी कीटाणु गये हैं और उससे यह बीमारी फैल रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम सवाल यह है, **क्या यह भी सही है कि स्पेशलिस्ट डाक्टर की टीम ने यह कह दिया** कि आइंदा फोगिंग बिलकुल बन्द हो जानी चाहिए ? अगर यह कहा है तो क्या आप इससे मान सकते हैं कि फोगिंग से यह बीमारी नहीं फैली है ? आपने कहा था कि एलर्जिक ब्रोन्को निमोनिया है। उपाध्यक्ष महोदय, कौनसा डाक्टर ऐसा है, 24 घण्टे के अन्दर कोई निमोनिया इतना सिवियर नहीं हो सकता। यह जो फोगिंग हुई है इससे एक बीमारी हुई है "एलर्जिक ब्रोन्को अस्थमा" जो यह टाक्सिक फ्यूम्स फोगिंग में से निकले हैं उनसे लोगों के श्वास के अन्दर गये हैं और उससे यह बीमारी हुई है। सरासर लीपापोती करना चाहता है माननीय मेडिकल मंत्री कि यह एलर्जिक अस्थमा है। यह सरासर गलत है। यह आपकी जो अन्दर श्वास गयी है एलर्जिक प्रोकिल अस्थमा नहीं है। यह टाक्सिक फ्यूम्स गये जिससे यह बीमारी फैली।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने इसके अन्दर उत्तर दिया था उसमें 11 जून से 25 जून तक, 9,927 मरीजों की संख्या बतायी है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 8 तारीख को यह घटना हुई आठ तारीख से ग्यारह तारीख के बीच में वहां पर बहुत ही प्राइवेट डाक्टर्स हैं, उनके पास इलाज कराने के लिए वहां के सभी लोग गये, क्या आपने उसका सर्वेक्षण करवाया? उसकी संख्या ली क्या ? आप एक तो वह संख्या बतायें और उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया ?

आपने जो जांच के नमूने लिये हैं और

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

आपने यह कहा है कि केस बनाकर चालान किया जा रहा है तो अभी तक आपने चालान क्यों नहीं किया ? आपने यह भी कहा है, जलदाय मंत्रीजी भी आप ही हैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी, कि हम निर्देश जारी कर रहे हैं अच्छे पानी के लिये। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अब वहां अच्छा पानी उसके बाद शुरू हो गया है? आपकी रिपोर्ट में है कि वहां पर अच्छा पानी नहीं है इसलिए मैंने आपको सम्बोधित करके कहा है।

इसके अन्दर यह है कि पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण विभाग जो है उसके अन्दर वायु का एक नमूना ले लिया। जब आप स्वयं ही तीन दिन बाद पहुंचे हैं और वायुमण्डल और प्रदूषण मण्डल से आपने यह कह दिया है कि नमूना ले लिया और अब वायु वहां पर बिल्कुल ठीक है। आप जब चार पांच दिन बाद गये हैं तो इस रिपोर्ट का क्या मकसद है ? कोई औचित्य ही नहीं है। इस स्टेटमेंट में जो आपने बताया है इस रिपोर्ट का कोई औचित्य ही नहीं है। रिपोर्ट का मतलब, उपाध्यक्ष महोदय, उसी दिन था। इसका कोई औचित्य नहीं है और डाक्टर कामथ की रिपोर्ट को लेकर आपने बताया कि उन्होंने यह कहा है कि इलाज ठीक किया जा रहा है, तो क्या सरकार ने डाक्टर कामथ को इस बात के लिए यहां बुलाया था कि यहां के डाक्टर ठीक इलाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। डाक्टर कामथ ने तीन कारण बताए थे। इन्होंने कह दिया कि वह रिपोर्ट दे दी गयी। वह रिपोर्ट सामने लायी जाए। उसमें उन्होंने कहा है कि पर्यावरण के प्रदूषण से भी यह बात हो सकती है और उसी से हुई है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस फोगिंग मशीन के ऊपर बराबर कर्मचारी और इन्सपेक्टर आपके नियुक्त हैं, बिना उनके निर्देश के, स्वायत्त शासन मंत्रीजी, यह मशीन जा नहीं सकती। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि आप स्वयं, चिकित्सा मंत्री जी और डायरेक्टर हैल्थ और कुछ अधिकारी आपके साथ जयपुर शहर में किसी मौके पर गये थे और उसके बाद शाम को पांच बजे, स्वायत्त शासन मंत्रीजी, आपने कहीं नाश्ता कराने के लिए गाड़ी रोकी थी एक जगह, वहां पर फोगिंग हो रहा था। आपके साथ मेडिकल डायरेक्टर थे हैल्थ मिनिस्टर आपके साथ थे और उस समय आपके साथ अन्दर जो आफिसर्स बैठे थे वह कह रहे थे कि यह क्या गजब हो रहा है ? आपके साथ खण्डेलवाल थे जो कि हैल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं नगर निगम के। यह चलता रहता है, लोगों को खुश करना है। आपकी आंखों के सामने यह हुआ है। क्या यह घटना सत्य है ? डॉक्टर ऋषि, हैल्थ मंत्रीजी, आप तो वहां पर मौके पर पहुंचे और बराबर लोगों का ध्यान खींचने का आपने प्रयास किया कि हम भी वहां पर गये थे,.... डॉक्टर ऋषि ने एक डेड स्टेटमेंट, उपाध्यक्ष महोदय, जारी कर दिया, वहां पर सभी टी.बी.

(192)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

के बीमार हैं। आपने इस बात को महसूस किया होगा। एक जिम्मेदार डॉक्टर इस तरह का डेड स्टेटमेंट जारी कर दे कि सभी टी.बी. के बीमार हैं तो ऐसे डाक्टर से आप क्या मेडिकल कॉलेज के अन्दर और क्या एस.एम.एस. के अन्दर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सवाल यह है, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा स्टेटमेंट इस डॉक्टर ने दिया है। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो धुआं निकला, जनरली सूचना पहले दी जाती है जहां फोगिंग की जाती है। स्वायत्त शासन मंत्रीजी आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से, निगम ने कोई सूचना नहीं दी। वहां पर उस समय कोई डैथ हुई थी, मय्यत में लोग जाने के लिए इकट्ठा हुए थे, यह पांच और छह बजे की घटना है, उस समय यह फोगिंग हुआ और बिलकुल काला था। उसके कारण वह सारे लोग उससे पीड़ित हुए। घरों में जो महिलाएं थीं वह पीड़ित नहीं हुईं। आप अपनी एन्ट्रीज देख लीजिए। जो बच्चे घरों में थे वह पीड़ित नहीं हुए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नाम भी बताना चाहता हूं जो वहां पर उस दिन चार बजे दुकान बन्द करके चला गया वह बीमार नहीं हुआ और दूसरे मोहल्ले से उस जगह खाना खाने आया, मैं उसका भी नाम बता दूंगा, वह बीमार हो गया। **क्या यह आपका फोगिंग का परिणाम नहीं था। मेरा आपसे निवेदन है कि जो इंस्पेक्टर** साथ रहना चाहिये वह इंस्पेक्टर साथ नहीं था। आपने उसको मोटर साइकिल दे रखी है, सारे साजो सामान दे रखे हैं और गलत रूप से आपने उसको इंस्पेक्टर बना रखा है। अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए आप तैयार नहीं है। इसकी जानकारी दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में जो फोगिंग से बीमारियां हुई हैं वह कुछ उसी तरह की दुर्घटना थी जिस तरह की भोपाल में गैस ट्रेजडी हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो केमिकल फोगिंग में काम में लिया गया था उस कम्पनी, जिसने यह सप्लाई किया के खिलाफ नगर निगम ने कोई कार्यवाही की है ? स्वायत्त शासन मंत्रीजी, जिन कर्मचारियों ने फोगिंग की उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की है ? जिस तरह से भोपाल गैस ट्रेजडी में जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको मुआवजा दिया तो यह सरकार मुआवजा देने जा रही है या नहीं ? साथ में अन्तिम सवाल कि यह फोगिंग रामगंज बाजार में ही क्यों हुआ, क्या आपके विशेष रूप से निर्देश थे कि इस तरह की फोगिंग के केमिकल्स लाकर रामगंज बाजार में फोगिंग करवाया जाए और वहां के आदमियों का नुकसान करवाया जाए ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान। कृपया व्यवधान नहीं।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही

(श्री माधवसिंह दीवान)

है कि नगर निगम में मलेरिया डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनकी कुछ योग्यता निर्धारित है ? क्या यह सही है कि उस योग्यता में छूट मांगने के लिए वहां से कागज मूव हुए थे ? जबकि यह स्पेसिफिक है कि टैक्निकल डिपार्टमेंट में क्वालिफिकेशन में छूट नहीं दी जा सकती। क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी छूट देने में शामिल है ? क्या आप इसकी जांच करवा कर किस-किस आदमी ने इस क्वालिफिकेशन में छूट दी जिसके कारण यह हादसा हुआ, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरेन्द्र मिर्धा।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस फोगिंग काण्ड के बारे में चार बातें जानना चाहता हूं।

प्रथम स्वायत्त शासन मंत्रीजी बताने का कष्ट करेंगे कि जो आपकी हैल्थ कमेटी है, कारपोरेशन की, उसमें कौन-कौन व्यक्ति हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या उसमें कोई डॉक्टर मनोनीत नहीं है ?

नम्बर दो, डॉ. कामथ की ब्लड कल्चर रिपोर्ट के अन्दर आर्गेनो फासफोरस पाइजनिंग नहीं बताया गया था ? डा. कामथ का जो ब्लड सैम्पल था, जो उनकी अनआफिशियल रिपोर्ट थी उसके अन्दर आर्गेनो फासफोरस पाइजनिंग नहीं बताया गया था ?

नम्बर तीन, उस एरिया के अन्दर जहां पर फोगिंग हुआ, बात गन्दगी या सफाई की नहीं है, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वहां पर अनधिकृत रूप से कितनी दुकानें चल रही हैं अवैध मांस की ? मांस फैंकने से गटर लाइन ब्लाक होती है। That is another dangerours point causing a methane gas poisoning there. महोदय, यह जो सारा सिस्टम है मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं, कितनी अवैध दुकानें चल रही हैं और उससे वहां की क्या पोजीशन हो रही है, और क्या उसका रिजल्ट हो रहा है ? Methane gas is also produced there. महोदय, मुख्य विषय यह है। दो साल पहले आपके स्वास्थ्य चिकित्सक ने रिटन के अन्दर यह आपको निवेदन किया था कि फोगिंग नहीं करवायी जाए, इसके बावजूद फोगिंग क्यों करवायी गयी ? यह मेरा तीसरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री शांतिकुमार धारीवाल। शार्ट एण्ड स्वीट।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, फोगिंग के दो पहलू हैं। शुरूआत तो की नगर निगम ने।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप लम्बा कर रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मरीज इन्होंने बना दिये फिर भर्ती करने पड़े और इलाज करना पड़ा आपको। हम प्रतिपक्ष के लोगों ने जितने भी सवाल पूछे हैं, ज्यादातर वह लोग

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जो बीमार हुए हैं उनके बाबत पूछे हैं। मेरा तो आपके माध्यम से यह निवेदन है कि हमारे लोकल सैल्फ मिनिस्टर साहब बिलकुल चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं जैसे इनका तो कोई कसूर ही नहीं हो। जयपुर के ही तो यह रहने वाले, हर चीज में जयपुर में आपका दखल है, एक चपरासी बगैर आपकी इजाजत के यहां पर लगे नहीं नगर निगम में सुबह से शाम तक, चाहे जे.डी.ए. हो , चाहे नगर निगम हो, पूरा आपका कब्जा...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो फोगिंग का मामला है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फोगिंग का ही मैं बता रहा हूं आपको। यह बताने की कृपा करें कि क्या कभी आपकी जानकारी में यह बात थी कि फाल्टी इक्विपमेंट्स और एडलट्रेटेड डीजल फोगिंग के काम में लाया जा रहा है लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूसरी बात, मैं आपको यह निवेदन करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको धन्यवाद बोल दिया। अब आप बिराजें। श्री कालीचरण सराफ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट में खतम कर रहा हूं। उस फाल्टी इक्विपमेंट्स के बाबत जब आपकी जानकारी में था तो डॉक्टर कामथ ने जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ लिखा है कि X-Ray seems to have been caused by heavy residue of petroleum products rather than the phosphorus based pesticides which routinely used in fogging operation. इस पर आपने क्या कार्यवाही की और क्या मुआवजा तय किया उन लोगों को ? आपसे मेरा पूछना यह है कि नुआन दवाई है जिसमें साफ वार्निंग लिखी हुई है, किस तरीके से आपने अलाउ किया उनको ? यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। माननीय सदस्य, कभी कभी तो आप आज्ञा का पालन करें।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो तीन प्रश्न है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी का मामला है इसलिए पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि नगर निगम द्वारा सन् 1987-88 से नुआन का उपयोग फोगिंग में किया जाता है ? क्या यह भी सही है कि नुआन से फोगिंग यू.पी., गुजरात, एम.पी., कर्नाटक और दिल्ली में भी किया जा रहा है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, दिनांक 8 जून को जो फोगिंग की गयी, क्या यह सही है कि कोठी कोलियान, छोटी मस्जिद भिश्तियान, रघुदयालजी का रास्ता, पहाड़गंज, सूरजपोल रोड, दर्जियों का रास्ता, मीठी कोठी का रास्ता, कंदीवालों का रास्ता, गोपी बनिया, मस्जिद का रास्ता, बाबू का टीबा, हीदा की

(श्री कालीचरण सराफ)

मोरी के सामने, जीण माता का खुर्रा, जैन मन्दिर, कबाड़ियों की मस्जिद, राव राजाजी का रास्ता, बालाजी का रास्ता, ऊंट वालों का मौहल्ला, गुलजार मस्जिद इन सब इलाकों में फोगिंग की गयी ? क्या यह भी सही है कि इन सब इलाकों में यह बीमारी नहीं फैली और महावतों का मौहल्ला और गीजगढ़ के रास्ते में यह बीमारी फैली ? क्या इसका कारण यह नहीं है कि वहां पर तीन बड़े बड़े अवैध गौडाउन है मांस के ? एक तो काजी के नाले पर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : क्या कह रहे हैं आप, क्या डायलाग बोल रहे हैं ?

श्री कालीचरण सराफ : डायलाग नहीं, बैठिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसका फायदा उठाना चाहते हैं...(व्यवधान) सवाल फोगिंग का होना चाहिए। मैटर को डाइल्यूट करने के लिए नहीं है। आपकी यह पालिटिकल ...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या चाहते हैं आप इन अल्पसंख्यकों से ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, राजनैतिक। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैटर को जान बूझकरके यह ...(व्यवधान) कर रहे हैं। यह केवल फोगिंग का पूछ सकते हैं, मैटर को डाइल्यूट नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : प्रतिपक्ष के लोग फोगिंग के नाम पर राजनैतिक फायदा उठाना चाहते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, राजनीति का रूप पकड़ करके ...(व्यवधान) मानवता का नाश हो रहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किस किस का बदला लेना चाहते हो आप इन मुसलमानों से ? आखिर इन मुसलमानों का कसूर तो बताओ क्या है ? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बैठें...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : तीन हजार लोगों को...(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप जो कहानी बना रहे हैं...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके हिसाब से तो जयपुर की जनता मर जाती। आपको चिन्ता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह क्या रोटियां सेक रहे हैं...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फोगिंग का प्रश्न है। फोगिंग का प्रश्न पूछिये। यह मामले को डाइल्यूट करना चाहते हैं...(व्यवधान) आपका मैलाफाइड इन्टेन्शन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जोशीजी, बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में फोगिंग हुई है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें। जोशी जी, कृपया बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : रामगंज में फोगिंग हुई है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 जून को मैंने जो एरिये वताये हैं उन सब जगह फोगिंग हुई है। अब उसमें से दो-तीन स्थान जहां 50 बूचड़खाने अवैध रूप से चल रहे हैं, तीन बड़े-बड़े गोदाम हैं मांस के। जहां महावतों के मौहल्लों में हाथियों...

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लें। सुनने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या सुनें इनको...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। आप कैसे बाधा पहुंचा सकते हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : यह मेटर को डाइल्यूट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नो, नो माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बोल सकते हैं और हम लोग नहीं बोल सकते...(व्यवधान) पता नहीं अपने आपको क्या समझते हैं। आप पालिटिकल लाभ लेने के लिए बातें कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : वहां कम से कम 30 ट्रक हाथी कि लीद उठायी जाती है। वहां इस प्रकार का वातावरण है। इसलिए यह प्रचार किया जाना कि यह फोगिंग के कारण...

एक माननीय सदस्य : आप टौंक में भी फोगिंग करवा लें।

श्री कालीचरण सराफ : वहां पर बीमारियां फैली हैं। नितान्त राजनीतिक षड़यंत्र है और यह कतई गलत है। इस प्रकार का कोई काम वहां पर नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुआ। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह जो असफल प्रयास कर रहे हैं, यह कतई गलत है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो मेरी आज्ञा के बिना बोले वह अंकित नहीं होगा।

श्रीमती कमला : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती कमला : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी महुआ को कहा है। अंकित नहीं होना चाहिए।

श्रीमती कमला : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्रीमती कमला : XXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(197)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री कालूलाल गूजर : XXX

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया आप बिराजें। श्री हरिसिंहजी महुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। मैं आपको भी बुलवाऊंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूं तब आप बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपके माध्यम से दो-तीन पाइंटेड प्रश्न मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा। क्या यह सही है कि फोगिंग से पीड़ित व्यक्ति अधिकांशतः जिन मौहल्लों में हैं, मैं उनके नाम गिना रहा हूं, हजूरी तोपखाना, नवाब का चौक , लुहारों का खुर्रा, इमाम चौक, महावतों का मोहल्ला, काजी का नाला, गुलजार मस्जिद, जुलाहा मौहल्ला, भिश्तियों की मस्जिद, लाल हवेली, खूंटी का नाला, इमाम नगर। इन सम्पूर्ण मौहल्लों में जिनमें फोगिंग की गयी थी वहां एक धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं और क्या यह सही है कि सरकार (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : XXX

श्री रामप्रताप कासनियां : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : इन नगर निगम के अधिकारियों ने जिन्होंने फोगिंग करवायी, उन मौहल्लों में फोगिंग कराने के सम्बन्ध में जो उदासीनता, आपराधिक उदासीनता बरती, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है ? नम्बर एक। क्या यह सही है कि फोगिंग से पीड़ित कुछ लोग रामगंज थाने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराने गये थे और उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गयी ? क्या यह सही है कि 15.10.96 को कलक्टर ने एफ.आई. आर. दर्ज करने के लिए उन लोगों को आश्वासन दिए थे और निर्देश दिए थे ? क्या यह भी सही है कि थानाधिकारी, रामगंज ने यह कहा कि हमें तो प्राथमिक जांच करने के ही निर्देश मिले हैं, एफ.आई. आर. दर्ज करने के निर्देश नहीं मिले हैं। क्या मंत्रीजी, यह भी सही है कि सरकार ने कुछ अपराधी लोगों को और जो इस अपराध में सम्मिलित है उनको बचाने के लिए थानाधिकारी को एफ.आई.आर. दर्ज न करने के लिए निर्देश दिये थे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री कालीचरण सराफ : XXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

198

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जोशीजी, हर वार आपको उठकर बोलना जरूरी है। हर बार उठकर बोलना बहुत जरूरी है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया संयम बरतें। जोशीजी, आसन पैरों पर है, बिना आज्ञा न बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जिन-जिन नामों को दोहरा चुके हैं, उनको मैं नहीं दोहराती हूं लक्ष्मीनारायणपुरी, हीदा की मोरी और मेरे इलाके में यह फोगिंग हुई थी। मेरे घर पर भी उस रोज फोगिंग हुई। मेरे घर में बाल बच्चे हैं, कम से कम 15 आदमी रहते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ा और मैं तो चलाकर के कई बार कहती हूं कि मच्छर बहुत हैं क्यों कि मेरे घर में पेड़-पौधे बहुत हैं, तो फोगिंग कराती रहती हूं (व्यवधान) चुप रहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान क्यों डालते हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि 15 मिनट से..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र जी पारीक, व्यवधान नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कुछ बोलने लायक बोलते नहीं हैं। मान्यवर, कहना चाहती हूं कि 15 मिनट से अधिक उसका (व्यवधान) होता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया आसन से इजाजत लेकर बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय यह बतायें कि किस व्यक्ति ने फोगिंग की ? अनावश्यक रूप से इस प्रकार लांछित करना बहुत गलत तरीका है। अब एक बार दुर्घटना हो गयी है, यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन यह कोई मतलब नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी कहो। यह बिलकुल गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र जी पल्लीवाल। (व्यवधान) मैं आपको समय दूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि फोगिंग पर इतनी चर्चा हो रही है और वह भी जयपुर शहर के लिए। जो जयपुर शहर चार दीवारी के अन्दर है वह तो वैसे ही फोगिंग से ग्रस्त है। यह जो जयपुर से माननीय सदस्य हैं, मैं उनसे यह बात जानना चाहता हूं, मुझे भी 38 साल हो गये जयपुर शहर में रहते हुए रात को आठ बजे बाद जयपुर शहर की क्या स्थिति बनती है ? जयपुर शहर में रात के आठ वजे बाद में न तो कोई अपनी छत पर सो सकता है, आंखों में जलन आती है, मच्छरों से पीड़ित हैं, और आप फोगिंग की बात कर रहे हैं। आप जो फोगिंग की बात कर रहे हैं

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

जो जयपुर शहर के अन्दर (व्यवधान) मैं 38 साल से जयपुर में आपके विधान सभा क्षेत्र में रहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें। माननीय कालीचरण जी, बिराजें।

श्री कालीचरण सराफ : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उजला जी, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मुख्य सड़क पर जाकर के आपने हनुमानजी को एक ही रात में पधरा दिया और लाडू-बाटी खाने पहुंच गयीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अमराराम जी बोलें।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक तो यह जानना चाहूंगा कि यह जो फोगिंग के कर्मचारी हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांति रखें। कृपया सुनें।

श्री अमराराम (धोद) : फोगिंग में जिन कर्मचारियों को लगा रखा है, उनकी क्या कहीं ट्रेनिंग हुई है ? हुई है तो कहां उनकी ट्रेनिंग हुई है और किन-किन को ट्रेनिंग दिलवायी गयी है ? दूसरा, जो फोगिंग की गयी है क्या वह उस दिन मात्रा से अधिक की गयी है ? इस बारे में बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरसिंह शेखावत।

श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, फोगिंग के सम्बन्ध में, जो बीमारी फैली उसका इलाज स्वास्थ्य मंत्रीजी ने टाइम पर कराया और इनके जवाब से भी हम संतुष्ट है लेकिन फोगिंग करवाने वाले मंत्री महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनट्रेंड लोगों से इन्होंने फोगिंग कराया और आपका जो प्रशासक था उन्होंने अन-ट्रेंड लोगों को रखा, चाहे आपके कहने से रखा हो या अपने हिसाब से रखा हो, उस जगह से यह इतनी बीमारी शहर में फैली। आपने जांच करायी। क्या तीन अधिकारी उसमें दोषी पाये गयें ? क्या उनके निलम्बन के आदेश हुए ? लेकिन आप लोग कार्यवाही नहीं कर सके। मैं सोचता हूं मुख्य मंत्रीजी उस पर कार्यवाही करेंगे। उन तीन अधिकारियों को जब तक आप निलम्बित नहीं करेंगे, शहर में ऐसी कार्यवाही नहीं रुकेगी और बार बार ऐसी कार्यवाही होगी। उसमें मुख्य अधिकारी, तत्कालीन प्रशासक मिस्टर असवाल है जो इस मामले में दोषी है। उसको

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(200)

(श्री भंवरसिंह शेखावत)

आपने अभी सिटी मजिस्ट्रेट लगा रखा है। उन्होंने उस टाइम, अपने कार्यकाल में कब्जा किया...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री भंवरसिंह शेखावत : सरकारी भूमि पर अपने मकान के पास करीब एक हजार गज जमीन पर कब्जा किया है। पेड़ लगाये हैं। यह पेपर में आया है, मैं नहीं कह रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : कब्जे के बारे में बात कर रहे हैं। आप सीमित करो फोगिंग के बारे में। फोगिंग के बारे में बात करिये। कब्जे वाली क्या बात हुई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा। (अनुपस्थित) श्री परसादीलाल जी।

श्री भंवरसिंह शेखावत : दो-तीन मुद्दे और हैं। मुझे हैरत आती है ऐसी बात कहने के लिए...(व्यवधान) यह मैं सदन में आपकी टेबल पर रखना चाहता हूं। ऐसे कारनामें खुले आम इस जयपुर के अन्दर अधिकारी लोग कर रहे हैं और स्वायत्त शासन मंत्री के संरक्षण में कर रहे हैं, यह मैं साफ चार्ज लगाना चाहता हूं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : डाइल्यूट कर रहे हो आप इस विषय को।

एक माननीय सदस्य : असवाल खुद था क्या फोगिंग करने के लिए ?

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी से सवाल करना चाहूंगा। स्वायत्त शासन मंत्रीजी, यह फोगिंग किस अधिकारी के आदेश से हुआ ? दूसरा सवाल यह है, क्या फोगिंग से 10000 के करीब लोग हताहत हुए ? स्वास्थ्य मंत्रीजी ने इलाज कराया और परीक्षण कराया। क्या नगरपालिका की जिम्मेदारी आपकी थी ? क्या आप नैतिकता के आधार पर , जैसे माधवराजजी सिंधिया ने विमान दुर्घटना पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, क्या आप में नैतिकता है तो क्या आप इस्तीफा देंगे ? आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया। आपने सारी रिपोर्ट न्यायिक जांच पर, अपनी बीमारी सारी वहां डाल दी। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी ? शहर में इतनी बड़ी बीमारी फैली...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : नगर निगम किसके अधिकार क्षेत्र में आता है ? क्या महापौर के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी। सिर्फ एक सवाल पूछेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : एक नहीं, दो सवाल, साहब। (व्यवधान)

(201)

श्री परसादीलाल मीणा : नैतिकता है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब रामस्वरूपजी को बोलने देंगे आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न तो यह है फोगिंग के बारे में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं। रामस्वरूपजी सवाल पूछिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं सीधा सवाल ही पूछ रहा हूं लेकिन यह चुप ही नहीं हो रहे हैं, फोगिंग कराने वाले। यहां भी फोगिंग कर रहे हो। पहला प्रश्न, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई.पी.सी. की धारा 377 के अन्दर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया ? क्या अब आप दर्ज करने का विचार रखते हैं ? इसमें साफ लिखा हुआ है, causing and by act endangering life of others. यह साफ लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर दो पूछिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : दूसरा, मेरा निवेदन है, रामगंज में जहां एस.टी. के लोग रहते हैं और मुसलमान की आबादी है, वहां के मच्छर तो नहीं मरे और लोग बीमार कैसे हो गये ? इसका कारण बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमलाजी। (व्यवधान) कृपया बिराजें। रामस्वरूपजी अब आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : तीसरा- मेरा महापौर के बारे में है। उस महापौर से कब इस्तीफा ले रहे हो ? यह बताएं आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत अनुशासित हैं, आप बिराजें। श्रीमती कमलाजी।

श्रीमती कमला (बैराठ) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी तकनीकी बातें और सब सदन में आई हैं। मैं यह जानना चाहती हूं, जिन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में बहुत से कारण बताने की चेष्टा की है, उस इलाके में बहुत बड़े-बड़े मीट के गोदाम बने हुए हैं, उस इलाके में बहुत गन्दगी के ढेर लगे हुए थे...

श्री कालीचरण सराफ : तीन गोदाम हैं।

श्रीमती कमला : सुनिये आप, क्यों परेशान हो रहे हो। कुछ नहीं बोलें, कुछ नहीं कहें ?

श्री कालीचरण सराफ : बोलिये।

श्रीमती कमला : तो फिर आप काहे के लिए डिस्टर्ब कर रहे हो। जो आपने कहा वही तो मैं बोल रही हूं, कोई दूसरी बात अपने मन से थोड़े ही कह रही हूं। वहां पर गन्दगी बहुत हो रही थी, वहां का पानी खराब था, वहां का वातावरण बड़ा दूषित था इसलिए अचानक से उस मोहल्ले के अन्दर हजारों आदमियों के ऊपर असर हो गया, हजारों आदमी पीड़ित हो गये। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ये गोदाम दो दिन पहले बने थे, क्या दस दिन पहले बने थे ? क्या यह गन्दगी का ढेर दस दिन में

(श्रीमती कमला)

लगा था या एक महीने में लगा था ? क्या वहां पर पानी उसी वक्त खराब हुआ था ? पहले कभी खराब नहीं था। अगर यह सब चीजें पहले से मौजूद थीं, लोग उसको रेजिस्ट करते और जिन्दा रहते हुए स्वस्थ चले आ रहे थे तो अचानक से एक-दो-चार दिन के अन्दर हजारों की तादाद में मरने की कहां से नौबत आ गयी और वह भी एक निश्चित एरिया के अन्दर ?

दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहती हूं, क्या जयपुर शहर का सिर्फ वही इलाका ऐसा है जहां पर इस तरह की गन्दगी या इस तरह का गलत वातावरण है ? क्या बाकी सारा जयपुर शहर बिलकुल स्वच्छ है, कोई गन्दगी का ढेर नहीं है, कोई इस तरह की नाजायज दुकानें नहीं हैं, कोई गन्दा पानी नहीं है, कोई सीवरेज की लाइन टूटी हुई नहीं है ? यह जो बातें आप कह रहे हैं यह नगरपालिका की व्यवस्था, लापरवाही और गलत ढंग से दवा छिड़कने से हुई है। इन सबको छिपाने के लिए इस तरह की रचना रची जा रही है और आप उसकी दलीलें दे रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको उनके पक्ष में बोलना चाहिए न कि एक गैर जिम्मेदार संस्था और नगरपालिका के पक्ष में जिसने की इतने हजारों लोगों के ऊपर इस तरह का कहर ढाया है और उनको बीमार किया, मरने की हालत पर डाल दिया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कतई तौर पर न निमोनिया था, न गन्दगी का कारण था और न कोई और पर्यावरण के दूषित होने के कारण था। मात्र फोगिंग के अन्दर उन्होंने जो दवा डाली उसके मिश्रण में गलती थी, उसके प्रपोर्शन में गलती थी। वह दवा जहरीली थी और उन्होंने मात्रा अधिक डाली और लोगों को बिना इतला करे डाली। यह सारे जो मुद्दे हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है, इसको छिपाने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्या, मैं जयपुर में रहती हूं, आप अपने आपको संवेदनशील कहती हो.(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन क्या उधर है ? जब देखो तब खड़े हो जाते हो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं भी लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल हो गये हैं। कृपया सुनने का कष्ट करें। आप बिराजें। माननीय राधेश्यामजी, आज मेरे कहने से बैठ जाइये, आज तो बैठ जाइये। बैठिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अभी आपने कहा था, अभी आपने हुक्म किया था।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये कृपया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं जरूरी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने मंत्रीजी को पुकार लिया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं जरूरी बात कहना चाहता हूं। मंत्रीजी एक मिनट बाद में बोल देंगे, दिक्कत क्या होगी। मेरी प्रार्थना यह है कि यह बहुत गम्भीर मामला है। बहुत अच्छे इसमें सुझाव आए हैं। न जाने कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सत्ता पक्ष के लोग और इधर के लोगों ने इसमें सुझाव दिये हैं उसकी गम्भीरता को लेकर जुडिशियल इन्क्वायरी इसमें होनी चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने और जितने भी लोगों ने यहां पर बातें रखी हैं, कमलाजी ने, विष्णु मोदीजी ने और साथियों ने, उधर के लोगों ने भी, यह कोई मामूली बात नहीं है। गम्भीरता जो हाउस की है उसको समझते हुए आप जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। माननीय राधेश्याम जी, आपकी शिक्षाप्रद बातों का ध्यान रखा जाएगा। अब आप बिराजें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री परसादीलाल मीणा : जवाब देकर इस्तीफा दे दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : दे देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप जवाब नहीं सुनना चाहते क्या ? तो आप शांति रखिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : जवाब भी चाहते हैं, इस्तीफा भी चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मन से कह रहे हो यह बात।

श्री चन्दनमल बैद : बिलकुल।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या इस्तीफा देना चाहिए मुझे ?

श्री चन्दनमल बैद : बिलकुल देना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : अच्छा। एक्सईएन. के ट्रांसफर का चक्कर तो नहीं है ना।

श्री चन्दनमल बैद : एक्सईएन. को आप पट्टा दे दो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तो उस स्कीम के फायदे के लिए बोल रहा हूं। मगर आपको एक्स. ईएन. से फायदा है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसको स्थायी पट्टा दे दो आप तो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें इस्तीफा कहां से आ गया ?

श्री चन्दनमल बैद : आपको फायदा होना चाहिए, मेरे को कोई परेशानी नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 183 नगरपालिकाएं हैं और वे स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। मान लीजिये, कहीं किसी नगरपालिका से कोई भूल हो गयी तो मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए ? (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : कोई रेलवे एक्सीडेंट या हवाई जहाज क्रेश हो जाए तो मंत्री इस्तीफा देता है और कई मंत्रियों ने दिये हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या वह रेल या हवाई जहाज चलाता है ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे कई कांग्रेसी मंत्रियों ने दुर्घटना होने पर इस्तीफा देकर स्वस्थ परम्पराएं बनायी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कई महत्वपूर्ण मुद्दे आ रहे हैं। जोशीजी, कृपया बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि जो घटना घटी है उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से, सरकार और माननीय सदस्यों को बहुत बड़ी चिंता हुई है। ऐसी घटना भविष्य में न हो ऐसी सबकी इच्छा भी है। आज जो सवाल खड़े हुए हैं उन पर हमारी थोड़ी सीमाएं हैं। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इतना बड़ा गम्भीर विषय है। आपकी यह बात पहले ही मंजूर हो चुकी है और जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। न्यायालय में भी मामला चल रहा है। क्रिमिनल केस चलाने के लिए इस्तगासे पेश हुए उन पर भी चर्चा हो रही है। सारे विषयों की जानकारी प्राप्त करने और दोषियों के बारे में निर्णय करने के लिए जुडिशियल कमीशन बैठा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : बैरी आयोग कई बार बैठा है, आप तो इस पर इस्तीफा दीजिए। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपके लिए एक ही जुडिशियल ऑफिसर है और वह है बेरी, हर काम में बेरी-बेरी-बेरी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हर काम में बेरी, हर काम में बेरी-बेरी-बेरी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हर काम में बेरी आयोग ही आएगा ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो इस्तीफ दीजिए। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : इस काम में बेरी, उस काम में बेरी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह बेरी नही बैरी है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बैरी की जगह किसी मित्र को लगा दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जयपुर की जनता के वैरी तो आप हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : न्याय में बैरी का क्या काम ? आप इस्तीफे की घोषणा कीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सीधी जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपमें थोड़ी सी भी सूझबूझ है तो आप इस्तीफा दें।

श्री चन्दनमल बैद : कोई भी काम हों हर काम में बेरी, बेरी, बेरी। हम सब समझते हैं कि आपके बेरी का क्या मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे विवश होकर इस पर चर्चा समाप्त करनी होगी। आप सुनना क्यों नहीं चाहते ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बेरी आयोग आपने ही शुरू किया था। यह आयोग तीन बार पहले ही बैठ चुका है (व्यवधान)। उस समय बेरी सही था आज खराब हो जाए ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने पूरी राजधानी में जहर घोल दिया। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हां, खराब है, और क्या पूछना चाहते हो ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस समय आप बैठे हुए थे।

श्री चन्दनमल बैद : आपसे मिला हुआ है, खराब है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : न्यायिक जांच से घबरा रहे हो। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने जो बेरी कमीशन नियुक्त किया था उसने महिलाओं पर गोली चलाने की रिपोर्ट दी थी। यह वही बेरी कमीशन है, भगवती प्रसाद बेरी नहीं है। (व्यवधान) पूरे जयपुर को बरबाद कर दिया। (व्यवधान) सम्मान करना सीखिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे सदन में इतनी घटिया राजनीति प्रस्तुत न करें, इससे राजस्थान का अहित होगा। पक्ष हो या विपक्ष हो, वोट बटोरने के लिए इस तरह के भाषण देते हो, भगवान के लिए ऐसा मत करो, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं रही है। मेरे जैसा पागल आदमी भी इस बात को समझता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। आदरणीय चन्दनमल जी, आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप काफी वरिष्ठ हैं, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है और आपने इसको गम्भीरता से उठाया लेकिन आपकी जो इच्छा थी वह तो आपने कह दिया पर मैं अपनी बात कहूं तो आप बीच में खड़े होकर शोर करने लग जाएं तो मैं समझता हूं कि इस चर्चा से कोई लाभ नहीं है। आप लोग सुनना ही नहीं चाहते। हमारी कोई गलती हो सकती है, उसको भी स्वीकार करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : गलती स्वीकार करो।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह भी कर लेंगे लेकिन आप बिना सुने ही गलती तय करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि किस कर्मचारी की गलती से मिक्सचर कम या ज्यादा हुआ,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

क्या लापरवाही बरती गयी, इन सब विषयों की इंक्वायरी कमीशन में पैंडिंग है। अब मैं यहां पर यह कहूं कि इसकी गलती है या उसकी गलती है यह उचित नहीं है।

पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने उसको निलम्बित क्यों नहीं किया। मेरा कहना है कि अभी यह तय ही नहीं हुआ कि किसका कसूर था तो किसे निलम्बित करते। (व्यवधान) आप फिर खड़े हो गये।

श्री विष्णु मोदी : आपकी इंक्वायरी तो साल दो साल चलेगी लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा तो दो।

श्री उपाध्यक्ष : मोदीजी, आप बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रतिपक्ष के माननीय नेता आ गये हैं, अब मामला ठीक रहेगा। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सदस्य एक बार मेरी बात सुन लें फिर गलती हो तो बता दें, जो कहेंगे वह करने के लिए तैयार हूं। आप मेरी मदद करें क्योंकि ये लोग मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : मैंने आपकी बात सुनी है और सुनेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : ये आपके कन्ट्रोल में ही नहीं हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हाउस के कण्ट्रोलर तो आप हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : 24 घण्टे मंत्री-मंत्री किये जा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न पूछे जा रहे थे। 15 तारीख को स्टेटमेंट आ गया। हो-हल्ले में मैंने सुना नहीं। मैंने तो आपको खड़े ही नहीं देखा।

श्री भंवरलाल शर्मा : उस दिन मैं खड़ा था और मैंने जवाब दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : साहब, मैं 6 फीट और 2 इंच का आदमी हूं और आपने कहा कि देखा नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : उस दिन लोग मेरे आगे खड़े थे इसलिए मैं देख नहीं सका। यह बात मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं। दूसरे दिन अखबारों मे पढ़ा तो मैंने सोचा कि चिकित्सा मंत्रीजी कब अपना स्टेटमेंट दे गये ? न मैंने आपको खड़ा देखा और न सुना। लम्बाई तो ऐसी बात है कि Sometimes tallest are.... and that is no criteria. मैं यह कह रहा था कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने चिनगारी लगायी। हम इसमें कोई पॉलिटिक्स इण्डक्ट नहीं करते हैं, यह ह्यूमन बिइंग के सफरिंग का प्रश्न है। क्वेश्चन पूछे गये लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आई तो जवाबुलजवाब हो गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हिन्दु और मुसलमान की बात आई।

श्री कालीचरण सराफ : पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य बोले की षड्यंत्रपूर्वक उनको मारने के लिए फोगिंग करवायी गयी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्योंकि वहां मुसलमान थे।

श्री कालीचरण सराफ : विष्णुजी मोदी ने बोला है इसलिए जवाब दिया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें क्या गलत कह दिया, हकीकत ही तो वयान की है।

श्री परसराम मदेरणा : आप प्रोसिडिंग्स देख लीजिए.(व्यवधान) He has asked three questions.

श्री विष्णु मोदी : मैंने सिर्फ इतना कहा था...

श्री परसराम मदेरणा : उस बात को छोड़िए। स्वायत्त शासन मंत्रीजी का वक्तव्य सुन लेते हैं, If we are not satisfied with his statment then we can ask the questions.

श्री विष्णु मोदी : टाइम तो बढ़ाओ। ये छह बजे सदन को एडजोर्न करके भागेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : ये कोई भगोड़े नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रतिपक्ष के माननीय नेता, हमने आपकी पूरी बात सुनी है, एक-एक बात का जवाब देकर आपको संतुष्ट करके इस विषय को छोड़ेंगे। यह कहना कि हम भाग जाएंगे, ठीक नहीं है। भागना हमारी आदत नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : रिप्लाई भी आ गया। आखिरी दिन सदन का वातावरण अच्छा रहना चाहिए। भागना और हल्ला नहीं होना चाहिए, जमे रहना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और 20 साल तक जमे रहना है।

श्री परसराम मदेरणा : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जमे रहने की बात कही। आपको जमे रहना है, अगर जमे नहीं रह सकते तो यह करना। वार ऑफ सक्सेसन में दाराशिकोह औरंगजेब से करीब-करीब जीत गया था, उसके पास मरते-मरते 21 हजार की फौज बची थी और औरंगजेब के पास 3 हजार की फौज बची थी।

(17.50)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

पूनमचन्द जी साहब, मैं सही हूं ? यह हमेशा इतिहास पढ़ते हैं और वह इस खुशी के मारे घोड़े से नीचे उतर गया और औरंगजेब कट्टर आदमी था कि उसने हाथी के नेवल बंधवा ली कि हाथी के ऊपर जमकर रहना। अगर कमजोरी भी आए आपके हाथी में तो नेवल ठोक लेना मगर जमे रहना।

(श्री परसराम मदेरणा)

अब मंत्रीजी बोलें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है। और बढ़ा देंगे। बिराजें बिराजें अब।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर के रामगंज बाजार में नगर निगम द्वारा की गयी फोगिंग

श्री भवंरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो सारी घटना घटी इसके कारण क्या थे, इसमें किसकी लापरवाही रही, इसमें कौन दोषी है। इन सबकी जानकारी करने के लिए बेरी आयोग का गठन किया गया और यह सारा विषय उनके सामने लम्बित है। वह इस बात का निर्णय करेगा कि इस सारी बीमारी का कारण क्या फोगिंग था या कोई और कारण था ? अभी हम यह नहीं कह सकते कि यह फोगिंग का ही कारण है या इसमें और कारण भी शामिल हैं।

मैं इस बात को यहां कहना ठीक नहीं मानता हूं जो जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि वहां इस प्रकार की स्थिति थी। रही होगी। वह भी अब मेरे सामने चर्चा का विषय नहीं है। यह भी जांच हो जाएगी कि इस बीमारी का कारण उस प्रकार की स्थिति वहां थी। वह कारण भी मालूम हो जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि यह मामला बेरी आयोग में दिया हुआ है, न्यायालय में भी चल रहा है। वैसे तो आपने इसको एक बार हाउस में रख भी दिया था, लेकिन फिर भी केवल माननीय प्रतिपक्ष के नेता के आदेश पर हमने ठीक समझा कि एक बार सदन में चर्चा करने से हो सकता है कि कई बिंदु ऐसे आ जाएंगे कि जो अभी जांच हो रही है उसमें भी सहायक हो सकते हैं और भविष्य में भी इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसमें भी मार्गदर्शक हो सकते हैं। इसलिए जो आपने यह विषय रखा है, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आज मेरे लिए तय करना मुश्किल है कि दोष कहां है, जब तक यह तय नहीं हो कि इस सारी बीमारी का कारण फोगिंग ही था, फिर उस फोगिंग का कारण था तो उसमें किस-किस व्यक्ति ने क्या क्या लापरवाही की, क्या ध्यान देना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था- यह बातें उस समय ही तय होंगी। यह बात कौन तय करेगा। अब हाउस तो यह तय करेगा नहीं

(श्री भवंरलाल शर्मा)

कि किसकी भूल हुई, किसकी गलती हुई, किसकी लापरवाही है। इसके अन्दर आयोग बैठ गया। अब आयोग के बारे में आपकी यह शिकायत हो सकती है कि हम उसी न्यायाधीश को बार-बार यह काम देते हैं। हमने यह परम्परा देखी है पिछले टाइम में कि पहले-पहले आपने उनकी नियुक्ति की थी। आपको भरोसा था कि बहुत ही अच्छी जांच हो। हमारा भी भरोसा है और आज भी वे बड़े ख्यातिनाम जज हैं और आज तक जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें किसी प्रकार का किसी को सन्देह नहीं रहा है। वे बहुत उचित निर्णय करते हैं। अभी तो वही इस काम को देख रहे हैं। इसलिए इसमें किसी का यह कहना कि किसकी गलती मानते हैं, किसकी गलती नहीं मानते हैं, किस कारण से हुआ- यह मैं समझता हूं कि उनके जूरिस्डिक्शन को छीनना होगा और हम यहां उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो विनम्र निवेदन यह है कि वह जांच ओपन होगी। उसमें जो माननीय सदस्य जितना पार्टीसिपेट करना चाहेगा उसको छूट होगी। मैं तो चाहूंगा कि करना चाहिए। किसी भी दोषी को बचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आपको यह प्रासीडिंग्स भिजवानी चाहिए। कमीशन में आज की प्रासिडिंग्स भिजवा दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मेरे अधिकार की बात नहीं है। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय चाहें_

श्री परसराम मदेरणा : मेरी एक रिक्वेस्ट है, have asked a specific question that what are the...जांच के आदेश गवर्नमेन्ट ने दिये तो Govt. in the Local Self Department or Govt. in the Medical Department.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस जांच के लिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय जानना चाहते हैं उस जांच के आदेश चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के यहां से जारी हुए थे और अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह आदेश सैक्शन 3 आफ कमीशन इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के अन्तर्गत हुए। इसमें जिन टर्म्स एण्ड रेफरेन्स_

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह कह रहा था लोकल सेल्फ मिनिस्टर महोदय, I have asked a specific question that what are the terms of reference of this...You please read out the terms of reference.

श्री भंवरलाल शर्मा : I read it sir. मैं पढ़ देता हूं।

Now therefore in exercise of the powers conferred by sec. 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (Central Act, 60 of 1952) the

(श्री भंवरलाल शर्मा)

State Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Hon'ble Justice B.P. beri, retired Chief Justice of the Rajasthan High Court, to enquire into the totality of the circumstances leading to the sudden erupt of the patient with the symptoms of cough, shortness and breath fever, abdomen complaints etc.

इस बीमारी के कारण क्या हो सकते हैं सब कवर कर दिया है इसमें।

श्री जगदीप धनखड़ : तो आप डिबेट दे सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : डिबेट देना, यह अपने हाथ की बात नहीं है। यह अध्यक्ष महोदय निर्णय करेंगे। अगर अध्यक्ष महोदय देंगे तो हम रोक नहीं सकते और अगर नहीं देंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। सरकार क्या करेगी इसमें ?

श्री विष्णु मोदी : इस आयोग का भी वही हश्र होगा जो कि टिबरेवाल आयोग का हुआ था। उस आयोग का आज तक कुछ नहीं हुआ तो इस बेरी आयोग का क्या करेंगे आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अब मान लीजिये कि आपकी यह प्रासीडिंग्स नहीं भी जाती है तो आप पूर्ण स्वतंत्र हैं वहां अपना पक्ष रखने के लिए। जो पीड़ित लोग हैं वे भी अपना पक्ष रख सकते हैं। यह इन्क्वायरी बिलकुल ओपन होगी।

श्री विष्णु मोदी : टिबरेवाल आयोग की भी हुई थी।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप जाते क्यों नहीं है वहां ? आप जाते तो हैं नहीं। 'यू कैन गो'। 'लेट मी कम्पलीट' मुझे पूरा करने दें, फिर आप बोल लेना।

इसलिए मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इस इन्क्वायरी के निर्णय के आने तक राज्य सरकार किसी को दोषी ठहरा नहीं सकती। किसका कसूर है, किसका कसूर नहीं है, यह हम तय नहीं कर सकते। अब कोर्ट का भी निर्णय आ जाएगा और माननीय बेरी साहब का भी निर्णय आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी व्यक्ति अपराधी माना जाएगा उसको किसी प्रकार से बख्शने की आवश्यकता नहीं है और न बख्शेंगे।

एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो बार-बार आपने उठाई है। यह अधिकारी जो नियुक्त था उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह अधिकारी है मुनव्वर हुसैन - इसका नाम है। प्रथम नियुक्ति हुई थी वैक्सीनेटर के स्थान पर 1975-76 में। फिर इसका प्रमोशन हुआ एल.डी.सी. के पद पर 1977 से 78 के बीच में। फिर 1993 जिस समय न आपकी सरकार थी और न मेरी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सरकार थी। उस समय के जो प्रशासक थे उन्होंने इनको यह कहा कि इनकी शैक्षणिक योग्यता में रिलेक्सेशन दे दिया जाए और इनको इस पद पर लगा दिया जाए। वह रिलेक्सेशन मिल गया उनको। 1993 में ही मिल गया और यह उस पद पर काम कर रहे थे। इनकी देखरेख में ही यह सब काम होता रहता था। 1993 का आदेश था...

श्री जगदीप धनखड़ : उस समय आपकी सरकार थी 1993 में। आप डेट बताइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा विनम्र निवेदन यह है कि वैसे तो यह एक सतत प्रक्रिया थी। रोज फोगिंग होता है। कई बार माननीय सदस्य भी यह आग्रह करते थे कि हमारे इलाके में मच्छरों का बड़ा प्रकोप है। बरसात हो गयी है या गर्मी है, मच्छरों को मारने के लिए दवा भेजिये। तो यह कार्य जो उस दिन हुआ, यह उसी दिन नहीं हुआ है। यह लगातार जयपुर शहर में हर इलाके में होता है, मेरे घर में भी होता है और बाकी के माननीय सदस्यों के इलाकों में भी होता है और पूरे शहर में होता रहता है। यह कोई नया काम नहीं था। यह रुटिन है। जैसे कूड़ा उठता है वैसे ही फोगिंग भी करते हैं।

(18:00)

अब उस दिन कोई भूल हुई उसका तो निर्णय वहां होगा। अभी हम नहीं कह सकते कि कोई भूल थी या नहीं थी। तो कोई ऐसा नया काम नहीं था, यह रोज काम करते थे, यही अधिकारी काम करते थे, यही मशीनें काम करती थीं, यही घोल था, ये सारे काम रोज होते थे।

श्री विष्णु मोदी : निर्णय तो राजस्थान की जनता करेगी अब।

श्री भंवरलाल शर्मा : जनता करेगी तो वह भोग लेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय विष्णु जी, आप इसको सीरियस रखिए। अब जनता नहीं आने देगी, तो तकलीफ क्या है। नहीं आने देगी तो नहीं आने देगी, आपको क्या तकलीफ है। हमको तकलीफ है, आप क्यों दुःखी हो रहे हो, इसको छोड़िये। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि इसको बेरी आयोग में आने दीजिए और वहां इसका जो निर्णय होगा उस निर्णय के बाद इसमें यह भी लिखा है, बेरी आयोग से हमने यह भी निवेदन किया है कि यह जो घटना घटी है, इसकी आगे पुनरावृत्ति नहीं हो, जो भी कारण बनें वे कारण आगे नहीं दोहराये जा सकें उस पर भी वह राय दे। क्योंकि वह जनता से पूरी राय लेकर कोई राय बनाकर हमको देंगे और निश्चित रूप से हम उसका पालन करेंगे। कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको दण्डित भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी किसी को दोषी मानने या करने का, मैं समझता हूं कि यह कोई विषय नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं। 1994 में कोटा दुखान्तिका हुई, कोटा केरोसीन कांड हुआ। मुख्य मंत्रीजी ने यहां बयान दिया। बयान के हिसाब से 25 आदमी मर गये और काफी लोग वहां अस्पताल में भर्ती हुए। कोटा से वरिष्ठ मंत्री यहां आते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इस बात की मैं जांच करवा देता हूं कि कोटा में एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लैक आउट क्यों हुआ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। अभी तो कोटा की बात नहीं हो रही है।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, वह जांच हुई, वह जांच ही गायब कर दी गयी। 25 आदमी मर गये और जांच का कुछ हुआ नहीं। इस जांच का क्या होगा ? उस जांच को क्यों गायब कर दिया गया ? 25 आदमी मर गये, इतने लोग बीमार हो गये थे उससे गाइडेंस मिलता। अब ऐसी घटना यहां पर हो गयी। प्रतिपक्ष के नेता ने...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : 8 जून से 11 जून तक क्यों हुआ, किस प्रकार का गवर्नेंस आप दे रहे हैं। उस जांच का क्या हुआ वही यहां होगा। टिबरेवाल कमीशन को आप भूल गये, कोटा दुखान्तिका को आप भूल गये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले में सरकार को सीरियस होना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और आप सब ने जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए कहा। ये मांग करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि उसका वही हश्र होगा...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आपने खतम कर दिया...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस प्रक्रिया को कोई भी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पहले आप उनको सस्पैण्ड कीजिये फिर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह केवल राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं हो सकता। मैं समझता हूं, जितनी चर्चा होनी चाहिए, हो गयी। अब इसको आगे मत बढ़ाइये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप बता दीजिए उस जांच का क्या हुआ, कोटा की जांच का क्या हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम तो इस्तीफा चाहते हैं।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बरसात के मौसम में मुझे बहुत दर्द होता है, मदेरणाजी मेरे से बड़े हैं उनको दर्द नहीं होता। किसी बात पर मुझे बोलने की इच्छा होती है तब धनखड़ को नहीं होती, धनखड़ को बीमारी होती है बोलने की तब मुझे नहीं होती । बीमारी किसको कब होगी यह किसे मालूम है। यह तो अन्दाज किसी को भी नहीं है। बात पूरी हो चुकी। अगर कोई गलती हुई है, किसी का मन दुखा है तो माफी चाहती हूँ। नमस्कार ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, एक मिनट ।

श्री परसराम मदेरणा : हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के सम्बन्ध में, उसमें कुछ मिक्सचर था, मैं कह रहा हूँ, Nuvan is never used with diesel. वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के निर्देश हैं, It should be used with water और यह काक्रोच को मारने के लिए केटर पिलर्स, जिसको आप कातरा कहते हैं, उसको मारने के लिए, इनसेक्ट मारने के लिए, और मच्छर की जो पानी के अन्दर जिस वक्त वह लिवरी बनती है, जब तक वह उड़ती नहीं है या हापिंग करते हुए ऐसे जो इन्सेक्टिसाइड थोड़े उड़ जाते हैं, गिरते हैं, यह डम्पिंग एरिया में डालने के लिए यूज होता है. It is never used. डाक्टर कामथ ने अपनी रिपोर्ट में दोनों बातें कही हैं, Pesticide can be one of the reasons. मेलाथीन नहीं था। मेलाथीन वर्ड यूज नहीं किया है, इन्होंने पेस्टिसाइड यूज किया है। नुवान तो एक ट्रेड मार्क है, यह जानते हैं हैल्थ मिनिस्टर, वह डाइक्लोरोवास कम्पाउण्ड है। इसलिए डाइक्लोरोवास कम्पाउण्ड is never used for killing the mosquitoes. आम चर्चा यह है, स्वायत्त शासन मंत्रीजी, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट, आपने जो उनको आटोनामस बाड़ी बना दिया इनको, म्युनिसिपल कारपोरेशन को, म्युनिसिपैलिटी को और पंचायतों को। पंचायत समितियों की जो दुर्गति की सो की लेकिन मेरा यह चार्ज है, and I an very definite about it, कि डीजल भी यूज नहीं करना चाहिए । डीजल नहीं था, यह जला हुआ मोबाइल ऑयल था और मोबाइल ऑयल की वजह से जो धुआं निकलता है, डाक्टर यह कहता है कि कभी भी ब्लेक आ ही नहीं सकता। अगर डीजल भी यूज किया है तो ब्लेक नहीं आ सकता उसका धुआं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जाँच का विषय है।

श्री परसराम मदेरणा : और अगर यह जाँच का विषय है तो गवर्नमेंट के चीफ व्हिप महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, we cannot come to a conclusion. We cannot form any opinion. एग्जाजरेटेड चीजें हो सकती हैं, एडल्टरेटेड हो सकती हैं और डाइल्युटेड भी हो सकता है ।

(२१५)

(श्री परसराम मदेरणा)

हमारे ऊपर भी चार्ज लगा सकते हैं आप अभी कह रहे थे कि यह मामला राजनीतिक तौर पर नहीं है । निश्चित तौर पर इसमें क्या कारण थे उनमें जाना चाहिए । कमीशन आपने बिठाया है। तो आज जो कुछ भी चर्चा हुई है यह प्रासीडिंग ऑफ द हाउस कमीशन के सम्मुख प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष :चर्चा समाप्त ।

श्री माधव सिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता महोदय ने जो कहा उस पर आप व्यवस्था दें कि आप यह प्रोसीडिंग भिजवा देंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस पर अध्यक्ष महोदय विचार कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : ओ. बी. सी. पर संक्षिप्त चर्चा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : ओ. बी. सी., एस. सी., एस. टी., तीनों पर है ।

श्री बनवारी लाल बैरवा :तीनों पर होनी चाहिए ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने आपसे आज निवेदन किया । तो जो कुछ भी चर्चा हुई because this House cannot come to any unrebuttal conclusion आज जो कुछ चर्चा हुई है और जो मुद्दे आये हैं इसकी प्रोसीडिंग बेरी कमीशन को प्रस्तुत कर दी जाए , मेरा यह निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें विचार कर लेंगे , कोई खास बात नहीं है। देख लेंगे सारी बात और उसके बाद भिजवा देंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : एस. सी., एस.टी, ओ. बी. सी. तीनों के लिए है ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अपनी जो प्रोसीडिंग है वह तो ओपन है, प्रिंट होती है। प्रिंट होने में टाइम लगता है, वह हरेक पढ़ सकता है तो भेजने में इसमें कौनसा एतराज होगा ।

श्री अध्यक्ष : मना किसने किया है । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो घोषणा कीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आपने क्या सुना अभी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो अभी घोषणा कीजिए कि इसकी प्रोसीडिंग भिजवा दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : आपने पूरा सुना नहीं ।

श्री जगदीप धनखड़ : डाक्टर कामथ ने जो जाँच की वह भी कमीशन को-

श्री भंवरलाल शर्मा : आप विचार कर लें कि भेजना है या नहीं भेजना । आपने इसमें बेरी साहब के खिलाफ भी कई बातें कहीं है, वह भी इसमें लिखी हुई हैं । तो मैं समझता हूँ कि विचार कर लीजिए कि भेजना है या नहीं भेजना । आपने बेरी साहब को ह्युमिलिएट करने की बात कही है ।

श्री जगदीप धनखड़ : वह वैसे भी

(श्री जगदीप धनखड़)

पब्लिक डाकूमेंट है, वह कांफिडेंशियल थोड़े ही है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी चर्चा राज्य की आरक्षण नीति के विषय को लेकर माननीय सदस्यों ने बीच में बहुत की थी और कुछ माननीय सदस्य इतने नाराज थे, भावुक थे कि वे वैल में आ गये और फिर आखिर यहाँ इस प्रकार का तय हुआ है। उप मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मैं कक्ष में जाता हूँ और माननीय प्रतिपक्ष के नेता को बुलाकर बात करता हूं, तो उनसे बात हुई होगी। आपने इस नाते से मुझे बुलाया था । मैंने आपसे उस समय निवेदन किया था कि समय इतना कम है क्योंकि सात बजे राज्य की आरक्षण नीति, आपने जिसकी स्वीकृत दी थी, उसको अपनी ओर से रख दूंगा और फिर माननीय सदस्य उस पर अपने विचार प्रकट कर सकेंगे । अभी छह बजे हैं। उस समय शायद आपको भी लगता था कि सात बजे ठीक रहेगा । तो मैं आपकी मार्फत सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि सात बजे_

श्री अध्यक्ष : रज्जू मार्ग वाला विधेयक सलेक्ट कमेटी को चला गया, दूसरे बिल भी पास हो गये ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ... इसलिए सात बजे में आखिर कितना कम समय मिला, एकदम तय होकर, कार्यसूची मे आ जाता तो जल्दी तैयार कर लेते । कृपया मुझे अनुमति दें कि सात बजे इस बात को रख दूं । तब तक बिजली पर बहस चलती रहे । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक बार बिजली पर चर्चा शुरू हो जाएगी, लम्बी चर्चा चलेगी और उसके बाद, बीच में बिजली की चर्चा समाप्त करके यह नहीं ले पाएंगे। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैटर यह है कि चर्चा प्रारम्भ कर दी जाए और चर्चा प्रारम्भ करके, सात बजे तक वह रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो सात बजे सर्कुलेट कर दें । उससे पहले उनके स्टेटमेंट में ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट का आधार नहीं बना रहे हैं । इसलिए आप लोग अपने यहाँ पर विचार रखिये और सात बजे आप सर्कुलेट कर दें । (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय नेता से निवेदन है कि यह बड़ा गम्भीर इश्यु है कई बार लगातार इस बात पर चर्चा की जाती रही है और जैसा मैंने कहा कि आज स्थिति यहां तक पहुँच गयी थी, साढ़े चार बजे आपने मुझे बुलाया था और _

श्री चन्दनमल बैद : स्टेटमेंट आ गया है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा । अभी एकदम तो कैसे करूं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिजली पर बहस शुरू हो जाए, उसके बीच में सात बजे आप मुझे अनुमति दें देंगे तो चर्चा कर लेंगे, बात हो जाएगी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चली आ रही ऊर्जा की कमी एवं इसको दूर करने के लिए समय-समय पर किये प्रयासों से भली-भांति परिचित हैं। वर्ष 1995-96 में राज्य में विद्युत की कमी का मुख्य कारण आर.ए.पी.पी. यूनिट - 1 एवं यूनिट - 2 का अनिश्चित काल लिए के बन्द होना रहा है। अगले एक-दो वर्ष तक इनके ठीक होने की सम्भावना नहीं है। इसी प्रकार एन.टी.पी.सी. द्वारा स्थापित अंता, औरैया एवं दादरी गैस स्टेशनों को पर्याप्त गैस न मिलने के कारण भी राज्य को बिजली की कमी का सामना करना पड़ा है। यद्यपि कोटा थर्मल स्टेशन की पांचवीं इकाई को जून, 1995 में चालू कर लिया गया था, फिर भी कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण अपेक्षित विद्युत उत्पादन नहीं किया जा सका।

उपरोक्त कठिनाइयों के बावजूद, राज्य सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार अधिक से अधिक विद्युत उपलब्ध करवाई जाए। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रयास कर वर्ष 1994-95 में राज्य को केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत गृहों से 616 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आबंटित करवाई। इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों से एवं केन्द्र सरकार के संयंत्रों से जहां भी सम्भव हुआ, अधिक दर पर भी अतिरिक्त विद्युत क्रय कर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया गया। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में विद्युत उपलब्धि वर्ष 1995-96 में, वर्ष 1994-95 से लगभग 15.54 प्रतिशत अधिक रही।

वर्तमान में राज्य को अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति के लिए मुख्यतया केन्द्रीय विद्युत गृहों एवं पंजाब पर निर्भर रहना पड़ता है। इन विद्युत गृहों में अंता, औरैया एवं दादरी गैस विद्युत गृहों से विद्युत में उपलब्ध गैस/ आयल की आपूर्ति पर निर्भर करती है। उपरोक्त गैस स्टेशनों को पूरी क्षमता पर चलाने हेतु प्रतिदिन 9.3 मिनियन क्यूबिक मीटर गैस की आवश्यकता होती है, जबकि आम तौर पर 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस ही उपलब्ध हो पाती है। उपरोक्त गैस की कमी को ध्यान में रखते हुए नेशनल थर्मल पावर कम्पनी द्वारा दादरी गैस स्टेशन को एच.एस.डी. से चलाने हेतु व्यवस्था की गयी है, पर इसके लिये आवश्यक मात्रा में एच.एस.डी. उपलब्ध नहीं हो रही है। इसी प्रकार अंता एवं औरैया को हेवी डिस्टीलेट से चलाने की व्यवस्था की गयी है, परन्तु उपरोक्त स्टेशनों पर हेवी डिस्टीलेट आयल की समुचित उपलब्धि एवं भण्डारण की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

पड़ौसी राज्यों से भी विद्युत की उपलब्धता "पीक आवर्स" में नहीं हो पाती है। अतः मांग को अधिकाधिक पूरा करने हेतु यह आवश्यक है कि विद्युत की मांग पर समुचित नियंत्रण किया जाए एवं अधिक से अधिक विद्युत का उपयोग "पी आवर्स" के अलावा किया जाए, क्योंकि कृषि की आवश्यकता के कारण रबी मौसम में विद्युत की मांग प्रायः हर वर्ष ही बहुत अधिक बढ़ जाती है। विद्युत की मांग व आपूर्ति के अन्तर के कारण न केवल किसानों व उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि राज्य विद्युत मण्डल को भी अत्यधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।

राजस्थान में वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य में विद्युत की उपलब्धि 18580 मिलियन यूनिट रही, जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में विद्युत की उपलब्धि 16080 मिलियन यूनिट थी। इस प्रकार वर्ष 1995-96 में 1994-95 की तुलना में विद्युत उपलब्धि लगभग 15.54 प्रतिशत अधिक रही। वर्ष 1996-97 में भी जून माह तक पिछले वर्ष की तुलना में करीब 5.03 प्रतिशत विद्युत अधिक उपलब्ध कराई जा चुकी है। विद्युत मण्डल का यह सतत प्रयास रहा है कि राज्य में विद्युत की उपलब्धि अधिक से अधिक से रहे। वर्ष 1995-96 में विद्युत मण्डल ने उत्तरी ग्रिड एवं पड़ौसी राज्यों से 10009 मिलियन यूनिट विद्युत क्रय की गयी, जो कि गत वर्ष में क्रय की गयी विद्युत से 21.32 प्रतिशत अधिक थी। इसी प्रकार विद्युत मण्डल को 1995-96 में 1120 करोड़ रुपये विद्युत खरीदने पर खर्च करना पड़ा। यह पिछले वर्ष से 229 करोड़ रुपये अधिक है तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि में विद्युत खरीदने पर किये गये खर्च से 25.70 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 1996-97 में भी राज्य विद्युत मण्डल ने हिमाचल प्रदेश विद्युत मण्डल से एक करार किया है, जिसके अन्तर्गत अक्टूबर, 1996 तक हिमाचल प्रदेश 20 से 50 लाख यूनिट प्रतिदिन राजस्थान को विक्रय करेगा।

जैसा की माननीय सदस्य भली-भांति परिचित हैं, गत वर्ष कोयले, रेल भाड़े एवं ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त अन्य सामग्री के दामों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा डेप्रिशियेशन चार्जेज की दरों में बढ़ोतरी, ब्याज हेतु देय राशि में वृद्धि एवं महंगी बिजली खरीदने के कारण बिजली बोर्ड के बजट पर काफी प्रतिकूल प्रभाव हुआ। उपरोक्त कारणों की वजह से उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाने की औसत लागत से बढ़कर 211.87 पैसे पहुंच गयी। इसके विपरीत जो औसत दर बिजली बोर्ड के उपभोक्ताओं से प्राप्त होती है वह मात्र 179.56 पैसे हैं। इस वर्ष की बढ़ोतरी के मद्दे नजर प्रत्येक बिजली की यूनिट जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल उपभोक्ताओं को देता है, उस पर लगभग 35 पैसे प्रति यूनिट का नुकसान होगा, जो लगभग 13650 मिलियन यूनिट के कुल वितरण को

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

देखते हुए वर्ष भर में 480 करोड़ रुपये होगा।

कोटा तापीय विद्युत परियोजना तृतीय चरण, पंचम इकाई (210 मेगावाट) 17.7.95 से वाणिज्य स्तर पर चालू की गयी। वर्ष 1995-96 में 1216 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन हुआ।

रामगढ़, जिला जैसलमेर में तीन मेगावाट गैस आधारित तापीय परियोजना दिनांक 18.4.95 को शुरू की गयी। यह राजस्थान की गैस का विद्युत उत्पादन हेतु पहला उपयोग था।

कोटा तापीय विद्युत गृह ने जनवरी, 1996 में 58.7 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन, (92.8 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर) एवं फरवरी, 1996 में 55.776 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन 194.28 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर) अर्जित कर विद्युत उत्पादन में एक नया कीर्तिमान बनाया है। इतना अधिक प्लान्ट लोड फैक्टर पहले किसी भी माह में नहीं हुआ। इस विद्युत गृह ने अपनी स्थापना से अब तक उत्कृष्ट विद्युत उत्पादन का राष्ट्रीय स्तर पर सात बार उत्पादकता शील्ड और नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त की है। 35.5 मेगावाट क्षमता की गैस आधारित एक इकाई रामगढ़ जिला जैसलमेर में 12.1.96 को एच.एस.डी. पर चालू की गयी। जुलाई माह में गैस की आपूर्ति भी प्रारम्भ हो गयी है तथा अब यह इकाई आंशिक रूप से गैस पर चालू है। अन्तरराष्ट्रीय निजी क्षेत्र की कम्पनियों को विद्युत संयंत्र लगाने हेतु तरल ईंधन पर आधारित 400 और 100 मेगावाट क्षमता के 14 आशय पत्र जारी किये गये हैं, जिनमें संयंत्र की कुल क्षमता 2180 है। उपरोक्त समस्त आशय पत्र अन्तरराष्ट्रीय निविदा के आधार पर जारी किये गये हैं। तरल ईंधन के संयंत्र की दर प्रथम वर्ष 2 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट है, जो कि समतुल्य परियोजनाओं के लिए भारत में सबसे कम दर है। एक कम्पनी द्वारा मैसर्स एण्डो केल पावर बेन्चर लिमिटेड से विद्युत मण्डल ने पी.पी.ए. भी हस्ताक्षर किया है। अन्य कम्पनियों से पी.पी.ए. पर विद्युत मण्डल का नेगोसिएशन चल रहा है। राजस्थान राज्य देश में प्रथम राज्य है, जिसने गैर परम्परागत ऊर्जा में भी अन्तरराष्ट्रीय निविदाएं मांगी है। इन निविदाओं के आधार पर बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले में सौर ऊर्जा पर आधारित तीन विद्युत संयंत्रों के लिए आशय-पत्र जारी किये गये हैं।

मैसर्स एमको एनरॉन को 50 मेगावाट क्षमता के लिए सोलर फोटोवाल्विक तकनीक पर आधारित संयंत्र के लिए आशय-पत्र जारी किया गया है। इस कम्पनी के द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से पी.पी.ए. हस्ताक्षर किया गया है। जैसलमेर में भूमि लेकर संयंत्र लगाने का कार्य भी कम्पनी ने प्रारम्भ कर दिया है। इसी प्रकार मैसर्स सबसोर्स लिमिटेड को भी 50 मेगावाट फोटोवालिटक तकनीक पर आशय पत्र जारी किया गया है। इस कम्पनी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

ने भी विद्युत मण्डल के साथ पी.पी.ए. हस्ताक्षर कर दिया है। भूमि लेकर संयंत्र लगाने का कार्य भी कम्पनी ने प्रारंभ कर दिया है। मैसर्स एनरजन इन्टरनेशनल कंसोरटियम को सोलर चिमनी आधारित तकनीक पर 200 मेगावाट क्षमता के संयंत्र के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। कम्पनी वर्तमान में पी.पी.ए. पर नेगोसिएशन कर रही है। कम्पनी ने स्थल का चयन कर लिया है तथा रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। विद्युत मण्डल द्वारा लीजिंग के माध्यम से करीब 700 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है। लीजिंग के माध्यम से यह राशि देश में सर्वाधिक थी। विद्युत मण्डल की इस पहल की वित्तीय पत्रों ने प्रशंसा की है तथा इसे वर्ष 1995 में कारपोरेट क्षेत्र की उल्लेखनीय उपलब्धि बताया है। राजस्थान सरकार के सहयोग से विद्युत मण्डल द्वारा उठाये गये नवीन कदमों के फलस्वरूप वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है। भुगतान प्रक्रिया में आये इस सुधार के फलस्वरूप अब मण्डल को 15 से 20 प्रतिशत कम मूल्य पर माल की आपूर्ति हो रही है, क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं की आर्थिक क्षेत्र में मण्डल के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है। विश्व बैंक ने राजस्थान सरकार को प्रेषित अपने प्रतिवेदन में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वित्तीय प्रबन्ध में पिछले एक वर्ष में हुए चमत्कारित सुधारों की सराहना की है। बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों को मिलाकर सोलर एनर्जी एन्टरप्राइज जोन बनाने का निश्चय किया गया है, जिसमें 2010 तक 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का विनिश्चय किया गया है। इस प्रयास का विश्व बैंक तथा अमेरिका सरकार ने स्वागत एवं प्रशंसा की है। स्थानीय सोलर थर्मल पावर, मथानिया सोलर थर्मल पावर परियोजना की क्षमता 35 मेगावाट से बढ़ाकर लगभग 175 मेगावाट कर दी गई है। इसमें 35 मेगावाट सौर ऊर्जा आधारित तथा 140 मेगावाट नेफ्था आधारित क्षमता होगी। इस परियोजना के लिए गलोबल एनवायर्नमेंट फेसेलिटी ने 49 मिलियन यू. एस. डालर, लगभग 180 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है। यह अनुदान जी.ई.एफ. द्वारा विश्व में किसी भी परियोजना को स्वीकृत सबसे अधिक अनुदान है। इस परियोजना के लिए अन्तरराष्ट्रीय निविदा के आधार पर कम्पनी के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे तथा एक जाइंट सैक्टर कम्पनी का चयन किया जायेगा जो कि इस परियोजना को लगाएगा। राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हेतु विश्व बैंक से चर्चा चल रही है तथा राजस्थान पावर सैक्टर रिफॉर्म बिल, 1996 तैयार किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान में स्वतंत्र रेग्युलेटरी कमीशन की स्थापना एवं विद्युत मण्डल को कम्पनी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के कन्सलटेंट मैसर्स प्राइस वाटर हाउस को प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन

220

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

फेज के लिए पी.आई.पी. सितम्बर माह के अंत तक तैयार करने हेतु कहा गया है। पी.आई.पी. का प्रारूप तैयार होने पर विश्व बैंक अप्रेजल मिशन के राजस्थान में अक्टूबर, 1996 में आने की संभावना है। तत्पश्चात् राजस्थान को 700-750 मिलियन यू.एस. डालर, लगभग दो-ढाई हजार करोड़ रुपये ऋण मिलने की आशा है। सरकार का विनिश्चय है कि 4300 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्र में स्थापित हो। इसके लिए 788.5 मेगावाट की धौलपुर परियोजना, 480 मेगावाट की बरसिंहसर परियोजना, 500 मेगावाट की सूरतगढ़ फेज-द्वितीय परियोजना, 500 मेगावाट की कपूरड़ी परियोजना एवं 1000 मेगावाट की जालीपा विद्युत परियोजना के बारे में चयन/पी.पी.ए. हेतु बातचीत तेजी से चल रही है। राजस्थान राज्य देश में प्रथम राज्य है, जिसमें 1.4.94 को अन्तरराष्ट्रीय निविदा के आधार पर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का निश्चय किया। 788.5 मेगावाट क्षमता की धौलपुर परियोजना के लिए मैसर्स आर.पी.जी. एन्टरप्राइजेज एवं विद्युत मण्डल के बीच में पी.पी.ए. की निर्णायक दौर की बातचीत चल रही है तथा आशा है कि जुलाई 1996 के अंत तक पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर कर दिए जाएगें।

श्री बनवारीलाल शर्मा : पक्का तो है? किस हिसाब से कह रहे हो आप ?

श्री चन्दनमल बैद : विधान सभा की बैठ चल रही है, इसलिए जुलाई का नाम ले लिया। फिर और कोई चार महीने का नाम ले लेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हम नाम तो ले रहे हैं, आपने तो दस साल में नहीं बनाया था। हम नाम तो ले रहे हैं, इतनी प्रोग्रेस तो हो गयी।

श्री चन्दनमल बैद : आप नाम ही ले रहे हैं खाली, काम नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बिराजें। बिराजें अब। आप पूरा करें माननीय मंत्रीजी।

श्री बनवारीलाल शर्मा : योजना तो हमारी है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप तो दस साल से पर्यावरण की क्लियरेंस नहीं ला पाये थे।

श्री चन्दनमल बैद : आपने सूरतगढ़ कहा था, एट्थ प्लान में शुरू हो जाएगा। हो जाएगा क्या ? खाली नाम ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, यह कर रहे हैं। करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया?

श्री चन्दनमल बैद : हमने क्या किया, वह तो बताऊंगा आपको।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : तारानगर से

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

आने वाले माननीय सदस्य, आपने बहुत कुछ किया है। मैं यह नहीं कहता कि आपने कुछ नहीं किया। जो हो रहा है, मैं कहता हूं, यह बात सुनने में ही अच्छी लगती है, जब इम्प्लीमेंट होगी तब प्रसन्न होंगे। आज नहीं हो रहे हैं। आप यह भरोसा रखिये, जिन योजनाओं को आप छोड़ गये थे उनको हम पूरा करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : यह इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम करेंगे, आप से नहीं होनी है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप यही चाहते हो, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी माननीय सदस्य।

श्री किशनाराम नाई : आपको राजस्थान की जनता मौका ही नहीं देगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, आपसे आशा करता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें, डिसकरेज न करें। आप देखिये कि बिजली बनाने का कैसा एनवायर्नमेंट राजस्थान में बना है। केवल आपकी कृपा चाहिए...

श्री विष्णु मोदी : यह सिर्फ भाषण है। राजस्थान को तो आपने बिजली के मामले में पीछे धकेल दिया है हम आपको सुनते हैं, फिर आप हमें सुनना।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री परसराम मदेरणा : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य आपको निरूत्साहित नहीं कर रहे हैं, आपको उत्साहित कर रहे हैं, कि आप स्पेसिफाइड पीरियड आफ टाइम में, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, व्होल हॉग जाइये और बिजली का जनरेशन कीजिए। इनका मंतव्य कोई ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि पहले कुछ अपने स्लिपजेज रह गयी है. डेट्स वगैरह में, अवधि में, तो वह रिपिटीशन नहीं हो। अब आप फर्म रहिये और आप उत्पादन कीजिये। बिजली बहुत आवश्यक है तमाम प्रकार के विकास की गतिविधियों के लिए। यह एक मुख्य आधार भी है, मुख्य आदान भी है it is the fulcrum of all developmental activities.

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं क्योंकि यह जो बिजली का मामला है माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह कोई मेरा ठेका नहीं है। यह तो आप और हमारा सब का परम कर्तव्य है, राज्य का विकास बिजली पर निर्भर है, चाहे वह किसान के लिए हो, चाहे वह उद्योगों के लिए हो, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जितनी चिंता मुझे होती होगी, उससे ज्यादा चिंता प्रतिपक्ष के माननीय नेता को होती है। सारी जानकारी स्वयं हमारे विभाग से लेते हैं और हम अपनी तरफ से भी देते हैं और यदि हम चूक जायें तो स्वयं टेलीफोन करके मांगते हैं क्योंकि -

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

it is in the interest of Rajasthan. यह हमारा और आपका, दोनों का मिलाकर..

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान नहीं है। मैं चिंतित इस बात से हूं कि बिजली में नेशनल क्राइसेस है, नेशनल क्राइसेस चल रहा है। और जो बिजली में 43 हजार मेगावाट का शायद ..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 22 पर आ गया है अभी जब कम्प्लीट होगा तब कितने पर आ जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : 22 के आस-पास चल रहे हैं और उसमें डिमाण्ड ज्यादा बढ़ गयी है।43 का टारगेट था वो रियलिस्टिक नहीं था 43 हजार का। इसका क्राइसेस आज एक जगह नहीं चल रहा है। दिल्ली में ब्लेक आउट, केरल में ब्लेक आउट, आन्ध्र प्रदेश में ब्लेक आउट, हरियाणा में ब्लेक आउट..

श्री अध्यक्ष : कर्नाटक में भी है।

श्री परसराम मदेरणा : कर्नाटक में तो ब्लेक आउट है कि नहीं, अब मैं देवगौड़ा जी पूछूंगा, आपके कहने से तो मैं हां नहीं भरने वाला हूं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अखबारों में है। अखबारो में आया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं कर्नाटक में है। क्राइसेस इज देयर।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेट है उसको भी शामिल करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नोट देयर मैं तो वैसे ही नाम..

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह कहीं नहीं पढ़ा है कि कर्नाटक में ब्लेक आउट हो गया। तो यहां क्राइसेस ज्यादा है लेकिन क्योंकि हाउडल है इसलिए केरल के अन्दर इम्पाउंडमेंट पानी का कम था तो सात दिन का ही है, उसके बाद में बरसात नहीं होगी तो क्राइसेस है उसका उन्होंने लोड शेडिंग कर दिया था और फिर कुदरतन पानी आ गया। हमारे यहां भी जैसा कि कल मैंने निवेदन किया था कि मैक्जीमम इम्पाउंडमेंट ऑफ वाटर जो है वह गांधीसागर और जवाहरसागर में 10 एम.ए. एफ. के आस-पास है बाकी तो 6 पाइंट कुछ है एक 7 पाइंट कुछ है। सबसे ज्यादा बिजली बनाने की क्षमता अगर है तो जो हमारे मल्टीपरपज प्रोजेक्ट हैं, गांधीसागर और जवाहरसागर कम्बांइड बैलेंसिंग रिजरवायर हैं, राणाप्रताप सागर है, उसमें थोड़ा-बहुत आपके शहर के पास वाला है, वह कोई बिजली -बिजली में तो काम आता नहीं, बिजली तो वहीं पैदा हो जाती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ले सकते हैं काम में क्षमता होनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : वे अभी क्षमता गेन कर रहे हैं पहले इनका स्टेटमेंट सुनिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्टेटमेंट सुनें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप दूसरे स्टेट्स की बात कह करके हमको यह बताना चाहते हैं कि दूसरे स्टेटस में अन्धेरा है, इस वास्ते आपके यहां भी अन्धेरा है तो आप इसको बर्दाश्त कर लीजिए। यही कहना चाहते हैं ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : नहीं, मैंने तो नहीं कही यह बात प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप नहीं कर रहे हैं यह तो माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा है कि इस तरीके से हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : नेताजी ने तो यही कहा है कि 43 हजार मेगावाट की जगह 22 हजार मेगावाट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो आपने शॉर्ट-फाल किया उसके लिये जिम्मेदार भारत सरकार है या आप हैं ?

श्री अध्यक्ष : सारे देश की जनता ही है। बिराजिये आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, बरसिंगसर की दो यूनिट 240 मेगावाट, सूरतगढ़ फेज द्वितीय दो यूनिट 250 मेगावाट, कपूरड़ी दो यूनिट 250 मेगावाट, जालीपा 4 यूनिट 250 मेगावाट परियोजनाओं के लिए अन्तरराष्ट्रीय निविदाएं प्राप्त हो गयी हैं तथा एक पार्टी का चयन शीघ्र होने की आशा है। उड़ीसा राज्य में लगने वाली सीपा परियोजना में से 1200 मेगावाट क्षमता राजस्थान को मिलने के लिये करार हो चुका है। इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से तकनीक तथा मार्ग तय कर लिया है। भारत सरकार के कन्सलटेन्ट विद्युत दर को तय करने में लगे हैं। सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह प्रथम इकाई 250 मेगावाट क्षमता का कार्य द्रुत गति से चल रहा है तथा आशा है कि यह इकाई 31 मार्च, 1997 के पहले चालू हो जायेगी।

उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने के लिये विद्युत मण्डल बिजली को महंगे दामों पर खरीद करती है। वर्ष 1991-92 में 374 करोड़ रुपये 1992-93 में 543 करोड़, 1993-94 में 730 करोड़ रुपये, वर्ष 1994-95 में 876 करोड़ रुपये एवं 1995-96 में 1083 करोड़ रुपये की विद्युत खरीद की गयी। ज्ञातव्य रहे कि जयपुर में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जाती है, जबकि दिल्ली जैसे महानगर में प्रतिदिन 6 से 8 घण्टे बिजली की कटौती की जाती है।

महंगे दामों पर बिजली को खरीद एवं कृषि तथा घरेलु उपभोक्ताओं को कम दामों पर विद्युत विक्रय से विद्युत मण्डल को भारी घाटा हो रहा है। वर्षवार विगत निम्न प्रकार है :- वर्ष 1991-92 में 20 पैसे प्रति यूनिट का घाटा था, वर्ष 1992-93 में 29 पैसे 1993-94 में 42 पैसे, 1994-95 में 50 पैसे और 1995-96 में 42 पैसे प्रति यूनिट का घाटा है। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विद्युत मण्डल का ...

२२५

श्री परसराम मदेरणा : अभी 45 बताया था...

श्री चन्दमल बैद : माननीय मंत्री महोदय अभी 45 बता रहे थे थोड़ी देर पहले आप। प्रतिपक्ष के नेता ने नोट किया है।

श्री परसराम मदेरणा : और 35 नये पैसे की हमको हानि हो रही है। बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हम खरीदते हैं 2.11 पर और उपभोक्ताओं को हम दे रहे हैं 1.89.6 पैसे पर यूनिट। 480 करोड़ का कुल घाटा बताया 1995-96 में। अब कितना बताया ?

एक माननीय सदस्य : 42

श्री परसराम मदेरणा : 42 हो गया ?

श्री विष्णु मोदी : व पहले वाले कागज में था। यह दूसरे कागज में है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : राज्य में वर्ष 1994-95 में 220 के.वी. की 105 किलोमीटर व 132 के.वी. की 228 किलोमीटर प्रसारण लाइनों का निर्माण किया गया था। जबकि वर्ष 1995-96 में 220 के.वी. की 198 किलोमीटर व 132 के.वी. की 414 किलोमीटर प्रसारण लाइनें निर्माण की गयीं थीं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत अधिक थी। इसी प्रकार वर्ष 1994-95 में 220/132 के.वी. के ट्रान्सफार्मर की क्षमता में 914 एम.वी.ए. की वृद्धि की गयी, जबकि वर्ष 1995-96 में 1458 एम.वी.ए. की वृद्धि की गयी थी जो कि 1994-95 तुलना में 80 प्रतिशत अधिक थी।

राज्य में सन् 1996-97 के अन्तर्गत उच्च प्रसारण के लिये 220 के.वी. की 370 किलोमीटर व 132 के.वी. की 320 किलोमीटर की लाइनें बनाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत 220 के.वी. की 73 किलोमीटर लाइन व 132 के.वी. की 24 किलोमीटर लाइनों पर माह जून, 1996 तक तार खींचे जा चुके हैं। शेष 220 के.वी. एवं 132 के.वी. की लाइनें खींचने का काम प्रगति पर है, जिसे मार्च, 1997 तक पूर्ण करना है।

इसी वर्ष चार नये 220 के.वी. सब स्टेशन हनुमानगढ़ (100 एम.वी.ए.), बीकानेर (100 एम.वी.ए.), तिवरी (100 एम.वी.ए.), भीनमाल (100 एम.वी.ए.) में स्थापित करने का प्रावधान है। उसके अन्तर्गत इन चारों स्टेशनों का कार्य चालू है।

वर्ष 1996-97 में 132 के.वी. के 12 ग्रिड सब-स्टेशन सायला, धोरीमन्ना, खींवसर, नोखा, मानसरोवर, एस.एम.एस. स्टेडियम, जयपुर के.वी. आई., जयपुर, सावां, नावांसिटी, कायलाना, लालगढ़, रायला बनाने का प्रस्ताव है। इन सभी सब-स्टेशनों का चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक निर्माण कर लिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 150 एम.वी.ए. आर. के कैपेसिटर लगाने का भी प्रावधान है जिनका कार्य प्रगति पर है। विभिन्न मौजूदा सब-स्टेशनों पर ट्रान्सफार्मर क्षमता 655 एम.वी.ए. को बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत 31 एम.वी.ए. की क्षमता बढ़ाई जा चुकी है।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

विद्युत तंत्र में सुधार हेतु मण्डल ने 351 करोड़ रुपये की 34 शहरों की विद्युत तंत्र योजनाएं बनाकर ऊर्जा वित्त निगम को वित्तीय सहायता के लिए मार्च, 1996 तक भेजी थी। 6 बड़े शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर व अजमेर की योजनाओं, जिनकी अनुमानति लागत 139.48 करोड़ रुपये है और जो विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित होनी हैं, के लिए ऋण की स्वीकृति हो चुकी है तथा इन शहरों की योजनाओं पर कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है।

12 अन्य शहर सीकर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, पाली, भीलवाड़ा, टौंक, श्रीगंगानगर, बारां, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ व ब्यावर की योजनाओं के लिये, जिसकी अनुमानित लागत 128.00 करोड़ रुपये है, की भी स्वीकृति प्रदान हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त 16 अन्य शहरों हिण्डौन, हनुमानगढ़, नवलगढ़, नागौर, बूंदी, बाड़मेर, धौलपुर, झुंझुनूं, चुरू, बांसवाड़ा, फतेहपुर, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदारशहर, गंगापुरसिटी एवं मकराना की लगभग 83 करोड़ रुपये की योजनाओं की आर्थिक तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है।

राज्य सरकार प्रदेश में विद्युत की छीजत से भली-भांति परिचित है और इसमें कमी करने के लिये निरन्तर ठोस कदम उठाये जा रहे हैं।

इस दिशा में वितरण एवं प्रसारण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं जिससे कि वोल्टेज एवं रेगुलेशन में सुधार लाया जा सके और विद्युत की सप्लाई उपभोक्ताओं को उचित मापदण्डों पर दी जा सके। मण्डल अब विस्तार पर जोर देने के बजाय प्रसारण एवं उप प्रसारण प्रणाली को सुदृढ़ रखने पर विशेष जोर दे रहा है। पिछले वर्ष में कुछ उन क्षेत्रों में जहां विद्युत छीजत अत्यधिक है, छोटे ट्रांसफार्मर लगाये जाने की योजना बनायी है, ताकि विद्युत चोरी पर न केवल अंकुश लग सके वरन विद्युत छीजत में भी कमी आ सके। पी.एफ.सी. से इसके लिए जयपुर जिले की योजना के लिए लगभग 61 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृति अक्टूबर, 1995 में की है। इसके अतिरिक्त सीकर एवं झुंझुनूं जिले की योजनाएं भी बनायी जा रही है।

विद्युत मण्डल में वृहत स्तर पर एवं औद्योगिक क्षेत्रों के एनर्जी आडिट के कार्य में भी प्रगति हुई है, जिससे विद्युत की चोरी को रोकने में संतोषजनक प्रगति हुई है तथा कई स्थानों पर बिजली की चोरी के मामले पकड़े हैं तथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है। विद्युत चोरी रोकने हेतु मण्डल ने सघन निरीक्षण व्यवस्था प्रारम्भ की है, जिसके फलस्वरूप मण्डल के चोरी के मामलों में अंकुश तो लगा ही है, साथ ही अतिरिक्त राजस्व की वसूली भी हुई है। वर्ष 1994-95 में सतर्कता शाखा द्वारा 644.39 लाख रुपये की प्राप्ति हुई थी, जबकि वर्ष 1995-96 में

(226)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

यह प्राप्ति 970.63 लाख रुपये की हुई। इस वर्ष परम्परागत मीटरों के स्थान पर नये पिल्फर प्रुफ मीटर एंव एचटी. एवं अघरेलु उपभोक्ताओं पर स्टेटिक मीटर लगाये जा रहे हैं जिनसे विद्युत चोरी की सम्भावनाएं कम हो सकेंगी। वर्तमान में लगभग सभी एचटी. एवं एम.आई.पी. II उपभोक्ताओं के स्टेटिक मीटर लगाये जा चुके हैं एवं इस तरह के स्टेटिक मीटर लगाने में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल देश में पहला विद्युत मण्डल है।

उपरोक्त सन्दर्भ में यह बताना प्रासंगिक होगा कि एचटी. इण्डस्ट्रीज के विद्युत सप्लाई में छीजत कम होती है जबकि सुदूर ग्रामों में कुएं पर बिजली सप्लाई करने में छीजत अधिक होती है। अतः जब कुल उपभोग में एचटी. उद्योग द्वारा उपयोग में लाई बिजली का अनुपात कम होता है अथवा कृषि हेतु उपयोग में लाई विद्युत का अनुपात अधिक होता है तो विद्युत प्रसारण एवं वितरण तंत्र में छीजत बढ़ जाती है।

राज्य में वर्ष 1995-96 के अन्त तक कुल 39810 ग्रामों में से 32826 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। वर्ष 1996-97 में 750 नये ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है, जिसमें से 50 ग्राम राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण तथा 700 ग्राम विद्युत मण्डल विद्युतीकृत करेगा। राज्य में विद्युतीकरण की प्रगति हेतु यदि कोई उपभोक्ता कनेक्शन लेने हेतु लाइन एवं सब स्टेशन का आनुपातिक खर्चा वहन करने के लिए तैयार हो तो अविद्युतीकृत गांवों में भी कनेक्शन देने के लिए विद्युत मण्डल ने अधिकृत कर दिया है तथा प्रथम आवेदक व गुण आवेदकों को पांच पोल से अधिक की जमा राशि पांच वर्ष बाद लौटा दी जाएगी। वर्ष 1995-96 में उपरोक्त योजना के तहत 251 ग्राम विद्युतीकृत किये गये। ऐसी आशा है कि इस योजना के तहत इस वर्ष भी अच्छी संख्या में ग्राम विद्युतीकृत किये जा सकेंगे।

इसी वर्ष 1996-97 में 25000 नये कुओं को ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य है। सामान्य श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के 31 मार्च, 1994 तक के सभी लम्बित प्रार्थना पत्रों को कनेक्शन इस वर्ष दिये जायेंगे। इस वर्ष माह जून, तक 28 गांव और 7028 कुएं ऊर्जीकृत किये जा चुके हैं।

संसाधनों की कमी को देखते हुए एवं कृषि हेतु बहुत बड़ी प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखते हुए विद्युत मण्डल ने निर्णय लिया है कि यदि काश्तकार विद्युत लाइन का खर्चा वहन करने को तैयार हो एवं सब-स्टेशन के खर्च हेतु 1250 रुपये प्रति हार्सपावर देने को तैयार हो तो उन्हें तुरन्त प्राथमिकता योजना के तहत विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गांव में कनेक्शन दिये जा सकेंगे। ऐसे काश्तकारों के लिए विद्युत उपयोग की दर गैर-घरेलु दर की आधी होगी। नर्सरी योजना के तहत माह जून,

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

1996 तक 26302 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन पत्रों में से 21433 आवेदकों को डिमाण्ड नोट दिये जा चुके हैं। 16467 आवेदकों ने डिमाण्ड नोट की राशि भी जमा करा दी है तथा जून, 1996 तक 13453 को कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

पहले से चल रही सिंगल पोल/दो पोल योजना में 21150 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, इनमें से 19495 आवेदकों को डिमाण्ड नोट जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 1996-97 के माह जून, 1996 तक 476 कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी, 5164 नर्सरी श्रेणी के एवं 1766 एक पोल/दो पोल योजना के तहत दिये जा चुके हैं। इस प्रकार माह जून, 1996 तक इस वर्ष 7406 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत मण्डल ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं और इस प्रकार के निर्देशों की प्रतिलिपि जन प्रतिनिधियों एवं पंचायत स्तर तक दे दी गयी है।

विद्युत मण्डल ने वर्ष 1996-97 में 400 हरिजन बस्ती व 1500 अनुसूचित जाति के कृषि कुओं को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है जिसमें माह जून, 96 तक 20 हरिजन बस्ती एवं 181 कृषि कुओं का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए घरेलु कनेक्शन की कुटीर ज्योति योजना में वर्ष 1995-96 में 7525 कनेक्शन देने की योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत हुई थी। इस योजना में 6726 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। इस वर्ष भी कुटीर ज्योति कनेक्शनों की योजना विचाराधीन है।

निगम में जले हुए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों को बदलने में विभिन्न कारणों से काफी समय लगता था। जन प्रतिनिधियों एवं कृषि उपभोक्ताओं द्वारा इस सम्बन्ध में कई शिकायतें प्रतिदिन प्राप्त होती थीं। मण्डल ने राज्य सरकार के निर्णयानुसार दिनांक 6 जनवरी, 94 को यह आदेश प्रसारित किया कि जले हुए ट्रांसफार्मरों को 10 दिन के समय के भीतर मरम्मत किये हुये ट्रांसफार्मरों अथवा नये ट्रांसफार्मरों द्वारा बदल दिया जाए। इस निर्देश की अनुपालना की नियमित रूप से जांच की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई। यद्यपि वर्ष 1994-95 में काफी संख्या में नये ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये, फिर भी किसी भी समय जले हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या लगभग पिछले वर्ष की उस अवधि से कुछ कम रही। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जले हुए ट्रांसफार्मरों की दर जुलाई से सितम्बर के मध्य प्राय: ऊंची रहती है, विशेष तौर पर बाढ़ग्रस्त और अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में।

वर्ष 1995-96 में 19787 जले हुए ट्रांसफार्मर बदले गये, जबकि वर्ष 1994-95 में इनकी संख्या 17918 थी। वर्ष 1994-95 में 25112 ट्रांसफार्मर की उपलब्धि थी जबकि

(228)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

वर्ष 1995-96 की अवधि में 37183 ट्रांसफार्मर की उपलब्धि रही है। संसाधनों की कमी के बावजूद यह प्रयास रहा है कि ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता में कमी न हो।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल गम्भीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। विद्युत क्रय की मात्रा में बढ़ोतरी के साथ-साथ विद्युत क्रय दरों में, विद्युत के सामान व ईंधन के मूल्यों तथा विद्युत मण्डल के बेज बिलों में महंगाई बढ़ने के कारण लगातार वृद्धि होती जा रही है, परन्तु विद्युत दरें इस अनुपात में नहीं बढ़ रही हैं। पिछली बार अघरेलु, औद्योगिक एवं मिश्रित भार की श्रेणियों की विद्युत दरों में बिलिंग माह अक्टूबर, 1995 में वृद्धि की गयी थी तथा घरेलु, कृषि एवं सार्वजनिक प्रकाश श्रेणियों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी।

उपरोक्त वृद्धियों के पश्चात् भी घरेलु श्रेणी की वर्तमान विद्युत दर स्लैब में 251 पैसे प्रति यूनिट से 288 पैसे प्रति यूनिट है, जबकि गुजरात में 388 पैसे प्रति यूनिट, मध्य प्रदेश में 384 पैसे प्रति यूनिट एवं महाराष्ट्र में 339 पैसे प्रति यूनिट है।

लघु श्रेणी में 236 पैसे प्रति यूनिट है, जबकि उत्तर प्रदेश में 252 पैसे प्रति यूनिट है एवं हरियाणा में 250 पैसे प्रति यूनिट है।

मध्यम श्रेणी में विद्युत दर 261 पैसे प्रति यूनिट है जबकि महाराष्ट्र 339 पैसे प्रति यूनिट एवं मध्य प्रदेश में 228 पैसे प्रति यूनिट है। वृहत औद्योगिक श्रेणी में राजस्थान में विद्युत दर 281 पैसे प्रति यूनिट है जबकि मध्य प्रदेश में 347 पैसे प्रति यूनिट, दिल्ली विद्युत प्रदाय में 336 पैसे प्रति यूनिट, उड़ीसा में 311 पैसे प्रति यूनिट एवं उत्तर प्रदेश में 289 पैसे प्रति यूनिट है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मिश्रित भार श्रेणी में राजस्थान में 276 पैसे प्रति यूनिट, मध्य प्रदेश में 379 पैसे प्रति यूनिट, महाराष्ट्र में 339 पैसे प्रति यूनिट तथा गुजरात में 295 पैसे प्रति यूनिट है।

वर्तमान में विभिन्न श्रेणी की दरें अन्य राज्यों के मुकाबले निम्नलिखित स्थान पर है:-

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

क्र.सं.	श्रेणी	अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान का स्थान
1.	घरेलु	चौदहवां
2.	अघरेलू	नौवां
3.	कृषि	नौवां
4.	लघु उद्योग	पांचवां
5.	मध्यम उद्योग	छठा
6.	वृहत्त उद्योग	(250 कि.वा. अनुबंधित मांग) सातवां
7.	वृहत्त उद्योग	(1000 कि.वा. अनुबंधित मांग) छठा
8.	वृहत्त उद्योग	पांचवां
9.	सार्वजनिक प्रकाश	दूसरा
10.	मिश्रित भार	पांचवां

आय-व्यय के अनुमानों के अनुसार वर्ष 1996-97 में विक्रय के लिए उपलब्ध विद्युत Y7500 मिलियन यूनिट एवं आय 2451 करोड़ रुपये आंकी गई है। वर्ष 1996-97 में राजस्व में 61 करोड़ की वृद्धि अनुमानित है। इस वृद्धि में मण्डल द्वारा विद्युत मीटर के किराये एवं विभिन्न सेवा शुल्कों में माह मई, 1995 से की गई बढ़ोतरी तथा वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में माह अक्टूबर, 1995 से की गई वृद्धि सम्मिलित है।

इसी प्रकार वर्ष 1996-97 में विद्युत मण्डल के खर्च में 166 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है, जो कि कोटा तापीय विद्युतघर द्वारा 140 मिलियन यूनिट बिजली का अधिक उत्पादन की वजह से, कोयले एवं तेल की दरों में वृद्धि, अन्तरिम राहत की स्वीकृति, महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त तथा कर्मचारियों को देय बोनस की सीमा में 1600 रुपये से 2500 रुपये की वृद्धि , वित्तीय संस्थानों को देय ब्याज में वृद्धि, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक एवं विद्युत वित्त निगम से प्राप्त ऋणों में वृद्धि की वजह से बढ़ोतरी तथा 1.4.94 से भारत सरकार द्वारा पूंजीगत सम्पत्तियों के ह्रास में वृद्धि से हुई है।

विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 59 के अनुसार विद्युत मण्डल 3 प्रतिशत रेट ऑफ रिटर्न देने के लिए बाध्य है। यदि मण्डल 3 प्रतिशत रिटर्न अर्जित करने में असफल हो तो उसके निम्न दूरगामी परिणाम होंगे :-

1. पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन द्वारा अदायगी बन्द कर दी जाएगी तथा भविष्य में ऋण के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कई राज्यों की सहायता बन्द की जा चुकी है।

2. विश्व बैंक से कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

3. विभिन्न वित्तीय संस्थानों से भविष्य में ऋण स्वीकृत करवाने में कठिनाई होगी, क्योंकि ऋण स्वीकृति हेतु 3 प्रतिशत रिटर्न की शर्त आवश्यक होगी।

4. समुचित लाभ नहीं होने से पड़ौसी राज्यों से ऊर्जा का क्रय सम्भव नहीं हो पाएगा जिसके फलस्वरूप राज्य में ऊर्जा की कमी

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

रहेगी जिससे उद्योगों को एवं किसानों की मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करना मुश्किल हो जाएगा।

5. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम स्थगित होंगे।

6. आन्तरिक संसाधन नहीं होने से पूंजीगत कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

7. कोयले एवं रेलवे के माल-भाड़े की अदायगी करना सम्भव नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य विद्युत उत्पादन केन्द्रों को बन्द करने की सम्भावना उत्पन्न हो जाएगी। भुगतान में विलम्ब के कारण कई बार कोटा थर्मल में केवल दो-तीन दिन का कोयला बचता है।

8. निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन पर अत्यन्त विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

यह मैंने आपके लिये रखी है जैसा आप निर्णय करेंगे, जैसे आप सुझाव देंगे वैसा करेंगे। धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा : इसके लास्ट पैरा के अन्दर आपने जो प्रेसी बनायी है और धारा 59 का उल्लेख करके जो 3 परसेंट रिटर्न की बात है, उसके पैरा नम्बर 6 में आंतरिक संसाधन नहीं होने से पूंजीगत कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह आन्तरिक संसाधन क्या है? आन्तरिक संसाधन मोबिलाइजेशन में, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में, रिसार्स मोबिलाइजेशन में एग्रीकल्चर सैक्टर उसमें सम्मिलित है या नहीं ? अगर एग्रीकल्चर सैक्टर सम्मिलित है तो आप उनकी कितनी टैरिफ बढ़ाने का निर्णय ले चुके हैं ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अभी टैरिफ बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी टैरिफ नहीं बढ़ाई है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : टैरिफ नहीं बढ़ाई, लेकिन आप उसको फ्यूअल सरचार्ज के नाम से जोड़ रहे हो। आप अपना आत्म -विश्लेषण करें, अपना आत्म-विवेचन करें कि राजस्थान की क्या दुर्दशा की है आपने।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह फ्यूअल सरचार्ज है, जैसे-जैसे फ्यूअल की कीमत बढ़ती है वैसे-वैसे चार्ज लगता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय चतुर्वेदी जी खड़े हो गये हैं और समय भी उनको 7 बजे का दिया था। माननीय चतुर्वेदी जी।

शासकीय वक्तव्य

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की समस्त सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये क्रमशः 16,12 एवं 21 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण की क्रियान्विति के लिये रोस्टर प्रणाली लागू है और उसी के अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

की जाती है तथा इस रोस्टर रजिस्टर का समय-समय पर कार्मिक (क-5) विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है। पदोन्नति हेतु रिक्तियों पर विचार सीमा जोन ऑफ कंसिडरेशन है। सामान्य वर्ग के लिए तीन गुणा और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पांच गुणा है। यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पांच गुणा विचार सीमा में उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनकी रिक्तियों को अगले तीन नियुक्त वर्षों तक कैरी फारवर्ड किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पदोन्नतियों के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति बैठती है, जिसमें लोक सेवा आयोग , कार्मिक विभाग और प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि रहते हैं। इस प्रकार जो चयन किया जाता है उसमें किसी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश नहीं होती है। किसी कारणवश यदि किसी चयन में त्रुटि रह जाए तो उसके पुनरावलोकन का भी नियम है। मण्डल रिपोर्ट की अभिशंषाओं के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर राज्य में भी सितम्बर, 1993 से सीधी भर्ती में आरक्षण लागू है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं है। भारत सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के समग्र घनत्व के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है। राज्य में पिछड़े वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण है। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए राज्य में आरक्षण भारत सरकार की अपेक्षा अधिक है। भारत सरकार में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण है। कुल मिलाकर भारत सरकार एवं राज्य में आरक्षण का प्रतिशत लगभग समान है। भारत सरकार में 49.5 प्रतिशत है और राजस्थान में 49 प्रतिशत है। आरक्षण के प्रतिशत के आधार पर 100 बिन्दु रोस्टर में इन वर्गों को रोस्टर बिन्दु आबंटित है। राज्य के ट्राइबल सब - प्लान एरिया में अनुसूचित जनजाति के लिए अपवाद स्वरूप वन विभाग के वन रक्षकों, पुलिस विभाग के कांस्टेबलों, सभी वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, ड्राइवरों, कनिष्ठ लिपिकों तथा सहायक अध्यापकों की रिक्तियां क्रमशः 45 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के स्थानीय अभ्यार्थियों से भरी जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि जनजाति क्षेत्रों, यथा-डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जनजाति के लोगों की जनसंख्या 70 प्रतिशत से अधिक है। उदयपुर, चित्तोड़गढ़ और सिरोही जिलों में जनजाति क्षेत्रों में जहां भर्ती खण्ड स्तर पर की जाती है,

(19.00)

वहां रिक्तियों का अवधारण (डिटरमिनेशन) और संग्रहण (कोम्पिटेशन) खण्ड स्तर पर किया जाता है। वहां उपरोक्त प्रावधान खंड स्तर पर लागू होगा। जहां रिक्तियों का अवधारण और पदों को भरे जाने की अपेक्षा जिला स्तर पर की जाती हो वहां जनजाति उपयोजना खण्ड के लिए उपलब्ध रिक्तियों (व्यवधान) अनुपात के आधार पर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

की जाएगी जो जिलों के जनजातीय उपखण्ड, उपयोजना खण्ड की जनसंख्या, जिले की कुल जनसंख्या के अनुपात में है। जहां अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था तो राज्य सरकार ने 10.2.75 के ओदश के अनुसार कर दी थी उसमें 40 बिन्दु में रोस्टर लागू किया गया था। वहीं, आदेश दिनांक 9 जुलाई, 1985 के द्वारा इस व्यवस्था को सौ बिन्दु रोस्टर में बदला गया, जो अभी भी प्रभावी है।

जिस दिन सवाल आया था, तो नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल खड़ा किया था कि सौ रोस्टर बिन्दु है, उसमें 21 प्रतिशत आरक्षण कैसे होगा। इस बिन्दु को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो सौ रोस्टर बिन्दु प्रभावी है उसमें बिन्दु संख्या 1,7,13,19,26,32,38,43,50, 56,68,74,81,88 एवं 95 कुल 16 बिन्दु अनुसूचित जाति के लिए हैं तथा बिन्दु संख्या 4,11,21,28,35,45,52,59,69,76,83,93 कुल 12 बिन्दु अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित किये गये हैं।

अधिसूचना दिनांक 28 सितम्बर, 1993 के द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों के लिये 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी। राष्ट्रपति शासन होने के कारण एवं उसी दौरान निर्वाचन प्रक्रिया लागू हो जाने के कारण इस अधिसूचना को प्रभावशाली नहीं किया गया। जब वर्तमान सरकार पदासीन हो गयी तो राज्यादेश दिनांक 26.2.1994 के द्वारा उपरोक्त सौ बिन्दु के रोस्टर में से 21 बिन्दु क्रमशः 6,9,14,17,22,27,31,36,40,44, 48,53,58,64,70,75, 78, 82, 87, 94 एवं 99 कुल 21 बिन्दु अन्य पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित किये गये।

राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की थी। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ यदि भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों का आरक्षण किया जाता तो 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना होती। अतः राज्य सरकार से यह निश्चय किया कि इन वर्गों के लोगों को इन रोस्टर बिन्दुओं में जहां-जहां सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के आते हैं उन्हीं बिन्दुओं में इनका समावेश किया जाए। अगर कोई अनुसूचित जाति का विकलांग है तो उसका आरक्षण उसी दृष्टि से किया जाए।

इसी क्रम में माननीय सदस्यगण ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आरक्षण का प्रकरण भी उठाया था। राज्य सरकार ने जुलाई, 1995 में अध्यादेश जारी करके विश्वविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं अधिकारियों के लिए अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम रोस्टर की अनुपालना के आदेश जारी कर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

दिये। इसके अनुसरण में विश्वविद्यालयों से वह अपेक्षा की जाती है कि इन रोस्टर बिन्दुओं में नियमों की पालना करेंगे। जैसे विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है और इस पर महामहिम कुलाधिपति निर्देश दे सकते हैं। यदि कहीं, किसी प्रकार की शिकायत हो तो उन्हें महामहिम कुलाधिपति को भेजकर उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

जहां तक राजकीय उपक्रमों का सवाल है, मैंने यह बात इसलिए विशेष रूप से कही कि उस दिन अलवर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की थी, अगर ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से हम महामहिम को उसकी सूचना देंगे, ताकि वे उसकी जांच करके विभिन्न विश्वविद्यालयों के लोगों को आश्वस्त कर सकें कि वे उस आरक्षण का कड़ाई से पालन करा सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजकीय उपक्रमों का सवाल है। राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये उपरोक्त समस्त निर्देश उन पर भी लागू होते हैं और उनकी पालना सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग करते हैं। कभी-कभी इस बात की शिकायतें आती हैं कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सौ बिन्दु रोस्टर का किसी विभाग में पालन नहीं किया जाता है। वैसे तो पालना का स्पष्टीकरण सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का दायित्व है। फिर भी विभिन्न विभागों द्वारा संधारित रोस्टर पंजिका का समय-समय पर परीक्षण किया जाता है। इनकी पालना न होने पर सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंहजी। आप बैठें, पहले वे बोलेंगे।

श्री मदनमोहन : निवेदन है कि 131 के लिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, एक-एक ही तो कहेंगे। एक साथ दो तो नहीं बोल सकते हैं।

श्री मदनमोहन : प्रश्न तो मेरा ही था। आपने व्यवस्था दी थी, मेरे दो प्रश्न थे, उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आप बिराजिए, इनके बाद आपका ही है।

श्री कालूलाल गूजर : मेरा भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री रामस्वरूप मीणा : ध्यानाकर्षण मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, आप बिराजिये। सब बोलेंगे, इतना समय क्यों जाया कर रहे हो।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित नहीं है, प्रश्न राजस्थान की पिछड़ी जातियों के समन्वित और समग्र विकास का भी है, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक प्रगति का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों की जितनी अवहेलना होती है,

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

सम्भवतः भारतवर्ष के किसी अन्य राज्य में इतनी अवहेलना नहीं होती है। राजस्थान के अन्दर ओ.बी.सी. जितना नेगलेक्टेड फील करता है, भारतवर्ष के किसी अन्य राज्य के अन्दर फील नहीं करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आज था, अध्यक्ष महोदय, 30 दिन के सेशन में राजस्थान की 40 प्रतिशत आबादी पर चर्चा करने के लिए विपक्ष को यहां पर 30 मिनट धरना देना पड़ा तथा 30 मिनट के धरने के बाद हम यह 30 मिनट की चर्चा एक्स्टेक्ट कर पाये। इससे बढ़कर संवेदनहीनता का उदाहरण आपको कहीं नजर नहीं आएगा।

अध्यक्ष महोदय, और भी साथी बोलेंगे, इसलिए मैं कुछ ही बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आरक्षण के सम्बन्ध में आपने रोस्टर की बात कही। आपने सौ पाइण्ट रोस्टर बताया, इसमें आप अधिकतर 5-5 वैकेंसीज निकालते हैं, परन्तु ओ.बी.सी. के लिए पहली वैकेंसी छठे नम्बर की होती है। सबसे पहले नम्बर पर एस. टी., एस.सी. है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, नम्बर 2 पर जनरल है, इस पर कोई एतराज नहीं है, नम्बर 3 पर एस.टी. है, इस पर कोई एतराज नहीं है परन्तु नम्बर 4 और 5 पर जनरल क्यों है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि ओ.बी.सी. नम्बर 6 पर क्यों ? क्यों नहीं ओ.बी.सी. नम्बर 4 और 5 पर हो, जबकि प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़ी जातियों की है ? जब 21 **प्रतिशत रिजर्वेशन** दिया हुआ है तो रोस्टर प्रणाली के अन्दर पहले 5 बिन्दु में ओ.बी.सी. को आप क्यों नहीं शामिल करते हैं, क्यों उनको छठे नम्बर पर धकेल रखा है ?

अध्यक्ष महोदय, इसका स्पष्ट कारण यह है कि ये 5 वैकेंसी निकालते हैं। छठे नम्बर पर ओ.बी.सी. है, इस कारण से ओ.बी.सी. पिछड़ जाता है। अभी विश्वविद्यालयों के अन्दर करीबन 400 पोस्ट्स थीं जो भरी जानी चाहिए थीं और जिन पर ओ.बी.सी. का हक था, लेकिन वे 400 पोस्ट्स इस कारण नहीं भरी गयीं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के अन्य कई राज्यों के अन्दर गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, कर्नाटक आदि राज्यों में आरक्षण का प्रतिशत ज्यादा है। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, 21 प्रतिशत आपका रिजर्वेशन है तो कम से कम इस 21 प्रतिशत रिजर्वेशन को आप मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं रखते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों नहीं लागू करते हैं, आई.टी.आई. के अन्दर क्यों नहीं लागू करते हैं, बी.एड. और एस.टी.सी. में क्यों नहीं लागू करते हैं ? हमारी यह भी मांग रही है कि आप न्यायपालिका के अन्दर भी इसको लागू नहीं कर रहे हैं, आप हाई-कोर्ट का बहाना ले लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, 16 नवम्बर, 1992 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की कुल बेंच ने निर्णय दिया था। उसके अन्दर यह कहा गया

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

है कि कहीं पर भी किसी तरह के पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव एक्ट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक एक्जीक्यूटिव आर्डर निकालने की आवश्यकता है। सरकार अगर वास्तव में अन्य पिछड़ी जातियों के भले के लिए कुछ करना चाहती है तो जिन विभागों का मैंने जिक्र किया उनके बारे में और न्यायपालिका के बारे में एक्जीक्यूटिव आर्डर निकाले तथा अन्य पिछड़े वर्ग को उसमें 21 प्रतिशत आरक्षण दें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा निवेदन है कि बैकवर्ड क्लास डवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना के लिए राष्ट्रपति शासन के अन्दर निर्णय ले लिया गया था। इसमें केन्द्र सरकार से 80 प्रतिशत और राज्य सरकार से 20 प्रतिशत धनराशि एकत्रित की जाती है और इसमें अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को उद्योग-धन्धा लगाने के लिए 2 लाख रुपये तक की स्वीकृति 6 प्रतिशत ब्याज के ऊपर दी जाती है। लेकिन बैकवर्ड क्लास डवलपमेंट कारपोरेशन के नाम पर...

इस सरकार ने आकर कुछ नहीं किया और कोल्ड स्टोरेज में प्रस्ताव पड़े रह गये। इसी कारण से केन्द्र सरकार अपना पैसा नहीं दे पाती, क्योंकि आपके पास में यहां कोई चैनलाइजिंग एजेन्सी नहीं है। क्या आप यहां पर बैकवर्ड क्लास डवलपमेंट कारपोरेशन स्थापित करके अन्य पिछड़ी जाति के विकास के लिए कुछ करना चाहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, मेरा चौथा बिन्दु यह है कि ओ.बी.सी. के छात्रों को सिर्फ जो बोर्डर के डिस्ट्रिक्टस हैं, वहां पर छात्रवृत्ति दी जाती है। ओ.बी.सी. के छात्र पूरे राज्य के अन्दर हैं, इसलिए पूरे राजस्थान के अन्दर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए और जिस प्रकार से एस.टी. और एस. सी. के लिए छात्रावास बने हुए हैं, उसी प्रकार से अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के लिए भी छात्रावास बनाए जाने चाहिए।

मेरा अगला बिन्दु है, अध्यक्ष महोदय, कि आप यह कहते हैं कि हमने रिजर्वेशन काफी कर लिया है। लेकिन आपके पास मानीटरिंग सिस्टम क्या है ? कौनसा मंत्रालय इस बात को मानीटरिंग कर रहा है ? कुछ राज्यों के अंदर इसकी शुरूआत भी हुई और मैं यह मांग और आशा करता हूं कि राज्य सरकार इसमें गम्भीरता से विचार करके अन्य पिछड़ी जाति के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाएगी और एक मंत्री को इस बात की जिम्मेदारी देगी कि वह मंत्रालय मानीटर करे कि वास्तव में 21 प्रतिशत रिजर्वेशन ओ.बी.सी. को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला और अन्तिम बिन्दु, जो आपके स्वयं से सम्बन्धित है, यह है कि अपने विधान सभा के अन्दर सब तरह की कमेटीज बनी हुई हैं, एस.सी. एस.टी. की कमेटी बनी हुई है, अन्य कमेटीज बनी हुई हैं। आप एक अन्य पिछड़ी जाति कमेटी का भी गठन करने की कृपा करें।

236

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग इस बात को मानीटर कर सकेंगे और यह तो आपके क्षेत्राधिकार के अन्दर है। मेरे खयाल से इन बिन्दुओं को सरकार गम्भीरता से लेगी और यह अच्छे सुझाव हैं जिससे यह सिद्ध हो सकेगा कि वास्तव में आपकी सरकार कुछ चिन्तन रखती है, कुछ सोच रखती है। अभी तक तो आपका विकृत सोच था। अभी तक तो आपने ओ.बी.सी. को पीछे रखा था, लेकिन अब इनको आगे लाने का प्रयास कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री मदनमोहन जी। (व्यवधान) पहले-पहले बोलने वाले हैं, उसके बाद वह ही बात होगी इसलिए एक-एक मिनट देंगे। बिराजिये आप।

श्री मदनमोहन (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से पहले पूछा था कि जाट, मेव, राजपूत, नट और विश्नोई को आप ओ.बी.सी. में शामिल करने का विचार रखते हैं या नहीं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ? उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कोई जिक्र नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा यह है कि पुलिस विभाग में अभी करीब साढ़े तीन हजार वैकेंसीज निकली हैं, उसमें एक नया प्रफोर्मा तैयार किया गया है कि साढ़े तीन हजार वैकेंसीज के अन्दर पहले तो कास्ट-सर्टिफिकेट आप प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से लेकर आएंगे, जो उन्हें किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा और दूसरा मेरा यह है कि जो वैकेंसीज निकाली हैं, इनमें 16 परसेंट तो एस.सी. के लिए रखा है, 12 परसेंट एस.टी. के लिए रखा है और 21 परसेंट इसमें ओ.बी.सी. के लिए रखा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो यह 59 परसेंट हुआ इस 59 परसेंट में...

श्री अध्यक्ष : 49, 49.

श्री मदनमोहन : 49 परसेंट में जो 12 परसेंट एक्स सर्विसमैन का होता था वह भी इसी में शामिल कर दिया। इससे क्या असर पड़ेगा और क्या आप एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों को न्याय दिला पाएंगे ?

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षण संस्थाओं में ओ.बी.सी. का अभी तक रिजर्वेशन नहीं है। राज्य सरकार शिक्षण-संस्थाओं में भी उन्हें रिजर्वेशन देने का विचार रखती है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 166 कर्मचारियों की दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में भर्ती की गयी। उसके बाद में राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके उसको नियमित कर दिया, जबकि वाइस चांसलर को कोई पावर नहीं था। क्या राज्य सरकार...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कहां ?

श्री मदनमोहन : राजस्थान विश्वविद्यालय में।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी तक हुई ही नहीं है।

श्री मदनमोहन : हो गयी। आपके हायर एजुकेशन विभाग से नोटिस भी हो गया। उसके बाद उसमें यह भी लिख दिया कि आपने आरक्षण का खुला उल्लंघन किया है...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सूचना गलत है, आपकी।

श्री मदनमोहन : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि जो बीकानेर विश्वविद्यालय के अन्दर हुआ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मदनमोहन : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर विश्वविद्यालय का उदाहरण देकर बताऊं, जो माननीय मंत्री महोदय बता रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, एक लड़का तो है, एस.मोहम्मद और दूसरा है, जसवन्त सिंह शेखावत। अध्यक्ष महोदय, हायर सैकण्डरी में पहले वाले विद्यार्थी की 53 परसेंट है और दूसरे की 60 परसेंट है। बी.एस.सी. एग्रीकल्चर में पहले की 74 परसेंट है और दूसरे की 56 परसेंट है और एम.एस.सी. , होर्टीकल्चर में पहले की है 90 परसेंट और सैकिण्ड की है 59 परसेंट। अध्यक्ष महोदय, पीएच. डी. में पहले वाले की 80 परसेंट और सैकिण्ड की है 59. यह Why thesis after the closing date of the application on 17.11.1995 को इसने एप्लीकेशन ही दायर नहीं की थी। अध्यक्ष महोदय, पोस्ट डेकोरेट के लिये पहले व्यक्ति ने किया (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : अब एक-एक उदारहण नहीं, माननीय, आप कोई जनरल बात कहिये, जिससे सबका भला हो। एक-एक बात कहेंगे, तो it will be a wrong debating,

श्री मदनमोहन : और दूसरे ने ढंग से नहीं किया। अध्यक्ष महोदय रोस्टर प्रणाली व योग्यता का खुला उल्लंघन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : जैसे माननीय लक्ष्मणसिंह जी ने पाइंटेडली बात कही है, वैसे आप बात करें।

श्री मदनमोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से पी.एम.टी., पी.ई.टी. और पी.ए.टी. के अन्दर आठ प्रतिशत तो दिया जाता है एस.सी. के लिए और 6 प्रतिशत दिया जाता है, एस.टी. के लिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें 16 और 12 प्रतिशत होना चाहिए, जबकि इसमें आरक्षण का घोर उल्लंघन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आरक्षित पदों का चयन ही नहीं करना और आरक्षित पदों का चयन किस प्रकार से नहीं किया, वह मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रोफेसर की दो जगह निकली और उसकी एवज में पांच भरे गये और पांचों ही जनरल लिये गये। एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. निल। इकॉनोमिक्स में भी इसी तरह से निकाली गयीं, जितने निकाले

(श्री मदनमोहन)

उनसे अधिक भर्ती की गयी और एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कोई नहीं लिया गया तो अध्यक्ष महोदय, जितनी अनियमितताएं इस आरक्षण के मामले में हैं और आरक्षण के मामले में जिस तरह से एस.सी., एस. टी. और ओ.बी.सी. के राज्य में करीब हजारों पद रिक्त पड़े हैं, प्रत्येक विभाग के अन्दर तो उसके बाद में आप उनको न्याय देना चाहते हैं या नहीं ? राज्य सरकार की क्या मंशा है ? मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि आप स्पेशल कोटा निकाल कर आरक्षित पदों को पूर्ण रूप से भरें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : उदयलालजी आंजना । आप कोई भी खड़े नहीं हों । श्री जुबेर खानजी।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से दो-तीन स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सबका नम्बर आएगा। मेरे पास जो लिस्ट बनी है, उसी से ले रहा हूँ

श्री जुबेर खान : यह आरक्षण ओ. बी. सी. को दिया है, इसे पहले भी आरक्षण है और आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस., आर. पी. एस. में भी है मेरा इतना सा निवेदन है कि जो लड़का आरक्षित श्रेणी का है, चाहे ओ. बी. सी. का हो, एस. सी. का हो या एस. टी. का हो। जब जनरल स्टूडेंट्स के साथ, या कंडिडेट के साथ कम्पीट करके वरीयता सूची में आ जाता है तो उसको रिजर्व केटेगरी में नहीं डाला जाना चाहिये । यह रिजर्व केटेगरी के कंडिडेट के साथ अन्याय है। आप यहाँ पर यह कहते हैं कि 50 परसेंट जनरल लोगों के लिए जाना चाहिए । अगर एक उम्मीदवार ने जनरल कंडिडेट के बराबर या उनसे ऊपर नम्बर लिये हैं तो उसको आप रिजर्व केटेगरी में कांउट नहीं कर सकते । He should be counted as general candidate, irrespective -कि उसने फार्म भरा था कि I belong to SC/ST or OBCवह उसकी जाति है, वह उसने भर दिया लेकिन उसने कम्पीट कर लिया जनरल लिस्ट में तो he should be treated in general list, not in a reserved category.

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये।

श्री जुबेर खान : दूसरा मेरा सवाल है, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 8.11.1994 के परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया है, उसमें क्लियर लिखा है कि ऐसी जातियां हो चाहे नाई हो, चाहे और कुछ ऐसी जातियां हैं जो और धर्मों में भी, मुस्लिम धर्म में भी पायी जाती हैं, उसमें कोई शक नहीं कि सरकार की मंशा है कि उन लोगों को भी ओ.बी.सी. में माना जाए लेकिन यहां स्थानीय लेवल पर तहसीलदारों के यह दिक्कत आती है। मैं दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा- परिपत्र दिनांक 8.11.1994 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "ऐसी गैर हिन्दु व्यवसायी जातियों को, जो अपने पुश्तैनी व्यवसाय के नाम से जानी जाती हैं और

(श्री जुबेर खान)

जिनके हिन्दू (व्यवधान) पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित कर लिये गये हैं, जिनके हिन्दु और गैर हिन्दु पैतृक व्यावसायिक नाम समान हैं, जो भी पिछड़े वर्गों में ही जाना जाएगा।" सरकार की मंशा साफ है, लेकिन देखने में यह आता है कि स्थानीय तहसीलदार और एस.डी.ओ. यह कहकर सर्टिफिकेट नहीं बनाते...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये, बिराजिये।

श्री जुबेर ख़ान : नाई जाति का कोई मेव में भी है, मुस्लिम में भी है, यह तो कोई...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : जुबेरजी, बैठिए। अभी कोई खड़े नहीं हों, मैं अपनी लिस्ट से बोल रहा हूं।

श्री जुबेर ख़ान : (व्यवधान) यह होना चाहिए। मेरा एक और निवेदन है कि आप अलवर जिले की तरफ भी देखिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरीके से ऑथोरिटी को चेलेंज नहीं करें तो अच्छा है। बैठ जाइये आप। यह क्या मजाक है, जो कुछ भी (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं, बिराजिये आप।

श्री जुबेर ख़ान : यादव भी ओ.बी.सी. में कर दिये, माली भी ओ.बी.सी में कर दिये, गुर्जर भी ओ.बी.सी. में कर दिये, बड़ा अच्छा किया, लेकिन इन मेवों ने, भिश्तियों ने और राजपूतों ने कौनसा अन्याय किया है ?

श्री अध्यक्ष : जोगेश्वर जी, आप बोलें पहले। बिराजिये आप।

श्री जुबेर ख़ान : मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप घनश्यामजी तिवाड़ी को अलवर में भेज दीजिए। यह जब जानकारी ले आएं कि इन जातियों की तुलना में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हो गयी बात। अब समाप्त करें आप।

श्री जुबेर ख़ान : मेव और राजपूतों को ओ.बी.सी. में आना चाहिए या नहीं अगर यह कह दें, आने चाहिए तो आप इनको भी शामिल करिए।

श्री अध्यक्ष : आप यह क्या भाषण करने लग गये। टू दी पाइंट बात करिए। माननीय, बिराजिये आप। प्लीज सिट डाउन। नोट अलाउड।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप गर्म मत होइये। आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हो गया। आपको संरक्षण दे दिया। घनश्यामजी को भिजवा देंगे...(व्यवधान)... बैठिये आप।

श्री जुबेर ख़ान : आप भिजवा देंगे घनश्यामजी को, क्या संरक्षण दे दिया आपने ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जुबेर खान : क्या संरक्षण दे दिया ?

श्री अध्यक्ष : तीन-चार कोई सजेशन देने हो तो बोलें आप।

श्री जुबेर खान : आपके पास एक ही संरक्षण है, 'बिराजिये'।

श्री अध्यक्ष : हमारे पास लम्बी लिस्ट है, मैं सारी रात हाउस को नहीं चला सकता।

श्री जुबेर खान : आपके पास एक ही संरक्षण है, 'बिराजिये-बिराजिये', इसके अलावा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यही कहना पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इस आसन की मर्यादा रखिये।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको निकलने के लिये नहीं कह रहा हूं। बैठने के लिये कह रहा हूं, बिराजिये आप।

श्री जुबेर खान : भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा था, आप तो चालीस परसेंट लोगों के लिये, तीस मिनट के लिये भी लोगों को हंगामा करना पड़ता है, यह आपका संरक्षण है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। असंयत भाषा में बात करना सीख गये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : आसन से सवाल करते हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ प्रश्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष : कई सदस्यों को बुलवाना है।

श्री रामस्वरूप मीणा : फिर आपको नाराजगी क्यों हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : तो मैं चार बजे तक चलाऊंगा क्या ? सबको बोलने का मौका देना चाहता हूं। आप विराजिये। बिराज जाएं, बहुत गम्भीर बात है, मैं जानता हूं_

श्री रामस्वरूप मीणा : आज तो आखिरी दिन है, हंसकर बोलों, आज क्यों नाराज हो रहे हों ?

श्री अध्यक्ष : सब को बुलवाना है मुझे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मंत्री महोदय से मेरा सवाल है कि पी.एम.टी. में जो रिजर्वेशन है उसमें 6 पर्सेंट एस.टी. और 8 पर्सेंट एस.सी. को है, जबकि बाकी सारे कोर्सेज में, पी.ई.टी. हो, पी.ए.टी. हो या दूसरे जितने भी एण्टर कोर्सेज हैं उन सब में 12 और 16 पर्सेंट है। पी.एम.टी. में इतना कम क्यों है ? जो यह इतना कम है वह भी पूरा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सी.पी.एम.टी. के लिए जो 15 पर्सेंट सीटें आरक्षित हैं वे निकालने के बाद ही आरक्षण दिया जाता है। सी.पी.एम. टी. की जो पोस्ट्स हैं उनमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है और इसलिए प्रेक्टिकली यह 4 पर्सेंट और 6 पर्सेंट ही लागू हो रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा भेदभाव इस विभाग के साथ, इस कोर्स के साथ हो रहा है, इसको शीघ्र दूर करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

दूसरा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अधिकांश विभागों में रोस्टर रजिस्टर प्रणाली संधारित नहीं किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपका अपना विभाग है राजस्थान विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्था भले है, लेकिन वहां भी यह रोस्टर का नियम लागू होना चाहिए। रोस्टर उन्होंने कई पदों के लिये लागू नहीं कर रखे हैं, संधारित नहीं कर रखे हैं। इसकी आप कठोरता से जांच करवाएं और लागू करवाएं, नहीं तो वहां बड़ा असंतुलन पैदा हो रहा है।

इसी प्रकार से मैं एक और उदाहरण दूंगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में मेल नर्स I और II के रोस्टर रजिस्टर संधारित नहीं थे। दो साल पहले मेरे पास केस आया, मेल नर्स सारे मिलकर मेरे पास आये और मैं बहुत पीछे पड़ा, लगातार छः-सात महीने तक पीछे लगा रहा, तब जाकर उनका रोस्टर रजिस्टर पूरा संधारित हुआ, वरना रोस्टर रजिस्टर ही नहीं था तो बैकलॉग कहां से पूरा होगा। बैकलॉग इस रोस्टर रजिस्टर की आड़ में, रोस्टर रजिस्टर मेन्टेन नहीं करने के कारण अक्सर हजम कर दिया जाता है, इसको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह भी एक समस्या है।

प्रमोशन के लिये जोन आफ कंसीडरेशन जो है, जान बूझकर इस तरह से उसको मैनेज किया जाता है कि एस.सी. की पोस्ट्स बने ही नहीं या एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. कि किसी की पोस्ट्स नहीं बनें। जैसे तीन साल में लगातार डी.पी.सी. नहीं हुई तो तीन सालों में जितने पद रिक्त हुए, सारे के सारे एक साथ जोड़कर फिर जोन आफ कंसीडरेशन में उसका पांच गुना व्यक्तियों को लेना चाहिए। यह व्यावहारिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके बजाय एक-एक साल की अलग-अलग डी.पी.सी. करवाकर उसमें रोका जाता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं उदाहरण दूंगा। 1991 में डीवाई.एस.पी. से एडिशनल एस.पी. के प्रमोशन का मामला आया था और इसी तरह से दो साल की अलग-अलग डी.पी.सी. करवाकर जोन आफ कंसीडरेशन उसके हिसाब से किया गया, जिसके कारण से उसमें पर्याप्त लोग एस.सी., एस.टी. के नहीं आये। चार अधिकारी हाईकोर्ट में गये, हाईकोर्ट में भी जीते फिर भी सरकार ने नहीं माना...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पाइंटेड सवाल कराओ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सुप्रीम कोर्ट तक वे गये और सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आये, सरकार को मानना पड़ा। इसलिए इस बात को लागू किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार मीणा। (अनुपस्थित) श्री भीमराज भाटी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मुख्य रूप से क्रियान्वयन में जो प्रोब्लम्स आ रही हैं जान-बूझकर प्रोब्लम्स क्रियेट की जा रही हैं। उनको दूर करने के लिए सरकार प्रयास करे। सरकार ने नियम बहुत अच्छे बना रखे होंगे पर उनका क्रियान्वयन यदि ठीक नहीं होगा तो

२५१

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

नियम बनाने का लाभ नहीं मिल पाएगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहली बात तो आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि ओ.बी.सी. के छात्रों को ओ.बी.सी. के सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं। इसकी वजह यह है कि जब वे सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो उनको रेवेन्यू रिकार्डस में जो जाति दर्ज है उस जाति का ही सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे हमारे यहां कलबी को ओ.बी.सी. में ले रखा है तो कलबी अगर रेवेन्यू रिकार्ड में है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जबकि कलबी, पटेल, पिटल, आंजना सब एक ही बिरादरी के होते हैं। ओ.बी.सी. के सर्टिफिकेट नहीं मिलने से फीस में बच्चों को जो गवर्नमेंट की तरफ से कन्सेशन है उसका फायदा नहीं मिल सकता है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन में अभी तक रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। जब तक रिजर्वेशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारे ओ.बी.सी. के छात्र पढ़-लिख कर अगर डिग्री हासिल नहीं कर सकेंगे तो फिर नौकरियों में उनके रिजर्वेशन का कैसे प्रावधान होगा ?

वित्त निगम के गठन के बारे में क माननीय सदस्यों ने बात कर दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हिन्दू तेली ओ.बी.सी. में है तो मुस्लिम तेली भी होगा कि नहीं होगा ? इसी तरह हिन्दू छीपा है तो मुसलमान छीपा होगा कि नहीं होगा ? तो इसके बारे में भी सरकार के स्पष्ट आदेश किये जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक और छोटा सा निवेदन है। आयु सीमा में तो राज्य सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है दो साल की, लेकिन अटेम्प्ट में बढ़ोतरी नहीं की है वे दो या तीन अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह से कई लोगों को दिक्कत है। अभी कल ग्रामसेवकों का एक एडवरटाइजमेंट निकला है। उसमें उम्र नहीं बढ़ाई। इसके लिए मेरा एक ही निवेदन है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है, और यह सरकार एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए थोड़ा और गौर करके यह जो बोटल नेक्स हैं...

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री भीमराज भाटी : सिस्टम में जो बोटल नेक्स हैं उसको दूर करके यह कुछ करें।

श्री अध्यक्ष : मैं उन माननीय सदस्यों का पहले नाम पुकार रहा हूं जिनके या तो

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्ताव आये हुए हैं या फिर ध्यान आकर्षण आये हैं। इसलिए बार-बार हाथ ऊंचा नहीं करें, मैं बुला लूंगा और जिनको बुलाना है। श्री राजेन्द्रजी गहलोत (अनुपस्थित)। श्री कालूलालजी गूजर।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, ओ.बी.सी. के बारे में जो चर्चा चल रही है इसमें मैं दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं।

पहता तो यह है कि कम्पीटीशन में जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ओ.बी.सी. के जो छात्र बैठते हैं उनको अवसरों में छूट नहीं है, अटेम्प्ट में छूट नहीं है, जबकि यह एस.सी., एस.टी. पर लागू है। अध्यक्ष महोदय, कम्पीटीशन की परीक्षा में आयु में जो छूट दी जानी चाहिए वह भी अभी ओ.बी.सी. को नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, रिपीटेशन है।

श्री अध्यक्ष : This is repetition. You have repeated it.

श्री कालूलाल गूजर : केवल आर.ए.एस. की परीक्षा में दो साल की दी और बाकी में नहीं दी गयी।

आपने अभी बताया कि राजकीय उपक्रम पर यह लागू नहीं है। आप कब तक लागू कर देंगे ?

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. के रिजर्वेशन के बारे में गलत पक्ष लेकर सही काम नहीं करते हैं और उनको उनके हक से वंचित कर देते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की क्या व्यवस्था है ?

मेरा एक निवेदन और है। यूनिवर्सिटी में जितनी भी पोस्ट्स क्रियेट होती हैं वे अलग-अलग सब्जैक्ट के अनुसार पोस्ट्स एडवरटाइज की जाती हैं। मान लो, पांच पोस्ट्स हुई तो छठा, ओ.बी.सी. का उसमें नहीं आ सकता, जबकि अगर एक साथ सारी पोस्ट्स विज्ञापित की जाएं तो उसमें ओ.बी.सी. के छात्रों को मौका मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री परसादी लालजी मीणा।

श्री कालूलाल गूजर : इसलिए मेरा निवेदन है कि इन समस्याओं पर आप जवाब दें।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें, मंत्रीजी, सबसे ज्यादा जो परेशानी का कारण है वह पदोन्नतियों में है। हर विभाग जो इस तरह मैनेज करके पदोन्नतियां करता है, टुकड़ों में पदोन्नतियां करने के कारण पदोन्नति पाने वालों को लाभ नहीं मिलता है। आजकल हमारे पास जो ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, जो

२५५

(श्री परसादीलाल मीणा)

लोग इसके लिए ज्यादा परेशान हैं वो टुकड़ों में प्रमोशन करने के कारण परेशान हैं।

दूसरा निवेदन यहहै कि आज आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में एस.सी., एस.टी. के लोगों को राजस्थान केडर आपकी सरकार आने के बाद बिलकुल अलॉट नहीं हुआ। आप इसको गम्भीरता से देखें। राजस्थान कैडर में एस.सी. और एस.टी. को आप जान बूझकर यहां अलॉट नहीं करवा रहे हैं। आप सब पहले ही लिख कर दे रहे हैं कि इन एस.सी. और एस.टी. के लोगों को राजस्थान कैडर अलॉट नहीं किया जाए। मेहरबानी करके अभी तक आप से जो गलतियां हुई, आगे जब भी आई.ए.एस., आई.पी. एस. का बैच आये आप इस कैडर के लोगों को राजस्थान अलॉट कराएं।

एक निवेदन यह है कि अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जनजाति के लिए उसमें कोई सहायता का प्रावधान नहीं है। मेहरबानी करके आप जनजाति, ओ.बी.सी व अन्य सभी के लिए उस निगम को विस्तारित करें, उसमें सभी के लिए सहायता मिले।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यह अच्छा पाइंट है। ठीक बात है।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा एक निवेदन और है कि 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को एक सूची भेजी थी। उसमें 19 नम्बर पर गद्दी जाति लिखी हुई थी, 52 जातियों की सूची राज्य सरकार को भिजवायी, जब राज्य सरकार ने उसको गजट में प्रकाशित किया तो 19 नम्बर से गद्दी जाति को काट दिया गया है और उसकी जगह किसी दूसरी जाति को, उन्हीं में से, एक जाति के दो नाम थे उसी में एडजेस्ट कर दिया गद्दी जाति को आप ने ओ.बी.सी. में आरक्षण से वंचित कर दिया। सवाईमाधोपुर जिले में या दूसरी जगह, सारे हिन्दुस्तान में गद्दी जाति का आरक्षण है और राजस्थान में गद्दी जाति को आरक्षण बिलकुल नहीं है। 19 नम्बर, पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची दुबारा आपको भेजी है...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कृपया समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप ने दुबारा भी केबिनेट में उसको मन्जूर नहीं किया। आपने जान बूझकर सवाईमाधोपुर...

श्री अध्यक्ष : श्री जयन्ति लाल कोली।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

मंत्रीजी, आप तो स्वयं जानकार हैं कि सवाईमाधोपुर में गद्दी जाति मिलती है। इसमें मंत्रिमण्डल ने जान बूझकर यह गलती की है, आप उसको सुधारने के लिए कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : जयन्ति लाल कोली ।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित) श्री बाबूलालजी (दूदू) (अनुपस्थित) श्री कमलजी।

श्री कमल (हिण्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण की बात चल रही है, इसमें मेरा एक ही निवेदन है कि सभी नौकरियों में, सभी वर्गों में प्रत्येक पद की संख्या निश्चित है, उनमें कोटे से नियुक्ति होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग का आरक्षण हमेशा बना रहना चाहिए इसमें किसी प्रकार का फर्क नहीं आना चाहिए। इस बात को अगर हमेशा ध्यान में रखा जाएगा तो न तो प्रमोशन वाली कोई परेशान होगी औन न और किसी तरह की परेशानी होगी।

मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि यह आरक्षण का मामला एक बार समाप्त करके दुबारा जिनको वास्तव में जरूरत है उनके लिए नयी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। बस मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बढ़िया सुझाव है। श्री हरिसिंहजी (महुआ)।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें ओ.बी.सी. का आरक्षण किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.सी., और एस.टी. के आरक्षण में कुछ खामियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आरक्षण देते हुए बहुत ही सतर्कतापूर्वक इसमें दिशा-निर्देश दिये।

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि जनसंख्या के आधार पर जब जनगणना होती है तो हमारे एस.सी. और एस.टी. दोनों की गणना हमारे पास है। अखिल भारतीय स्तर पर जितनी एस.टी. की परसेण्टेज है उसके हिसाब से केन्द्र सरकार ने आरक्षण दे दिया। राजस्थान में भी एस.सी. और एस.टी. की जनसंख्या के परसेण्टेज के हिसाब से आरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो कदम आगे बढ़ाकर यह कहा कि जनगणना में ओ.बी.सी. में सम्मिलित जातियों की अलग से कोई काउन्टिंग नहीं करते हैं, इसलिए उनकी कोई निश्चित जानकारी हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लम्पसम में 27 प्रतिशत आरक्षण देते हैं।

साथ ही उन्होंने यह तय किया कि 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ एक छूट और देते हैं कि ओ.बी. सी. के मेरीटोरियस आशार्थी पहले जनरल में कम्पीट करेंगे और उसके बाद में चाहे जनरल की लास्ट मैरिट है उसके बाद में ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश की अनुपालना नहीं हो रही है। राज्य सरकार ने जो दिशा-निर्देश अपने यहां विभागों में दिये हैं उनकी शत-प्रतिशत अनुपालना नहीं हो रही है।

(२४६)

(श्री हरिसिंह)

अध्यक्ष महोदय, अब राजस्थान में पुलिस में भर्ती हुई और भर्ती होने पर क्या किया। पहले तो एस.सी. के 16 प्रतिशत भर्ती कर लिये, फिर एस.टी. के 12 प्रतिशत भर्ती कर लिये, फिर ओ.बी.सी. के 21 प्रतिशत भर्ती कर लिये और शेष जो 50 प्रतिशत था वह पूरा ओ.बी.सी. को दे दिया। यह नियम विरुद्ध था और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अवहेलना थी। होना यह चाहिए था कि एस.सी. और एस.टी. का रिजर्वेशन करने के बाद ओ.बी.सी. के और जनरल के सम्मिलित थे। उनमें से छंटनी होनी चाहिए थी और जो ओ.बी.सी. के लड़के जनरल में कम्पीट कर रहे थे उनको पहले जनरल में लिया जाना चाहिए था और उसके बाद में 21 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाना चाहिए था। स्ट्रिक्टली सरकार इस प्रकार के दिशा-निर्देश पुलिस विभाग को जारी करे। इसके साथ ही मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट और।

जैसा कि आपने जनजाति उप क्षेत्र के पांच जिलों के सम्बन्ध में कहा और मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में वहां पर 45 प्रतिशत का आरक्षण जनसंख्या के परसेण्टेज को देखते हुए आपने एस.टी. को दिया। कई जिलों में उनकी पापुलेशन है, 72 प्रतिशत कई जिलों में 76 प्रतिशत भी है। वहां एस.सी. का पापुलेशन इतना कम है क्या ? 5 प्रतिशत ही है। जब राजस्थान सरकार ने दिशा-निर्देश दिये हैं कि हम जनसंख्या के आधार पर ही कर रहे हैं तो एस.सी. का आपने पांच प्रतिशत तक क्यों रखा और क्या उन पांच जिलों में ओ.बी.सी. का प्रतिशत बिलकुल ही नहीं है ? क्या आपने यह तय नहीं किया ? स्ट्रिक्टली बात यह है कि आप जनरल के हितों की ज्यादा साधना कर रहे हैं। यह तो सही है कि एस.सी. को आपने 45 प्रतिशत दे दिया, लेकिन जनरल को वहां आपने 50 प्रतिशत रखकर ओ.बी.सी. और एस.टी. के साथ अन्याय किया है, इसलिए आप इसमें सुधार करिये।

साथ ही मेरा आपसे यह अनुरोध और है कि वहां पर परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स 50 प्रतिशत कर दिये। मुझे आशंका है कि जिन लोगों के लिए 50 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं, वे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और यह बहाना बनाया जाएगा कि यह रिटन में क्वालिफाई नहीं कर पाये हैं, इसलिए ये सीट्स खाली रखी और उनको जनरल से भरा गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री रेवतराम जी पंवार।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं समापन करूंगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि बेरोजगारी बहुत है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 550 करोड़ रुपये अलग से ओ.बी.सी. के स्वरोजगार के लिए रखे हैं। आपने कोई चैनेलाइज एजेन्सी राजस्थान में नहीं बनायी और सबको क्लब

(श्री हरिसिंह)

कर दिया। उसी अनुसूचित जाति के साथ में अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. को क्लब कर दिया। मेरी आपसे मांग है कि अनुसूचित जाति वित्त निगम जिस प्रकार से आपने बना रखा है, उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. के लिए भी अलग से वित्त निगम बनें ताकि वहां के स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों के ...(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उन्होंने कह दिया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, अभी तक हम दूसरा ही कर सके। 550 करोड़ रुपये में राजस्थान का जो शेयर है, वह डम्प हो गया, राजस्थान गवर्नमेंट की अकर्मण्यता के कारण उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : अकर्मण्यता के बाद की बात है। आप तो बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ...(व्यवधान) उसका लाभ नहीं मिला है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रेवतराम जी पंवार।

श्री रेवतराम पंवार (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय को इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि नौकरियों और प्रमोशन में जो रिजर्वेशन व बैकलॉग पड़ा है उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए और आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस. का जो कैडर मिलता था राजस्थान को वह नहीं दिया जा रहा है। उसको वापस शुरू किया जाए। इसी निवेदन के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। आप अब यह नहीं कहेंगे कि एक ही तरफ से बोल रहे हैं। अभी जिन के प्रस्ताव आये हुए हैं, सता पक्ष के माननीय सदस्यों के पहले नाम पुकारूंगा उसके बाद दूसरे पुकारूंगा। बिराजिये। डोंट स्पीक। श्री अर्जुनलालजी जीनगर (अनुपस्थित) श्री हरिनारायण जी (अनुपस्थित) श्री टीकमचन्दजी कान्त (अनुपस्थित) श्री महावीरजी भगोरा (अनुपस्थित) मैं उन्हें पूरा मौका दूंगा। श्री बाबूलालजी (अनुपस्थित) श्री कन्हैयालालजी। नहीं, इस तरह से नहीं, ये बोलना चाहें तो बोलें।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण कुछ इस प्रकार से लागू किया जा रहा है कि मात्र एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के कोटे में ही शामिल हों, यह सही नहीं है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग सहकारी विकास निगम की योजनाएं लगभग ठप्प पड़ी हुई हैं। उन अधिकारियों का कहना है कि एन. एस. एफ.डी.सी. योजना राजस्थान सरकार द्वारा गांरटी नहीं दिये जाने के कारण राजस्थान में लागू नहीं की जा रही है, क्या यह सही है ? इस बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री मांगीलाल जी मेघवाल (अनुपस्थित) श्री लक्ष्मीनारायणजी

(श्री अध्यक्ष)

बैरवा। do you want to say anything ? Speak. Please do not disturb. Let him speak.

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 22.7.1995 को एक आदेश निकाला है, जिसमें लिखा गया है कि आगे कि जो पदोन्नतियां होंगी, उस पर रोक लगा दी गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो केस का रेफरेंस दिया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो केस था क्या उसमें राजस्थान सरकार पार्टी थी ? दूसरी बात यह कि अगर राजस्थान सरकार इसमें पार्टी नहीं भी थी तो क्या और राज्य सरकारों से इस प्रकार की सलाह ली गयी है या और राज्यों में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जा रही है? एस.सी. और एस.टी. के. एक संवेदनशील जाति है, इसके लिए राज्य सरकार को, सेंट्रल से रिजर्वेशन होता है, वहां से भी उसकी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। नियमों के आधार पर एक कमेटी बिठाकर जो बातचीत होती है उसके हिसाब से यहां राजस्थान सरकार लागू करती। डायरेक्ट ही यहां की सरकार ने इस चीज को लागू कर दिया।

तीसरी बात मैं यह कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से रोस्टर प्रणाली में जोन ऑफ कंसीडरेशन से लोगों को भर्ती किया जाता है, इसको बिलकुल लागू नहीं किया जा रहा है, इसकी अनदेखी की जा रही है। जिस प्रकार सिंचाई विभाग में कुल 365 पद हैं उनमें से खाली 6 पद एस.सी. और एस.टी. को रेख हैं जबकि 96 पद इनके भरने चाहिए थे। इसी प्रकार से पी.डब्ल्यू.डी. में 260 पद हैं, इसमें खाली 17 अधिकारी भरे हुए हैं जबकि 75 पद इसमें एस.सी. और एस.टी. के लेने चाहिए थे। इसी प्रकार से आर.ए.एस. के अधिकारियों में 604 पद हैं। इनमें 131 पद ही भर रखे हैं जबकि 168 पद इनके लेने चाहिए थे। इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-के लोगों के साथ बड़ा अत्याचार और दुराचार हो रहा है। रोस्टर प्रणाली के अनुसार नहीं ले रहे हैं। जो लोग कंसीडर नहीं करते, इन लोगों की जितनी भर्ती करनी होती है। उतनी नहीं करते जैसे 10 ही वेकेन्सी निकलती हैं तो 1 X 5 = 50 लोगों को कंसीडरेशन करना चाहिए। यह 5 वेकेन्सी ही निकालते हैं जिसमें 25 को कंसीडर करके जनरल वालों को भर लेते हैं जिससे एस.सी. व एस.टी. वालों का नम्बर नहीं आता है। इस प्रकार से इनके साथ अन्याय नहीं किया जाए। जिस तरह की वेकेन्सी निकालें उन सबको एक साथ भरना चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलालजी। (व्यवधान) मैं पहले उस लिस्ट को एडजेस्ट कर रहा हूं। I have told you earlier, do not disturb me. चलिये, बोलिये आप।

श्री मोतीलाल (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो एस.सी.,

(श्री मोतीलाल)

एसटी. और ओ.बी.सी. का आरक्षण मिला-जुला है, इस आरक्षण के नाम पर एस.सी. के साथ छलावा हो रहा है। पद आते हैं, लेकिन जनरल कास्ट से भर दिये जाते हैं। मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं। राधेश्याम वशिष्ठ जो कि 1958 में नाइन्थ क्लास में पढ़ता था उस समय उसने एक मोची के घर पर जाकर एक गोदनामा रजिस्टर्ड कराया। यह 1972 में फोर्जरी में कराया। उस समय से लेकर आज तक वह सर्विस कर रहा है। भरतपुर में पुरोहित मोहल्ले का रहने वाला है, पंडित है। उसने अपनी पत्नी को भी मोची समाज में लेकर आरक्षण का फायदा लिया। अब उसने अपने बच्चे का 19 तारीख को भरतपुर कन्या महाविद्यालय के अन्दर पोस्टिंग कराया है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में यह ढिंढोरा अच्छी तरह से हो तो रहा है, लेकिन इस पर जो कुठाराघात हो रहा है, सबसे पहले उसको रोका जाए वरना हमें आरक्षण का फायदा देने का कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीचन्दजी (अनुपस्थित) श्री गोविन्दसिंह जी गुर्जर (अनुपस्थित) (व्यवधान) मैं सबको बुलाऊंगा। डा. जितेन्द्र सिंहजी (अनुपस्थित) श्री परसरामजी मोरदिया।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हाउस में जो चर्चा हो रही है, इसके पीछे कई कारण हैं, आरक्षण का भी है, लेकिन इसके साथ-साथ राजस्थान के अन्दर आरक्षण के खिलाफ जो एक वातावरण बन रहा है वह भी है। चाहे वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हों, चाहे नीचे के, आर.ए.एस., आर.पी.एस. के अधिकारी हों, जिस ढंग से भेदभाव बरता जा रहा है, उसके ऊपर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने चिन्तित होकर आपसे कई दिन चर्चा के लिए प्रार्थना की।

श्री अध्यक्ष : आप कोई पाइन्टेड बात कहना चाहें तो कहें।

श्री परसराम मोरदिया : हां, पाइन्टेड ही कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया कि प्रमोशंस के अन्दर भी बहुत ध्यान रखा जाता है, नियुक्तियों में भी ध्यान रखा जाता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनवरी, 1996 में एक घोषणा की थी कि सरकारी विभागों में 14,500 विभिन्न पद रिक्त हैं। आज तक एक भी पद नहीं भरा गया 14,500 में से। यह मुख्य मंत्रीजी की घोषणा है जनवरी, 1996 की। एक पद नहीं भरा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान सरकार ने हाल ही में 45 हजार वर्कचार्ज एम्पलाइज को नियमित किया है, जिसमें एस.सी., एसटी. और ओ.बी.सी. का

(250)

(**श्री परसराम मोरदिया**)

निल रखा गया है। यह मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। 45 हजार राजस्थान के अन्दर वर्कचार्ज एम्पालोईज को नियमित किया है, उसमें सिर्फ पांच या छः हजार हैं, जबकि बनता है उन्नीस हजार (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या कह रहे हैं ? नियमित होने में तो यहां से यहां जा रहे हैं, वह तो कोई प्रमोशन नहीं है, वह कोई एम्पालयमेंट नहीं है। आप क्या चाहते हो, उनको नियमित नहीं करते ? (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : नहीं-नहीं, मेरी बात सुनो मंत्री महोदय, नियमित का मतलब है डेली वेजेज पर थे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह बैकलॉग (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : नहीं-नहीं, मैं कह रहा हूं कि डेली वेजेज पर थे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : मैं यह कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि आपके विश्वविद्यालय के अन्दर अभी आपने बताया 166 प्रोफेसर लिये। उनमें एक भी एस.सी. या एस.टी. का नहीं है। आपने सिंचाई विभाग में (व्यवधान) नहीं वह तो बोल दिया।

श्री अध्यक्ष : वह तो बोल दिया आपने। अब तो आप सजेशन दो।

श्री परसराम मोरदिया : हां, सजेशन दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब यह दो इसमें यों नहीं हुआ और वह दो इसमें यों नहीं हुआ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा।

श्री परसराम मोरदिया : माननीय मंत्रीजी, इंजीनियरिंग कालेज के अन्दर आपने दस प्रोफेसर लिये, एक भी एस.सी., एस.टी. का नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किसमें ?

श्री परसराम मोरदिया : इंजीनियरिंग कालेज में। चाहे वह जोधपुर हो, चाहे कोटा हो और चाहे जयपुर हो। एक भी नहीं है। उसके बाद पोलिटेक्निक कालेज के अन्दर आपने अभी नौ लिये हैं, उसमें एक भी नहीं है। आप बता दो मैं उल्टी बात कह रहा हूं तो, नोट कर लो, दिखवा लो।

श्री अध्यक्ष : यह अलग-अलग बात कह देना इसमें कोई, there is no substance in it. आप कोई नीतिगत बात कहना चाहें तो कहें।

श्री परसराम मोरदिया : मैं एक ही बात कहकर अपनी बात को पूरी करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जितने भी कर्मचारी एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. के हैं, चाहे भारतीय प्रशानिक सेवा के अधिकारी हों और चाहे कर्मचारी हों, उनमें बहुत बड़ा रोष

(श्री परसराम मोरदिया)

है। उनकी पोस्टिंग्स में उनके साथ बहुत घटिया किस्म का व्यवहार किया जाता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में अभी आर्डर निकला। इसके अन्दर रिजर्वेशन खतम करने की साजिश है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही अभी प्रमोशन पर रोक लगी है, लेकिन मुख्य सचिव महोदय ने एक साजिश की कि सत्तापक्ष और विपक्ष के एम.एल.एज. ने यह बात उठायी है, इसलिए यह आदेश जारी किया कि प्रमोशंस नहीं होंगे। एडहॉक पर छः हजार प्रमोशन हुए पिछले चार-पांच साल में। क्या उनको कैंसिल करेंगे आप ? आपने बैक फारवर्ड की बात कही है, कैरी फारवर्ड की बात कही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं ? क्या कर रहे हैं ? यहां कोई सुबह से हो रही है क्या डिबेट ?

श्री परसराम मोरदिया : मैं आ रहा हूं साहब उस पर, मेरी अर्ज सुनो। तीन साल के लिए आपने कहा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इस तरीके की बात को अलाऊ नहीं करूंगा। कृपया बिराजें आप।

श्री परसराम मोरदिया : लेकिन आपने यह कहा कि एक आदेश के अन्दर आपने एक साल का कर दिया इसलिए तीन साल का कैरी फारवर्ड कर दिया। उसको तीन साल रखा गया। इसलिए मैं चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी कर्मचारी या अधिकारी हैं, गलत हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनकी पोस्टिंग की जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और आरक्षण को पूरा किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्रीमती शशि दत्ताजी। आपको भी कुछ कहना है ?

श्रीमती शशीदत्ता : हां।

श्री अध्यक्ष : तो कहें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : गवर्नमेंट इन्टरवीन कर रही है ?

श्रीमती शशीदत्ता : नाट इन्टरवीनिंग। मैं आपको सुझाव दे रही हूं।

श्री अध्यक्ष : एज एम.एल.ए. अपनी बात रखना चाह रही हैं।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यहां पर आरक्षण की चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके और माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगी। यहां बात कही 16,12 और 21 प्रतिशत की। 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति का है, 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है और 21 प्रतिशत ओ.बी.सी. का आरक्षण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नियुक्ति होती है और उसके लिए जो विज्ञप्ति निकाली जाती हैं उसके हिसाब से जितने कन्डीडेट पास होते हैं, उनकी भर्ती कर ली जाती है। जहां तक प्रमोशन का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, प्रमोशन में जो आर.एस.आर.

(श्रीमती शशि दत्ता)

(राजस्थान सर्विस रूल्स) हैं अगर आप उसको ध्यान से देखें तो मैं यह कहना चाहूंगी कि उसके नियमों की हर जगह अवहेलना होती है। प्रमोशन में जो पद हैं। (व्यवधान) नहीं, मैं आपको सुझाव दे रही हूं।

As a member, I am giving.

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, पदों को कैरी फारवर्ड करने की परम्परा है। मैं एक छोटा सा सुझाव माननीय मंत्रीजी को दूंगी कि 16,12 और 21 के रेशिया में आपने हमारे पद दिये। हमारे पद इस वर्ष में खाली रह गये तो आप यह कहते हैं कि हम उन पदों को बैकलॉग में रख देंगे। हमारा बैकलॉग वेकेन्ट रहे, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, क्या आप दुबारा जब उन पदों को भरते हैं उस बैकलॉग को बैकलॉग के बस्ते में ही रखते हैं। दुबारा से उन पदों को उनमें काउन्ट नहीं करते हैं ताकि अगर वे पद वहां रिक्त रहते हैं तो उन पदों को आप दूसरे उसमें काउन्ट कीजिए ताकि बैकलॉग पूरा हो सके।

मेरा दूसरा पाइन्टेड प्रश्न है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी अध्यक्ष महोदय। अभी लक्ष्मीनारायणजी ने एक बात कही, "स्टेट वर्सेज अजीत सिंह" एक फैसला हुआ, जिसके बारे में कल एक आदेश निकाला गया कि **पदोन्नतियों पर रोक लगा दी जाए। मैंने आदेश अभी तक पढ़ा नहीं है। वैसा सुना है** वैसा मैं आपको कह रही हूं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रही हूं, मैं बता रही हूं। (व्यवधान) ठहरिये।

श्री अध्यक्ष : बात सुनने दें क्या कह रही हैं यह ?

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, "स्टेट वर्सेज अजीत सिंह" का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर कोई डिसीजन दे दिया, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी डिसीजन किसी भी न्यायालय द्वारा दिया गया डिसीजन स्टेबल नहीं होता। किसी भी प्रकरण में यह डिसीजन दुबारा बदल सकता है। आज जो डिसीजन हुआ वह कल की बैंच में बदल सकता है, दो महीने बाद बदल सकता है, रूलिंग को तो उस महत्व के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यह उत्तर नहीं हो सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश दे दिया इसलिए हमको तुरन्त प्रभाव से उसे लागू करना नहीं चाहिए, उसके फैक्ट्स को देखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्रीमती शशीदत्ता : मेरा तीसरा.. (व्यवधान) लागू नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री माधवसिंह दीवान।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभगढ़) : ये जॉइंट रेस्पोंसिबिलिटी से खिसकते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष

(श्री माधवसिंह दीवान)

महोदय, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कुछ जातियां जो पीछे रह गयी हैं उनके बारे में भी तो कुछ फरमाइये। काफी लोग हैं जो इकोनोमिकली बहुत बैकवर्ड हैं, उनके बारे में भी घोषणा करें कि जो आयोग हैं, वह यों लम्बा ही चलता जाएगा या आयोग अपनी रिपोर्ट जल्दी देगा ?

श्री अध्यक्ष : खोईवाल साहब आप कुछ कह रहे हैं ?

श्री शांतिलाल ख़ोईवाल (राजसमंद) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। आपकी मंशा समझ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : हां जल्दी करें आप।

श्री शांतिलाल ख़ोईवाल : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण एक संवैधानिक प्रावधान है। जहां तक राजस्थान के शासकीय तंत्र का प्रश्न है, संवेदनशीलता में कोई कमी नहीं है, लेकिन अधिकारिक स्तर पर जो कान्स्टीट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से कानून-कायदे बनाये जाते हैं आरक्षण के, उसको तोड़ मरोड़ कर अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. के लोगों को लाभ दिये जाने से वंचित रखा जा रहा है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आर.ए.एस. व आई.ए.एस. में पदोन्नति के लिए पहले बीस वर्ष का मिनिमम एक्सपीरियंस होना जरूरी था। अब उसमें बीस वर्ष में कई लोगों का जोन ऑफ कन्सीडरेशन में नाम आ जाता था अनुसूचित जाति, जनजाति और बैकवर्ड क्लासेज का। लेकिन अब साजिश यह बढ़ती गयी कि इसको बीस साल से रिड्यूस करके 18 साल कर दिया, ताकि वह सूची लम्बी बन जाए और जोन ऑफ कन्सीडरेशन में अनुसूचित जाति -जनजाति और ओ.बी.सी. का नम्बर नहीं आए। यह एक ऐसी साजिश है जिसके कारण जानबूझकर पदोन्नति के स्तर पर आये हुए शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मुद्दा और निवेदन करूंगा। जैसे अभी 45 हजार वर्कचार्ज एम्पलाइज को नियमित किया गया है। बात ठीक है, क्योंकि सर्विसेज में नियमित करना जरूरी था और उनको रेगुलराइज करना भी जरूरी था। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि क्या अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. के लिए जो यह रेशियो पूरा नहीं हुआ है, अनुपात पूरा नहीं हुआ है इसको वापस बैकलॉग के रूप में भरा जाएगा ? इसका माननीय मन्त्री महोदय जवाब दें। ये मेरे पाइन्टेड प्रश्न हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। शैलेन्द्र जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या सरकार एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. में जो प्रजेन्टली डिस्क्रिपेंसी है उसको हटाने के लिए इक्वल फूटिंग पर, समानता के आधार पर कोई नीति निर्धारित करेगी जिससे कि कोई भी भेद नहीं रहे ?

254

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या आजादी के 48 साल बाद एस.सी. और एस.टी. में जो आरक्षण की सुविधा दी गयी और जिसके कारण कुछेक लोगों का निश्चित तौर पर विकास हुआ, उसमें क्या क्रिमिलेयर को हटा कर एस.टी. और एस.सी. के भाइयों को आरक्षण की सुविधा मिले उसके लिये कोई स्कूटनी करेगी ? या यह माना जाए कि राजस्थान में एक ही व्यक्ति को इसका लाभ और विकास के जो निश्चित मापदण्ड हैं उनसे ऊपर नहीं उठा गया ?

श्री अध्यक्ष : कासनियांजी, आपको क्या कहना है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा तीसरा सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय यह जाति कोई अभिशाप नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था थी उसका दोष जातीय था, इसलिए एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. को रिजर्वेशन देने की बात कही जाती है। आज मेरा निवेदन करना यह है कि जो नोन रिजर्व कास्ट है उसमें भी ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। वे भी समाज के अंग हैं। उनको भी रिजर्वेशन की सुविधाएं आर्थिक आधार पर हों, जिससे उनका विकास हो सके। इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : कासनियां जी।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा): ***अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन से,*** माननीय मन्त्री ***महोदय से,*** सरकार से निवेदन है कि आरक्षण आर्थिक बेस पर होना चाहिए। चाहे वह किसी जाति का, हरिजन, एस.सी., एस.टी. हो, जाट हो, सरदार हो, विश्नोई हो, चाहे किसी जाति का हो, मेरी स्पष्ट मान्यता है कि आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए। जो आदमी गरीब है उसको आरक्षण की आवश्यकता है, और जो गरीब नहीं है उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। जगजीवन राम जी के परिवार को आरक्षण की जरूरत नहीं है, सम्पतरामजी के परिवार को आरक्षण की जरूरत नहीं है (व्यवधान) परसादीलाल जी मीणा हो, चाहे रेवतराम जी हो या जोगेश्वर जी गर्ग हो, आरक्षण इन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। आरक्षण तो जो झुग्गी झोंपड़ियों में बैठे हैं, जो गांव का गरीब है, आरक्षण उनको मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय, आरक्षण वालों की क्लास अलग से बन गयी, इनकी शादियां ही गरीबों के अन्दर आपस में नहीं होती और यहां तक हुआ कि शादियां भी दूसरी जातियों में करने लग गये हैं। उसको कहते हैं अन्तरजातीय विवाह है तो आरक्षण क्यों नहीं ? आज एक लड़का कोई आई.ए.एस. है और किसी जाति की लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो वहां फिर अन्तरजातीय विवाह किसी गरीब हरिजन की लड़की के साथ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय मन्त्रीजी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : अब समय लिमिटेड है तीन मिनट बचे हैं मात्र। जवाब भी सुनना है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक ही सवाल है। मैं एक ही इम्पोर्टेंट बात पूछूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर बोलने के लिए इजाजत मांगी थी आपसे।

श्री अध्यक्ष : अब आपने तथा कई माननीय सदस्यों ने मांगी है, परन्तु मेरी भी मजबूरी है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : ..(व्यवधान) ..मैं दो ही बात कहना चाहता हूं। ..(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अब आप तो यह कह दो कि सिर्फ शादियों में आरक्षण होना चाहिए और टाटा बिड़ला की जो सम्पत्ति है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए।..(व्यवधान).. होटलों में आरक्षण होना चाहिए और शादियों में आरक्षण होना चाहिए..(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : हां, हां होना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक किसी भी माननीय सदस्य ने यह पाइन्ट नहीं उठाया है जो मैं जानना चाहता हूं। किसी भी माननीय सदस्य ने वह जानकारी सरकार से नहीं मांगी है जो मैं पूछना चाहता हूं। वह यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री नरसिंह राव ने दस पर्सेण्ट का आरक्षण, आर्थिक् दृष्टि से जो लोग कमजोर हैं उनके लिए व्यवस्था की थी। सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था और ओ.के. कर दिया था कि जो अपर कास्ट है उसमें आर्थिक आधार पर दस पर्सेण्ट आरक्षण उनको दिया जाए। अब दस पर्सेण्ट अगर आप उनको देते हैं तो आपका पर्सेण्टेज़ पचास से ऊपर चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन यह भी है कि पचास पर्सेण्ट तक दिया जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, यू.पी. इन सबमें अस्सी पर्सेण्ट तक रिजर्वेशन गया हुआ है। आपको भी पचास पर्सेण्ट की कोई लिमिट नहीं रखनी चाहिए। आप क्यों नहीं करते ?.

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। जवाब सुनें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं। पहले जवाब सुनें आप..(व्यवधान).. नो नो, कृपया बात सुनें आप। पहले बात सुनें आप। आपकी बात आ जाती है तो आप सुन लें पहले (व्यवधान).. आप रोज ही बोल रहे हैं आरक्षण, आरक्षण। एक प्रश्न आ जाना चाहिए, कोई न कोई अनुसूचित जाति के सदस्य का।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट चाहता हूं। ..(व्यवधान)..माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आरक्षण के पीछे सोच था, समाज में एक वर्ग है जो बहुत पीछे रह गया है। उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तरीका सोचा गया था कि कैसे उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी। उसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग ..(व्यवधान)

(256)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें हो गयी बात आपकी।

श्री बनवारीलाल बैरवा : एक मिनट बात तो पूरी करने दें। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको प्रशासनिक अधिकारों से डिफिट नहीं किया जाना चाहिए। यह 16.7.96 का जो आर्डर है डी.जे. के आफिस का, उसमें हमारे हितों पर कुठाराघात किया है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : अध्यक्ष महोदय, पंचायतों में जो आरक्षण दिया गया है उसी प्रकार एम.एल.ए. और एम.पी. के चुनावों में भी आरक्षण दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार के यहां का प्रमाण पत्र सब जगह माना जाता है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिस काम के लिए यह रखा गया है उनको तो सुनें आप कम से कम।

श्री बनवारीलाल बैरवा : ...(व्यवधान)... भर्ती कर दिया, उसको अमान्य कर दिया। उसको यह कहा कि मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पचास प्रतिशत अंक पूरे प्राप्त होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। अब आपको उत्तर नहीं सुनना है क्या ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : ऐसा कहीं नहीं होता है जो क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं उनको देखते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। उत्तर नहीं सुनना है क्या।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अनुसुचित जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ...

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका आरक्षण कौन कम कर रहा है ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपको आरक्षण देना है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। मेरी भी मजबूरी है। राष्ट्रगान।

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा,
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधि तरंगा,
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशीष मांगे,
गाहे तब जब गाथा।
जन गण मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.00 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 773 की सूची

अभाव वर्ष सम्वत् 2052 में पंचायत समिति कुचामन सिटी में स्वीकृत कार्यों की सूची

क्र.सं.	स्वीकृति	दिनांक	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि श्रम	सामग्री	योग	स्वी. श्रमिक सीमा	
1.	1995	26.2.96	पंचायत भवन जाब्दीनगर	1.20	0.80	2.00	40	
2.			पंचायत भवन महाराजपुरा	1.20	0.80	2.00	40	निरस्त
3.			पंचायत भवन उगरपुरा	1.20	0.80	2.00	40	
4.			पंचायत भवन नालोट	1.20	0.80	2.00	40	
5.			पंचायत भवन खोरन्डी	1.20	0.80	2.00	40	
6.			पंचायत भवन सोलाया	1.20	0.80	2.00	40	
7.			पंचायत भवन बरजंन	1.20	0.80	2.00	40	
8.			पंचायत भवन भुणी	1.20	0.80	2.00	40	
9.			पंचायत भवन इडांली	1.20	0.80	2.00	40	
10.			पंचायत भवन सरदारपुरा	1.20	0.80	2.00	40	
11.			पंचायत भवन दीपपुरा	1.20	0.80	2.00	40	
12.			पंचायत भवन खारिया	1.20	0.80	2.00	40	निरस्त
13.			पंचायत भवन नारायणपुरा	1.20	0.80	2.00	40	
14.	1170	27.2.96	पु. थाना मारोठमरम्मत	0.246	0.164	0.41	40	
15.	1720	16.3.96	राप्रावि. में कमरा रूपपुरा टोरड़ा	0.60	0.40	1.00	40	
16.			रा.मवि. में क. रेगरबस्ती पांचवा	0.60	0.40	1.00	40	
17.			राप्रावि. में कमरा बरामदा रसाल	0.81	0.54	1.34	40	
18.			समाज कल्याण भवन पांचवा	0.60	0.40	1.00	40	
19.			राप्रावि. में कमरा ब. देवलीकल्ला	0.60	0.40	1.00	40	
20.			रासि. सैके. में क. ब. कुकनवाली	0.60	0.40	1.00	40	
21.			राउ. प्रा. में कमरा ब. सबलपुर	0.60	0.40	1.00	40	
22.			राउ. प्रा. में कमरा बरामदा परनेड़ा	0.60	0.40	1.00	40	
23.			राप्रावि. में कमरा बरामदा जीणवार	0.60	0.40	1.00	40	

(258)

क्र.सं.	स्वीकृति दिनांक	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि श्रम	सामग्री	योग	स्वी. श्रमिक सीमा	
24.		सार्व. नलकूल खेली कोठा भगवानपुरा	0.60	0.40	1.00	40	
25.		सामुदायिक विकास केन्द्र अड़कसर	0.60	0.40	1.00	40	
26.		सामुदायिक विकास केन्द्र घाटवा	0.60	0.40	100	40	
27.		सामुदायिक विकास केन्द्र मोठड़ी	0.60	0.40	1.00	40	निरस्त
28.		रा.मा.वि. में चार दीवारी गुडासाल्ट	0.60	0.40	1.00	40	
29.		पटवार भवन निर्माण गोविन्दी	0.78	0.52	130	40	
30.		पटवार भवन निर्माण चौसला	0.78	0.52	1.30	40	
31.		सामु. भवन नि. राजलीया	0.60	0.40	1.00	40	निरस्त
32.		राउप्रावि. में शौचालय निर्माण हरिपुरा	0.12	0.08	0.20	20	निरस्त
33.		सार्व तालाब कीबंलाई व घाट निर्माण पलाड़ा	0.60	0.40	1.00	40	
34.	2068 27.3.96	रा.मा.वि. में कमरा लूणदा	0.60	0.40	1.00	50	
35.		सार्व. नागवालातालाब खुदाई मारोठ	0.30	0.20	0.50	40	
36.		सामु. भवन निर्माण चितावा	0.54	0.35	0.89	50	
37.		सामु. भवन निर्माण आसपुरा	0.54	0.35	0.89	50	
38.		सामु. भवन निर्माण बीचाणा	0.54	0.35	0.89	50	
39.		राउप्रावि. में कमरा निर्माण चावण्डिया	0.60	0.40	1.00	50	
40.		राप्रावि. कन्या में कमरा निर्माण लालास	0.60	0.40	1.00	50	
41.		राप्रावि. कन्या में कमरा निर्माण मीडां	0.60	0.40	1.00	50	
42.		राप्रावि. में एक कमरा निर्माण पाचोंता	0.60	0.40	1.00	50	

क्र.सं.	स्वीकृति दिनांक	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि श्रम	सामग्री	योग	स्वी. श्रमिक सीमा
43.		राप्रावि. में कमरा बरामदा सुजानपुरा	0.60	0.40	1.00	50
44.		राप्रावि. में कमरा बरामदा शिवदानपुरा	0.60	0.40	1.00	50
45.		राप्रावि. में कमरा बरामदा आयूणी शिव	0.60	0.40	1.00	50
46.		रामावि. में एक कमरा लूणवा	0.60	0.40	1.00	50
47.	2254 30.3.96	उप. स्वा. केन्द्र रावां	1.25	1.25	2.50	50
48.		उप. स्वा. केन्द्र जिजोट	1.25	1.25	2.50	50
49.		उप. स्वा. केन्द्र राजलीया	1.25	1.25	2.50	50
50.		उप. स्वा. केन्द्र चारणवास हुडीस	1.25	1.25	2.50	50
51.	2375 24.5.96	जोशीढाणी मारोठ में कुआंनिर्माण	0.60	0.40	1.00	50
52.		रामावि. में पांचा में अपूर्ण चार कमरे बरामदों को पूर्ण करना	0.89	0.58	1.47	50
53.		राप्रावि. में कन्या घटावा में अपूर्ण 2 कमरों को पूर्ण	0.30	0.20	0.50	50
54.		रामावि. जीलीया अपूर्ण कमरों को-पूर्ण	0.35	0.24	0.59	50
55.		राप्रावि. में कमरा हुडीस अपूर्ण कमरों को पूर्ण	0.18	0.12	0.30	40
56.		राप्रावि. में टोरड़ा में अपूर्ण 2 कमरों को पूर्ण करना	0.30	0.20	0.50	05
57.		राउप्रावि. नारायणपुरा अपूर्ण कमरे, बरामदे पूर्ण करना	0.90	0.60	1.50	50
58.		रामावि. लूणदा में अपूर्णचार दीवारी पूर्ण करना	0.41	0.27	0.68	50

क्र.सं.	स्वीकृति दिनांक	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि श्रम	सामग्री	योग	स्वी. श्रमिक सीमा
59.		राप्रावि. उलाणा अपूर्ण चार दीवारी पूर्ण करना	0.41	0.27	0.68	50
60. 3976	30.5.96	देवजी के मन्दिर के चरी की ढाणी, तक खुरा निर्माण ग्राम प. राजलीया	0.6	0.40	1.00	50

कार्यालय पंचायत समिति कुचामन सिटी (नागौर)

राहत कार्य सं. 2052 में स्वीकृत प्रारम्भ नहीं कार्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम कार्य मय विवरण	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	स्वी. सं. व ता.	स्वीकृत राशि	
1.	पंचायत भवन द्वाराजपुरा	महाराजपुरा	महाराजपुरा	995 26.2.96	2.00	निरस्त
2.	पंचायत भवन उगरपुरा	उगरपुरा	उगरपुरा	"	2.00	
3.	पंचायत भवन सोलाया	सोलाया	सोलाया	"	2.00	
4.	पंचायत भवन इण्डाली	इण्डाली	इण्डाली	"	2.00	
5.	पंचायत भवन	खारिया	खारिया	"	2.00	निरस्त
6.	राउप्रावि. में कमरा बरामदा	देवली	देवली	1730 16.3.96	1.00	
7.	राउप्रावि. में कमरा बरामदा	परेवड़ी	परेवडी	"	1.09	
8.	सामुदायिक विकास भवन	मीठड़ी	मीठडी	"	1.00	निरस्त
9.	सामुदायिक विकास भवन	राजलीया	राजलीया	"	1.00	निरस्त
10.	राप्रावि. में कमरा बरामदा	लूणवा	लूणवा	2068 27.3.96	1.00	
11.	सामुदायिक विकास भवन	आसपुरा	जीलीया	"	1.00	
12.	रा. प्रावि.कमरा बरामदा	कन्या लालास	लालास	"	1.00	
13.	रा. प्रावि.कमरा बरामदा	कन्या मीण्डा	मीण्डा	"	1.00	
14.	रा. प्रावि. कमरा बरामदा	सजानपुरा	दीपपुरा	"	1.00	

क्र.सं. नाम कार्य मय विवरण	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	स्वी. स. व ता.	स्वीकृत राशि
15. रा.मा.वि.कमरा बरामदा	लूणवा	लूणवा	"	1.00
16. रा.मा.वि. चारदीवारी	गुढ़ासाल्ट	गुढ़ासाल्ट	1730 16.3.96	1.00
17. रा.उ.प्रा.वि. शौचालय	हरिपुरा	इन्दोखा	"	0.20 निरस्त
18. रा.प्रा.वि. कमरा बरामदा	शिवदानुपुरा	दीपपुरा	2068 27.3.96	1.00
19. रा.प्रा.वि. बरामदा कमरा	शिव (डब्लू)	शिव	"	1.00

उक्त 19 कार्यों में से उनके नाम के आगे अंकित निरस्त के अलावा 14 कार्य पुनः बहाल किये गये।

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में पोलियो के रोकथाम हेतु अभियान

779. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पोलियो बीमारी की रोकथाम हेतु जो अभियान चलाया गया था उसमें कितने बच्चों को दवा पिलाई गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान में कुल कितना व्यय राजकोष में से किया गया ? दवाई, प्रचार तथा कर्मचारियों के यात्रा व अन्य भत्तों पर हुए व्यय का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पोलियो अभियान के पश्चात् सरकार की जानकारी में पोलियो रोग से बच्चों के ग्रसित होने के मामले आये हैं ? यदि हां, तो कितने बच्चे पोलियो से अभियान समाप्त होने की तिथि से 31 मई, 1996 तक ग्रसित हुए ?

उत्तर

(1) पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण दिनांक 9 दिसम्बर, 1995 को तीन वर्ष से कम आयु के 4947783 तथा द्वितीय चरण दिनांक 20 जनवरी, 1996 को 5263657 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। जिलेवार विवरण तालिका "क" पर प्रस्तुत है।

(2) पोलिया वैक्सीन पर व्यय शून्य। शेष व्यय का विवरण तालिका "ख" पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। माह फरवरी, 1996 से आज दिनांक तक कुल 12 बच्चों के पोलियो ग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिले एवं माहवार विवरण तालिका "ग" पर प्रस्तुत है। किन्तु जब तक लेबोरेट्री द्वारा मल की परीक्षा पश्चात् पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक तकनीकी रूप से यह समस्त रोगी एक्यूट फेलेक्सिड पेरालिसिस (ए.एफ.पी.) के मामले ही माने जाते हैं।

262

PULSE POLIO IMMUNISATION CAMPAIGN REPORT, RAJASTHAN
Estimated populati I48434300 Estimated Children 5126400
as on 1/10/95 0-3 Years

S. No.	Name of the District	Estimated Children 0-3 Years	OPV dosesgiven to I Dose (9 Dec.)	II Dose Total	Rural	Urban
1.	BIKANER	134418	132964	158757	112191	46566
2.	SRIGANGANAGAR	151224	145601	162926	123860	39066
3.	HANUMAN GARH	131283	142186	149901	122031	27870
4.	CHURU	183402	186178	211276	160056	51220
5.	JAIPUR	451227	396000	423527	263146	160381
6.	JHUNJHNU	183399	165319	166328	135702	29626
7.	ALWAR	289476	284556	318576	281957	36619
8.	BHARATPUR	214665	194859	219006	178752	40254
9.	DHOLPUR	101340	100483	110886	95776	15110
10.	SIKAR	230484	197606	196974	159815	37159
11.	DAUSA	118482	122729	125072	113505	11567
12.	AJMER	183993	169900	189657	127231	62426
13.	TONK	115236	108127	117926	96551	21375
14.	BHILWARA	172644	181789	204179	168455	35724
15.	NAGAUR	248580	245596	259695	218707	40988
16.	JODHPUR	235485	234499	244865	714105	70760
17.	JAISALMAR	39252	47045	52141	46420	5721
18.	PALI	168867	154851	166488	134670	31818
19.	BARMER	164433	180652	198005	182776	15229
20.	JALORE	135789	126365	127438	119329	8109
21.	SIROHI	74301	77845	78216	68028	10188
22.	KOTA	142254	141226	148035	71743	76342
23.	BARAN	95037	94277	93456	18879	12277
24.	SAWAIMADHOPUR	247461	206328	219317	183177	30740
25.	JHALAWAR	106839	98397	100767	85806	14961
26.	BUNDI	91791	82899	88737	73750	14987
27.	UDAIPUR	22814	216313	227877	191779	36098
28.	RAJSAMAND	93270	79353	89661	78943	1078
29.	CHITTORGARH	156951	170590	168757	146674	22083
30.	DUNGARPUR	99639	117733	113246	108082	4864
31.	BANSWARA	140364	145363	138315	132419	5896
TOTAL		5126400	4947783	5263657	4236915	1026742

263

पल्स पोलियो अभियान में वर्ष 1995-96 में मदवाइज व्यय का विवरण

रुपये लाखों में

क्र.सं.	मद	व्यय की राशि
1.	पी.ओ.एस/वाहनों को किराये पर लेने हेतु व्यय	76.84
2.	कर्मचारियों के यात्रा व्यय/दैनिक भत्ते आदि पर व्यय	60.16
3.	पल्स पोलियो अभियान हेतु बूथ स्थापना हेतु व्यय	7.75
4.	रिओरियेन्टेशन प्रशिक्षण हेतु व्यय	10.00
5.	आईई.सी. /प्रचार प्रसार हेतु	10.00
6.	कटिलेन्सीज हेतु व्यय	10.25
	योग	175.00

माह फरवरी से मई 1996 तक सूचित पोलियो ग्रस्त केसेज की जिलेवार विवरण तालिका

जिले का नाम	फरवरी	मार्च	अप्रेल	कुल केसेज
चूरू	-	-	1	1
सीकर	1	-	-	1
भरतपुर	1	-	-	1
कोटा	2	-	-	2
बीकानेर	2	-	-	2
जैसलमेर	-	-	3	3
जोधपुर	1	1	-	2
याग :	7	1	4	12

(264)

पुलिस थाना पहाड़ा (उदयपुर) में दर्ज प्रकरण

780. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशन पहाड़ा तहसील खैरवाड़ा (उदयपुर) क्षेत्र में विभिन्न मुकद्मों की संख्या बढ़ती जा रही है ? यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में कितने मुकदमे दर्ज हुए ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ हत्याओं के मामलों में अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से मामले हैं जिनका अभी तक पता नहीं लगा है एवं क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि हत्याओं की वारदातों के मामले जिनका अभी तक सुराग नहीं गया है, पुलिस दबाने का प्रयत्न कर रही है ? यदि नहीं, तो ऐसे मामलों की जांच पुलिस के अलावा किस एजेन्सी से करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु वृद्धि असामान्य नहीं है।

(2) जी नहीं। गत तीन वर्षों में केवल एक अपराध सं. 65/95 में मुलजिमान अज्ञात होने के कारण काफी प्रयासों के पश्चात् भी मुलजिमों का पता नहीं चल सका है। पतारसी की जा रही है तथा अपराध पुनः अनुसंधानाधीन है।

(3) जी नहीं। केवल एक हत्या का मामला वर्ष 1995 में अपराधियों का पता नहीं चल सका है, जिसका पुनः अनुसंधान जिला पुलिस द्वारा जारी है। अपराधियों के पता चलने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम राजौर (सवाईमाधोपुर) के दुर्घटना पीड़ितों को आर्थिक सहायता

781. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला सवाई माधोपुर की तहसील टोडाभीम के ग्राम राजौर में वर्ष 1995-96 में कुआ ढहने से कितने लोगों की मृत्यु हुई एवं कितने घायल हुए ?

(2) क्या सरकार ने मृतक परिवारों को कोई सहायता दी है ? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मृतकों के लिए माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सहायता की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर की तहसील टोडाभीम के ग्राम राजौर में वर्ष 1995-96 में

(राज्य मंत्री, अकाल सहायता)

कुआ ढहने से दिनांक 1.3.96 को दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 3 सामान्य रूप से घायल हुए।

(2) जी हां। मृतक परिवारों को माननीय मुख्य मंत्री सहायता कोष से प्रति व्यक्ति पांच-पांच हजार रुपये राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(3) जानकारी मुख्य मंत्री सचिवालय से की जा रही है।

पंचायत मुख्यालय औडुन्द से घोसुन्डा (चित्तौडगढ़) सड़क का डामरीकरण

782. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या तहसील चित्तौड़गढ़, पंचायत मुख्याल औडुन्द को पंचायत मुख्यालय घोसुन्डा तक मिसिंग लिंक 3 कि.मी. सड़क को डामरीकृत कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

जी, नहीं।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकलांगों को आर्थिक सहायता

783. **श्री भीखाभाई** (सागवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के आदिवासी उप योजना क्षेत्र के जिलों के अधिकांश विकलांगों को सरकारी एवं संस्थागत कोई सहायता नहीं दी जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकांश विकलांगों को इन सहायताओं/सुविधाओं की कोई जानकारी नहीं है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु जिलाधीशों, जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के माध्यम से केन्द्र सरकार अथवा कल्याणकारी संस्थाओं द्वारा विकलांगों को दी जाने वाली सुविधाओं को उपलब्ध कराने के विशेष प्रयास किये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और कैसे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान के आदिवासी उपयोजना के जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही के अधिकांश विकलांगों को समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय कृत्रिम अंग उपकरण निर्माण संस्थान, कानपुर (भारत सरकार का उपक्रम) तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपकरण, कृत्रिम अंग, चिकित्सा प्रमाण पत्र, रोडवेज पास की सुविधाएं तथा विकलांगों को स्वावलम्बी बनाने के लिए वर्ष 94-95 तथा 95-96 में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गयी है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विकलांगों को जिलेवार उपलब्ध करवाई गई सरकारी एवं संस्थागत सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(266)

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

(2) जी नहीं। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के जिलों में जिला कलक्टरों के निर्देशन में प्रत्येक जिले में गत दो वर्षों में पंचायत समिति एवं जिला मुख्यालय में विकलांगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं तथा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास कर शिविरों का आयोजन किया गया है। प्रत्येक शिविर के आयोजन से पूर्व विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। इन शिविरों में जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा अन्य कल्याणकारी संस्थाओं के सहयोग से विकलांगों के चिन्हीकरण के विशेष प्रयास कर विकलांगों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 96-97 में बची हुई पंचायत समितियों मे इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाकर विकलांगों को अधिकाधिक लाभान्वित करने का राज्य सरकार विचार रखती है। उपयोजना क्षेत्र में आयोजित किए गए शिविरों की जिलेवार सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आयोजित वर्ष 94-95, 95-96 में जिलों में राजकीय एवं संस्थाओं के माध्यम से विकलांगों को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं कृत्रिम अंग उपकरण एवं आर्थिक सहायता का विवरण

जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभागों द्वारा उपलब्ध सुविधायें	**बांसवाड़ा**	**चित्तौडगढ़**	**डूंगरपुर**	**सिरोही**	**उदयपुर**
(अ) उपकरण एवं आर्थिक सहायता					
1. विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण	4268	6099	3182	1070	3541
2. चिकित्सा एवं प्रमाण पत्र	4268	1246	1726	1094	3130
3. रोडवेज पास	506	683	235	293	491
4. रेल्वे पास	-	420	-	140	63
5. विकलांग छात्रवृत्ति	6164	2468	2364	1140	2414
6. विकलांग पेंशन	1312	2170	1052	4399	2775
7. उपकरण आर्थिक सहायता	243	692	209	247	545
(1) ट्राइसाइकिल	50	21	-	23	12
(2) सिलाई मशीन	60	550	33	146	165
(3) परचूनी की दुकान	14	-	-	-	270
(4) दोपहिया वाहन	32	21	10	-	8

जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभागों द्वारा उपलब्ध सुविधाएं	बांसवाड़ा	चित्तौडगढ़	डूंगरपुर	सिरोही	उदयपुर
(5) चाय की दुकान	-	57	-	-	-
(6) साइकिल रिपेयर की दुकान	-	9	-	-	-
(7) श्रवण यंत्र	46	-	1	-	8
(8) पान की दुकान	-	-	29	15	-
(9) छड़ी	-	-	-	20	2
(10) टेपरिकार्डर	-	-	-	-	16
(11) कैलीपर्स	-	-	123	-	-
(12) अन्य सुविधा	41	34	13	43	64
(ब) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से दी गई सहायता					
1. विशेष विद्यालयों के माध्यम से शि. प्र.	-	-	-	50	197
2. उपकरण सहायता	473	2684	968	52	1213
(1) ट्राइसाइकिल	149	446	101	52	210
(2) वैसाखी	91	744	375	-	515
(3) सिलाई मशीन	-	52	-	-	-
(4) श्रवण यंत्र	57	177	9	-	80
(5) कृत्रिम अंग	20	90	-	-	82
(6) कैलिपर	156	-	-	-	305
(7) अन्य सुविधा	-	1175	483	-	21

(क) व्हीलचेयर

(ख) आर्टीफिशल लिम्ब

(ग) क्रेचेज

(घ) आर्थिक सहायता

(ड) छडी

स- राष्ट्रीय कृत्रिम अंग निर्माण संस्थान, कानपुर
(कल्याण मंत्रालय का उपक्रम)

(1) कैलीपर्स	773	-	-	-	-
(2) ट्राइसाइकिल	195	-	-	-	-
(3) व्हीलचेयर	25	-	-	-	-
(4) वैसाखी	44	-	-	-	-

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आयोजित विकलांग कल्याणार्थ एकीकृत शिविरों की सूचना

नाम जिला	पंचायत समिति का नाम	दिनांक
1. उदयपुर		
	1. झाडोल	12-11-95
	2. सलूम्बर	23-4-95
	3. खैरवाड़ा	26-9-94
	4. गिर्वा	2-4-95
2. बांसवाड़ा	1. घाटोल	24-7-95
	2.गढी	17-1-95
	3. वागीडोरा	20-11-94
	4. कुशलगढ़	18-12-95
	5. बांसवाड़ा (ठिकारिया)	23-10-94
	6. पीपलखुट	28-8-94
	7. सज्जनगढ़	29-9-94
	8. आनन्दपुरी	15-1-95
3. डूंगरपुर	1. डूंगरपुर	22-3-95, 4-1-96
	2. आसपुर	26-2
	3. धम्बोला	9-3-95

नाम जिला	पंचायत समिति का नाम	दिनांक
4. चित्तौड़गढ़	1. प्रतापगढ़	25-5-95 से 30-5-95
	2. अरनोद	"
5. सिरोही	1. आबूरोड	21-7-95
	2. पिण्डवाड़ा	17-7-95
	3. रेवदर	11-7-95

जिला डूंगरपुर की नहरों से पानी का सिपेज

784. **श्री शंकरलाल अहारी (चोरासी):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले के आंकरसोल, बिलपन, गजपुर, वातरक, कांकरीसेल, घोड़िया, कुरावड़ा व वरसेला बांधों की दांयी एवं बांयी नहरों पर वर्ष 1995-96, व 1996-97 में अकाल राहत तथा विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यों के अन्तर्गत कितनी किलोमीटर नहर का कार्य हुआ एवं क्या-क्या लागत आई ? अब तक की प्रगति का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अभी भी इन नहरों से पानी का सिपेज हो रहा है ? यदि हां, तो भविष्य में सीपेज को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 व 1997 में अकाल राहत व अन्य मदों के अन्तर्गत वर्णित आठ तालाबों की दांयी व बांयी नहरों पर व्यय की गई राशि व प्रगति का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट 1 से 8)

(2) जी नहीं। मरम्मत की गई नहरों की लम्बाई से अब कोई रिसाव नहीं है। शेष कच्ची नहरों से पानी के रिसाव को रोकने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ठीक करवाया जाना सम्भव होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर नियोजन नियम 1966 में संशोधन प्रकरण

785. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विभाग ने वर्ष 1986 में नगर नियोजन नियम, 1966 में व्यापक संशोधनों के प्रस्ताव सरकार को भिजवाये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रस्तावित

270

(श्री रामपाल उपाध्याय)

संशोधनों की सहमति प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग, विधि विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से मार्च, 1990 तक प्राप्त हो गई थी ?

(3) इन नियमों की समस्त संबंधित विभागों से वांछित सहमति प्राप्त होने के पश्चात् इन संशोधनों को विभाग में साढ़े पांच वर्ष तक लम्बित रखने का क्या कारण रहा ? इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966 में संशोधन सम्बन्धी कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। प्रशासनिक प्रक्रिया के आधार पर नियमों में संशोधन सम्बन्धी प्रकरण में कार्मिक विभाग, विधि विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से कई बार विचार-विमर्श हुआ जिसको अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

(3) जी नहीं। नियमों में संशोधनों सम्बन्धी प्रकरण प्रशासनिक प्रक्रिया में है। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी का दोषी होने का सवाल ही नहीं है।

सेठ प्रभुदयाल मेमोरियल चेरिटेबल चिकित्सालय अलवर में पदस्थापित चिकित्सक

786. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सामान्य चिकित्सालय, अलवर में पदस्थापित डाक्टर/विशेषज्ञ अधिकृत रूप से शहर में स्थित सेठ प्रभुदयाल मेमोरियल चेरिटेबल चिकित्सालय में ड्यूटी देते हैं ? यदि हां, तो किन शर्तों पर एवं किस-किस समय पर ? विवरण डाक्टर/विशेषज्ञवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त निजी चिकित्सालय में मरीजों से फीस वसूल की जाती है ? यदि हां, तो किस आधार पर व कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में अलवर शहर के राजकीय जनरल चिकित्सालय में कितना स्टाफ मय विशेषज्ञ/वरिष्ठ चिकित्सक/कनिष्ठ चिकित्सक, अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राजकीय सामान्य चिकित्सालय, अलवर एवं राजकीय जनाना चिकित्सालय अलवर में कोई पद रिक्त है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

उत्तर

(1) जी नहीं, राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर में पदस्थापित कोई

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

विशेषज्ञ/डाक्टर अधिकृत रूप से शहर में स्थित सेठ प्रभुदयाल मेमोरियल चेरिटेबिल अस्पताल, अलवर में ड्यूटी नहीं देते हैं।

(2) निजी चिकित्सालयों पर विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) अलवर शहर के राजकीय जनरल अस्पताल में कार्यरत स्टाफ की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां, राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर में निम्न पद रिक्त हैं :

क्र.सं. पदनाम	संख्या
1. उपनियन्त्रक	1
2. व. विशेषज्ञ (अस्थि)	1
3. चिकि. अधि.	4
4. डी.सी.एन. एस. (डिस्ट्रिक्ट चीफ नर्सिंग अधीक्षक)	1
5. ओकोपेशनल थेरापिस्ट	1
6. नर्सिंग ट्यूटर	1
7. एक्सरे टेक्नीशियन	1
8. चश्रे.क्र. (वार्ड ब्वाय)	4

महिला चिकित्सालय अलवर में कोई पद रिक्त नहीं है।

राजकीय सामान्य चिकित्सालय, अलवर में कार्यरत स्टाफ व स्वीकृत स्टाफ की सूची

पदनाम		स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1. उपनियंत्रक		1	-
2. वरिष्ठ विशेषज्ञ	(पैथोलोजी)	1	1
	(रेडियोलोजी)	1	1
	(नेत्र)	1	1
	(सर्जरी)	1	1
	(ई.एन.टी.)	1	1
	(मेडिसिन)	1	1
	(शिशु)	1	1
	(निश्चेतन)	1	1
	(अस्थि)	1	-
3. कनिष्ठ विशेषज्ञ	(सर्जरी)	1	1
	(ई.एन.टी.)	1	1
	(नेत्र)	1	1
	(मानसिक)	1	1
	(रेडियोलोजी)	1	1
	(शिशु)	2	2

272

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
(मेडिसिन)	2	2
(दन्त)	1	1 (क.वि. मेडि. पद के विरुद्ध)
(अस्थि)	1	1 (क.वि. शिशु के पद विरुद्ध कार्यरत)
(चर्मरोग)	1	1 (क.वि. मेडि. के पद विरुद्ध कार्यरत)
(आई. सी. यू. मेडि.)	1	1
4. वरिष्ठ चिकि.	8	8 (1 क.वि. मेडि. पद विरुद्ध)
5. चि.अ.	20	16
6. जिला नर्सिंग अधीक्षक (डी.सी. एन.एस.)	1	-
7. नर्सिंग अधीक्षक, ग्रेड-I	1	1
8. नर्सिंग अधीक्षक, ग्रेड -II	1	1
9. नर्स ग्रेड प्रथम	28	28
10. नर्स ग्रेड द्वितीय	34	34
11. सिस्टर द्वितीय	10	10
12. स्टाफ नर्स	17	17
13. नर्सिंग ट्यूटर	4	3
14. पी.एच.एन.	1	1
15. प्रसाविका	2	2
16. फिजियोथेरापिस्ट	1	1
17. ओकोपेशनल थेरापिस्ट	1	-
18. होस्पिटल केयर टेकर	3	3
19. वाहन चालक	2	2

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
20. वरिष्ठ लेब टेक्निशियन	1	1
21. तकनीकी सहायक	1	1
22. लेब टेक्निशियन	3	3
23. वरिष्ठ डेन्टल टेक्निशियन	1	1
24. डेन्टल टेक्निशियन	2	2
25. रेडियोग्राफर	3	3
26. एक्सरे टेक्निशियन	1	-
27. पम्प ड्राइवर	1	1
28. टेलर	1	1
29. विद्युतकार	2	2
30. सांख्यिकी सहायक	1	1
31. कनिष्ठ लेखाकार	1	1
32. कार्यालय सहायक	1	1
33. वरिष्ठ लिपिक	4	4
34. कनिष्ठ लिपिक	9	9
35. कुक	5	5
36. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	120	116

राज्य में घटित उग्रवादी घटनाएं

787. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जनवरी 1995 से मई, 1996 के बीच कितनी व किन-किन स्थानों पर उग्रवादी घटनायें घटीं तथा कितने लोगों की जानें गई व कितने माल की हानि हुई ?

(2) इन उग्रवादी घटनाओं से सम्बन्धित कितने लोगों का पता लगाया जा चुका है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही अभी तक की गई ?

(3) उग्रवादी घटनाओं को रोकने हेतु राजस्थान पुलिस ने क्या रणनीति अपनाई है तथा इस हेतु क्या अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 1 जनवरी 1995 से 31 मई 1996 तक कुल 9 उग्रवादी घटनायें घटित हुई। शेष विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) विवरण परिशिष्ट "क" में समाहित है।

(3) राज्य में उग्रवादी घटनाओं को रोकने हेतु राजस्थान पुलिस ने जो रणनीति अपनाई है व पुलिस व्यवस्था की है उसका विवरण परिशिष्ट "ख" में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बूंदी की मरम्मत योग्य सड़कें

788. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मंत्री महोदय द्वारा में यह घोषणा की गई थी कि 15 नवम्बर, 1995 तक सम्पूर्ण सड़कें जहां खड्डे हैं उनको ठीक कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो क्या 15 जून, 1996 तक निम्न सड़कों की मरम्मत कर दी गई :- (1) कोटा के पाटन मार्ग से सिन्ता (2) कोटा के पाटन मार्ग से देहित (3) कोटा के पाटन मार्ग से तीर्थ (4) कोटा के पाटन मार्ग से भवानीपुरा (5) कोटा के पाटन मार्ग से वाया देलून्दा से बाजड़ (6) तोलड़ा के पाटन बाजड़ से बडून्दा (7) तालेड़ा से सादड़ी (8) बून्दी-कोटा रोड पर खेरोली मोड़ से नौताड़ा (9) बून्दी-कोटा रोड से नया बरघा (10) बरूधण चौराहा से बरूधण (11) बरूधण चौराहा से लक्ष्मीपुरा, डोरा, सूतड़ा (12) धनेश्वर से सूवडा, डाबी, बुधपुरा एवं माताजी का नला (13) छोड़ा पछाड़ नदी पर बारखोदा से ठिकरीया चारणान (14) बून्दी से गरड़दा वाया नमाना (15) नमाना से हरिपुरा (16) बून्दी से छत्रपुरा। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बून्दी जिले की मण्डी समिति सिंचित क्षेत्र विकास विभाग या अन्य किसी भी विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों को विभाग अपने अधीन लेने जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्न में वर्णित 16 सड़कों में से 11 सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत एवं रख-रखाव सूची में सम्मिलित हैं। शेष 5 सड़कें कृषि उपज मंडी समिति बूंदी के अधीन हैं। डामर की उपलब्धता एवं सड़क की प्राथमिकता के अनुसार 11 सड़कों में से 5 सड़कों पर हुये खड्डों को आंशिक रूप से ठीक करवाया जा चुका है, शेष 6 सड़कों के खड्डे डामर आपूर्ति के अभाव में ठीक नहीं किये जा सके हैं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेशानुसार केवल कृषि मण्डी द्वारा निर्मित सड़कों को विभाग के रख-रखाव में लेने हेतु निर्देश है जो सड़क अच्छी स्थिति में हो। अतः विभाग द्वारा बून्दी जिले में 22.75 किमी. के विरुद्ध 20.65 किमी. सड़कें मार्च 96 में अपने अधीन ले ली है। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची में पूर्व में ही सम्मिलित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

खनिज विभाग की सड़कों का संधारण उनके द्वारा स्वीकृत प्रावधान के अनुसार किया जाता है। जिला विकास अभिकरण आदि द्वारा निर्मित उन सड़कों को जो राज्य योजना के अन्तर्गत नहीं आती, उन्हें विभाग की संधारण सूची में लेने का कोई विचार नहीं है।

जिला नागौर की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

789. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) एवं **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है ? यदि हां, तो इसकी प्रक्रिया क्या है तथा इस संबंध में जारी किये गये आदेशों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, नागौर के कार्यालय में इस वर्ष एवं पिछले वर्ष विद्युत मण्डल, ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं ने हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव भेजे गये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन से, कब-कब तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय में कई प्रकरण अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से कब-कब से तथा क्यों ? इनका कब तक निस्तारण करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया जाता है। हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य विद्युत विभाग द्वारा किया जाता है। इन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्न प्रकार है -

विद्युतीकरण ग्रामों में हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत करने के लिए वार्षिक लक्ष्य विशिष्ठ संगठक योजना के आकार स्वरूप तय किए जाते हैं एवं जिलेवार लक्ष्य अनु. जातियों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किए जाते हैं। हरिजन बस्तियों का चयन समाज कल्याण विभाग द्वारा परिभाषित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है। चयन की प्रक्रिया ग्राम के सरंपच द्वारा आवेदन करने से शुरू होती है। हरिजन बस्ती में रोड लाईट कनेक्शन हेतु ग्राम सरपंच को प्रार्थना पत्र के साथ केवल एक शपथ पत्र देना होता है कि ग्राम पंचायत विद्युत खर्च के मासिक बिलों का भुगतान नियमित रूप से करती रहेगी। इस आवेदन के बाद विद्युत मण्डल का सहायक अभियन्ता मौके पर जाकर हरिजन बस्ती का सत्यापन कर उसका विद्युतीकरण करने का तकमीना बनाकर सक्षम **अधिकारी** से स्वीकृति लेकर उसका विद्युतीकरण कर देता है। सम्बन्धित आदेशों की प्रति संलग्न है।

(276)

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

(2) जी नहीं।

(3) विद्युतीकरण का कार्य विद्युत विभाग द्वारा किया जाता है। अतः विद्युतीकरण का प्रकरण समाज कल्याण कार्यालय में अनिर्णीत रहने का प्रश्न ही नहीं रहता।

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

(RURAL ELECTRIFICATION)

No. R.S.E.B./Addl. CE/RE & I/S&I/SSD/F. ()/96-97/D.HD23 JAIPUR dt. 23.5.96

The Director,

Social Welfare Department,

Govt. of Rajasthan,

Jaipur.

Sub :- District-wise targets under Special Component Plan for Scheduled Caste for the year 1996-97

Sir,

The district-wise targets for electrification of Harizan Basti's, anergisation of agriculture wells and releasing of industrial connections to Scheduled Caste under special Component plan 1996-97, have been proposed as indicated in the statement enclosed. This is for your reference, record and needful action.

Encls :- As above. Yours sincerely,

(TARA SINGH)

ADDL. CHIEF ENGINEER (RE&I)

हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण करने हेतु वर्ष 1996-97 के लिए जिलेवार लक्ष्य -

क्र.सं.	जिला	हरिजन बस्ती लक्ष्य
1.	अजमेर	12
2.	अलवर	24
3.	बांसवाड़ा	4
4.	बारां	8
5.	बाड़मेर	12
6.	भरतपुर	20
7.	भीलवाड़ा	16
8.	बीकानेर	12
9.	बून्दी	8
10.	चित्तौड़गढ़	12
11.	चूरू	16
12.	दौसा	12
13.	धौलपुर	6
14.	डूंगरपुर	4
15.	हनुमानगढ़	8
16.	जयपुर	28
17.	जैसलमेर	4
18.	जालौर	12
19.	झालावाड़	8
20.	झुन्झुनूं	16
21.	जोधपुर	16
22.	कोटा	8
23.	नागौर	28
24.	पाली	16
25.	राजसमन्द	8
26.	सवाईमाधोपुर	24
27.	सीकर	16
28.	सिरोही	8
29.	श्रीगंगानगर	20
30	टौंक	8
31.	उदयपुर	4
	योग -	400

बस्सी बांध (चित्तौड़गढ़) की नहरों का निर्माण

790. **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के बस्सी बांध की सभी छोटी व बड़ी नहरों को पक्का करवाया गया है ?

(2) क्या बस्सी बांध की पक्की नहरों से सीपेज होता है, जिससे आस-पास के खेतों में कृषि नहीं होती ? यदि हां, तो पक्की नहरों की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अ- बस्सी बांध की बड़ी नहर चैन 0 से 8 तक कच्ची है बाकी नहर चैन 8 से 520 तक पक्की है।

ब- छोटी नहरों की लम्बाई का 90 प्रतिशत हिस्सा पक्का कराया गया है।

(2) बस्सी बांध की मुख्य नहर एवं दुवावा डिस्ट्रीब्यूटरी से कहीं-कहीं मामूली सीपेज होता है किन्तु इससे कृषि पर असर नहीं होता है। माइनरों से भी मामूली सीपेज

(278)

(सिंचाई मंत्री)

कहीं-कहीं होता है, जिसका कोई असर खेतों पर नहीं होता है। बजट प्रावधान के अनुसार मरम्मत कार्य करवाया जाता है। यह कार्य नहरों के चलने से हर साल करवाया जाता है।

ग्राम रायथल रमणीया (जालौर) की ट्यूबवैल योजना

791. **श्री भगराज चौधरी** (आहोर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि जिला जालौर की तहसील आहोर के ग्राम रायथल रमणीया की बंद पड़ी ट्यूबवैल योजना को पुनः चालू करने हेतु कोई नई योजना बनाकर स्वीकृति के लिये सरकार को भेजी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को स्वीकृत कर वंद पड़ी जल आपूर्ति को पुनः चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

रमणीया ग्राम में स्थित स्रोत से ग्राम रायथल को जोड़ने वाली पाइप लाइन वाढ़ में बह जाने के कारण पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है परन्तु ओड़वाड़ा में बूस्टर पम्पिंग द्वारा ग्राम में आंशिक मात्रा में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। मूल योजना को पुनः चालू किये जाने हेतु प्रस्ताव बनाये जाकर जांच की प्रक्रिया में हैं। जांच के पश्चात योजना स्वीकृत की जाकर धन उपलब्धतानुसार क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित है।

बच्चों का कुपोषण प्रकरण

792. **श्री बनवारीलाल भिण्डा** (फतेहपुर) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि देश के अन्य राज्यों की भांति राज्य में बच्चों में कुपोषण की स्थिति चिन्ताजनक है ?

(2) क्या सरकार ने बच्चों के कुपोषण के संबंध में कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में तथा सर्वे के क्या परिणाम रहे ?

(3) सरकार इस संबंध में क्या विशेष प्रयास करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य में वच्चों में कुपोषण की स्थिति चिन्ताजनक है।

(2) जी नहीं, राज्य में बच्चों में कुपोषण की स्थिति ज्ञात करने के लिए कोई सर्वे विशेष रूप से नहीं करवाया गया है।

(3) राज्य में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषाहार एवं स्वास्थ्य स्तर को विकसित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 191 समेकित बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत हैं जिसमें 177 ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 14 शहरी कच्ची बस्तियों

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

के लिए स्वीकृत की गई है। जिसके अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोपाहार दिया जा रहा है।

राज्य में बम विस्फोट की घटनाएं

793. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1995 से अब तक बम विस्फोट से संबंधित कितनी घटनाएं घटित हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बम विस्फोट से संबंधित कितने अपराधियों का पता लगाया गया व कितनों को गिरफ्तार किया गया ?

(3) क्या बम विस्फोट के लिए किन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई तथा उसके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ?

(4) भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(5) वर्तमान में बम विस्फोटों के संबंध में की जा रही जांच की स्थिति क्या है ?

उत्तर

(1) राज्य में 1 जनवरी, 1995 से 30 जून, 1996 तक बम्ब विस्फोट से संबंधित आठ घटनाएं घटित हुई है। घटनाओं का विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित कर संलग्न है।

(2) बम विस्फोट में संबंधित इन घटनाओं में अब तक कुल 14 अपराधियों का पता लगाया गया व इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) बम्ब विस्फोट की घटना के संबंध में समुचित सुरक्षा व्यवस्था न होने पर दोषी ठहराये गये अधिकारी एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(4) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए किये गये उपायों का विवरण परिशिष्ट "ग" में अंकित है।

(5) बम्ब विस्फोटों के संबंध में की जा रही जांच की वर्तमान स्थिति का विवरण भी परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला उदयपुर में सड़क निर्माण

794. श्री **महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में उदयपुर जिले में स्वीकृत कार्यों पर आवश्यक उपकरण यथाः पेवर प्रणाली, डामर एवं रोड रोलर के अभाव में कार्य प्रारम्भ ही नहीं हो सके ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी सड़कें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री महावीर भगोरा)

(2) क्या सरकार कार्य प्रारम्भ नहीं होने वाली सड़कों को आगे स्वीकृत मानकर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे ?

(3) क्या विभाग रोड रोलर व डामर की प्राप्ति की स्थायी व्यवस्था करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो विभाग की क्या योजना है एवं कब तक स्थायी व्यवस्था कर ली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1994-95 एवं वर्ष 1995-96 में डामर एवं पेवर प्लान्ट की कमी से अपूर्ण रहे कार्यों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है (परिशिष्ट अ, ब एवं स).

(2) जी हां । उपलब्ध स्वीकृति के अन्तर्गत डामर एवं पेवर प्लान्ट की उपलब्धता अनुसार कार्य पूर्ण करना संभव हो सकेगा।

(3) जी हां। डामर की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए निविदाएं आमन्त्रित कर ली गई है तथा निविदाएं स्वीकृति प्रकरण सरकार के विचाराधीन है। रोड रोलर के अभाव में कार्य नहीं रुके हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला भरतपुर के क्षतिग्रस्त बांध एवं नहरें

795. श्री अरुण सिंह (डीग) एवं **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) पिछले वर्ष भरतपुर जिले में आई बाढ़ से कितने बांधों, नहरों को नुकसान हुआ ?

(2) सरकार द्वारा उक्त बांधों व नहरों के पुनर्निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई ?

(3) क्या उक्त क्षतिग्रस्त बांधों व नहरों के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) इस वर्ष भरतपुर जिले के बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिस्टम को ठीक करने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

उत्तर

(1) गत वर्ष भरतपुर जिले में बाढ़ से 104 बांध, 44 नहरें, 37 तटबन्ध व बन्धलिया टूटे। इसके अलावा 54 बांध, 85 नहरें तथा 20 तटबन्ध एवं बन्धलिया क्षतिग्रस्त हुए ।

(2) राज्य सरकार द्वारा 900 लाख रुपये की धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति जनवरी, 1996 में जारी की गई थी जिनमें अधिकांश टूटे हुए बांध व नहरें सम्मिलित की गई थीं।

(3) 83 टूटे हुए बांधों के मरम्मत का कार्य चालू किया गया । जिनमें से 19.6.96

(सिंचाई मंत्री)

तक 55 बांधों के नक्के पूर्ण बन्ध कर दिये, 18 बांधों के नक्के सुरक्षित स्तर तक बंद कर दिये गये एवं 10 बांधों को दिनांक 30.6.96 तक सुरक्षित स्तर तक लाया जाना था परन्तु दिनांक 24.6.96 व 25.6.96 को ही इस क्षेत्र में भारी वर्षा हो गई तथा शेष कुछ टूटे हुए वांधों पर कार्य शुरू नहीं हो सकता था ।

(4) इस वर्ष भरतपुर जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिस्टम को ठीक कराने हेतु 238 लाख रुपयों की स्वीकृति की गई है।

नगरपालिका श्री माधोपुर का चुंगी ठेका प्रकरण

796. **श्री हरेन्द्र मिर्धा** (नागौर) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) चुंगी को ठेके पर देने के क्या नियम हैं ? क्या यह सही है कि नगर-पालिका श्रीमाधोपुर की चुंगी का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो कब किसे एवं कितनी राशि पर तथा कितने समय के लिये ?

(2) क्या चुंगी के ठेके की बोली लगाये जाने के समय निदेशक, स्वायत्त शासन/जिला कलक्टर/अन्य किसी अधिकारी की स्वयं अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है ? यदि हां, तो नगरपालिका श्री माधोपुर की चुंगी की बोली के समय कौन-कौन उपस्थिति थे ?

(3) क्या इस चुंगी ठेके के लिए अन्य व्यक्तियों द्वारा भी बोली के समय एवं उसके पश्चात् अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ? यदि हा, तो कितनी-कितनी राशि के व किस-किस द्वारा ?

(4) क्या उक्त चुंगी ठेके के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें । उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान नगर पालिका चुंगी कर नियम 1962 के नियम 34 - ए के अन्तर्गत चुंगी ठेके पर दिये जाने का प्रावधान है। नगर पालिका, श्रीमाधोपुर को चुंगी ठेका प्रथम बार दिनांक 19.5.96 से 18.5.97 तक के लिये दिया गया है । चुंगी ठेका एक वर्ष के लिये 58.00 लाख रुपये में उच्चतम बोलीदाता जयचन्द एण्ड पार्टी को दिया गया है ।

(2) जी हां। नगरपालिका श्रीमाधोपुर की चुंगी ठेके की बोली के समय अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी उपस्थिति थे। स्थानीय निकाय विभाग या अन्य कोई प्रतिनिधि उपस्थिति नहीं थे ।

(3) चुंगी ठेके के लिये बोली के समय किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं

(स्वायत्त शासन मंत्री)

हुआ । बोली के पश्चात एक व्यक्ति द्वारा नगरपालिका में 60.00 लाख रुपये का प्रस्ताव मौखिक रूप से रखा गया लेकिन उनके द्वारा अनामता राशि जमा नहीं करवाई गई तथा ना ही टेण्डर की कापी ली गई ।

(4) जी हां । प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। शिकायत पर जांच करवाई जा रही है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पावटा (कोटपूतली) में रेफरल चिकित्सालय की स्थापना

797. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा की करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में रेफरल चिकित्सालय नहीं है? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकर इस क्षेत्र में रेफरल चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार पावटा (कोटपूतली) कस्बे में रेफरल चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पावटा कस्बे के सरकारी अस्पताल को पहले रेफरल अस्पताल का दर्जा दिये जाने की स्वीकृति जारी की गयी थी ? किन्तु उसे निरस्त कर इस अस्पताल की जगह विराट नगर अस्पताल को रेफरल बना दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में 150 शैय्याओं युक्त रेफरल चिकित्सालय कोटपूतली द्वारा रेफ़रल सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है ।

जन संख्या मानदण्ड के आधार पर एक अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु राज्य के अन्य स्थानों के साथ वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(2) जी नहीं,

पावटा पंचायत समिति विराटनगर के अन्तर्गत आता है तथा पंचायत समिति मुख्यालय पर रेफरल अस्पताल कार्यरत है ।

(3) जी हां । जी नहीं ।

जोधुपर क्षेत्र की खानों का आबंटन

798. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर शहर के आस-पास सीमांकित क्षेत्र के बाहर भू-पट्टी (स्ट्रिप ऑफ लैण्ड) के नाम से खानों का आबंटन कब-कब, कहां-कहां, किस-किस को एवं किस आधार पर किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(2) उक्त खानों के अनियमित आवंटन में कौन् अधिकारी दोषी है एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या सरकार अवैध आबंटन निरस्त कर नियमानुसार आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(4) सूरसागर क्षेत्र में सोढ़ों की ढाणी खान संख्या 515 से 695 तक आबंटन के लिए कब-कब, क्या -क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि उक्त खानों के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर बेनामी तरीके से आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अबांटन निरस्त कर नये सिरे से आवेदनों के आधार पर आबंटन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर के आस पास सीमांकित क्षेत्र के बाहर भू-पट्टी (स्ट्रिप ऑफ लैण्ड) के नाम से खानों को आवंटन नहीं किया गया। परन्तु वर्ष 1987 से अब तक कुल 44 गैस क्षेत्र आबँटित किये गये हैं जिनमें से प्रत्येक को मूल साइज मूल प्लाट (200X100 फीट) के पचास प्रतिशत से कम हैं। विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है। इन प्लाट्स का आबंटन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.7.87 व 27.2.88 के अनुसरण किया गया है।

(2) उक्त खानों का आवंटन नियमानुसार किया गया है, अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है एवं किसी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) उक्त आबंटन नियमानुसार किये गये हैं। अतः राज्य सरकार इन्हें निरस्त करने का विचार नहीं रखती किन्तु वर्ष 95-96 में स्वीकृत गैस क्षेत्रों का किराया सामान्य से चार गुना वसूल किया गया है जो बिजौलिया क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 7.7.92 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया है। चूंकि उक्त प्रावधान बिजौलिया को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते अतः जिन लाइसेन्सधारियों से गैर क्षेत्र की चार गुणा किराया राशि वसूल की गई है उसे भविष्य की बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

(4) सूरसागर क्षेत्र में सोढ़ों की ढाणी खननक्षेत्र की खान सं. 515 से 695 तक का आबंटन समय-समय पर लागू रहे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1959, 1977, 1986 एवं संशोधित नियम 86 के तहत विभिन्न व्यक्तियों को किया गया है, जिनके विवरण परिशिष्ठ "ख" में दिया गया है।

(5) जी नहीं, खानों को आबंटन बेनामी

(खनिज मंत्री)

तरीके से नहीं किया गया है। जो आवेदन पत्र निरस्त किये गये थे, वे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में वर्ष 1986 में संशोधन हो जो जाने के कारण दिये गये थे। चूंकि आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार ही की गई थी, अतः आबंटन निरस्त कर नये सिरे से कार्यवाही जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति खानपुर एवं सांगोद की सड़कों का डामरीकरण

799. **श्री भरतसिंह** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खानपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आंकोदिया तथा ग्राम पंचायत जरखंडिया तथा सांगोद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बोरीना कलां तथा ग्राम पंचायत अमृत कुआ का मार्ग हरिश्चन्द्र सागर बांध की मुख्य नहर पर होकर जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्राम पंचायतों को डामर सड़क से जोड़ने की कोई योजना रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस नहर मार्ग की कुल लम्बाई 15 किमी. है तथा यह मार्ग **कोटा से सांगोद मार्ग को खानपुर से कोटा वाया पनवाड मार्ग से जोड़ता है** ?

(3) क्या यह सही है कि यदि उक्त मार्ग को डामर सड़क से जोड़ दिया जावे तो इन चार पंचायतों तथा इनमें आने वाली सभी गांवों को इस सड़क का लाभ मिलेगा ?

(4) क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इन ग्राम पंचायतों को नवीं पंचवर्षीय योजना में डामर सड़क से जोड़ने की योजना है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। राज्य की सड़क नीति के अनुसार इस मार्ग का डामरीकरण नवीं पंचवर्षीय योजना में किया जाना प्रस्तावित है।

नगर सुधार न्यास, भरतपुर का भूमि अवाप्ति प्रकरण

800. **श्री आर.पी.शर्मा** (भरतपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर शहर में नगर सुधार न्यास ने सैक्टर नं. 2 एवं 3 में नगर न्यास की योजना हेतु कितनी-कितनी भूमि कब-कब अवाप्त की गई ?

(2) क्या उक्त अवाप्त भूमि का नगर सुधार न्यास, भरतपुर ने भुगतान कर दिया है ? यदि हां, तो क्या भूमिधारियों को उनकी जमीन का मुआवजा भी दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) योजना सं. 2 के सैक्टर-4 में 352 बीघा 18 बिस्वा एवं इसी योजना के सैक्टर नं. 3 में 176 बीघा 16 बिस्वा एवं 75 बीघा 18 बिस्वा कुल 852 बीघा 14 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है । सैक्टर नं. 3 में 176 बीघा 16 बिस्वा भूमि का अवार्ड राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर शेष 75 बीघा 18 बिस्वा के प्रस्ताव राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 18.2.94 के तहत भिजवाने के न्यास को निर्देश दिये गये ।

(2) सैक्टर नं. 4 में 56 व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है । शेष खातेदारों का मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है । सेक्टर नं. 3 में किसी भी व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान नहीं होने के कारण यह है, कि वे व्यक्ति वैद्य खातेदार नहीं है एवं उन्हें भूमि भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 82 के तहत एक वर्ष के अस्थाई पट्टे पर आबंटित की गई थी । एक वर्षीय अस्थायी पट्टे पर आबंटित भूमि जिसे कभी बढ़ाया नहीं गया पर दिये गये खातेदारी अधिकारों को राजस्व मंडल की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 30.6.95 द्वारा अवैद्य घोषित किया है । इन दोनों योजनाओं के खं. नः 699, 700, 711, 712 एवं 717 के खातेदार मुआवजे प्राप्त करने हेतु उपस्थिति नहीं हुए ।

ग्राम सुंथला (जोधपुर) का भूमि प्रकरण

801. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सुंथला, तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 104,114 एवं 114/1 रकबा 25 बीघा 39 बिस्वा भूमि को राजस्थान आवासन मण्डल को आबंटित कर दिया गया है ?

(2) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा राज्य सरकार को इस भूमि का कितना मुआवजा दिया जा चुका है एवं यह राशि कब जमा कराई गई ?

(3) क्या उक्त भूमि पर आवासन मण्डल द्वारा मकान बनवाये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, 26 बीघा 19 बिस्वा भूमि को अवाप्ति कर, भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल को दिनांक 13.11.80 को कब्जा दिया गया।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा चैक क्रमांक 507587 दिनांक 7.8.82 द्वारा तहसीलदार जोधपुर को अवाप्त की गई सम्पूर्ण सिवाय चक भूमि को भू-राजस्व की राशि रुपये 3300/- का भुगतान कर दिया गया है।

(284)

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जी नहीं, भूमि के संबंध में न्यायालय में विवाद चल रहा है।

थाना कोतवाली अलवर में पंजीबद्ध प्रकरण संख्या 195/96

802. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 195/96 कोतवाली अलवर कब एवं किसने दर्ज करवाई ? विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण को पुलिस ने किस-किस धारा में दर्ज किया एवं क्यों ?

(3) उक्त प्रकरण में कौन-कौन अपराधी पाये गये तथा पुलिस ने अब तक इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 195/96 दि. 31.3.96 को सांय 5.30 बजे श्रीमती राजश्री पत्नि बी.के. अग्रवाल महाजन निवासी 56, फ्रेन्ड्स कॉलोनी अलवर द्वारा दर्ज करवाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरण को धारा-341, 323, 379 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया है। **प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का अपराध इन्हीं धाराओं का है।**

(3) प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण श्रीमती अन्नपूर्णा, कालू तथा गणपत का नाम अंकित किया गया है। अनुसंधान के दौरान मुस्तगीसा की चोटों का डाक्टरी मुआयना कराया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा बनाया। मुस्तगीसा के अलावा दो गवाहान के बयान लिये गये हैं। अभी अनुसंधान जारी है।

नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 195/96 धारा 341, 323, 379 भा.दं.सं. पुलिस थाना कोतवाली अलवर।

सेवा में, श्रीमान कोतवाल साहब अलवर बाबत् एफआईआर, महोदय अन्नपूर्णा नाम की लड़की जो कि एक गेंग बना रखा है। मेरे पिता का एक मकान किराये पर लिया था किन्तु छात्रावास दुखान्तिका को लेकर आज तक हमें ब्लेकमेल करती रही और आज मुझे अन्नपूर्णा एवं उसका भाई कालू व गणपत तथा अन्य जिन्हें वो अपने भाई बताती है हमारे घर पर आकर धमकी देती है। तथा आज सुबह भी मेरे घर पर फोन करके गणपत पत्रकार नामक जिसने बताया कि तुम्हारे बच्चे का किडनेप ही करेंगे इस बाबत उसने मुझे फोन करके पूर्वानुवाद ही नहीं किया अपने घर भी बुलाया। मैं करीब 3 बजे उसके घर पर गई तथा इस विवाद की रिपोर्ट करने बाबत् हम लोग कोतवाली आ रहे थे तथा वो भी कोतवाली लक्ष्मण तथा अन्य कुछ लोगों के स्कूटर पर आ रही थी अचानक अपने पत्रकार भाई (बताती है) के इशारे पर सड़क पर स्कूटर

(गृह मंत्री)

रोका तथा मुझसे मारपीट की ओर मेरे गले से चैन सोने की जो तीन तोले की थी खींच ली तथा मेरे हाथ की चूड़ियां पर दी और धमकी दी कि तुम्हें तो अब हम बतायेंगे। इस प्रकार मेरे हमला किया चैन खींची। मेरे हाथ में अब भी खून बह रहा है। मेरे दो बच्चे सिलवर ओक स्कूल जो उसके निवास के पीछे है की सुरक्षा करें तथा हमारे परिवार की रक्षा करें तथा मुलजिमानों को सजा देवें। धन्यवाद।

भवदीय,
एस.डी.
राजश्री अग्रवाल,

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्रीमती राजश्री पत्नि श्री वी.के.अग्रवाल जाति महाजन उम्र 34 साल नि. 56 फ्रेंड्स कालोनी अलवर में हाजिर थाना होकर पेश की मुआयना नजरी श्रीमती राजश्री किया गया तो दाहिने हाथ की कलाई पर खंरोचनुमा निशान व पंजा के पास भी खरोंचनुमा निशान तथा गर्दन पर दर्द बताती हैं मजमून रिपोर्ट व मुआयना जबदि से मामला अपराध धारा 341, 323, 379 भा.द.स.का वकू. में आना पाया जाता है। अतः मु. नं. 195/96 बधारा उपरोक्त में कायम किया जाकर तफतीश श्री कन्हैयालाल उप निरीक्षक के सुपुर्द की गई। प्रतियां एफ.आईआर नियमानुसार जारी की गई।

एस.डी.
एस. डी. रोहिताश्व कुमार, सीआई
राजश्री अग्रवाल एसएचओ थाना कोतवाली
अलवर (राज.)

अजमेर का श्रीमती ललिता शर्मा हत्याकाण्ड

803. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में फाइसागर रोड निवासी अध्यापिका श्रीमती ललिता शर्मा की दिनांक 16 सितम्बर, 1994 को निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने अपने अन्वेषण में क्या तथ्य उजागर किये और हत्यारों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रारम्भ में इसकी जांच क्रिश्चियनगंज थाना अजमेर ने शुरू की और बाद में जनता की मांग पर सदर कोतवाली, अजमेर को यह जांच सौंपी गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सदर थाना कोतवाली ने किन तथ्यों पर जानकारी प्राप्त की ?

(3) पुलिस द्वारा लाइ डिटेक्टर (झूठ पकड़ने वाली मशीन) से किन-किन संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गयी और उसके क्या परिणाम निकले ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकरण को दबाने के लिए पुलिस पर कई प्रकार के दबाव आते रहे ?

उत्तर

(1) यह सही है कि अजमेर में फाइसागर

(गृह मंत्री)

निवासी अध्यापिका श्रीमती ललिता शर्मा की दि. 16.9.94 को हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना क्रिश्चियनगंज, अजमेर में अपराध संख्या 175/94 धारा 460 भा.द.स. दि. 17.9.94 को दर्ज कराया गया था। अन्वेषण के दौरान हत्यारों के पकड़ने एवं पता लगाने के काफी प्रयास किये परन्तु पता नहीं लग सका है।

(2) यह सही है कि उक्त अभियोग का अन्वेषण थाना अधिकारी थाना क्रिश्चियनगंज द्वारा प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात् दि. 10.2.95 को पुलिस अधीक्षक, अजमेर द्वारा मामले की गम्भीरता के कारण तफतीश श्री शंकरलाल ओझा, पुलिस निरीक्षक, थाना अधिकारी कोतवाली, अजमेर को सौंपी गई परन्तु अथक प्रयासों के बावजूद मुलजिमों का कोई पता नहीं लग सका।

(3) यह सही है कि उक्त अभियोग में संदिग्ध व्यक्ति बसन्त सुराणा पुत्र श्री हरिश सुराणा, उम्र 55 वर्ष, निवासी आनासागर लिंक रोड, अजमेर व सर्वेश शर्मा पुत्र जगदीश, जाति ब्राह्मण, उम्र 26 साल निवासी फाइसागर रोड अजमेर से लाई डिटेक्टर (झूठ पकड़ने वाली मशीन) से जांच कराई गई। प्रकरण अनुसंधानाधीन होने से जांच का विवरण प्रस्तुत करना अनुसंधान के हित में नहीं है।

(4) जी नहीं।

ग्राम पुरा छोटी (सीकर) सड़क का निर्माण

804. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पुराछोटी, जिला सीकर को डामर सड़क से जोड़ने हेतु सीकर-धोद रोड के 5.5 किलोमीटर से स्वीकृत हुई है ?

(2) पुराछोटी से सीकर वाया रामपुरा, सन्तोषपुरा कितने किलोमीटर का रास्ता है एवं छोटीपुरा से सीकर वाया कासली कितने किलोमीटर है ?

(3) यह सड़क ग्राम पुरा छोटी के लिए स्वीकृत की गई अथवा अन्य ग्राम के लिये ?

(4) पूर्व स्वीकृत रास्ते से सड़क बनाने में क्या परेशानियां हैं ? सड़क मार्ग बदलने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा सम्पर्क सड़क ग्रामपुरा छोटी को सीकर-धोद रोड से जोड़ने की स्वीकृति दी गई है।

(2) सीकर से पुराछोटी वाया रामपुरा संतोषपुरा सड़क की दूरी 13.7 किमी. एवं सीकर से पुराछोटी वाया कासली की दूरी 16.500 किमी. है।

(3) यह सड़क ग्राम पुराछोटी के लिये स्वीकृत की गई।

(4) इस सड़क का एलाइनमेंट पूर्व में स्वीकृत नहीं है। अतः सड़क मार्ग बदलने का

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रश्न ही नहीं उठता। प्रस्तावित सड़क मार्ग राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जिला टौंक की बीसलपुर सिंचाई परियोजना

805. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि टौंक जिले में बीसलपुर सिंचाई परियोजना निर्माणधीन है ? यदि हां, तो इसका क्या स्वरूप है ? इसकी वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति सहित योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस योजना में प्रारम्भ से ही सिंचाई एवं पेयजल के लिए जल के आरक्षण का प्रावधान है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना पर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की जा रही है ? यदि हां, तो किस प्रयोजन तथा शर्तों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1982 में केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर इसमें टौंक, बून्दी व सवाई माधोपुर जिले की 85 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान था ? यदि हां, तो क्या इस बाबत परिवर्तन पर केन्द्रीय जल आयोग, योजना आयोग तथा कल्याण एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त की गई? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या जयपुर शहर के पेयजल हेतु ईसरदा बांध की योजना भी बनाई गई है ? यदि हां, तो इस पर मात्र 50 किलोमीटर दूर जयपुर तक पानी ले जाने की योजना के बाद बीसलपुर वांध के पानी की क्या उपयोगिता तथा स्वरूप निर्धारित रहेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इसका स्वरूप एवं वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

(2) जी हां। 1982 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत प्रथम प्रारूप में पेयजल हेतु 850 करोड़ घनफुट एवं सिंचाई हेतु 15 सौ करोड़ घनफुट पानी के उपयोग हेतु प्रावधान था। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् उक्त परियोजना की वर्ष 1991 की रिपोर्ट में अजमेर एवं जयपुर हेतु पेयजल के लिए 1620 करोड़ घनफुट पानी (शुद्ध वाष्पीकरण ह्रास के अतिरिक्त) आरक्षित करने का प्रावधान एवं करीब 800 करोड़ घनफुट पानी सिंचाई हेतु रखा गया है।

(3) बांध एवं नहर निर्माण कार्य में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं की जा रही है। जयपुर, आमेर, सांगानेर, टोडारायसिंह नगरों एवं कुछ गांवों की पेयजल आपूर्ति के कार्यों हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए विश्व बैंक सिद्धान्ततः सहमत हो गया है जिसकी शर्तें अभी तय नहीं की गई है।

(288)

(सिंचाई मंत्री)

(4) जी हां। वर्ष 1982 के प्रस्तावानुसार टौंक बून्दी, सवाईमाधोपुर जिलों में कुल 85000 हेक्टेयर सी.सी.ए. में 60000 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई का प्रावधान था। राज्य स्तरीय रिव्यू मीटिंग दिनांक 10.4.91 में पेयजल हेतु पुनः आकलन करने के पश्चात् इस उत्तर के उपरोक्त भाग - 2 में उल्लेखित परिवर्तन किया गया तदानुसार 69300 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र (अधिकांश टौंक जिले में) 72% सिचांई क्षमता पर 49900 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। केन्द्रीय जल आयोग को वर्ष 1991 में प्रस्तुत उक्त परियोजना से पर्यावरण तथा वन एवं कल्याण मंत्रालय से मंजूरी की शर्त पर 1993 में केन्द्र सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति योग्य पाई गयी। केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय के आक्षेपों की पूर्ति की जा चुकी है एवं स्वीकृति अपेक्षित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की नदी घाटी एवं जल विद्युत परियोजनाओं की विशेषज्ञ कमेटी की मीटिंग दिनांक 23.4.96 में चाहा गया स्पष्टीकरण/सूचना भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) ईसरदा बांध की योजना बनाई जा रही है। ईसरदा बांध से उपलब्ध होने वाले जल का बीसलपुर बांध से उपलब्ध होने वाले जल के उपयोग पर क्या असर पड़ेगा यह मामला विचाराधीन है।

टौंक जिले की बीसलपुर सिंचाई परियोजना के स्वरूप के मुख्य अंश तथा इसकी तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का विवरण

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	परियोजना की स्वीकृत रिपोर्ट 1991 के अनुसार
1.	अनुमानित लागत	करोड़ रु.	328.00
2.	पूर्ण भराव लेवल	मीटर	315.00
3.	अधिकतम भराव लेवल	मीटर	316.345
4.	पूर्ण भराव क्षमता		
	(I) सकल	एम.सी.एफटी.	38700
	(II) उपयोगी	एम.सी.एफटी.	36762
5.	डेड स्टोरेज लेवल	मीटर	304.60
6.	स्पिलवे की अधिकतम बाढ़ जल निकास क्षमता	क्यूसेक्स	1025600
7.	75% तक वर्षा में जल की अनुमानित आवक	एम.सी.एफटी.	33,150

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	परियोजना की स्वीकृत रिपोर्ट 1991 के अनुसार
8.	जल मात्रा का आरक्षण पेयजल हेतु	एम.सी.एफ.टी.	16,200
	(अ) सिंचाई हेतु	एम.सी.एफ.टी.	8,000
9.	सी.सी.ए.	हैक्टर	69,290
10.	वार्षिक-प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र	हैक्टर	49,890
11.	स्पिलवे क्रेस्ट लेवल	मीटर	302,30
12.	स्पिलवे क्रेस्ट लेवल तक भराव क्षमता	एम.सी.एफ.टी.	792.00
13.	बांध के पियर्स का शीर्ष लेवल	मीटर	324.50

केन्द्रीय जल आयोग ने उनके पत्रांक : राज/7/93/474, दिनांक 28.4.93 के द्वारा 26.3.93 को वर्ष 1993 में टी.ए.सी. की बैठक में परियोजना की कुल 1991 के मूल्य स्तर पर रुपये 309.07 करोड़ के लिए (रु. 0194.65 करोड़ यूनिट -I एवं रुपये 114.42 करोड़ रुपये यूनिट -II) पर्यावरण तथा वन एवं कल्याण मंत्रालय से मंजूर शर्त पर स्वीकार की है।

परियोजना के संशोधित तखमीने की राशि रु. 328 करोड़ (1991 के मूल्यों पर) की राज्य सरकार के वित्त विभाग की सहमति पत्रांक एफ - 3 (18) ए.ए/आई/ सैल/82/ 218 दिनांक 25.4.92 द्वारा जारी की गई है।

जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर की आवासीय योजनाएं

806. श्री **अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर की तीन आवासीय योजनाएं हैं और इन तीनों योजनाओं की सम्पूर्ण भूमि अवाप्ति में आई थी तथा सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर दिनांक 14 सितम्बर, 1973 तक के सदस्यों को ही भूखण्ड देने का निर्णय किया था ? यदि हां, तो जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की भूमि किन-किन शर्तों पर अवाप्ति से मुक्त की गई ? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 14 नवम्बर, 1973 तक समिति के कितने सदस्य थे तथा उन सदस्यों में से कितने सदस्यों ने शपथ-पत्र प्रस्तुत किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 14 नवम्बर, 1973 तक के कितने सदस्यों को भूखण्ड का कब्जा दे दिया गया तथा इस अवधि के बाद कितने नये

(290)

(श्री अर्जुन दास मदान)

सदस्य बनाकर उन्हें भूखण्ड का कब्जा दिया गया तथा दिनांक 14 नवम्बर, 1973 तक के कितने सदस्यों को भूमि का कब्जा नहीं दिया गया और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या शेष बची भूमि को सरकार अवाप्त करने का विचार रखती है ?

(5) उक्त तिथि के बाद नये सदस्य बनाकर भूखण्ड आबंटन करने तथा पुराने सदस्यों को भूखण्ड से वंचित करने में समिति का कौन-कौन पदाधिकारी उत्तरदायी है तथा सरकार इनके विरुद्ध तथा कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर को 3 आवासीय योजनाओं स्कीम नं. 1,2 व 3 है और तीनों योजनाएं अवाप्ति में आई थीं इनमें से स्कीम नं. 2 व 3 को राज्य सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना क्रमांक एफ- 6 (58) नविआ/2/96, दिनांक 16.10.81 के द्वारा विभिन्न शर्तों के तहत अवाप्ति से मुक्त किया गया था। अधिसूचना की प्रति मय शर्तों के संलग्न है जिसमें 14.11.73 तक के सदस्यों को ही भूखण्ड देने संबंधी कोई शर्त नहीं है।

(2) समिति में वर्तमान में सहकारिता विभाग द्वारा प्रशासक नियुक्त किया हुआ है एवं समिति के पदाधिकारियों के द्वारा अभी तक उन्हें रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया है। रिकार्ड प्राप्त करने का प्रशासक द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समिति की योजना संख्या-2 का नियमितिकरण कर 29 पट्टे जारी किये गये हैं। समिति द्वारा कितने सदस्यों को दिनांक 14.11.73 तक भूखण्डों का कब्जा दिया गया एवं कितने सदस्य बनाये गये, की जानकारी समिति का रिकार्ड प्रशासक को होने पर ही हो सकेगी।

(4) जी, हां स्कीम नं. -1 अवाप्ति अधीन है।

(5) प्रशासक द्वारा समिति से रिकार्ड प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है रिकार्ड प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रेफरल चिकित्सालय छोटी सरवन (दानपुर) के कम्पाउण्डर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

807. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर के छोटी सरवन रेफरल चिकित्सालय में कार्यरत कम्पाउन्डर का स्थनान्तरण कब एवं क्यों किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दलीचन्द)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कम्पाउन्डर को चिकित्सालय में मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों की काला बाजारी करते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया था ?

(3) क्या इसकी शिकायत ग्राम पंचायत छोटी सरवन के सरपंच द्वारा जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को की गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि अधिकारी ने उक्त कम्पाउन्डर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और उसका स्थानान्तरण जिला हैडक्वार्टर पर कर दिया गया ?

(5) क्या सरकार उक्त कम्पाउन्डर के कथित प्रकरण की जांच करवाकर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी सरवन में कार्यरत कम्पाउण्डर (नर्स श्रेणी-द्वितीय) का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं, उक्त नर्स श्रेणी-द्वितीय की शिकायत की जांच उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) बांसवाड़ा द्वारा की गई, जांच रिपोर्ट के आधार पर दवाइयों की कालाबाजारी करने से सम्बन्धित ठोस सबूत प्राप्त नहीं हुए।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। उक्त नर्स श्रेणी द्वितीय के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच जिले के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) से करवाई गई। जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष में दवाइयों की कालाबाजारी के ठोस सबूत प्राप्त नहीं हुए, परन्तु प्रशासनिक कारणों से जिला मुख्यालय पर बुलाकर कन्ट्रोल रूम में कार्य लिया जा रहा है।

(5) उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) द्वारा जांच करवाई जा चुकी है एवं विस्तृत जांच हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नियुक्त किया गया है। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जिला जालौर में सड़कों का निर्माण

808. **श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वित्तीय वर्ष 1995-96 में राज्य में कुल कितनी किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुईं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जालौर जिले में पिछले दो वर्षों में सबसे कम सड़कों का निर्माण कराया गया जबकि स्वीकृत अधिक दिखाई गई हैं ? यदि हां, तो डामर की कमी के आधार पर कितनी सड़कें प्रारम्भ नहीं हुईं ? पंचायत समितिवार जिले की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले की शेष स्वीकृत सड़कों का

२९२

(श्री हीरालाल विश्नोई)

कार्य कब तक पूरे करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1995-96 में राज्य में विभागीय मद से कुल 6556.28 किमी. सड़कें स्वीकृत हुईं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी नहीं। सड़कों के बजट प्रावधानानुसार जालौर जिले में पिछले 2 वर्षों में स्वीकृत 110 नये सड़क निर्माण कार्यों में से 47 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा डामर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण 52 कार्यों पर डामरीकरण का कार्य नहीं हो सका। पंचायत समितिवार जिले की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) शेष स्वीकृत सड़कों में से 52 कार्य इस वित्तीय वर्ष में तथा 11 कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने की योजना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र करौली की पेयजल योजना

809. **श्री हंसराम गुर्जर** (करौली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र करौली पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां पानी की भारी समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या वहां के नागरिकों की सुविधा के लिये पेयजल की व्यवस्था हेतु कोई योजना लागू करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र के पहाड़ी ग्रामों में ग्रीष्म ऋतु में हैण्डपम्पों के परित्यक्त होने एवं सूख जाने के कारण कुछ समस्या है। शेष योजनाओं में समस्या अधिक नहीं है। परित्यक्त हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प आवश्यकतानुसार लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

बीकानेर में रंगमंच का निर्माण

810. **श्री नन्दलाल व्यास** (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) बीकानेर में निर्माणाधीन रंगमंच का कार्य बन्द कराने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार इस कार्य को पुनः चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बीकानेर में निर्माणाधीन रंगमंच का कार्य बन्द नहीं करवाया गया है।

(2) रंगमंच का कार्य बन्द नहीं है। जन सहयोग से प्राप्त होने वाली राशि प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य की गति धीमी है। पर्याप्त

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

राशि उपलब्ध होने पर शीघ्र ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

परिशिष्ट - 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 776 की सूची)

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, भीनमाल

बोर्ड गठन के बाद निम्न पत्रावलियों का नियमन किया गया है : –

सूची पेश है।

1. नियमन पत्रावली संख्या 4/94 श्री वैरीमल ताराजी ओसवाल

2. नियमन पत्रावली संख्या 5/94 श्री चम्पालाल वैरीमल ओसवाल

3. नियमन पत्रावली संख्या 10/94 श्री भेरूमल वेरीमल ओसवाल

4. नियमन पत्रावली संख्या 29/85-86 श्री धनराज सोनाराम दर्जी

5. नियमन पत्रावली संख्या 299/82-83 श्री बंशीलाल आईदानजी दर्जी

6. नियमन पत्रावली संख्या 13/94-95 श्री श्रवण कुमार विष्णुदत्त शर्मा

7. नियमन पत्रावली संख्या 180/83-84 श्री चिमनाराम हेमाजी, उदयराम धीराजी प्रतापत

8. नियमन पत्रावली संख्या 82/83-84 श्री चम्पालाल, मनोहरमल पुत्र डूगरमलजी जटिया

9. नियमन पत्रावली संख्या 28/95 श्री सकाराम खीमाजी जटिया

10. नियमन पत्रावली संख्या 102/83-84 श्री लक्ष्मण कुमार अथलाजी बंदारा

11. नियमन पत्रावली संख्या 2/85-86 श्री खुशालचन्द सोहनराजजी ओसवाल

12. नियमन पत्रावली संख्या 26/95 श्री रमेश कुमार , बाबूलाल ओसवाल

13. नियमन पत्रावली संख्या 42/88-89 श्री सोमती वेनाराम थांची

14. नियमन पत्रावली संख्या 43/95 श्री जूठाराम पूनमाजी माली

15. नियमन पत्रावली संख्या 41/84-85 श्री वागाराम जामाजी थांची

16X नियमन पत्रावली संख्या 137/83-84 श्री केसा, धना, पीरा, वीरा पुत्र चौपा थांची

17. नियमन पत्रावली संख्या 143/83-84 श्री भारताराम सोनाजी माली।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 778 की सूची व विवरण)

भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबी उन्मूलन योजना में सम्मिलित राज्य के नगरों की सूची

२९५

क्र.सं.	नाम
1.	चूरू
2.	हनुमानगढ़
3.	किशनगढ़
4.	सवाईमाधोपुर
5.	झुंझुनूं
6.	चित्तौड़गढ़
7.	सुजानगढ़
8.	गंगापुर सिटी
9.	बाड़मेर
10.	धौलपुर
11.	नागौर
12.	सरादारशहर
13.	बांसवाड़ा
14.	मकराना
15.	फतेहपुर
16.	बून्दी
17.	हिण्डौन
18.	बारां
19.	रतनगढ़
20.	नवलगढ़

भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबी उन्मूलन योजना के लिए शहरों के चयन हेतु निर्धारित नीति : -

पीएमआई यूपीईपी 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 1,00,000 तक की आबादी वाले श्रेणी II के 345 शहरी समूहों में लागू होगा बशर्ते इनमें शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव हो चुके हो। 1991 की जनगणना के अनुसार श्रेणी II के शहरी समूहों के नाम वाली राज्य-वार सूची अनुलगन्क -1 पर है। दोहरेपन से बचने के लिए श्रेणी II के शहरी समूहों में एनआरवाई, यूवीएसपी तथा आई डी एस एम टी के तहत उपलब्ध निवेशों को अन्य कस्बों को अन्तरित किया जाएगा।

बून्दी और बारां नगर पालिका को आबंटित राशि का विवरण

कार्य का नाम	राशि लाखों में बूंदी	बारां
1. शहरी स्लमो में पर्यावरणीय सुधार क्रार्यक्रम के अन्तर्गत बुनियादी/भौतिक सुविधाएं।	9.22	8.18
2. स्थाई बस्ती क्षेत्रों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए बुनियादी भौतिक सुविधाएं।	3.31	2.94
3. समग्र नगर के आधार पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार।	8.28	7.35
4. स्वरोजगार	10.27	9.65
5. कौशल विकास/प्रशिक्षण	2.90	2.57
6. भू-स्वामी आश्रम सुधार	3.62	3.22
7. 100 प्रति व्यक्ति लागत सुविधा	1.45	1.28
8. बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र	2.90	2.57

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 779 का विवरण)

दिनांक 01.09.95 से 30.06.96 तक प्राप्त ईजाजत तामीर के प्रार्थना-पत्रों के कार्यवाही विवरण की विस्तृत सूची।

क्रम सं.	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की दिनांक	कार्यवाही विवरण
1	2	3
1.	मिसल सं. 32/95-96 दि : 15.09.95 मंत्री प्रजापति डूढाडा समाज, लाडनूं	उजरदारी नोटिस दि: 16.09.95 जारी पत्रावली वास्ते मौका हेतु विचाराधीन
2.	मिसल सं. 37/95-96 दि: 22.09.95 श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवरलाल लूँकड	उजरदारी नोटिस दि: 22.9.95 जारी दि : 8.11.95 को आपत्ति पेश होने पर आपत्ति का जवाब मांगा गया जो पेश नहीं हुआ। पत्रावली विचाराधीन है।
3.	मिसल सं. 40/95-96 दि: 28.09.95 श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री रतनलाल दर्जी	उजरदारी नोटिस दि: 28.9.95 जारी मौका दौरान बिना स्वीकृति कार्य पाये जाने पर पालिका से समझौता हेतु सूचना दी गई। पत्रावली विचाराधीन है।
4.	मि.स. 41/95-96 दि: 29.09.95 श्रीमती सम्पतदेवी पत्नी श्री लूणकरन सोनी	उजरदारी नोटिस दि : 29.9.95 जारी मौका दौरान बिना स्वीकृति के कार्य पाये जाने पर पालिका से समझौता हेतु सूचना दी गई। पत्रावली विचाराधीन।
5.	मि.सं. 044/95-96 दि: 30.10.95 मो. इसाक/ईस्माइल सिलावट	उजरदारी नोटिस दि: 31.10.95 जारी पत्रावली वास्ते मौका हेतु विचाराधीन।
6.	मि.सं. 45/95-96 दि: 02.11.95 श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री अजयसिंह टंडन	उजरदारी नोटिस दि: 2.11.95 जारी पत्रावली वास्ते कोई स्वीकृति हेतु पेंडींग पड़ी है।
7.	मि.सं. 46/95-96 दि: 06.11.95 फत्तेमोहम्मद पुत्र श्री अलारख सिलावट	उजरदारी नोटिस दि: 21.11.95 जारी पत्रावली वास्ते मौका हेतु विचाराधीन।

298

क्रम सं.	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की दिनांक	कार्यवाही विवरण
1	2	3
8.	मि.सं. 47/95-96 दि : 06.11.95 फत्तेमोहम्मउ पुत्र अलारख सिलावट	उजरदारी नोटिस दि: 14.12.95 जारी पत्रावली वास्ते बोर्ड स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
9.	मि.सं. 49/95-96 दि: 21.11.95 श्री बालकृष्ण पुत्र श्री बुद्धमल सोनी	उजरदारी नोटिस दि: 21.11.95 जारी बिना स्वीकृति निर्माण के संबंध में पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन है।
10.	मि.सं. 51/95-96 दि: 23.11.95 श्रीमती संतोषकपूर पत्नि. श्री सुरेश कुमार	उजरदारी नोटिस दि: 25.11.95 जारी मौका दौरान बिना स्वीकृति कार्य पाये जाने पर पालिका से समझौता हेतु सूचना दी गई। पत्रावली विचाराधीन।
11.	मि.सं. 52/95-96 दि: 23.11.95 जमाल अब्दुल सदीक पुत्र श्री जीवण जी व्यौपारी	उजरदारी नोटिस दि: 25.11.95 जारी मौका दौरान बिना पालिका स्वीकृति कार्य पाये जाने पर पालिका से समझौता हेतु सूचना दी गई। पत्रावली विचाराधीन।
12.	मि. सं. 53/95-96 दि: 24.11.95 भगवानाराम, रणजीत, कुल्लाराम पुत्रों श्री पुरखाराम रेगर	उजरदारी नोटिस दि: 25.11.95 जारी मौका दौरान बिना स्वीकृति कार्य पाये जाने पर पालिका से समझौता हेतु सूचना दी गई। पत्रावली विचाराधीन।
13.	मि.सं. 56/95-96 दि: 14.12.95 अल्लानूर पुत्र श्री अल्लाबक्ष सिलावट	उजरदारी नोटिस दि: 14.12.95 जारी। पत्रावली वास्ते बोर्ड स्वीकृति हेतु विचाराधीन।
14.	मि.सं. 57/95-96 दि: 15.12.95 शंकरसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जोधा	उजरदारी नोटिस दि: 16.12.95 जारी बिना निर्माण कपर पत्रावली वास्ते मौका हेतु विचाराधीन।
15.	मि.सं. 58/95-96 दि: 16.12.95 रविन्द्रपाल पुत्र श्री शांतिलाल सेठी	उजरदारी नोटिस दि: 18.12.95 जारी। एतराज पेश होने पर पत्रावली सुनवाई एवं मौका हेतु विचाराधीन है।

(297)

क्रम सं.	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की दिनांक	कार्यवाही विवरण
1	2	3
16.	मि.सं. 59/95-96 दि : 21.12.95 मांगी देवी पत्नी श्री मूलचन्द दुग्गड़	उजरदारी नोटिस दिः 21.12.95 जारी। मौका दौरान बिना स्वीकृति कार्य पाये जाने पर पालिका से समझौता हेतु सूचना दी गई। पत्रावली विचाराधीन।
17.	मि. सं. 60/95-96 दिः 22.12.95 फिदा हुसैन पुत्र श्री लाल मो. पटवा	उजरदारी नोटिस दि : 22.12.95 जारी पत्रावली वास्ते बोर्ड स्वीकृति हेतु विचाराधीन।
18.	मि. सं. 63/95-96 दिः 03.02.96 झीमा देवी पत्नी श्री उगमाराम खटीक	उजरदारी नोटिस दिः 03.02.96 जारी पत्रावली वास्ते मौका हेतु विचाराधीन।
19.	मि. सं. 64/95-96 दिः 14.02.96 उमरावदेवी पत्नी श्री मन्नालाल नाई	उजरदारी नोटिस दिः 22.02.96 जारी। मौका दौरान बिना स्वीकृति के कार्य पाये जाने पर पालिका से समझौता हेतु सूचना दी गई। पत्रावली विचाराधीन।
20.	मि.सं. 65/95-96 दिः 01.03.96 श्रीमती पूनमदेवी पत्नी श्री बच्छराज बैंगवानी	उजरदारी नोटिस दिः 01.03.96 जारी। मौका दौरान बिना स्वीकृति कार्य पाये जाने पर पालिका से समझौता हेतु सूचना दी गई। दिनांक 17.05.96 को लक्ष्मीपत्त बैंगवानी की आपत्ति पर पत्रावली (पुनः वास्ते मौका हेतु विचाराधीन।)
21.	मि.सं. 66/95-96 दिः 08.03.96 चनणमल पुत्र श्री रामसुख जांगीड़	उजरदारी नोटिस दिः 08.03.96 जारी मौका दोरान बिना स्वीकृति कार्य पाये जाने पर पालिका से समझौता हेतु सूचना दी गई। पत्रावली विचाराधीन।
22.	मि.सं. 67/95-96 दिः 21.03.96 बाबू पुत्र श्री हुसैन व्यौपारी	उजरदारी नोटिस दिः 27.03.96 जारी पत्रावली वास्ते बोर्ड स्वीकृति हेतु विचाराधीन।
23.	मि.सं. 68/95-96 दिः 22.03.96 फकीर मोहम्मद पुत्र श्री जमाल व्यौपारी	उजरदारी नोटिस दिः 22.03.96 जारी। पत्रावली वास्ते बोर्ड स्वीकृति हेतु विचाराधीन।

२९२

क्रम सं.	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की दिनांक	कार्यवाही विवरण
24.	मि. सं. 03/96-97 दि: 16.04.96 लालमोहम्मद पुत्र श्री अहमदबक्स सिलावट	उजरदारी नोटिस दिनांक 16.04.96 जारी पत्रावली वास्ते मौका हेतु विचाराधीन।
25.	मि. सं. 04/96-97 दि: 22.04.96 सुशीला देवी पत्नी श्री पुसराज शर्मा	उजरदारी नोटिस दिनाक 23.04.96 जारी। पत्रावली वास्ते मौका हेतु विचाराधीन।
26.	मि.सं. 05/96-97 दि: 22.04.96 गोरधनलाल, महावीरप्रसाद पुत्रान श्री नथमल पहाड़िया	उजरदारी नोटिस दिनांक 23.04.96 जारी। एतराज सुनवाई हेतु एवं बिना इजाजत निर्माण बाबत् पालिका समझौता स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन।
27.	मि.सं. 08/96-97 दि: 01.06.96 मंजूदेवी पत्नी श्री कमल किशोर अग्रवाल	उजरदारी नोटिस दिनांक 01.06.96 जारी। पत्रावली वास्ते मौका हेतु विचाराधीन।
28.	मि.सं.09/96-97 दि: 19.06.96 श्रीमती बुद्धवंती पत्नी श्रीसुमेरमल बैद	उजरदारी नोटिस दिनांक 20.06.96 जारी। पत्रावली वास्ते मौका हेतु विचाराधीन।
29.	मि. सं. 10/96-97 दि: 20.06.96 फजूलदीन पुत्र अजीमूदीन बिसायती	उजरदारी नोटिस दिनांक 20.06.96 जारी। पत्रावली वास्ते मौका हेतु विचाराधीन।
30.	मि.सं. 11/96-97 दि: 20.06.96 बच्छराज पुत्र श्री तेजकरण बाफना	उजरदारी नोटिस दि: 20.06.96 जारी। पत्रावली वास्ते मौका हेतु विचाराधीन।

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 780 की सूची

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वर्तमान में स्थित योजनाएं तथा उनमें काटे गये भूखण्डों की सूची

योजना का नाम	काटे गये भूखण्डों की संख्या
1. चित्रकूट	3343
2. त्रिवेणी	510
3. विद्याधर नगर	3524
4. सुभाषनगर	172
5. मुरलीपुरा	494
6. वैशाली नगर	2584
7. इन्द्रा नगर	55
8. विद्याधर नगर पुराना (ई डब्ल्यू एस) क्वार्टर्स	5534
9. भाखरोटा (ख.नं. 1438, 69) (ई डब्ल्यू एस क्वार्टस)	260
10. बिन्दायका ई डब्ल्यू एस क्वार्टस	645 (72 निर्मित)

11.	झालाना फेज II III	204 निर्मित
12.	भाखरोटा ख.नं. 1030	265
13.	मालवीयर नगर	2759
14.	लालकोठी	1965
15.	वै. पुरी आमागढ़ क.ब.	348
16.	गोरधनपुरी क.ब.	271
17.	ऋषि गालव नगर क.ब.	744
18.	ऋषि गालव नगर निर्मित आवास	113
19.	नारदपुरा आवा. योजना	800

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 785 की सूची

उपखण्ड भोपालगढ़ के अन्तर्गत हैण्ड पम्प योजना में आने वाले ग्रामों की सूची।

क्र.सं.	ग्राम का नाम
1.	भिडोली
2.	गादेरी
3.	गोदावास
4.	ताम्बड़िया कला
5.	ताम्बड़िया खुर्द
6.	बन्दड़ा
7.	बासनी सदवां
8.	चटालिया
9.	लवारी
10.	आसण्डा
11.	डोडोयाल
12.	धनैरी खुर्द
13.	मोरनावड़ा
14.	छींदिया
15.	पालड़ी रणावतां
16.	सांवतकुआ कलां
17.	सांवत कुआ खुर्द
18.	जोइन्तरा
19.	भटकोरिया
20.	कलावास
21.	बासनी बुद्धा

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 791 की सूची)

प्रभावी खननपट्टा वास्ते खनिज सोपस्टोन की विवरण सूची

क्र.सं.	नाम खनन पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्र का नाम	स्वीकृत क्षेत्र	स्वीकृति की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	सर्वश्री ओरियन्टल टॉल्क प्रो. बांसवाड़ा	सोप-स्टोन	जगपुरा/ उमरजला	459.31 हैक्टर	3.6.68 से 20 वर्ष एवं 3-6-88 से 10 वर्ष के लिये नवीनीकरण
2.	श्री जगदीश चन्द्र भम्भानी	-"-	-"-	253.379 है.	27.1.70 से 20 वर्ष एवं 27.1.90 से10 वर्ष के लिये नवीनी.

क्र.सं.	नाम खनन पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्र का नाम	स्वीकृत क्षेत्र	स्वीकृति की अवधि
3.	श्री जगदीश चन्द्र भम्भानी	-"-	मावल	223.16 है.	27-1-70 से 20 वर्ष एवं 27-1-90 से 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण
4.	श्री भैरूलाल पुत्र श्री मकनजी जैन	-"-	कोन्द्रा भूखिया	182.75 है.	4-3-80 से 20 वर्ष के लिये।

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 793 की सूची)

धारा 107/51 जा. फो. में गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची :-

1. लालजी पिता कालू जी पंचाल नि. विकास नगर।
2. गगन लाल पिता शिव जी फरीदार नि. विकास नगर।
3. धनेसर पुत्र बेल जी पारीदार नि. विकास नगर।
4. शिवलाल पुत्र विरजी परमार नि. अमरपुरा।
5. भजनलाल पुत्र मांगी लाल पारीदार नि. उक्त
6. धनजी पुत्र बागा मीना नि. मन्दसोर।
7. दलपत राम पुत्र मावजी प्रजापत नि. विकास नगर।
8. रामा पुत्र गंगा पारगी नि. राना का बास
9. पुनमा पुत्र नाथू भाटीया नि. विकास नगर।
10. अमरा पुत्र तंगा डिण्डोर नि. रान का बास।
11. लम्बा पुत्र धना मीना नि. उक्त।
12. नारायण पुत्र खातरा डिण्डोर नि. ""
13. रूपा पुत्र रतना वरहात नि. ""
14. लक्ष्मन पुत्र रामा पारगी नि. ""
15. भरता पुत्र मगला कटारा नि. ""
16. रूपसी पुत्र मगला कटारा नि. ""

अ.सं. 98/96 में नामजद व्यक्तियों की सूची–

1. श्री मगन लाल पुत्र शिवजी
2. कल्याण मल पुत्र खेमजी
3. कमल नयन पुत्र मोगजी
4. रतनलाल पुत्र धूलाजी।
5. धनजी पुत्र बेलजी पाटीदारान विकास नगर

(301)

6. लालजी पुत्र कालू पंचाल नि. ""

7. हवजी पुत्र बागा

8. कालू पुत्र रूपसी नि. लाडसौर

9. रूपसी पुत्र मगला कटारा नि. राणा का काटा।

अ. सं. 99/96 में नामजद व्यक्तियों की सूची :–

1. श्री नारायण लाल मनात वकील
2. पूर्ण सरपंच हवजी
3. कादेरा निवासी सासरपुर
4. कालिया पुत्र रूपसी नि. लाडसोर
5. जगन्नाथ उपर ग्रामीया
6. रूपसी कटारा नि. राणा का काटा।
7. शिवलाल भोदलीया।

अ.सं. 100/96 में नामजद व्यक्तियों की सूची :–

1. कालिया पुत्र रूपसी
2. गोतमा पुत्र अमरा
3. नवला पुत्र बागा
4. लम्बा पुत्र धना
5. कोदरा भीणा पूर्व उप सरपंच
6. हवजी पुत्र बागा
7. शिवलाल पुत्र विरजी
8. पूजी पुत्र गोमना
9. जगन्नाथ पुत्र बलू
10. रूपसी पुत्र मगला
11. कानिया पुत्र नागीया
12. धूलीया पुत्र कानिया
13. देवीलाल पुत्र कमजी
14. बगीलाल पुत्र सोमा
15. मनोहर पुत्र बगना
16. शंकर पुत्र थापरा
17. मर्ता पुत्र माला
18. रूपा पुत्र रतना
19. लालजी पुत्र हावा
20. दुकला पुत्र सौमा
21. मर्ता पुत्र धूला
22. प्रभू पुत्र गोतमा
23. हरजी पुत्र माधू
24. हवजी पुत्र खेमा
25. दोला पुत्र बाला
26. भूरा पुत्र हूका
27. नानूराम पुत्र सेगा
28. नाथू मीणा सासरपुर
29. थापर चन्द मीणा सासरपुर
30. पंकज मीणा राणा का वास

101/96 में नामजद अभियुक्तों की सूची :-

1. श्री पंकज मीणा नि. राणा का वास
2. रूपा मीणा नि. उठियां
3. रामा मीणा नि. रगेला
4. नाथू लाल मीणा नि. सासरपुर

302

मु.नं. 103/96 में नामजद अभियुक्तों की सूची :–

1. कालिया पुत्र रूपसी
2. गोतमा पुत्र अमरा
3. नवला पुत्र वागा
4. लेम्बा पुत्र धना
5. कोदरा मीणा उप सरपंच भूतपूर्व
6. हवजी पुत्र बागा
7. शिवलाल पुत्र विरजी
8. पूजा पुत्र गोमना
9. जगन्नाथ पुत्र ढला
10. रूपसी पुत्र मंगला
11. कानीया पुत्र नारीया
12. धूलिया पुत्र कानिया
13. देवीलाल पुत्र कमजी
14. बंशीलाल पुत्र सोमा
15. मनोहर पुत्र वजा
16. शंकर पुत्र थावरा
17. भरता पुत्र मंगला
18. रूपा पुत्र रतना
19. लालजी पुत्र हाजां
20. हुकला पुत्र सोमा
21. भरता पुत्र धूला
22. प्रभु पुत्र गोमना
23. हरजी पुत्र माधू
24. हवजी पुत्र खेमा
25. दोला पुत्र वाला
26. मनोहर पुत्र गोतम
27. भूरा पुत्र हूका
28. नानूराम पुत्र रामा
29. नाथू मीणा नि. सांसपुर
30. धावर चन्द मीणा पुत्र नि. सांसपुर
31. पुंकज मीणा नि. राणा का वास

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 802 की प्रति)

अभियोग सं. 585/94 धारा 379 भादस थाना बजाज नगर दिनांक 20/11/94.

श्रीमान् इन्चार्ज महोदय पुलिस स्टेशन बजाज नगर जयपुर (राज) मान्यवर महोदय सेवा में निवेदन है कि (1) यह कि खसरा नं 2/230 की भूमि पी एल अग्रवाल की है एव खसरा नं. 2, 1/222 की भूमि रामजीपुरा हाउसिंग कोपरेटिव की है। (2) यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि के मालिकान से मैंने पूरा पानी जो उपरोक्त भूमि में खड़े हुए हैं मैंने 3000 रुपये ठेके पर ले रखे हैं (3) यह कि में दिपावली के अवसर पर मैं मेरे गांव गया हुआ था उन दिनों में रामेश्वर बैरवा और प्रभुनारायण मीणा ने मिलकर पूरा पानी करीब 100 अधिक काट लिया जिसका उनके काटने का कोई हक नहीं है। (4) यह कि जब मैं गांव से वापिस आया तो मैंने मौके पर जाकर देखा और रामेश्वर बैरवा व प्रभुनारायण मीणा से कहा कि आप लोगों ने पूरा कैसे

काटे हैं तो मुझको गाली गलौच करने लगे और झगड़ा करने को आमाद हुए और जान से मारने की धमकी दी (5) यह कि इन दोनों ने यहीं के श्री रतनलाल ठेकेदार के पत्थरों को दिन दहाड़े जबरन उठा लिया था जिसका मुकदमा श्रीपान थाने में दर्ज हो रहा है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण इन लोगों को शह मिल गई है व इनको कोई दहशत नहीं है एक मुकदमा चोरी का प्रभुनारायण मीणा की मिलीभगत से सुखलाल मीणा ने न्यू इण्ड. को -आपरेशन की फैक्ट्री में से कोई का समान रात को ट्रैक्टर में भर लिया था उसको रंगे हाथों थाने से मालिक ने फैक्ट्री में पकड़ पाया था अभी तक वह माल पुलिस कस्टडी में मौजूद है। (6) यह कि मौके पर पूले जो, काटकर इकट्ठे किये हुए हैं मौजूद हैं श्रीमान मुलाहिजा फरमायें कि उक्त श्रीमान से प्रार्थना है कि रामेश्वर बैरवा व प्रभुनारायण मीणा के खिलाफ कार्यवाही दर्ज फरमाई जाकर इनको दण्डित किये जाने की कृपा करें। ताकि मेरे जानमाल की रक्षा तो हो सके और शांति भंग नहीं हो प्रार्थी ह/कल्याण सिंह (कल्याण सिंह पुत्र श्री गोपाल) नि. एफ- 19 बजाज नगर जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री कल्याण सिंह पुत्र श्रीगोपाल कौम चोबदा राजपूत आयु 21 साल नि. गांव राला सायपुर थाना सुरोठ जिला सवाईमाधोपुर हाल क्वाटर एम 19 विधायक नगर बजाज नगर ने उपस्थित थाना होकर पेश की रिपोर्ट से मामला 379 भादस का घटित होना पाया जाता है अतः मुकदमा न. 585/94 धारा मजकुर में कायम कर तफतीश में मन राधेश्याम ए. एस. आई. मसरुफ हुआ प्रतिया एफ. आई. आर. नियमानुसार जारी की गई एक प्रति नकल एफ. आई. आर. मुस्तगीस को दी गई।

ह/ कल्याण सिंह

ह/ थानाधिकारी
राधेश्याम एस.एच.ओ.
थाना बजाजनगर

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 803 की सूचना)

अलवर जिले में महिलाओं के साथ गत तीन वर्षों में अपहरण, बलात्कार, हत्या, ब्लैकमेल, दहेज हत्या बाबत तालिका

क्र.सं.	अपराध	अवधि	रिपोर्ट	चालान	अदमवकू	अदमपता	एफ आर गलत फहमी वाका	अदम सबूत	जैर तफतीश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अपहरण	1-4-93 से 31-12-93	63	15	43	5	-	-	-
		1-1-94 से 31-12-94	101	26	66	8	-	1	-
		1-1-95 से 31-12-95	80	15	57	8	-	-	-
		1-1-96 से 31-3-96	23	4	14	3	-	-	2
2.	बलात्कार	1-4-93 से 31-12-93	26	23	3	-	-	-	-
		1-1-94 से 31-12-94	39	32	7	-	-	-	-
		1-1-95 से 31-12-95	32	24	8	-	-	-	-
		1-1-96 से 31-3-95	8	6	2	-	-	-	-
3.	महिलाओं की हत्या	1-4-93 से 31-12-93	6	6	-	-	-	-	-
		1-1-94 से 31-12-94	14	10	2	-	2	-	-
		1-5-95 से 31-12-95	15	10	2	3	-	-	-
		1-1-96 से 31-3-96	1	1	-	-	-	-	-

305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	महिलाओं से ब्लैकमेल	1-4-93 से 31-3-96	-	-	-	-	-	-	-
5.	दहेज हत्या	1-4-93 से 31-12-93	19	11	8	-	-	-	-
		1-1-94 से 31-12-94	27	20	7	-	-	-	-
		1-1-95 से 31-12-95	29	23	5	-	-	-	1
		1-1-96 से 31-3-96	3	2	1	-	-	-	-
6.	दहेज आत्महत्या	1-4-93 से 31-12-93	1	-	1	-	-	-	-
		1-1-94 से 31-12-94	1	1	-	-	-	-	-
		1-1-95 से 31-12-95	1	1	-	-	-	-	-
		1-1-96 से 31-3-96	-	-	-	-	-	-	-
7.	दहेज हेतु प्रताड़ना	1-4-93 से 31-12-93	56	19	36	1	-	-	-
		1-1-94 से 31-12-94	105	50	55	-	-	-	-
		1-1-95 से 31-12-95	109	57	51	1	-	-	-
		1-1-96 से 31-3-96	31	08	22	1	-	-	-

(306)

उप शासन सचिव ने महानिदेशक पुलिस राजस्थान को पत्र क्रमांक : प-34 (24) गृह-6/94 दिनांक : 17-8-94 के द्वारा महिला पुलिस कर्मियों/ अधिकारियों की समस्याओं के निवारण हेतु लिखा था जिसके निवारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को निम्नानुसार अवगत कराया गया है :-

(1) महिला पुलिस का अलवर जिले के किसी भी थाने में रहने की उचित व्यवस्था नहीं है चूंकि महिला कानि. किसी थाने में पदस्थापित नहीं है, केवल महिला मुलजिम की देखरेख के लिए समय समय पर सम्बन्धित थाने में भेजा जाता है, जहां पर उनकी मुकामा पुलिस द्वारा रहने की व्यवस्था की जाती है।

(2) प्रत्येक थाने में शौचालय उपलब्ध हैं/ अलग से महिला पुलिस के लिए शौचालय नहीं है। चूंकि महिला पुलिस कभी-कभी थानों में उपरोक्त ड्यूटी हेतु जाती हैं इसलिये अलग अलग से शौचालय की आवश्यकता नहीं है।

(3) पुलिस लाइन में महिला पुलिस की बैठने की उचित व्यवस्था है फिर इस ओर ध्यान दिया जावेगा।

(4) अधिकतर 2 महिला पुलिस की ड्यूटी एक साथ लगाई जाती है जब एक साथ ही अधिक ड्यूटी आ जाती है तो यह संभव नहीं है।

(5) रेंज कार्यालय से जो वर्दी महिला पुलिस के लिए आबंटित होती हैं वह यथा समय उन्हें इश्यू कर दी जाती है। वर्दी के सम्बन्ध में समय-समय पर उपमहानिरीक्षक पुलिस भरतपुर को पुलिस अधीक्षक जिला अलवर द्वारा लिखा जाता है।

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 805 की सूची

प्रतिलिपि आज्ञा क्रमांक पं. 1(29) चि. स्वा/2/96 दिनांक 27.6.96 द्वारा श्री संजय मल्होत्रा, शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर वास्ते निदेशक (पं.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, नियम 1963 के नियम 24 व समय-समय पर संशोधित के अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्नलिखित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उप निदेशक व समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों को वर्ष 1995-96 की रिक्तियों के विरुद्ध संयुक्त निदेशक के पदों पर पदोन्नत किया जाता है : -

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदोन्नति वर्ष
1.	डा. एस.एल. अग्रवाल	वरिष्ठता सह योग्यता
2.	डा. एस. के. कुक्कड़	"
3.	डा. ए.के.भाष्कर	"
4.	डा. उमा जैन	"
5.	डा. बी. के. जैमिनी	"
6.	डा. जी.सी. शुक्ला	"
7.	डा. सहीराम	"
8.	डा. एम.सी.पूनिया	"

9. डा. श्रीमती प्रतिभा जैन वरिष्ठत सह योग्यता
10. डा. प्रतिभा सिंह
इनके पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.6.96 के क्रम में निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन निम्नानुसार तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.सं	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	2	3	4
1.	डा.एस.एल. अग्रवाल	संयुक्त निदेशक (जोन) अजमेर	संयुक्त निदेशक (जोन) अजमेर।
2.	डा. एस. के. कुक्कड़	संयुक्त निदेशक (लोजिस्टक एवं ट्रांसपोर्ट) मुख्यालय	-यथा- (लोजिस्टक ट्रांसपोर्ट, मुख्यालय।
3.	डा. ए.के. भास्कर	मुचि. एवं स्वा. अ. दौसा	तकनीकी सलाहकार, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
4.	डा. उमा जैन	उप निदेशक मुख्यालय, जयपुर	संयुक्त निदेशक (निरीक्षण) वी.आई. पी. विजिट एवं विविध, मुख्यालय।
5.	डा. बी. के. जैमिनी	उप निदेशक, मुख्यालय, जयपुर	संयुक्त निदेशक, बाढ़ एवं सहा. मुख्यालय, जयपुर।
6.	डा. जी.सी. शुक्ला	संयुक्त निदेशक (जोन) जोधपुर	संयुक्त निदेशक(जोन) जोधपुर।
7.	डा. सहीराम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी , टौंक	संयुक्त निदेशक (टी.वी.) मुख्यालय।
8.	डा. एम.सी. पूनिया	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बून्दी	संयुक्त निदेशक (जोन) कोटा।
9.	डा. प्रतिभा जैन	उप अधीक्षक जे.के. लोन, जयपुर	संयुक्त निदेशक, जांच शिकायत एवं जन. अभि. निराकरण मुख्यालय डा. संधु के स्थान पर।

(309)

1	2	3	4
10.	डा. प्रतिमा सिंह	उप नियंत्रक जनरल अस्पताल जालौर	संयुक्त निदेशक (मोनिटरिंग) मुख्यालय, जयपुर।
11.	ओ.पी. ताहिन	संयुक्त निदेशक (ई.एस.आई.) जयपुर ।	संयुक्त निदेशक (मलेरिया) मुख्यालय, जयपुर।
12.	डा. इकबाल संधू	संयुक्त निदेशक (आई.एस.) मुख्यालय, जयपुर ।	संयुक्त निदेशक (अन्धता निवारण) मुख्यालय।
13.	डा. के.डी. शर्मा	संयुक्त निदेशक मुख्यालय जयपुर।	संयुक्त निदेशक (ग्रा. स्वा.) मुख्यालय, जयपुर।
14.	सिकन्दर साहनी	संयुक्त निदेशक (अंधता) मुख्यालय, जयपुर ।	विशेषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
15.	डा. अवतार सिंह	संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) मुख्यालय, जयपुर।	अति. निदेशक (अस्पताल प्रशासन) के पद विरुद्ध मुख्यालय, जयपुर
16.	डा. एम.एस. सिंघवी	संयुक्त निदेशक पद विरुद्ध जोन कोटा।	वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) राजकीय चिकित्सालय, बून्दी।

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 810 की सूची)

पंचायत समिति गोगुन्दा

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोगुन्दा
2. ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सायरा
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुरा
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नान्देशमा
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदराडा

पंचायत समिति कोटडा

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटडा
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेकरिया
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिकरणी
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पडावली
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मामेर
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माण्डवा
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालवो काचोरा

क्र. सं.	संस्थान का नाम	क्या इन प्रा. स्वा. केन्द्रों के राजकीय भवन है या नहीं	सरकार इन प्रा. स्वा. केन्द्रों के भवन निर्माण का विचार रखती है या नहीं, और कब तक
1	2	3	4
पंचायत समिति गोगुन्दा			
1.	सामुदायिक स्वा. केन्द्र, गोगुन्दा	राजकीय भवन डिस्पेन्सरी का पेटर्न का बना हुआ है ।	1. सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सामु. स्वा. केन्द्र गोगुन्दा के लिये राशि 5.00 लाख स्वीकृत की गई जिससे निर्माण कार्य चल रहा है । 2.वर्ष 1995-96 में भवन निर्माण के लिये आवर्तन/परिवर्तन हेतु राशि 15 लाख स्वीकृत की गई जिससे इस संस्थान के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है ।
2.	ब्लाक प्राथमिक स्वा. केन्द्र, सायरा	राजकीय भवन बना हुआ है ।	सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्य हेतु रु. 5 लाख स्वीकृत किया गया जिससे निर्माण कार्य कराया गया एवं राशि की ओर आवश्यकता होने से स्वीकृति हेतु कार्यवाही चल रही हैं ।
3.	प्राथमिक स्वा. केन्द्र, भानपुरा	भवन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुरा के लिये भवन निर्माण कार्य कराया जाना है एवं इसकी स्वीकृति हेतु राज्य सरकार/ निदेशालय स्तर से कार्यवाही की जानी है ।

(309)

310

क्र. सं.	संस्थान का नाम	क्या इन प्रा. स्वा. केन्द्रों के राजकीय भवन है या नहीं	सरकार इन प्रा. स्वा. केन्द्रों के भवन निर्माण का विचार रखती है या नहीं और कब तक
1	2	3	4
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नान्देशमा	राजकीय भवन नहीं हैं ।	प्राथमिक स्वा. केन्द्र नान्देशमा के लिये भवन एक समिति द्वारा निर्माण कराया जा रहा था परन्तु राशि के अभाव में पूर्ण नहीं हो सका था एवं अब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उदयपुर से 2.50 लाख की राशि आबंटित की गई जिससे भवन पूर्ण होकर नये भवन में प्रा. स्वा. केन्द चालू करवाया जायेगा ।
5.	प्राथमिक स्वा. केन्द्र पदराडा	दानदाता द्वारा भवन बनाया गया है।	——

311

1 2	3	4
पंचायत समिति कोटडा		
1. सामुदायिक स्वा. केन्द्र, कोटडा	ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्मित है।	वर्तमान में स्थित भवन में निर्माण कार्य हेतु वर्ष 1995-96 में सांसद कोटे से 5.00 लाख रु. स्वीकृत किये गये जिससे निर्माण कार्य कराया गया परन्तु संस्थान के लिये भवन विस्तार हेतु और राशि की आवश्यकता है जो राज्य सरकार द्वारा ही दी जावेगी।
2. प्राथमिक स्वा. केन्द्र, बेकरिया	राजकीय भवन बना हुआ है ।	------
3. प्राथमिक स्वा. केन्द्र, बिकरणी	–	राजकीय भवन बनाया जाना प्रस्तावित है इसके लिये स्वीकृति राज्य सरकार से ही अपेक्षित हैं ।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , पडावली	राजकीय भवन बना हुआ है ।	——
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मामेर	राजकीय भवन बना हुआ है ।	——
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माण्डवा	सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है	वर्ष 1994-95 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः इसका निर्माण कार्य वर्ष 1996-97 में कराया जाना प्रस्तावित है ।
7. प्रा. स्वा. केन्द्र मालवो, काचोरा	सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है ।	वर्ष 1995-96 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सृजित की गई है इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य अब कराया जाना है ।

परिशिष्ट- 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 830 का विवरण)

लघु सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

क्र.	नाम परियोजना	तहसील	कार्य स्वीकृति दिनांक	स्वीकृति राशि (लाखों में)	कार्य सम्पादित करने की प्रस्तावित अवधि	6/96 तक व्यय की गई राशि (लाखों में)	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	क्यारदा	हिण्डोन	25.1.95	54.74	21.4.95 से 20.9.95	29.60	बांध का ही कार्य आबंटित किया गया था जिसका 65 प्रतिशत कार्य हो चुका है न्यायालय द्वारा स्टे लगाने के कारण कार्य में रुकावट आई। नहर सही सम्पूर्ण कार्य जून, 97 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।
2.	अतेवा	करौली	26.12.94	34.91	21.4.95 से 20.8.95	40.16	बांध का ही कार्य आबंटित किया गया था जो करीब पूर्ण हो चुका है । नहर सहित सम्पूर्ण कार्य जून, 97 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

क्र.	नाम परियोजना	तहसील	कार्य स्वीकृति दिनांक	स्वीकृति राशि (लाखों में)	कार्य सम्पादित करने की प्रस्तावित अवधि	6/96 तक व्यय की गई राशि (लाखों में)	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	नाजिमवाला कुजेला	नादोती	17.2.95	44.43	24.4.95 से 23.9.95	38.76	बांध का ही कार्य आबंटित किया गया था जिसका 90% कार्य हो चुका है नहर तथा शेष सम्पूण कार्य जून, 97 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।
4.	डोरीन का ताल	करौली	26.4.95	33.35	20.7.95 से 19.11.95	21.37	बांध का ही कार्य आबंटित किया गया था जिसका कार्य करीब करीब पूर्ण हो चुका है । किये गये कार्य का कुछ भुगतान करना शेष है नहर सहित सम्पूर्ण कार्य जून, 97 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

313

(314)

परिशिष्ट - 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 831 की सूची)

वर्ष 1996-97 में प्रवेशित छात्रों की सूची

समाज कल्याण "ब" छात्रावास, सोजत

क्र. सं.	नाम छात्र	पिता का नाम	जाति	निवासी	कक्षा	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7
1.	कालूराम	बजाराम	मेहतर	निललिभावन	12वीं	
2.	बुद्धाराम	मेघाराम	मेघवाल	लुणेरा	"	
3.	मंगलाराम	नाराण	मेघवाल	रस्दिया	"	
4.	प्रकाशचन्द्र	भालाराम	"	घांगडवास	"	
5.	नेमाराम	हरजीराम	रैगर	भगाईडाबी	"	
6.	जयराम	मादाराम	मेघवाल	रन्दिया	"	
7.	पेमाराम	केलाराम	"	"	"	
8.	नेमीचन्द्र	लक्ष्मण	सरकारा	"	"	
9.	पारसराम	विरम	मेघवाल	पाचुण्डा	11वीं	
10.	तेजाराम	तुलसाराम	"	चन्दलाई	"	
11.	मोटाराम	मालाराम	"	रेपड़ावास	"	
12.	मुझाराम	उदमाराम	"	नापावास	"	
13.	नेमाराम	संग्राम	"	माण्डा	"	
14.	जोराराम	घीसाराम	"	वाली	"	
15.	थानाराम	घीसाराम	"	भोजावास	"	
16.	मदनलाल	सावरलाल	"	हीरावास	"	
17.	सुखाराम	रुगाराम	"	भोजवास	"	
18.	सोहनलाल	गौतमराम	"	खेलवास	"	
19.	पारसराम	त्रितोकराम	"	सियार	"	
20.	चुन्नीलाल	मिश्रीलाल	"	सेकावास	"	
21.	गुन्दाराम	जोराराम	"	बावलीवात	"	
22.	भनाराम	भैराराम	"	लणेरा	10वीं	

315

1	2	3	4	5	6
23.	जेहाराम	गोरखाराम	"	पाचुण्डा	"
24.	भुण्डाराम	गुमनाराम	"	रेपड़ावास	"
25.	नरसिंगराम	भैराराम	"	थुरासनी	"
26.	जगदीश	भीमाराम	सरगरा	दुदोड	"
27.	प्रतापराम	दुर्गाराम	मेघवाल	नागावात्	"
28.	कैलाशचन्द	भोलाराम	सरगरा	खरियासो	"
29.	प्रकाशचन्द	लादूराम	रैगर	सिरयारी	"
30.	पप्पूराम	तुलसाराम	मेघवाल	बासनी	9वीं
31.	छोटूराम	हरजीराम	"	जैतारण	"
32.	सुगनाराम	दुर्गादास	"	लुणेरा	"
33.	सुरेश चन्द्र	चौथाराम	मेघवाल	छागडवास	"
34.	श्यामलाल	भीखाराम	मेहतर	बिजलीयावास	"
35.	नारायणलाल	भैराराम	मेघवाल	लुणेरा	"
36.	इन्द्रलाल	चतराराम	"	"	"
37.	विरमराम	हिम्मताराम	"	शिवपुरा	"
38.	लक्ष्मणराम	जोगाराम	"	बासनी	"
39.	रमेश	मोहनराम	सरगरा	पिपलाद	13वीं
40.	ओमप्रकाश	रामलाल	मेघवाल	मालपुरिया	"
41.	अशोक कुमार	मालाराम	"	सपेलाव	"
42.	श्यामलाल	जयराम	"	अटपडा	11वीं

वर्ष 1996-97 में प्रवेशित छात्रों की सूची

राजकीय छात्रावास "स" श्रे. समाज कल्याण विभाग, सोजत सिटी (पाली)

क्र.सं.	नाम छात्र	पिता का नाम		जाति	निवासी	कक्षा वि. वि
1	2	3		4	5	6
1.	शंकरलाल	श्री मांगीलाल	नायक	हमीखास	12वीं	पुराना
2.	सुरेशकुमार	"लच्छाराम	"	गुड़ारामसिंह	"	"
3.	पप्पूलाल	"हेमाराम	खटीक	राजकियावास	11वीं	"
4.	दल्लाराम	"हीराराम	बावरी	चान्दासनी	"	नया

318

1	2	3		4	5	6
5.	सोहनलाल	"लादूराम	"	देवलीहुल्ला	"	"
6.	फाऊलाल	"मांगीलाल	"	कटेरिया बिलावास	10वीं	"
7.	प्रकाशचन्द्र	"घेवरराम	"	बुटेलावास	"पुराना	
8.	नाथाराम	"माणाराम	"	नवोडाबेरा बिलावास	9वीं	"
9.	कैलाशचन्द्र	"श्रवणलाल	"	कंतेरिया बिलावास	"	"
10.	आसुराम	"पेमाराम	"	हापत	10वीं	"
11.	जगदीश	"तुलसाराम	मेघवाल	बिजलावास	10वीं	"
12.	दुर्गाराम	"भोलाराम	बाबरी	देवलीकलां	9वीं	"
13.	जगदीश	"मोहनलाल	"	कन्टलिया	"	"
14.	दुर्गाराम	"जयराम	"	बुटेलावास	8वीं	"
15.	केवलराम	"भीयांराम	"	बिलावास	7वीं	"
16.	नाथुलाल	"लक्ष्मणराम	"	"	"	"
17.	सुरेशकुमार	"भोलाराम	"	"	"	"
18.	कैलाशचन्द	"बस्ताराम	"	"	"	"
19.	बगदाराम	"दगलाराम	"	"	"	"
20.	नारायणलाल	"बालाराम	"	शिवपुरा	9वीं	नया
21.	गरिमराम	"बुद्धाराम	"	बिलारास	6ठी	"
22.	रामदीन	"गणपतलाल	"	"	"	"
23.	राजाराम	"सहदेवराम	"	"	"	"
24.	सुखदेव	"शंकरराम	"	छितरिया	11वीं	नया(बेटिंग)
25.	पोकरराम	"तेजाराम	"	बुटेलावास	11वीं	"

(317)

परिशिष्ट - 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 832 का विवरण)

राष्ट्रीय स्वच्छकार पुनर्वास योजनाअन्तर्गत भारत सरकार से निम्न विवरणानुसार राशि प्राप्त हुई है।

क्र. सं.	वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि (राशि लाखों में)	विशेष विवरण
1.	1991-92	450.00	भारत सरकार से रिवेलीडेशन प्राप्त कर वर्ष 1992-93 में राजस्थान अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को दी गयी है।
2.	1992-93	101.50	
3.	1993-94	227.00	भारत सरकर से रिवेलीडेशन प्राप्त कर वर्ष 1995-96 में व्यय हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम को दी गई ।
4.	1994-95	–	
5.	1995-96	686.50	वर्ष 1996-97 में उपयोग हेतु रिवेलीडेशन प्राप्त किया गया है ।
	योग	1465.00 लाख	

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न सं. 833 का विवरण)

राहत कार्यों को सम्पादित करने वाले विभाग

क्र. सं.	नाम विभाग
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग
2.	सिंचाई विभाग
3.	वन विभाग
4.	कृषि विभाग (भू-संरक्षण)
5.	पंचायतों के माध्यम से
6.	पंचायत समितियां

(318)

परिशिष्ट–18

(नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख)

पंचायती राज संस्थाएं अधिनियम, 1994 के अनुसार कार्यवाही

[(श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)]

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :-

राजस्थान में 24 अप्रेल 1994 से नया पंचायत अधिनियम लागू होने के बाद भी विकास अधिकारी पंचायतों के मनमाने ढंग से निरीक्षण के नाम पर मनमाने रिकार्ड लाकर पंचायतों के कार्य में रुकावट डाल रहे हैं तथा अन्य प्रकार से अनुचित परेशान कर हैं। नये एक्ट में पंचायतों को स्वायत्तशाषी संस्था का व्यापक स्वरूप और स्थान दिया गया है। उसमें किसी शिकायत की जांच करने के लिए जब तक जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाय तब तक पंचायतों के विरुद्ध शिकायतों की जांच नहीं की जा सकती, न ही बिना मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश के वे निरीक्षण कर सकते हैं और न ही रिकार्ड को सील अथवा जब्त कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार नये अधिनियम के लागू होने के बाद पुराने एक्ट की समाप्ति होने के बाद अभी तक उसके अनुरूप कार्यवाही नहीं करने पर पुराने अधिनियम के अनुसार ही कार्यवाही को रोकने के दिशा निर्देश जारी करे।

राज्य सरकार द्वारा बार-बार पंचायतों के हिसाब-किताब मस्टररोल आदि का निरीक्षण तथा फोटो कापियां नियमानुसार जमा कराने पर भी प्रतिलिपियां पंचायतों अथवा पंचायत समितियों से उपलब्ध नहीं की जा रही है।

राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है और इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर प्रत्येक हिसाब-किताब मस्टररोल तथा बिलों आदि को देखने तथा फोटो प्रतियां प्राप्त करने के समुचित आदेश प्रभावी ढंग से लागू हों, यह व्यवस्था आवश्यक है ताकि पंचायती राज संस्थाओं में भ्रष्टाचार तथा फर्जीवाड़े के बदले हालात दूर हो सकें और जनता में पंचायती राज के सम्बन्ध में बढ़ता जनता का अविश्वास दूर हो सके।

अनुसूचित जाति/जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

महोदय,

सविनय नम्र निवेदन है कि अनुसूचित जाति/जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जो छात्र विद्यालयों में अध्ययनरत हैं उनमें से समाज कल्याण विभाग की ओर से गत वर्ष 9 विद्यालयों के छात्रों को पैसा नहीं दिया गया। इनका पैसा निदेशक, प्राथमिक

एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा विद्यालयों में आवंटित होता है। गत वर्ष का 9 विद्यालयों का पैसा आज तक नहीं मिला जबकि निदेशक महोदय, बीकानेर ने समाज कल्याण विभाग को कई बार लिखित पत्रों द्वारा निवेदन कर दिया। विद्यालयों के प्रधानाध्यापक छात्रों से जो गवर्नमेंट स्कोलर है, पैसा मांगते हैं और वे देने में असमर्थ हैं जिससे छात्रों की जिन्दगी खराब हो रही है। इन विद्यालयों में (1) बिड़ला हायर सैकेण्डरी स्कूल, पिलानी (2) बिड़ला पब्लिक स्कूल, पिलानी (3) विशम्भर लाल उ.मा.वि. बग्गड, झुन्झुनूं (4) बिडला बालिका उ.मा. वि. पिलानी (5) भैरू गांव नांगल कलां (चुरू) (6) रा. मा. विद्यालय विद्या भवन उदयपुर। इस प्रकार 9 स्कूलों का पैसा चार्ज नहीं हुआ है, अतः दिलावाया जावे।

अतः इस सम्बन्ध में मैं मा. समाज कल्याण राज्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करें।

उच्च शिक्षा में व्याप्त विषमताएं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ भेदभाव

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)**]**

महोदय,

राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में अनियमित रूप से होने वाले स्थानान्तरण की कोई पॉलिसी नहीं है एवं विगत 3 वर्षों में वृहद संख्या में स्थानान्तरण हुए हैं। केरियर एडवांसमेंट की कोई प्रगति नहीं हुई है, इसके बारे में सदन को स्पष्टीकरण देकर बतावें। निजी महाविद्यालयों में अनुदान सम्बन्धित समस्याएं हैं। आरक्षण लागू न करने वाले कॉलेजों को अनुदान न देने की सिफारिश अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से सम्बन्धित संसदीय समिति ने की है कि आरक्षण लागू न करने वाले कॉलेज एवं विद्यापीठों को दिया जाने वाला अनुदान बंद कर दिया जाये।

समिति ने कहा है कि केन्द्र सरकार के 100 प्रतिशत आर्थिक अनुदान से चलने वाले सभी हार्डिंग मेडिकल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पर आरक्षण नीति पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। जबकि केन्द्र सरकार की आर्थिक सहायता प्राप्त कर महात्मा गांधी आयुर्वेद संस्थान जैसे अन्य संस्थान में आरक्षण के आदेश पर अमल किया जा रहा है।

सन 1950 जब से भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण रखा गया है, राजस्थान के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, लेक्चरारों, रीडर्स, प्रोफेसर्स एवं कर्मचारियों के कितने आरक्षित पद रखे गये हैं। अब तक कितने पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यार्थियों को नियुक्त किया जा चुका है एवं अब शिक्षकों को कितने विषयवार रिक्त पड़े हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय में एक विशेष

नियुक्ति अभियान चलाया जा कर सरकार इन आरक्षित शिक्षकों एवं अधिकारियों के पदों को कब तक भरना चाहती है ? धन्यवाद।

जयपुर के कांवटिया अस्पताल में एक प्रसाविका के साथ अभद्र व्यवहार

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

महोदय,

निवेदन है कि श्रीमती शकुन्तला शर्मा, प्रसाविका हरिबक्श कावंटिया राज्य चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर के साथ डा. डी. एस. मलिक, कनिष्ठ शल्य विशेषज्ञ व श्री रामकरण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं प्रेसिम्मा ए.एन.एम. द्वारा चिकित्सालय परिसर में उसके साथ गाली गलौच अभद्रतापूर्ण व्यवहार अपशब्दों का व्यवहार किया गया जिसकी उक्त महिला ने इन लोगों के खिलाफ नर्सिंग अधीक्षक को दिनांक 4.1.95 को शिकायत पत्र भेजा जिस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा श्री डा.डी.एस. मलिक ने उसको डराया धमकाया तथा यहां से स्थानान्तरण करवाने की धमकी दी कि तुम्हें उड़ा दूंगा, जान से मार दूंगा, आखिर मैं एक डाक्टर हूं। अपशब्दों का प्रयोग किया तथा कहा कि मेरी जिन्दगी में आ चुकी हो तथा मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर रहूंगा तथा मेरे बेटे तुम्हें कैरोसिन तेल डालकर जिन्दा ही जला देंगे तथा हास्पिटल से सस्पेंड करवा दूंगा।

इस दरमियान इनका स्थानान्तरण सीकर कर दिया गया इसके बाद उसको मारने की धमकी भरे पत्र दिये गये। इसके साथ श्री रामकरण मीणा जो कावंटिया हास्पिटल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, उक्त महिला प्रसाविका से ऑपरेशन थियेटर में या और कोई खाली जगह देखकर अश्लील हरकतें करता रहा है। तथा शराब पीकर गाली गलौच भी करता है तथा डा. मलिक के खिलाफ जो शिकायत उच्च अधिकारियों को की थी तथा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की थी उसको वापिस लेने के लिए मुझे दबाव एवं परेशान करता है।

अतः मैं मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती शकुन्तला शर्मा, प्रसाविका, राजकीय हरिबक्श कावंटिया चिकित्सालय, शास्त्रीनगर, जयपुर के साथ हो रहे अभद्रतापूर्ण व्यवहार तथा उसको जान से मारने की धमकियां देने, जलाकर मारने तथा देख लेने की धमकियां उक्त लोगों द्वारा दिये जाने से वहां पर कार्यरत कर्मचारियों में भी भय पैदा हो रहा है। उक्त प्रसाविका को पूर्व सुरक्षा प्रदान की जावे तथा उसकी जान माल की सुरक्षा की जावे तथा दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं डाक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावे।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी का

ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान करावें।

पीपल्दा के माध्यमिक विद्यालय में सैकण्डरी परीक्षा में अनियमितता

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

मान्यवर,

कोटा जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पीपल्दा के प्रधानाध्यापक रमेश चन्द्र शर्मा ने सत्र 1995-96 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 23 छात्र, जो शारदा बाल विद्यालय इटावा प्राइवेट स्कूल के थे, को 1995-96 की बोर्ड परीक्षा में नियमित छात्रों के रूप में माध्यमिक विद्यालय पीपल्दा में परीक्षा दिलवायी है। जिन छात्रों से परीक्षा दिलवाई है उन छात्रों ने यहां पर अध्ययन कार्य नहीं किया व इनकी उपस्थिति भी रजिस्टर में फर्जी दर्ज करवायी गयी है।

इस प्रकार प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक व रा.मा. वि., पीपल्दा की मिलीभगत से यह कार्य हुआ है, जो गलत है। इसमें कई तरह की हेराफेरी हुई व इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के साथ भी अन्याय हुआ है।

अतः उक्त प्रकरण की जांच करवायी जाकर दोषी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करें।

मांगरोल (पीपल्दा) के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय, मांगरोल (बारां) में बालक व बालिकाओं के विद्यालय में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष व अन्य कई पद रिक्त हैं। बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी में (1) व्याख्याता हिन्दी, (2) व्याख्याता राजनीति विज्ञान (3) पुस्तकालयाध्यक्ष, (4) लेब ब्वाय का पद लम्बे अर्से से रिक्त है। इसी प्रकार सीनियर हायर सैकण्डरी में भी (1) वरिष्ठ अध्यापक, अंग्रेजी, (2) व्याख्यात हिन्दी (अनिवार्य), (3) व्याख्याता संस्कृत, (4) व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक II ग्रेड के पद भी लम्बे अर्से से रिक्त चल रहे हैं जिससे छात्रों के अध्ययन कार्य में परेशानी होती है व बोर्ड की परीक्षा परिणाम का प्रतिशत भी कम रहा है। अध्यापकों के अभाव में छात्रों का भविष्य अंधकार मय हो गया है।

अतः छात्र व छात्राओं के भविष्य को मद्देनजर रखकर समस्या निवारण करने का श्रम करें।

सधन्यवाद।

तलोव (कोटा) ग्राम पंचायत में अतिक्रमण की समस्या

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) **]**

मान्यवर,

निवेदन है कि कोटा जिले की ग्राम पंचायत तलोव में पंचायत के कब्जे एवं स्वामित्व की पूर्व पश्चिम 120 व उत्तर दक्षिण 50 फीट, कुल 6000 वर्ग फीट भूमि स्थित है जिसमें 13 वर्ष पूर्व सार्वजनिक उपयोग हेतु सन् 1983 में उक्त भूमि का पट्टा जारी कर व निर्माण करवाया गया। तभी से यह कुआ व इससे लगी भूमि ग्रामवासियों के एवं महिलाओं के पानी भरने व नहाने धोने के काम आती है, किन्तु दो माह पूर्व रामरतन गुर्जर ने इस भूमि पर जबरन निर्माण कर रास्ता निकाल दिया व पंचायत द्वारा नोटिस देने व स्थगन आदेश जारी करने पर रामरतन ने एक दीवानी वाद स्थायी निषेद्धता हेतु न्यायालय सी.जे. एण्ड जे.एम. साहब, इटावा में प्रस्तुत कर दिया जहां से किसी प्रकार का आदेश नहीं होने के उपरान्त भी इन लोगों ने रात में चोरी से पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर कुएं की बनायी जा रही बाउण्ड्रीवाल को ढसा दिया व मैटेरियल उठाकर चोरी से अपने घरों में ले गये। पंचायत द्वारा दिनांक 10.6.96, 22.6.96, 30.6.96, 1.7.96, 7.7.96, 9.7.96. 12.7.96 को अभियुक्तगण के विरुद्ध समय-समय पर रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी, किन्तु थाना खातोली ने आज तक मौके पर आकर मौका नहीं देखा न ही किसी प्रकार की कार्यवाही की और मुलजिमान से सांठ गांठ कर उन्हें अनुचित संरक्षण देते रहे जिससे मुलजिमान के हौंसले बढ़ गये और उन्होंने पंचायत द्वारा निर्मित कुए की बाउण्ड्रीवाल जो लगभग 40 फीट लम्बी 4 ऊंची व डेढ़ फीट चौड़ी बाउण्ड्रीवाल को रात्रि में तोड़ दिया व माल मैटेरियल रात्रि में चोरी से उठाकर अपने घरों में ले गये। अन्त में प्रार्थी ने विवश होकर धारा 447, 427, 330 खातौली पर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी परन्तु अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी। अतः शीघ्र कार्यवाही की जावे।

मैटून (तहसील अकलेरा) ग्राम की अरनिया सामुदायिक जलोत्थान लघु सिंचाई योजना

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) **]**

मान्यवर, ग्राम मेटून, जिला झालावाड़ में अन्त्योदय में चयनित 14 व्यक्तियों को 85 बीघा जमीन पर सन् 1978-79 में एक समिति बनाकर राज्य सरकार द्वारा अरनिया लघु सिंचाई योजना के नाम से 86000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी। उक्त योजना से 85 बीघा जमीन में सिंचाई करना शुरू कर दिया था। परन्तु अपरिहार्य कारणों से बिजली का बिल जमा नहीं होने व नदी में बरसात के पानी से बाढ़ आ जाने से बिजली के खम्भे

उखड़ गये तथा कुछ खम्भे बिजली विभाग ने उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगा दिये हैं।

उक्त योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 86,000/- रुपये की राशि डी.आर.डी.ए. के मार्फत स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा अकलेरा में जमा थी उसमें से खर्च होने के बाद बकाया राशि का भी अब तक हिसाब नहीं हुआ व शेष राशि का भी पता नहीं है।

विद्युत विभाग की बकाया राशि 5431, ब्याज सहित कुल राशि 5992 व विद्युत कर 43 रुपये ब्याज सहित कुल राशि 11466 रसीद संख्या 112, दिनांक 24.7.95 को जमा कर देने के बाद भी विभाग द्वारा अभी तक इस सिंचाई योजना पर लाइन नहीं खींचकर किसानों के लिए कनेक्शन नहीं दिया गया है जिससे यह योजना चालू नहीं होने से करीब 15-20 परिवार को अपनी रोजी-रोटी में काफी परेशानी होती है। अतः किसानों के हितों को ध्यान में रखकर शीघ्र ही इस लघु सिंचाई योजना पर विद्युत कनेक्शन देकर चालू करने का कष्ट करें।

इन्द्रगढ़ (बूंदी) में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा

[**श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा)]

मान्यवर,

बून्दी जिले की तहसील इन्द्रगढ़ के पास वन विभाग की भूमि पर बृज वाटिका बनी हुई है। यह स्थान वन विभाग की भूमि में आता है। उक्त बृज वाटिका पर बृह मोहन गर्ग नामक व्यक्ति ने नाजायज कब्जा कर रखा है जो पूर्णतया अवैध है। उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिये जिला प्रशासन को बार-बार अवगत करवाया गया परन्तु जिला प्रशासन उक्त कब्जे को हटाने में असफल रहा।

उक्त बात को मद्दे नजर रखते हुए गत बजट सत्र के दौरान विधान सभा में प्रश्न लगाया गया जिसके जवाब में वन विभाग की भूमि पर कब्जा मानते हुए 1.1.95 को कब्जा हटाकर सरकारी कब्जे में लेना बताया गया परन्तु मौके के दौरान वर्तमान में भी अमुक व्यक्तिगत कब्जा बरकरार है।

अतः जनमानस की भावना को ध्यान में रखकर उक्त अतिक्रमण को हटाने का कष्ट करें।

जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना

[**श्री गोपीराम जाट** (आमेर)]

महोदय,

मनुष्य के जीवन में रोटी कपड़ा के साथ ही एक ध्येय और होता है वह है मकान। आधुनिक युग में मनुष्य को सर छिपाने के लिए एक जगह मिल जाये तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। शहरों में यह समस्या बड़ी गम्भीर है। रोजी रोटी की तलाश में लोगों का शहरों की ओर पलायन निरन्तर जारी है और शहरों की आबादी लगातार काम के तलाश में आये लोगों से निरन्तर बढ़ रही है। जिस प्रकार अन्य शहरों की आबादी आजादी के बाद बढ़ी है वैसे ही जयपुर का आबादी का

भारी दवाव है। आजादी से पूर्व जो जयपुर चारदीवारी के अन्दर था, आज मीलों में फैल गया है। सरकार को इस आवासीय समस्या का समाधान जिस गति से करना चाहिए था उससे न कर लोगों को गृह निर्माण सहकारी समितियों के भरोसे छोड़ दिया जिससे लोगों के सम्मुख हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रही।

सरकार की ही इस नीति का परिणाम है कि आज जयपुर में पृथ्वीराज नगर योजना के नाम पर जो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है उससे हजारों लोगों के सामने आवास का संकट उत्पन्न हो गया है और स्वयं के मकान बनाकर रहने वालों को आवासहीन बनाया जा रहा है। पृथ्वीराज नगर योजना के जो तथ्य हैं वह निम्न प्रकार हैं।

पृथ्वीराज नगर योजना की घोषणा 7 जुलाई, 1990 को हुई थी, उस समय इसमें लगभग 40 गृह निर्माण समितियों द्वारा 200 कॉलोनियां काट दी गयी थीं, उसमें से 13 योजनाओं को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। दिनांक 25.2.1989 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन अनुमोदित कॉलोनियों की भूमि को दुबारा अवाप्त कर लिया व इनका अनुमोदन भी रद्द कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी इन योजनाओं के भूखण्डधारियों से विकास शुल्क लेकर विकास कार्य किया गया।

7 जुलाई, 1988 को राजस्थान सरकार द्वारा जो गजट पृथ्वीराज नगर योजना के लिए अवाप्ति भूमि का प्रसारित किया गया था, उसमें बीड़ खातीपुरा की 472 बीघा जमीन अवाप्त की गयी थी फिर उस भूमि को अवाप्ति से अलग कर दिया गया। इसी प्रकार हीरापुरा की टैगोर नगर व टैगोर नगर विस्तार को भी अलग कर दिया गया। इसी प्रकार गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बसायी गयी 13 योजनाओं को भी छोड़ दिया गया। साथ ही मानसरोवर स्कीम के सामने राजावत फार्म, मंगल रिसोर्ट को भी छोड़ दिया गया। क्योंकि इनमें बसे हुए लोग उच्च सेवाओं में हैं, पूंजीपति हैं व पहुंच वाले हैं। गरीबों ने भी अपनी जीवन की सारी पूंजी लगाकर जयपुर में रहने के लिए भूखण्ड गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से ही खरीदे हैं, फिर इनके साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है।

जब सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां कच्ची बस्ती का निर्माण कर लिया जाता है तो सरकार इन कच्ची बस्ती वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, बल्कि उपहार स्वरूप इन्हें नियमित कर इन बस्तियों में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधायें सरकार की तरफ से निःशुल्क मुहैया करवायी जाती हैं। जबकि इस इलाके में रहने वालों ने किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किया, बल्कि अपने खून पसीने की कमाई द्वारा पूरा पैसा देकर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा भूखण्ड खरीदें हैं, और सरकार को भी उचित नियमन शुल्क देने को ये तैयार हैं। फिर इन्हें भी विकास शुल्क लेकर क्यों नहीं नियमित किया जा रहा है, जबकि

दिनांक 11.12.1992 को माननीय मुख्य मन्त्रीजी व नगरीय विकास मन्त्री जी ने यह घोषणा कर दी थी कि सभी प्रकार की आवासीय योजनाएं, चाहे अलसर में आयी भूमि, सरकारी भूमि, अधिग्रहण में आयी भूमि, राजा महाराजाओं की भूमि हो, चाहे अनुसूचित जाति या जनजाति की भूमि पर हो, सभी को उचित विकास शुल्क लेकर इनमें काटे गये सभी भूखण्डों को नियमित कर दिया जावेगा।

इन घोषणाओं से निर्माण कार्य तथा भूखण्डों का बेचान जोरों में चल पड़ा। भूखण्ड बेचने वालों ने इन बातों का हवाला देकर भूखण्ड बेचना चालू कर दिया। अजमेर रोड से उत्तर की तरफ जो कुछ हिस्सा खाली रह गया था उसमें भी सम्पूर्ण भूमि गरीब लोगों ने गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा खरीदकर अधिकतम भूखण्डों पर एक या दो कमरों का निर्माण कर रहने लग गये।

राज्य सरकार ने इतना होने के बावजूद भी गृह निर्माण सहकारी समितियों पर आज तक कोई रोक क्यों नहीं लगायी, इनका सरकार द्वारा प्रति वर्ष अंकेक्षण (आडिट) क्यों चालू रखा, इनको भूखण्ड काटकर खाली जमीन अपने सदस्यों को देने का अधिकार क्यों दिये रखा जबकि पूर्व में भी इनको द्वारा काटी गयी कॉलोनियों को बिना भवन बनाकर देने के बाद भी अनुमोदित कर दिया तो आज यह क्यों कहा जा रहा है समितियों को खाली भूखण्ड देने का अधिकार ही नहीं था। यदि ऐसा है तो फिर उन सभी अनुमोदित कॉलोनियों को रद्द कर उन्हें भी बेदखल करें अन्यथा इनके साथ भी न्याय किया जावे।

जब पृथ्वीराज नगर योजना की घोषणा कर दी गयी तो फिर प्राधिकरण द्वारा इस भूमि में चौकिया गठित क्यों नहीं की गयीं, आवाप्ति भूमि में से कुछ हिस्सों को क्यों छोड़ दिया गया, क्यों समितियों द्वारा काटे गये भूखण्डों पर निर्माण कार्य हुआ, प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते को चुस्त क्यों नहीं रखा गया, इन्होंने इन गरीब लोगों को गुमराह कर लाखों रुपये चौथ वसूली कर निर्माण कार्य करने की इजाजत किसके कहने से दी ? इस क्षेत्र में जो भी अधिकारी लगा उसने ही चारदीवारी एवं कमरे बनाने का 1,000/- से 10,000/- रुपये तक वूसल किया। यहां तक कि बड़े अधिकारियों ने समितियों से उनकी कॉलोनियों में तोड़ फोड़ नहीं करने की एवज में अपने रिश्तेदारों के नाम से भूखण्ड ले लिये और ऐसी सूरत में प्रवर्तन दस्ते से निर्माण कार्य नहीं तोड़े जाने के कारण भूखण्ड खरीदने व बेचने का धन्धा भी जोरों से चल पड़ा। इसमें इन गरीबों का क्या दोष है। प्रवर्तन दस्ते में आने से पूर्व इन अधिकारियों के पास कुछ नहीं था तो बाद में इनके पास लाखों की सम्पत्ति कहां से आ गयी, क्या सरकार ने इसकी जांच की, किसी दोषी को दण्ड मिला ? अतः इस क्षेत्र में किस-किस अधिकारी के समय में कितना-कितना निर्माण कार्य हुआ, इसकी जांच कर इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बसे हुए लोग मेहनत मजदूरी करने वाले या अल्प आय वर्ग के हैं। इन्हें अपने परिवार का पालन-पोषण करने में ही समय नहीं मिल पाता है तथा ना ही यह लोग समाचार पत्र पढ़ पाते हैं। इनको यह भी पता नहीं था कि यहां पर सरकार की कोई योजना भी है। प्राधिकरण की सहकारी समितियों के मिली भगत के कारण इनका निर्माण कार्य भी बेरोक-टोक के चलता रहा, इस कारण इन लोगों ने गौर भी नहीं किया।

माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच के फैसले के बाद प्राधिकरण द्वारा जोरदार सख्ती बरतने पर इन्हें मालूम हुआ तो इनके पैरों तले से जमीन खिसक गयी। इस क्षेत्र में अपनी मेहनत की कमाई से लगभग तीस हजार परिवारों ने भूखण्ड खरीद रखे हैं, जिन्हें दिन रात यह भय सताता रहता है। तीस हजार परिवारों का अरबों रुपयों का सवाल है। यहां यह भी भय है कि जिन गरीबों के पास भूखण्ड खरीदने के लिए ही पैसे थे, निर्माण कार्य के लिये नहीं, उनके साथ तो और भी अन्याय होने वाला है। शायद बने हुए मकानों को तो छोड़ दिया जावे। अतः ऐसी सूरत में जिन लोगों ने अपने भूखण्डों पर निर्माण नहीं किया, उनके साथ अन्याय क्यों ? पृथ्वीराज नगर योजना का निर्माण होना चाहिए यह जयपुर का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, क्योंकि लोग गृह निर्माण सहकारी समितियों के चंगुल से मुक्त होना चाहते हैं, किन्तु पूर्व में बने हुए मकानों एवं जिन्होंने गृह निर्माण सहकारी समितियों से भूखण्ड खरीदे कर छोड़ रखे हैं उन्हें इस योजना से मुक्त रखा जाना चाहिए एवं विकास शुल्क लेकर इन भूखण्डों को नियमित किया जाना चाहिए। पृथ्वीराज नगर योजना का निर्माण इस इलाके में पड़ी खाली जमीन पर ही किया जाना चाहिए एवं किसानों को आज के बाजार भाव से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

कानोता बांध (जयपुर) के डूब क्षेत्र में आये निवासियों को मुआवजा

[श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)]

मान्यवर,

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के बस्सी के गांव कानोता बांध (जयपुर) की डूब क्षेत्र में आ रहे हैं।

मुकुन्दपुरा रूपा की नाँगल, मथुरादासपुरा लांगडीवास डोंकाचोंड रतनपुरा ग्वारडी आदि।

इसमें मुकुन्दपुरा रूपा भी नांगल का सम्यूकबजा पक्के मकानों शुदा गांव है यह गांव 1981 की चपेट में पूरा डूब गया था और एक सार्वजनिक संस्था के माध्यम से तीन सौ से अधिक मकान मेरे माध्यम से निर्मित कराये गये थे - इसी प्रकार इनकी, गांवों की, पांच सौ किसी की छह सौ बीघा खेती की जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है सिंचाई विभाग ने उक्त भूमि पर बांध प्लान बनाकर पिछले पांच वर्षों से कार्य चालू कर रखा है। परन्तु निवासियों की जमीन का मुआवजा व रेट तय

नहीं किये। इन विस्थापित होने वालों को नोटिस तो दिये व दिलाये गये हैं परन्तु जमीन जहां बसाये जायं, इन हजारों परिवारों को जमीन नहीं बतलाई गई लोगों में बेहद असन्तोष है आक्रोश आप देखें हजारों परिवारों को ये फोटो मेरे पास बुक में है। इस जन हित के प्रश्न पर मुझे आज चर्चा का अवसर दें।

जयपुर नगर निगम द्वारा ग्लासशीट पर अधिक चुंगी की वसूली

[श्री एमामुद्दीन अहमद खान (तिजारा)]

मान्यवर,

नगर निगम जयपुर मनमानी व तानाशाही पूर्ण तरीके अपनाकर कभी चुंगी वसूलने का ठेका देता है तो कभी चुंगी कर की दरों में बेतहाशा वृद्धि की घोषणा करता है। चुंगी कर की चोरी की भेदभाव भ्रष्टाचार व मिलीभगत के कारण से रोक नहीं पाते। उपरोक्त कारणों से चुंगी वसूली में होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए जब चाहे तब चुंगी में चार-चार गुना तक एकमुश्त वृद्धि कर दी जाती है। उदारहण के तौर पर हाल ही ग्लास शीटों पर 8/-रु. प्रति क्विंटल से माह अक्टूबर, 1995 तक वसूली जा रही चुंगी की दर जो संशोधित कर दिसम्बर माह से 30/- रु. प्रति क्विंटल से वसूली जा रही है जो कि गरीब तबके के ऊपर भारी अन्याय हो रहा है। इन शीटों से तस्वीरें बनाने वाला कुटीर उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तस्वीरों में लगने वाला कांच नगर निगम के इस कृत्य से काफी महंगा हुआ है। जो मजदूर रोज तस्वीरें बना कर अपनी रोजी रोटी कमा कर परिवार का पालन पोषण करते हैं उनके सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। ये तस्वीरें अधिकांश धार्मिक होती हैं। नगर निगम जयपुर द्वारा ग्लास शीटों में चुंगी कर में चार गुणा वृद्धि किये जाने के कारण हुई बेतहाशा मूल्य वृद्धि से जयपुर शहर की धर्मपरायण जनता को अपने धार्मिक देवी-देवताओं व प्रेरणा के प्रतीक महापुरुषों की तस्वीरें खरीदना भारी पड़ रहा है जो स्पष्ट रूप से लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली कार्यवाही है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस नाजायज चुंगी वृद्धि को रोकने हेतु जयपुर ग्लास मर्चेन्ट एसोसियेशन का शिष्ट मण्डल महापौर नगर निगम एवं स्वायत्त शासन मंत्री जी से भी मिला। लेकिन अफसोस कि इन्होंने जयपुर के निवासियों की धार्मिक भावनाओं की भी कद्र नहीं की।

अतः माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से नगर निगम की बेतहाशा चुंगी कर वृद्धि वापस ही नहीं वरन् ग्लास शीटों पर जयपुर की धर्मपरायण जनता की भावनाओं को देखते हुये सम्पूर्ण चुंगी कर हटाकर तुरन्त राहत देने व बेरोजगार होते लोग के परिवारों को भुखमरी की हालत से बचाने हेतु तत्काल स्वायत्त शासन मंत्री जी को निर्देश देने का कष्ट करें।

528

ब्रह्मपुरी जयपुर की अग्रसेन कालोनी में खुले नाले को बंद कराने

[श्री एमामुद्दीन अहमद खां (तिजारा)]

नगर निगम जयपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में स्थित अग्रसेन कॉलोनी व आस-पास के क्षेत्र में एक बड़ा नाला बहता है, जो कि अधिकांश स्थानों पर खुला ही है। बरसात के मौसम में तो यह नाला सड़क के बराबर बहता है, जिसके कारण सड़क एवं नाले की कोई पहचान नहीं हो पाती। भ्रमवश लोग इस नाले को सड़क समझते हुए गिर जाते हैं व डूब जाते हैं। बच्चों की हालत तो बड़ी दयनीय है, इस खुले नाले की दहशत की वजह से आसपास के लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर भी नहीं निकलने देते। पशुओं की हालत और भी दयनीय है। बरसात के मौसम के अतिरिक्त भी इस नाले में गंदा पानी आता रहता है व मृत पड़े सड़ते हैं, जिससे इस क्षेत्र में संक्रमक बीमारियों का अधिक जोर है तथा स्थानीय निवासीगण परेशान हैं। नगर निगम इस क्षेत्र से गृहकर की वसूली तो करले जाता है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देता।

अतः उपरोक्त मामले को अत्यन्त जनहित का मानते हुए माननीय अध्यक्ष जी स्वायत्त शासन मंत्री जी को तुरन्त क्षेत्र में स्थित सम्पूर्ण खुले नाले जो चाहकर स्थनीय जनता की जानमाल की रक्षा करने हेतु आदेश दिए जाए व वर्तमान में लोगों की रक्षा हेतु आपातकालीन इंतजाम किए जाएं।

चक 4 के एस.एम. गांव में जमीनों पर नाजायज कब्जे

[श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़)]

सूरतगढ़ राजस्व तहसील के चक 4 के. एस.एम. गांव में खसरा नं. है, परन्तु मुरब्बा बंदी अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण बड़े जमीदारों ने गरीब काश्तकारों तथा पिछड़े वर्ग के किसानों की जमीनों को नाजायज तरीके से दबा रखा है।

श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत अधिकांश गांवों में मुरब्बा बंदी का कार्य हो चुका है, परन्तु उक्त चक में मुरब्बाबंदी आज तक क्यों नहीं हुई ? मुरब्बा बंदी नहीं कराने से संबंधित कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है। क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? मान्यवर, 4 के.एस.एम. गांव में मुरब्बा बंदी न होने से कई बार आपस में लड़ाई-झगड़े हो चुके हैं। क्या राजस्व मंत्री उक्त चक की मुरब्बा बंदी कराकर गरीब काश्तकारों को न्याय देना चाहते हैं ? यदि हां, तो कब तक उक्त चक की मुरब्बा बंदी करवा दी जाएगी।

सूरतगढ़ तहसील में राजस्व विभाग की मनमानी एवं गैर कानूनी आदेश के तहत सरदारपुरा, लड़ाना, तहसील सूरतगढ़ की जंगलात। वन विभाग। की भूमि पर पहले पानी का कुंड व हड्डारोडी का स्थान नियत था, जिसके ऊपर प्रभावशाली व्यक्तियों ने नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया। इलाके के लोगों में ऐसी चर्चा है कि राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि, जो सरकारी भूमि है एवं गांव

के सार्वजनिक कार्यों हेतु उपयोग में आ रही है, उसे प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम स्थाई तौर पर आबंटित किया जा रहा है। ऐसी जानकारी मिलने से पूरे गांव एवं तहसील के आम नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। गांव के लोगों ने शिकायत की है कि मृत पशुओं को अब कहां डाला जाए। मृत व्यक्तियों को जलाने हेतु इसी भूमि का उपेयाग किया जा रहा है। जिस सार्वजनिक स्थान का उपयोग समूचा गांव कर रहा है। उसे राजस्व विभाग यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति को आबंटित कर देता है तो उससे विभाग की एवं सरकार की भारी बदनामी होती है तथा ऐसे मामलों में सुखाधिकारी का हनन होने से सिविल न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध स्ट्रक्चर पास हो जाते हैं, जिससे विभाग की भारी बदनामी होती है।

मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्व मंत्री जी उक्त जंगलात की भूमि को जो सार्वजनिक उपयोग में आ रही है, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को आबंटित नहीं करेंगे तथा पूर्व की भांति उसका जनहित में उपयोग होता रहे, ऐसे पुख्ता आदेश जारी कर उक्त गांव के लोगों को राहत देंगे।

मकराना का खसरा नं. 684 सिवाय चक (सरकारी) भूमि है, जिसमें गत वर्षों से लगातार अवैध खनन, अवैध फैक्ट्रियां व अवैध आवास हो रहा है, तथा लगातार अतिक्रमण चालू है। इस क्षेत्र को मकराना में कालानाडा के नाम से जाना जाता है।

कालानाडा में लगातार हो रहे अतिक्रमण से मकराना शहर का गन्दा पानी एवं वर्षा का पानी के निकास अवरुद्ध हो गया है, जिससे आगामी वर्षा काल में मकराना में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

मकराना में महामारी फैलने की स्थिति बनी हुई है। यहां पर दूषित पानी भरा रहता है। जिससे पूरा क्षेत्र प्रभावित है। इसके बावजूद इसी खसरा नं. 684 में नगर नियोजन, बीकानेर द्वारा भ्रष्ट तरीके अपना कर फैक्ट्री लगाने हेतु एन.ओ.सी. जारी की गई है एवं एस.डी. ओ. परबतसर द्वारा उक्त सिवाय चक भूमि पर कतिपय मार्बल व्यवसायियों को भूमि नियमन की कार्यवाही भी की जा रही है, जो कतई उचित नहीं है। कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर शीघ्र कार्यवाही करवाने की कृपा कराए। क्या सरकार इन अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक हटाये जायेंगे।

कोटपूतली में खेल मैदान पर अतिक्रमण

[श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली)]

महोदय,

मैं सदन में सरकार के समक्ष लोक महत्व के तथ्य पेश कर रहा हूं। मैं विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की उन पाठशालाओं का जिक्र कर रहा हूं जिनके खेल के मैदान एवं फील्ड एवं बाउण्ड्री को उन्हीं गांवों के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है एवं उस फील्ड पर बदस्तूर काश्त कर रहे हैं। इन पाठशालाओं के बच्चों को न

तो कोई खेलने का मैदान है एवं न ही स्कूल में कोई आने-जाने का रास्ता है। यहां तक कि बाउण्ड्री तक को भी नहीं छोड़ा गया है। आए दिन स्कूल के बच्चों, अध्यापकों एवं ग्रामवासियों के बीच झगड़े होते रहते हैं। कई पाठशालाओं एवं बच्चों के बीच अदालत में भी केस चल रहे हैं। अतः तहसील कोटपूतली के प्राथमिक उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी एवं सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के खेल की मैदानों पर हो रहे अतिक्रमणों को शीघ्र हटाकर बच्चों को खेल का मैदान उपलब्ध कराया जाए।

इन अतिक्रमणों के कारण छात्रों, अध्यापकों एवं समस्त ग्रामवासियों में भारी रोष व्याप्त है। करीब-करीब सभी स्कूलों के मैदानों की यही हालत हो रही है। क्या सरकार इस तरह का एक अभियान चलाकर सभी सकूलों के खेल के मैदानों में हो रहे अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा ?

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं माननीय गृह मंत्री एवं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसकी मुझे सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान कराएं।

बयाना में बस आगार खोलने

[श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना)]

रोडवेज निगम की आयु के लिए बयाना सब डिवीजन हैड क्वार्टर पर डिपो खोलना अति आवश्यक हो गया है क्योंकि -

1. भरतपुर जिले में दो डिपो हैं- अ. लोहागढ़ , ब. भरतपुर डिपो। दोनों ही भरतपुर में स्थापित हैं।

2. भरतपुर डिपो का मुख्य आगार बयाना है जहां से लगभग 120 परिचालक प्रतिदिन हर स्थान के लिए संचालित होते हैं।

3. सन 1994-95 में भरतपुर डिपो बन्द होने जा रहा था, क्योंकि नियन्त्रण में लेने के बाद बयाना को कन्ट्रोल में नहीं किया गया था।

4. वर्तमान में बयाना हिण्डौन मार्ग के नियंत्रण में होने से राजस्थान में आय की दृष्टि से प्रथम स्थान पर भरतपुर डिपो आया है। उसी के परिणामस्वरूप 3000 रुपये प्रति कर्मचारी को लाभांश दिया है।

5. अभी बयाना, भुसावर, रूपवास, बसेड़ी को कण्ट्रोल में नहीं लिया है, जबकि ये राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं। अगर उक्त मार्गों को कन्ट्रोल में लिया जाए तो अधिक आय होगी।

6. बयाना बस स्टेण्ड पर न यात्रियों को बैठने के लिए उपयुक्त स्थान है, न सफाई का कोई प्रबन्ध है, न पानी पीने की कोई उचित सुविधा है और न स्टेशन इन्चार्ज को बैठने का स्थान है। बयाना स्टैण्ड की बड़ी दयनीय स्थिति है।

अतः बयाना में डिपो खोलना अति आवश्यक है। सधन्यवाद।

डी.आर.डी.ए., अलवर में व्याप्त भ्रष्टाचार

[(श्री गोपीचन्द (नगर)]

महोदय,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अलवर के परियोजना निदेशक सत्य प्रकाश बसवाला ने डी.आर.डी.ए. में भ्रष्टाचार एवं लूटखसोट मचा रखी है। वह अधिकारों के गम्भीर दुरुपयोग कर रहा है। एक स्वयंसेवी संस्था माता श्रीमती गोमती देवी जनसेवा निधि आर्म्मर फाउन्डेशन राजगढ़ (अलवर) को वाटर शेड डवलपमेंट टीम प्रोजेक्ट जो कि करीब एक करोड़ रुपये का चार वर्षीय कार्यक्रम स्वीकृत किया है। इसमें परियोजना निदेशक सत्यप्रकाश बसवाला ने लाखों रुपये लूटने की स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से योजना बनाई है। करीब एक-डेढ़ माह पूर्व यह योजना स्वीकृत हुई है और उसका हिसाब किताब एवं कार्यक्रम में वैधानिक रूप से हिस्सा मिले इसके लिए करीब पच्चीस दिन पूर्व बसवाला ने अपने निकटतम रिश्तेदार की स्वयं सेवी संस्था में नियुक्ति करवा दी है। इस तरह परियोजना निदेशक ने स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से अपने रिश्तेदार को सहयोगी बनाकर लूटने की साजिश रची है। यह अधिकारों के गम्भीर दुरूपयोग का मामला है। माननीय विशिष्ट शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इस दिशा में कार्यवाही करें तथा इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति को निरस्त करें।

गांधीनगर, आबूरोड में जमीन पर अवैध अतिक्रमण

[(श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर)]

महोदय,

सिरोही जिले के आबू रोड गांधी नगर की खसरा नं. 218, 219, 220, 221, 222 भूमि की जमाबंदी सन 1984 तक अनुसूचित जाति के नाम दर्ज थी। इस जमीन में से भेरा किसना ने खसरा नं. 218,219, 220 को दिनांक 27.3.85, 4.3.85 एवं 26.3.85 को बेचान किया गया। उक्त खसरा नं. 218, 219, 220 को आबादी में नामान्तरण कर दिया गया। इसके बाद बेचान की गई भूमि का नक्शा बना कर प्लाट काटे गये। जिससे प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नं. 221 में जानबूझकर अतिक्रमण किया गया, जिसमें दो मकान स्थित है।

श्री भेरा किसना को वस्तुस्थिति का ज्ञान होने पर तहसीलदार आबूरोड की सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से 30.11.89 को पटवारी हल्का आबूरोड ने खसरा नं. 221 का सीमा ज्ञान किया। जिसमें मौके पर दो मकान बने हैं, जिसमें 30 फीट का अतिक्रमण किया गया बताया है एवं शेष भूमि पर प्रार्थी का स्वामित्व एवं कब्जा है। नायब तहसीलदार आबूरोड ने सर्वे कर सीमाकाल करवाया गया। सर्वे से खसरा नं. 221 पर निम्नानुसार

332

गेरसायल 2 से 5 तक ने अवैध रूप से निर्माण किया है।

गैरसायल संख्या	क्षेत्रफल वर्ग फुट
(2) मूल चंद शर्मा	46X6 = 282
(3) ओमप्रकाश जैन	40X30 - 1200
(4) श्रीमती नर्बदा बेनपटेल	40X30 = 1200
(5) श्रीमती प्रेमलता	40X30 = 1200
	3882 कुल क्षेत्रफल

तहसीलदार, आबूरोड ने अपने निर्णय दिनांक 30.6.95 में गैरसायलॉन द्वारा अवैध रूप से किए गए निर्माण को तोड़कर हटाया जाना विधि सम्मत तथा न्यायसंगत बताया है। साथ ही खातेदारी कृषि भूमि में अवैध रूप से निर्माण किया जाना स्पष्टतः साबित होने से राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ए) सपठित धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने एवं भूमि का कब्जा श्री भैरा किसना को दिलाये जाने के आदेश दिये है।

अतः मैं राजस्व मंत्री का निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

1. प्रस्तुत भूमि की असलियत का पता लगाया जाए।

2. किसकी मिलीभगत से अवैध निर्माण कार्य किया गया है ?

3. तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही की पत्रावली की पूरी छानबीन कर किये गये आदेश की पालना क्यों नहीं की जा रही है ?

4. अवैध निर्माण को तुड़वाकर कब्जा दिलवाने की कार्यवाही शीघ्र की जाए।

5. एक गरीब एवं अनुसूचित जाति का व्यक्ति इस भूमि से वंचित न हो जाए।

हिण्डौली तहसील के ग्राम बड़गांव में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

[(श्री रामनारायण मीणा) (नैनवां)]

महोदय ,

ग्राम पंचायत मुख्याल बड़गांव तहसील हिण्डौली, जिला बूंदी में स्थित चरागाह भूमि की सीमाबन्दी एवं सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं करने से अतिक्रमण बढ़ रहे हैं। भू-राजस्व अधिनियम में एक से अधिक बार अतिक्रमण करने वाले को भूमि पर से कब्जा नहीं छोड़ने पर सजा देने का प्रावधान है। उक्त ग्राम की पूरी भूमि का खसरा नं. तथा रकबे के साथ पूर्ण विवरण जारी किया जाए तथा वर्ष 1980 से अब तक किए गए अतिक्रमण का वर्षवार एवं व्यक्तिवार ब्योरा बनाया जाकर एक वर्ष से अधिक अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाकर भूमि को चरागाह विकास के लिए वन-विभाग को स्थानान्तरित किया जाए जिससे अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण से रोका जा सके। उक्त ग्राम की चरागाह भूमि के अतिक्रमियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं करने वाले राजस्व अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाए ताकि

भविष्य में प्रभावशाली अतिक्रमियों को अतिक्रमण करने से रोका जा सके।

अतिक्रमी द्वारा तहसील के फैसले के खिलाफ अपील करके प्रभाव के जरिए बदलवाए गए फैसले की भी समीक्षा सचिवालय स्तर पर करवाई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए ताकि कानून की आड़ में अतिक्रमियों को लाभ पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्यवाही हो सके। सम्पूर्ण कार्यवाही का ब्यौरा प्रेषित एवं प्रसारित किया जावे।

सधन्यवाद।

बांसवाड़ा जिले में विद्युत आपूर्ति

[(श्री भवानी जोशी) (बांसवाड़ा)]

महोदय,

निवेदन है कि विगत दिनों से बांसवाड़ा जिले के विभिन्न इलाकों में विद्युत आपूर्ति अनियमित हो गई है और विद्युत कटौती की ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि लागातर 36 से 48 घण्टों तक बांसवाड़ा ग्रामीण के विभिन्न इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप्प सी रहती है।

बांसवाड़ा जिले में माही बांध की वजह से संचित जलनिधि का उपयोग कर विद्युत निर्माण होता है और बांसवाड़ा जिला भी कोटा की भांति नियमित रूप से विद्युत उत्पादन के निर्माण में लगा है। जिले में बिजली उत्पादन हो व जिले के ही लोगों को विद्युत कटौती एवं विद्युत सम्बन्धी अनियमितताओं की परेशानी झेलनी पड़े, ऐसी परिस्थितियों को उचित नहीं कहा जा सकता है। कोटा में विद्युत कटौती नहीं की जाती है, ऐसी भी जानकारी मिली है क्योंकि वहां विद्युत उत्पादन का कार्य होता है।

बांसवाड़ा जिले में विद्युत कटौती को विद्युत उत्पादक स्थानों से अवरोध होने पर रोका जाता है। इसके अतिरिक्त ऊपर से विद्युत कटौती के निर्देश के नाम पर भी अकारण रोका जाता है, जिससे भीषण गर्मी के हालत में जनता को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है यह आप स्वयं भी समझ सकते हैं।

बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के लोहारिया, खोडन, गढ़ी, प्रतापुर, पालौदा समते इन परिक्षेत्र के कुछ गांव ऐसे हैं जिन्हें विद्युत आपूर्ति व कटौती की समस्याओं को निरन्तर झेलना पड़ता है। विद्युत कटौती भी गांवों में तब की जाती है जब पशुओं के घर आने का समय होता है, ग्रामीण को दूध निकालना एवं अन्य कई कार्य होते है। इससे वच्चों की पढ़ाई एवं व्यवस्था एवं साक्षरता कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे है।

इस कटौती से जहां आम जनता तो प्रभावित होती है वहां कृषक वर्ग, लघु उद्योग कर्मी एवं छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है।

आपसे आग्रह है कि बांसवाड़ा जिला जो विद्युत उत्पादन का कार्य करता है इसमें अनावश्यक विद्युत कटौती की परम्परा को बन्द करने की उचित कार्यवाही करें एवं विद्युत की अनियमित आपूर्ति में सुधार कर इसका

(534)

समयानुकूल सुचारू वितरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आप उचित कार्यवाही के माध्यम से क्षेत्र की जनता को विद्युत सम्बन्धी समस्याओं (कटौती-आपूर्ति) से निजात दिलवाने का कष्ट करेंगे।

आर.सी.एस. वनस्पति कम्पनी के कम्प्रेसर ड्राइवरों के नौकरी से हटाने बाबत

[श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा)]

महोदय,

नियम 295 के तहत श्रम मंत्री जी का ध्यान निम्न प्रकार आकर्षित करता हूं आर.सी.एस. (R.C.S.) वनस्पति 164/181 झोटवाड़ा, जयपुर में लगभग 20 वर्ष से अमानियां कम्प्रेसर ड्राईवर जो वर्षों उक्त कम्पनी में लगातार सेवा कर रहे थे, किन्तु कम्पनी मालिक द्वारा कम्प्रेसर ड्राइवरों से जबरन कम्पनी सेवा त्याग पत्र ले लिया गया एवं कम्पनी द्वारा उनको जो नियमानुसार राशि देनी चाहिए उनका हिसाब भी नहीं किया गया। उक्त ड्राइवरों का पी.एफ. फण्ड भी कम्पनी मालिक द्वारा जमा नहीं कराया गया जो कि गैर जिम्मेदार कृत्य है। उक्त कम्प्रेसर ड्राइवर से काफी वरिष्ठ होने के उपरान्त भी कनिष्ठ कर्मचारी से पूर्व ही हटा दिया गया जो फैक्ट्री एक्ट के तहत असंवैधानिक है।

उक्त कम्पनी मालिक ने बिना सरकार के अनुमति प्राप्त किये ही फैक्ट्री को बन्द कर दी गई जिसके कारण मजदूरों की रोजी-रोटी उनसे छिन गई है। कम्पनी मालिक ने सरकारी ऋण को चुकाये बिना ही कम्पनी की भूमि के प्लाटों का विक्रय किया तथा वर्तमान में भी प्लाटों का विक्रय जारी है।

अतः श्रम मंत्रीजी का ध्यान उक्त प्रकरण की ओर आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त कम्पनी की निष्पक्ष जांच करवाई जा कर जनहित फैक्ट्री को पुनः चालू करवाने का श्रम करें।

जोधपुर नगर सुधार न्यास में व्याप्त अनियमितताएं

[श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)]

महोदय,

जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों के विपरित सरकार को हानि पहुंचाने के कार्य किये जा रहे हैं। जन प्रतिनिधि होने के नाते राज्य सरकार के तुरन्त ध्यान में लाने हेतु एवं सरकारी कोष के अपव्यय को रोकने हेतु मैं यह प्रस्ताव विशेष उल्लेख के रूप में प्रस्तुत कर रही हूं।

ग्राम खोवा के खसरा नं. 808 की भूमि के सम्बन्ध में बाबू खान एवं विजय आदि से समझौते के न्यास प्रस्ताव को शासन द्वारा अपने पत्रांक - 3/90 दिनांक 25.4.96 द्वारा तुरन्त वापिस लेने के निर्देश प्रदान किये थे एवं इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल के समक्ष अपील दायर करने एवं योग्य व अनुभवी अधिवक्ता द्वारा पैरवी करवाने के लिए लिखा गया था। लेकिन न्यास ने राज्य सरकार के निर्देशों के विपरीत एवं सरकार को हानि

पहुंचाने वाले प्रस्ताव को वापिस न लेकर पुरानी तारीखों में समझौता कर लिया गया। इस समझौते के अन्तर्गत प्राप्त राशि के चैक किस दिनांक के थे एवं न्यास द्वारा उक्त चैक बैंक में कब प्रस्तुत किये गये, इसका विवरण सदन के पटल पर रखने से ही स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार के निर्देशों की अवहेलना किस खुले रूप में हुई है। कृपया यह विवरण सदन में पेश करवाने की व्यवस्था करवाने का श्रम करते हुए सरकारी कोष को हानि पहुंचाने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करवाने की व्यवस्था करवाएं।

इसी प्रकार पोलो लिंक सोसायटी की 28 बीघा भूमि को न्यास की भूमि मानकर तारबन्दी कर दी गई न्यायालय में फैसला भी न्यास के पक्ष में हो गया परन्तु बाद में केवल एक व्यक्ति को अनुमति दे दी गई। इस एक व्यक्ति को अनुमति देने के पीछे क्या कारण थे ? इस प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली सदन के पटल पर रखी जाए। इसी प्रकार इस भूमि के पास "मुदित मेन्शन" नाम का जो बहुमंजिला भवन पाल लिंक रोड पर बना है, उसे अनुमति देने में भी भारी अनियमितताएं बरती गई है। इस भवन द्वारा सरकारी भूमि का अतिक्रमण भी किया गया है। इस प्रकरण की पूरी पत्रावली मय साइट प्लान के सदन के पटल पर रखवाने की व्यवस्था करवाने का श्रम करें।

न्यास द्वारा सरस्वती नगर योजना में सेन्ट्रल एकेडमी विद्यालय के लिए भूमि प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे गए। बाद में यही भूमि 1995 में किसी अन्य संस्था को आवंटित कर दी गई। इस दूसरी संस्था ने भूमि की राशि भी जमा नहीं करवाई, परन्तु सेन्ट्रल एकेडमी राशि जमा करवाने को तैयार थी, परन्तु उससे राशि जमा नहीं करवाई गई। यह संस्था न्यायालय में गई तो दूसरी संस्था से पुरानी तिथियों में चैक लेकर उसे भूमि का कब्जा दे दिया गया यह चैक किस तारीख का था और इसे न्यास द्वारा बैंक में कब प्रस्तुत किया गया ? समस्त विवरण व पत्रावली सदन के पटल पर रखने की व्यवस्था करवाने का श्रम करें।

मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि न्यायालय में लम्बित या न्यायालय के निर्णय के बाद किसी भी प्रकार की भूमि के समझौते न्यास द्वारा सरकार की अनुमति के बिना न हो उसकी व्यवस्था करवाएं ताकि राज्य सरकार को हो रही भारी हानि से बचाया जा सके।

राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)

महोदय,

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों पर गंभीर मंथन और चिंतन हो रहा है। संविधान में मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धान्तों के माध्यम से राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह समाज के निर्बल वर्गों के अधिकारों की रक्षा करे। इनकी

338

अनुपालना में केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति राष्ट्रीय आयोग, महिलाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोगों का मानवाधिकार आयोग की स्थापना की है। मैं राजस्थान में महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों पर बढ़ते हुए अत्याचारों व में बढ़ती हुई मौतों के कारण प्रदेश में मानवधिकार आयोग के गठन की पुरजोर मांग करता हूं।

आज देश के कई राज्यों में मानवाधिकार आयोग गठित हो चुके हैं । हमारे राज्य में पिछले दो वर्षो के पुलिस के कारनामें इस बात को सिद्ध करते हैं एक शीघ्र ऐसा आयोग गठित किया जाय जो सरकार से स्वतन्त्र और पारदर्शी कार्यनीति के साथ जनता के विश्वास को पुख्ता करने में जोरदार भूमिका निभा सकता है। राजस्थान के कुछ police Control के काण्डों में बीकानेर का अशोक सिंह काण्ड जोधपुर का रामूड़ा बानरी काण्ड , भरतपुर का मेहानी कोशिक काण्ड, चुरू (सरदार शहर) का राजेन्द्र स्वामी काण्ड, नागौर के पाटु थाने का रमेश काण्ड, उदयपुर के धरियावर थाने का गोपाल दरोगा काण्डो राज्य सरकार को कलंकित किया है। इस सरकार के रक्षक ही भक्षक बन गये है। बाड ही खेत को खाने लगी है। इससे बढ़कर जघन्य आपराध हो ही नहीं सकता कि बचाने वाला ही मारने वाला बन जायगा। इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में शीघ्रताशीघ्र एक मानवअधिकार आयोग की स्थापना की जाये। अध्यक्ष महोदय, कानून के रखवालों और नागरिकों की सुरक्षा के लिये जिम्मेदार लोगों द्वारा संरक्षक के विश्वास को तोड़ने से बढ़कर कोई बड़ा अपराध नहीं है। साथ ही जेल सुधारों की भी गंभीर आवश्यकता है जिसके प्रभाव में हमारे जेलों का वातावरण अधिकारियों के कारण अत्यन्त दूषित और निम्न स्तरीय बन गया है।

मानव अधिकारों के प्रति यह सरकार पूर्णतः संवेदनहीन है और मानव प्रक्रिया की भी रक्षा करने में बुरी तरह असफल हुई है। अतः एक निष्पक्ष और स्वतन्त्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना अतिशीघ्र करना समय की आवश्यकता है। आशा है सरकार इस दिशा में कदम उठायेगी।

पंचायत समिति, सुजानगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार

[श्री रामेश्वर भाटी (सुजानगढ़) **]**

महोदय, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सुजानगढ़ (चुरू) की पंचायत समिति में हो रहे विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों एवं समस्याओं की तरफ मैंने जिला कलक्टर चुरू का ध्यान आकर्षित किया तो जिला कलक्टर ने मेरी मौखिक/लिखित शिकायतों को अनदेखा किया। यही नहीं वे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्रदान कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी क्रम (भ्रष्टाचार) में पंचायत समिति सुजानगढ (चुरू) को दीर्घकाल तक किसी प्रकार की

मरम्मत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। लेकिन जिला कलक्टर इस भवन की मरम्मत पर करीब पांच लाख रुपये व्यय कर रहे हैं। जबकि यह भवन भी 5.00 लाख रुपयों का नहीं है। इस संबंध में शायद न तो किसी तकनीकी व्यक्ति ने अभिशंषा की ओर न ही तकमीना बनाया। इसी प्रकार पंचायत [illegible]ति भवन सुजानगढ़ (चुरू) में गत माह एक [illegible] का निर्माण करवाया गया, लेकिन इस हाल की छत अभी से टपकनी शुरू हो गयी है।

अतः कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि कृपया पंचायत समिति सुजानगढ़ (चुरू) में जिला कलक्टर के संरक्षण में हो रहे विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों पर तुरन्त रोक लगवाकर अविलम्ब उच्च स्तरीय जांच करवाएं ताकि राजकोष को अनावश्यक घाटा न हो एवं जन आक्रोश भी न भड़के।

कृषि जोतों के पंजीयन के सम्बन्ध में

[श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा)]

महोदय,

राजस्थान में भूमि की रजिस्ट्री करवाते समय खातेदार को उप पंजीयक के समक्ष मूल निवास प्रमाण-पत्र राशनकार्ड एवं 1955/1971 की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने पर ही दस्तावेज का पंजीयन किया जाता है, जबकि मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने वाला अधिकारी इस बाबत आवश्यक जांच कर लेता है अतः उप पंजीयक को कृषि भूमि का विक्रय पत्र प्रमाणित करते समय खरीददार को केवल मूल निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु बना चाहिए। इसके अलावा यदि खरीददार उसी तहसील का खातेदार कृषक है और उसके पास अपने खाते की आदिनांक की नकल अथवा पासबुक मौजूद है और वह पासबुक अथवा जमाबन्दी की खाते की आदिनांक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर देता है तो उससे मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाना चाहिए और केवल पासबुक अथवा जमाबन्दी की नकल के आधार पर ही कृषि जोत के विक्रय पत्र को अटैस्ट कर देना चाहिए। अतः इस सम्बन्ध में शासकीय परिपत्र अथवा राज्यादेश से स्थिति स्पष्ट करते हुए स्पष्ट निर्देश समस्त कलेक्टरों/महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को जारी कर दिये जाने चाहिये ताकि काश्तकारों को कृषि जोतों के पंजीयन के सम्बन्ध में इस बाबत होने वाली परेशानी से राहत मिल सकें।